

Form A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the Stock Exchanges

1	Name of the Company	Canara Bank
2	Annual Financial Statements for the year ended	31 st March 2015
3	Type of Audit observation	Unqualified Report
4	Frequency of observation	NIL
5	To be signed by –	
	• CEO / Managing Director	 (P S Rawat)
	• CFO	 (N SELVARAJAN)
	• Auditor of the Company	 M/s.Vinay Kumar & Co. Allahabad (Representing all the six Statutory Central Auditors) 
	• Audit Committee Chairman	 (Mocherla Sairam Bhaskar)

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking

Together We Can

ग्राहक आनंद के बहुआयाम Many dimensions of customer delight.



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री वी.एस. कृष्ण कुमार
कार्यपालक निदेशक (30.04.2015 तक)
Shri V. S. Krishna Kumar
Executive Director (Up to 30.04.2015)



श्री प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
(अतिरिक्त प्रचार - एमडी व सीईओ)
Shri Pradyuman Singh Rawat
Executive Director
(Additional Charge - MD & CEO)



श्री हरिदीश कुमार बी.
कार्यपालक निदेशक
Shri Harideesh Kumar B.
Executive Director



डॉ. रजत भार्गव
भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक
Dr. Rajat Bhargava
Director Representing Government of India



श्रीमती उमा शंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक
Smt. Uma Shankar
Director Representing Reserve Bank of India



श्री जी. वी. मणिमरन
अधिकृत कर्मचारी निदेशक
Shri G. V. Manimaran
Officer Employee Director



श्री सुनील हुक्मचंद कोचेत
समय लेखाकार वर्ग के तहत अंतरालिक
अनुधिकारिक निदेशक
Shri Sunil Hukumchand Kocheta
Part-time Non-Official Director under
Chartered Accountant Category



श्री साईराम बी. मोचरोला
अंतरालिक अनुधिकारिक निदेशक
Shri Sairam B. Mocherla
Part-time Non-Official Director



श्री राजेन्द्र कुमार गोयल
शेयरधारक निदेशक
Shri Rajinder Kumar Goel
Shareholder Director



श्री संजय जैन
शेयरधारक निदेशक
Shri Sanjay Jain
Shareholder Director



वार्षिक रिपोर्ट
2014-2015
ANNUAL REPORT



वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

विषयवस्तु

1. नोटिस	3
2. प्रगति की एक झलक	15
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2014-2015	16
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	17
• केनरा बैंक वर्ष 2014-2015 में	21
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	66
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	68
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	69
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	94
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	117
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	119
• तुलन पत्र	123
• लाभ व हानि खाता	124
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	125
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	133
• लेखांकन नीतियाँ	135
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	144
• स्तंभ 3 (बासेल II) प्रकटन	198
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	238
• नकद प्रवाह विवरण	341
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	344
• समेकित तुलन पत्र	348
• समेकित लाभ व हानि खाता	349
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	351
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	357
• लेखांकन नीतियाँ	359
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	372
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	388
9. प्रबंध निदेशक और सीईओ का शेरधारकों को संबोधन	390
10. निक्षेपागार (डीपी) सेवा केन्द्रों की सूची	391
11. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	395
12. प्रॉक्सी फार्म	397

ANNUAL REPORT 2014-2015

CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	15
3. DIRECTORS' REPORT 2014-2015	16
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	17
• CANARA BANK IN 2014-2015	21
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	66
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	68
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	69
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	94
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	117
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	119
• BALANCE SHEET	123
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	124
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	125
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	133
• ACCOUNTING POLICIES	135
• NOTES ON ACCOUNTS	144
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	198
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	238
• CASH FLOW STATEMENT	341
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	344
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	348
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	349
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	351
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	357
• ACCOUNTING POLICIES	359
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	372
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	388
9. MANAGING DIRECTOR AND CEO'S ADDRESS TO SHARE HOLDERS	390
10. LIST OF DP SERVICE CENTRES	392
11. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	396
12. PROXY FORM	398



नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 14 जुलाई 2015 को 3.30 बजे सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौडा नगर, बेंगलूरु - 560 029 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा अनुमोदन व अंगीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 2014 -15 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना:

“संकल्प लिया जाता है कि” बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद “निदेशक मंडल” कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी

NOTICE

Notice is hereby given that the *Thirteenth Annual General Meeting* of the Shareholders of Canara Bank will be held on Tuesday, the 14th July, 2015 at 3.30 P.M. at Auditorium-1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bengaluru - 560 029, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2014-15.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers



या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, **₹1500 करोड़** तक (यथा बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा निर्धारितानुसार) जो वर्तमान **₹515.20 करोड़** की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पूंजी सीमा **₹3000 करोड़** के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी **52%** से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एनआरआई") कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी"।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto **₹1500 Crore** (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹515.20 Crore** will be within **₹3000 Crore**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than **52%** of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or



बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रक्रिया के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आईसीडीआर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे। ”

आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो। ”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय

without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/ or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a



या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

- क. पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।
- ख. बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग. आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक

later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) The Bank is, in pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank



के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, अपमार्जन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद

in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities,



अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/को या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By Order of the Board of Directors

PRADYUMAN SINGH RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(Additional Charge as MD & CEO)



टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

प्रदत्त पूंजी जुटाने और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रोक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रोक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रोक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रोक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 09 जुलाई 2015 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 09 जुलाई, 2015 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करना होगा।

4. पंजीकरण :

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 14 जुलाई 2015 को अपराह्न 02.30 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रोक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital is annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 09th July, 2015.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 09th July, 2015.

4. REGISTRATION :

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 2.30 p.m. on Tuesday, the 14th July, 2015. at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their



अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि "प्रोक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियुक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्बी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31-32,

गाचीबोवली, नानकरामगुडा वित्तीय जिला,

हैदराबाद- 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 27 जून 2015 से 14 जुलाई 2015, मंगलवार तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 27th June, 2015 to the Tuesday, the 14th July, 2015 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.



8. लाभांश का भुगतान:

बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹10.50 प्रति इक्विटी शेयर (105%) के लाभांश की अनुशंसा की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर या यथा शुक्रवार, 26 जून 2015 (अभिलेख तिथि) को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में हैं और उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा/ लाभांश राशि को जमा किया जाएगा।

9. फोलियो का समेकन:

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों यानि वर्ष 2007-08 से 2013-14 (अंतिम) का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बैंक वर्ष 2007-08 से दावा न किए गए / अप्रदत्त लाभांशों के दिनांक 18 जुलाई 2015 तक अंतरण करने की प्रक्रिया में है।

8. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Board has recommended a Dividend of ₹ 10.50 per equity share (105%) for the year 2014-15. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Friday, the 26th June, 2015 (Record Date) and the Dividend Warrants shall be dispatched/ Dividend amount credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2007-08 to 2013-14 (Final), are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2007-08 to the said fund on 18th July, 2015.



11. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक उसका पठनीय संस्करण वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13. ई-वोटिंग :

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

14. बैठक में मतदान :

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान के नतीजों के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेंगे। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. बैंक की चालू इक्विटी पूंजी ₹515.20 करोड़ है तथा यथा 31 मार्च 2015 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.56% है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की तुलना में काफी अच्छी है। तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बासेल III मानदंडों का कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के आलोक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है।

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-VOTING:

The Bank is pleased to provide e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

14. POLL AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹515.20 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2015 is 10.56 %, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.



2. अनुमानित वृद्धि के आधार पर हमारे निदेशकों ने पूंजी बढ़ाने और बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए पूंजी का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय लिया है।
3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी) (सी) के अनुसार चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षित पूर्वानुमान प्राप्त करेगा।
4. सूचीकरण करारनामे की धारा २३ की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें, उसे यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए। उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आबंटित करने दिया जाएगा।
5. यह संकल्प, सार्वजनिक निर्गम, साधिकार निर्गम, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रक्रिया द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियाँ प्रदान करने, जारी करने एवं आबंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा। इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा।
6. यह संकल्प, आई सी डी आर विनियमावली में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेन्ट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है।

आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यू आई पी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम "संबद्ध तिथि" के पूर्ववर्ती दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शहरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न औसत दरों से कम नहीं होने वाली दर पर किया जा सकता है। "संबद्ध तिथि" से तात्पर्य पी ओ आई पी निर्गम पर बोर्ड या समिति की बैठक आयोजित तिथि होगी।
7. अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") के साथ अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी जुटाने के लिए बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशनिर्देशों के अनुसार ऐसे
2. Based on the growth estimates your Directors have decided to raise capital and the enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.
3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid up capital of the Bank.
4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
5. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public offer, Rights Issue, or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
7. The approval of the General Body at the 12th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs.



अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) के लिए संकल्पों की वैधता एक वर्ष तक सीमित रहेगी। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर (उक्त पैरा 1 में वर्णितानुसार), सामान्य बैठक का अनुमोदन दुबारा मांगा जाता है।

8. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा।
9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्यनिर्धारण बाद में कभी भी किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयर का मूल्य बताना संभव नहीं है। किंतु वह, समय-समय पर यथा सशोधित आई सी डी आर विनियमावली, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों / विनियमों / सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जोकि लागू हो अथवा अपेक्षित हो।
10. उक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
11. जारी किये गये ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में उक्तानुसार विशेष संकल्पों को पारित करने के लिए सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त संकल्प में कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण की हद तक, यदि कोई है तो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

Keeping in view the future requirements (as denoted in para 1 above), the approval of the General Body is sought once again.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

PRADYUMAN SINGH RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR

(Additional Charge as MD & CEO)



प्रगति की झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

	2012-13	2013-14	2014-15
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	3728	4755	5682
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	3526	6312	8533
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	443	461	475
आरक्षित निधियाँ / Reserves	24435	29159	31384
कुल जमाएं / Aggregate Deposits	355856	420723	473840
वृद्धि (%) / Growth (%)	8.81	18.23	12.63
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	17164	22984	28829
विदेशी कारोबार / Foreign Business Turnover	143795	166036	176274
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	242177	301067	330036
वृद्धि (%) / Growth (%)	4.17	24.32	9.62
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	23084	33529	42298
वृद्धि (%) / Growth (%)	-6.85	45.25	26.15
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	78998	97762	118234
वृद्धि (%) / Growth (%)	17.24	23.75	20.94
कृषि / Agriculture	40786	48797	58868
वृद्धि (%) / Growth (%)	27.67	19.64	20.64
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	33730	41667	45232
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	37016	50040	60604
वृद्धि (%) / Growth (%)	6.08	35.18	21.11
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	67	145	173
अनु.जा./अनु.जन.जा.ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	5179	6102	6466
निर्यात साख / Export Credit	10067	11854	11785
कुल आय / Total Income	37231	43480	48300
कुल व्यय / Total Expenditure	31341	36684	41350
परिचालन लाभ / Operating Profit	5890	6796	6950
निवल लाभ / Net Profit	2872	2438	2703
ग्राहक आधार (करोड़ में) / Clientele (In Crore)	4.70	5.55	6.58
कुल कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	42693	48794	53984
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	12.40	10.63	10.56
सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio	2.57	2.49	3.89
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	2.18	1.98	2.65
औसत आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Average Assets	0.77	0.54	0.55
इक्विटी पर प्रतिफल / Return on Equity	14.03	10.59	11.06
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	490.56	522.76	552.54
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings per Share (₹)	64.83	54.48	58.59
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.40	2.27	2.25



निदेशकों की रिपोर्ट

2014-2015

DIRECTORS' REPORT



निदेशकों की रिपोर्ट: 2014-15

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2015 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 46वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. वित्तीय परिवेश

मुख्य वैश्विक आर्थिकव्यवस्थाओं में वसूली धीमी व असमान थी। तथापि, वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए बुनियादी कीमतों पर योजित सकल मूल्य पिछले वर्ष 2013-14 की 6.6% की तुलना में थोड़ी बढ़त के साथ 7.2 % अनुमानित है। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष के 5.3% की तुलना में 7.1% की वृद्धि दर्ज की। कृषि व सहायक गतिविधियाँ तथा खनन व उत्खनन क्रमशः पिछले वर्ष के 3.7% व 5.4% की तुलना में घटकर 0.2% व 2.4% रहा। निर्माण पिछले वर्ष के 2.5% की तुलना में बढ़कर 4.8% हो गया। सेवा क्षेत्र के तहत बिजली, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएं पिछले वर्ष के 4.8% की तुलना में बढ़कर 7.9% रहा। व्यापार, होटल, परिवहन व संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं ने 10.7% (11.1%) की वृद्धि दर्ज की। वित्तीयन, स्थावर संपदा व व्यावसायिक सेवाओं ने 11.5% (7.9%) की वृद्धि दर्ज की तथा लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं 7.2%(7.9%) की वृद्धि दर्ज की।

मुद्रास्फीति दरे, थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों अपने उच्चतम से कम होकर सामान्य रहीं। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2015 में 5.25% थी तथा मुद्रास्फीति आधारित थोक मूल्य सूचकांक नकारात्मक दर से 2.33% रहा।

वर्ष के शुरुआत में विदेशी व्यापार क्षेत्र कमजोर रहा तथा दिसंबर 2014 तक संकुचित होता रहा। वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महा निदेशालय से जारी किए गए अनंतिम डाटा के अनुसार व्यापारिक निर्यात मुख्यतया कमजोर विदेशी मांग के कारण पिछले वर्ष के 314.42 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 1.24% की कमी के साथ 310.53 बिलियन यूएस डालर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण तथा तेल व तेल के अलावा अन्य आयात में गिरावट के कारण आयात 0.6% घटकर 447.55 बिलियन यूएस डालर रहा। वर्ष के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 136 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 137 बिलियन यूएस डालर रहा। परिणामतः देश का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से 1.7% कम है।

DIRECTORS' REPORT: 2014-15

The Board of Directors have pleasure in presenting the 46th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2015 and Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2015.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Recovery in major global economies was slow and uneven. However, Indian economy during the year showed improvement over the previous year. As per the provisional estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), India's gross value added (GVA) at basic prices grew by 7.2% for 2014-15, higher compared to 6.6% recorded during 2013-14. Agriculture and allied activities recorded a growth of 0.2% compared to 3.7% last year. Mining & quarrying grew by 2.4% compared to 5.4% last year. Manufacturing sector grew higher by 7.1% compared to 5.3% in the previous year. Construction grew higher by 4.8% against 2.5% last year. Electricity, gas, water and other utility services grew higher by 7.9% compared to 4.8% last year. In the services segments, trade, hotels, transport and communication and services related to broadcasting grew by 10.7% (11.1% last year), financial, real estate and professional services grew by 11.5% (7.9%) and public administration, defence and other services grew by 7.2% (7.9%).

Inflation rates, both wholesale price and consumer price indices have been moderating from their peaks. While consumer price index-based inflation was at 5.25% in March 2015, wholesale price index-based inflation was at negative 2.33%.

External trade sector remained weak in the beginning of the year and started contracting since December 2014. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), merchandise exports declined by 1.24% to US\$310.53 billion compared to US\$314.42 billion last year, primarily due to sluggish overseas demand. Imports declined by 0.6% to US\$447.55 billion, owing to lower crude prices and reduction in both oil and non-oil imports. Trade deficit stood at US\$137 billion during the year compared to US\$136 billion last year. Consequently, country's Current Account Deficit (CAD) is estimated to be 1.3% of gross domestic product, lower than 1.7% last year.



हाल के वर्षों में हुई विकास में मंदी के मद्देनज़र केन्द्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित विभिन्न उपायों से भारतीय व्यापक आर्थिक परिदृश्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कारोबारी रुझान में सुधार हुआ है, जिसने भारत के धारणीय संवृद्धि के परिदृश्य में घरेलू व विदेशी निवेशकों का ध्यान व विश्वास आकर्षित किया है।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण कर्नाटक के बजट 2014-15 के अनुसार, अनुमानित सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) में वास्तविक वृद्धि वर्ष 2013-14 के 5% की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 7% होगी। केनरा बैंक का उद्गम कर्नाटक राज्य में होने के नाते उसने इस राज्य में अपना मुख्य स्थान बनाये रखा। बैंक, राज्य भर में अपनी 940 शाखाओं तथा 1897 एटीएम के ज़रिए अग्रणी भूमिका अदा करता आ रहा है। बैंक के कुल घरेलू कारोबार में राज्य का योगदान 16% रहा। राज्य में बैंक का कुल कारोबार ₹122820 करोड़ रहा जिसमें यथा मार्च 2015 को ₹71720 करोड़ जमा और ₹51100 करोड़ अग्रिम रहे।

II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2014-15 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना और तरलता प्रबंधन है। नकद आपूर्ति (एम3) वृद्धि जो वित्त वर्ष के आरंभ में 13.6% था, मार्च 2015 की समाप्ति तक 11.1% रहा।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समुच्चय जमा की वृद्धि पिछले वर्ष की 14.1% की तुलना में 11.4% रही। ऋण की वृद्धि पिछले वर्ष की 13.9% से कम होकर 9.5% रही। ऋण-जमा अनुपात यथा 20 मार्च, 2015 को 76.46% के साथ उच्चतम रहा।

बैंकिंग क्षेत्र बड़े पैमाने पर समग्र आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित है। हाल ही के वर्षों के निरंतर आर्थिक मंदी के कारण बैंकिंग क्षेत्र को तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़ा जो कारोबार वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हुई।

With the announcement of numerous measures both by the Central Government and Reserve Bank of India to revive the economy, macroeconomic scenario in India is showing improvement from the growth slowdown that occurred in the recent years. Business sentiments have improved, drawing attention and confidence of both domestic and overseas investors on the sustainable India growth story.

Economic Environment in Karnataka

As per the Economic Survey of Karnataka 2014-15, the growth in Gross State Domestic Product (GSDP) estimated at 7% for 2014-15 compared to 5% during 2013-14 on account of recovery in the national economy. Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State. The Bank has been playing a leading role in the State through its 940 branches and 1897 ATMs. The State contributes about 16% to total domestic business of the Bank. The total business of the Bank in the State stood at ₹122820 crore, comprising ₹71720 crore under deposits and ₹51100 crore under advances as at March 2015, with a Credit – Deposit (C-D) ratio of 71.25%.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2014-15 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment. The monetary policy stance during the year was primarily to contain inflation and manage liquidity. Money supply (M3) growth, which was 13.6% at the beginning of the financial year, moderated to 11.1% by end-March 2015.

During the year, while aggregate deposits growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) was at 11.4% compared to previous year growth at 14.1%, credit growth came down to a single-digit at 9.5% against a growth of 13.9% last year. The credit-deposits ratio remained high at 76.46% as on March 20, 2015.

Banking sector is largely influenced by the overall macroeconomic activities. Due to economic slowdown in the recent years, the banking sector continued to reel under stressed scenario, which is clearly reflected on business growth, asset quality and profitability.



वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नीति संबंधी मुख्य उपायों में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए।

- रेपो दर और प्रति रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करके क्रमशः 7.50% और 6.50% किया है।
- तदनुसार, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर व बैंक दर को रेपो दर के साथ 100 आधार बिंदुओं के साथ समायोजित करते हुए 8.50% किया गया।
- वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया।
- वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 150 आधार बिंदुओं में कमी करके 21.50 % पर रखा गया।

वर्ष के दौरान रेपो दर और एमएसएफ दर में परिवर्तन

से प्रभावी	रेपो दर %	प्रति रेपो दर (%)	एन डी टी एल का आरक्षित नकद अनुपात (सीआरआर) (%)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) (%)	एम एस एफ अनुपात (%)
03 जून, 2014	8.00	7.00	4.00	22.50	9.00
05 अगस्त, 2014	8.00	7.00	4.00	22.00	9.00
15 जनवरी, 2015	7.75	6.75	4.00	22.00	8.75
03 फ़रवरी, 2015	7.75	6.75	4.00	21.50	8.75
04 मार्च, 2015	7.50	6.50	4.00	21.50	8.50

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी प्रमुख घोषणाएँ की गयीं :

- आस्ति गुणवत्ता पर पूरे उद्योग की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल III नियमों के पूर्ण कार्यावयन की संक्रमण अवधि को पूर्व के 31 मार्च 2018 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2019 तक किया गया।
- जनवरी 2015 से तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर) के कार्यावयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए तथा बैंकों को अधिमानी एसएलआर आवश्यकता के तहत प्रथम स्तर के उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के रूप में 5% तक सरकारी प्रतिभूतियों में रखने की अनुमति भी दी गयी तथा मांग रहित जमाओं की भी अनुमति प्रदान की गयी।

The year 2014-15 saw the following changes in the key policy measures announced by the Reserve Bank of India (RBI).

- Repo rate and Reverse Repo rate decreased by 50 basis points (bps) to 7.50% and 6.50% respectively.
- Accordingly, Marginal Standing Facility (MSF) Rate and Bank Rate was aligned 100 bps above repo rate at 8.50%.
- Cash Reserve Ratio (CRR) was kept unchanged at 4% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) during the year.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was decreased by 150 basis points to 21.50% during the year.

Changes in Policy Rates during the year

Effective Since	Repo Rate (%)	Reverse Repo rate (%)	Cash Re-serve Ratio (CRR) (%) of NDTL	Statutory liquidity ratio (SLR) (%)	MSF Rate (%)
June 3, 2014	8.00	7.00	4.00	22.50	9.00
August 5, 2014	8.00	7.00	4.00	22.00	9.00
January 15, 2015	7.75	6.75	4.00	22.00	8.75
February 3, 2015	7.75	6.75	4.00	21.50	8.75
March 4, 2015	7.50	6.50	4.00	21.50	8.50

During the year, RBI made the following major policy announcements:

- Considering industry-wide concerns about asset quality, transition period for full implementation of Basel III norms, was extended by the RBI up to March 31, 2019 from the earlier March 31, 2018.
- Guidelines issued for implementing Liquidity Coverage Ratio (LCR) from January 2015 and also permitted banks to reckon Government Securities upto 5% of the NDTL within the mandatory SLR requirement as level 1 High Quality Liquid Assets (HQLA) and allowed non-callable deposits.



- निवल स्थाई निधियन अनुपात (एनएसएफआर), 2015 पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किया जाना तथा भारत में बैंकों के लिए एनएसएफआर का कार्यावयन 1 जनवरी, 2018 से करने हेतु प्रतिबद्धता।
- प्रतिचक्रिय पूंजी बफर(सीसीसीबी) पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा यह सूचित किया गया कि परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार सीसीसीबी सक्रिय किए जाएं एवं चार तिमाहियों की समय सीमा के साथ आमतौर पर निर्णय पूर्व घोषित होंगे।
- घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों(डीएसआईबी) से संव्यवहार संरचना जारी किए गए।
- पुनर्संरचना व आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
- विनियामक पर्यवेक्षण को और मजबूत बनाने हेतु बैंकों की गंभीर वित्तीय मानदंडों की पहचान के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली(ईडब्ल्यूएस), अधिक बारीक निरीक्षण, ऑनसाइट जांच तथा यदि आवश्यक हो तो दंडात्मक कार्यवाई किया गया है।
- बैंकों को कुछ शर्तों के अधीन बुनियादी संरचना उपक्षेत्र व सस्ते आवास दीर्घावधि परियोजना को उधारी के लिए कुछ विनियामक पूर्वक्रय अधिकार में छूट के साथ दीर्घावधि बौंड जारी करने की अनुमति दी गयी है।
- भा.रि.बै. “अल्प नकद”वातावरण की ओर अग्रसर होने के लिए परिचालन प्रक्रिया तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने शामिल प्रक्रियाओं, समस्त भारत में बिल भुगतान प्रणाली(भारत बिल भुगतान प्रणाली) तथा एमएसएमई के बीजकों/ बिलों को टीआरडीएस के माध्यम से अपलोडिंग, स्वीकार्यता, बढ़ा किया जाना तथा निपटान के लिए प्रणाली स्थापित व परिचालित करने हेतु मानकीकरण के संभावना की जांच कर रही है।
- खाता खोलने में आम नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले कठिनाईयों को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है जिससे बैंक द्वारा ग्राहक के निम्न जोखिम स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होने पर आवधिक अद्यतन के समय पता व पहचान के नये प्रमाणपत्र की मांग करने पर बल नहीं दिया जाए तथा स्वप्रमाणन की अनुमति दी जाए एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति डाक/मेल द्वारा स्वीकार किए जाएं।
- बैंकों को सूचित किया गया कि दस्तावेजीकरण को पूरा करने के लिए, सख्त आवश्यकता के रूप में ग्राहकों की ओर से प्रयास को कम करते हुए निम्न जोखिम वाले पुराने ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी पूरा करें तथा यथोचित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करनेवाले ग्राहकों के खातों पर रोक लगा दें।
- To issue draft guidelines on Net Stable Funding Ratio (NSFR), 2015 and is committed to implement NSFR from January 1, 2018 for banks in India.
- Guidelines on Countercyclical Capital Buffers (CCCB) were issued and it was advised to activate CCCB as and when circumstances warrant, and that the decision would normally be pre-announced with a lead time of four quarters.
- Released framework for dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)
- Guidelines on restructuring and sale of assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs) were issued.
- To further strengthen regulatory supervision, an Early Warning System (EWS) has been enput in place to track banks' critical financial parameters and trigger more granular oversight, onsite examination and punitive actions, if warranted.
- Banks were permitted to issue long term bonds, with exemptions from certain regulatory pre-emptions, for lending to long-term projects in infrastructure sub-sectors and affordable housing, subject to conditions.
- To move towards a 'less cash' society, RBI is examining the feasibility of standardization in the operational processes and procedures involved in extension of mobile banking services, implementation of a pan-India bill payment system (Bharat Bill Payment System) and setting up and operationalisation of a system for uploading, accepting, discounting and settlement of the invoices/bills of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through a Trade Receivables Discounting System (TREDS).
- To ease difficulties faced by common persons to open accounts, it was proposed to issue guidelines so that banks do not insist physical presence/ seek fresh proof of identity and address of the customers at the time of periodic updation in case there is no change in low risk status of customers and allow self-certification and accept a certified copy of the document by mail/post, etc.
- Advised banks to complete KYC for all customers, including long standing 'low risk' customers, to complete documentation while minimizing efforts on part of the customers to what is strictly needed and to partially freeze accounts for customers unable to comply within a reasonable time period.



वर्ष 2015-16 के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक विकास 2015 में 3.5% तथा 2016 में 3.8% परिलक्षित है जो विकसित अर्थव्यवस्था हेतु विकास की गति में सतत वृद्धि के साथ उभरती अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करती है। यद्यपि भूराजनैतिक तनाव, वित्तीय बाजार में वस्तुओं व आस्ति मूल्यों में अस्थिरता संबंधी तत्वों से विकास का गिरावट जोखिम भी उजागर हो सकता है।

भारत के विकास की संभावना पिछले वर्ष की तेजी के बाद 2015-16 में और अधिक बढ़ने की आशा की जाती है। भा.रि.बै. ने अपनी द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2015-16 में अर्थव्यवस्था में परिलक्षित विकास दर पूर्व के 7.8% के को अधोगामी संशोधन करते हुए 7.6% किया है। भारत सरकार ने भी अपने 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 8.1 से 8.5% परिलक्षित किया है। विभिन्न अन्य ख्याति प्राप्त एजेंसियों ने भी विकास दर 7.5% परिलक्षित किया है (आईएमएफ, विश्व बैंक व मूडीज)। सरकार व भा.रि.बै. द्वारा चलाए जा रहे कदमों, ब्याज दरों को कम किया जाना तथा मुद्रास्फिति की स्थिति, औद्योगिक उत्पादन व निवेश में हो रहे सुधार, पूंजी प्रवाह में वृद्धि तथा वित्तीय बाजार की स्थिति, मौद्रिक व चालू खाता घाटा में कमी से विकास में वृद्धि की आशा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उछाल, अल-निनो प्रभाव के कारण सामान्य से कम मॉनसून तथा कृषि उत्पादन पर इसका प्रभाव विकास के गिरावट जोखिम को उजागर कर सकते हैं।

वर्ष 2015-16 में बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निर्भर होगा। तथापि, वर्ष के दौरान बैंकों के सामने मुख्य चुनौतियाँ आस्ति गुणवत्ता तथा पुनर्संचित आस्तियों के फिसलन का सामना करना, पूंजी जुटाना, वित्तीय समावेशन तथा ऋण वृद्धि में निधीयन के लिए संसाधन जुटाना है।

III. वर्ष 2014-15 में केनरा बैंक

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बैंक के रूप में केनरा बैंक ने 2014-15 के दौरान अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 930 शाखाएं और 2221 एटीएम जोड़ते हुए यथा मार्च 2015 को शाखाओं की संख्या 5682 तथा एटीएम की संख्या 8533 है। बैंक के ग्राहकों की खातों की संख्या 6.6 करोड़ से अधिक है। बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए बैंक ने डिलीवरी चैनल, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास कर्मचारी ज्ञान तथा नए उत्पाद / सेवा प्रक्रियाओं में लगातार निवेश जारी रखा है।

OUTLOOK FOR 2015-16

Global growth is projected at 3.5% in 2015 and 3.8% in 2016, reflecting a gradual increase in the pace of growth for advanced economies, followed by emerging market economies and others. However, downside risks to growth may emanate from the factors related to geopolitical tensions, volatility in commodities and asset price in financial markets.

India's growth prospect is expected to accelerate further in 2015-16 after showing pick up last year. The RBI, in its Second Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2015-16, revised downward the projected growth of the economy at 7.6% from the earlier projection of 7.8%. Government of India in its Economic Survey for 2014-15 also projected a growth in the range of 8.1-8.5%. Various other reputed agencies have also projected a growth of 7.5% (IMF, World Bank and Moody's). Growth is expected to be boosted by the ongoing measures being taken by Government and RBI, easing interest rate and inflation scenario, improving industrial production and investments, improving capital flows and financial market conditions, reduction in fiscal and current account deficits. Downside risks to growth may emerge that include spike in international crude oil prices, under normal monsoon triggered by the 'El-Nino' effects and its impact on agriculture output.

The performance of the banking sector in 2015-16 would largely depend on the overall growth of the economy. Major challenges, however, before the banks during the year would be to address issues of asset quality and slippage from the restructured assets, mobilizing capital, financial inclusion and resource mobilization to fund credit growth.

III. CANARA BANK IN 2014-15

As one of the leading public sector banks in India, Canara Bank during 2014-15, further expanded its network by adding 930 branches and 2221ATMs, taking the number of branches to 5682 and ATMs to 8533 as at March 2015. The Bank is catering to 6.6 crore customer accounts. The Bank continues to invest in delivery channels, IT infrastructure, customer service, business process reengineering, innovative products/services and staff knowledge to strengthen market position.

चुनौतीपूर्ण आर्थिक व बैंकिंग वातावरण के परिप्रेक्ष्य में केनरा बैंक ने वर्ष के दौरान खुदरा कारोबार, कासा, आस्ति गुणवत्ता, वसूली व शुल्क आय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्तीय निष्पादन

लाभ तथा लाभप्रदता में बैंक का निष्पादन निम्नानुसार रहा:

बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष की ₹6796 करोड़ की तुलना में 2.27% की बढ़ोत्तरी के साथ ₹6950 रहा।

पिछले वर्ष की ₹4358 करोड़ की तुलना में कुल प्रावधान व आकस्मिकताएं ₹4248 करोड़ रही। बैंक का निवल लाभ पिछले वर्ष की ₹2438 करोड़ की तुलना में 2014-15 के लिए 10.85% वृद्धि के साथ ₹2703 करोड़ रहा।


वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिफल पिछले वर्ष की 0.54% की तुलना में 0.55% रहा। वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वर्ष की ₹5.00 लाख की तुलना में ₹5.01 लाख रहा।

Against the backdrop of challenging economic and banking environment, Canara Bank fared well during the year in line with its corporate thrust areas, such as, Retail Business, CASA, Asset Quality, Recovery and Fee Income.

FINANCIAL PERFORMANCE

The performance of the Bank on profits and profitability is as under:

Operating profit of the Bank increased by 2.27% to ₹6950 crore compared to ₹6796 crore last year.



Total provisions and contingencies was at ₹4248 crore compared to ₹4358 crore last year. The Bank's net profit increased by 10.85% to ₹2703 crore for 2014-15 compared to ₹2438 crore last year.

Return on Average Assets (RoAA) for the year improved to 0.55% against 0.54% last year. Profit per employee worked out to ₹5.01 lakh for the year compared to ₹5.00 lakh a year ago.

मुख्य वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2014	मार्च 2015
निधियों की लागत	6.80	6.84
निधियों पर प्रतिफल	8.79	8.78
जमाओं पर लागत	7.42	7.38
अग्रिमों पर प्रतिफल	10.54	10.75
निवेश पर प्रतिफल	8.03	8.00
एडब्ल्यूएफ पर कीमत लागत अंतर % में	1.99	1.94
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.27	2.25
एडब्ल्यूएफ पर परिचालन व्यय	1.35	1.47
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.54	0.55
इक्विटी पर प्रतिफल	10.59	11.06
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	14.42	14.35
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.00	5.01
बही मूल्य (₹)	522.76	552.54
प्रति शेयर अर्जन (₹)	54.48	58.59

ए डब्ल्यू एफ – औसत कार्यशील निधि

आय व व्यय विश्लेषण

Key Financial Ratios (%)	March 2014	March 2015
Cost of Funds	6.80	6.84
Yield on Funds	8.79	8.78
Cost of Deposits	7.42	7.38
Yield on Advances	10.54	10.75
Yield on Investments	8.03	8.00
Spread as a % to AWF	1.99	1.94
Net Interest Margin (NIM)	2.27	2.25
Operating Expenses to AWF	1.35	1.47
Return on Avg. Assets (RoAA)	0.54	0.55
Return on Equity	10.59	11.06
Business per Employee (₹ Crore)	14.42	14.35
Profit per Employee (₹ Lakh)	5.00	5.01
Book Value (₹)	522.76	552.54
Earnings per Share (₹)	54.48	58.59



AWF - Average Working Funds

Income and Expenditure Analysis



बैंक की कुल ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹43480 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 11.09% वृद्धि करते हुए ₹48300 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज आय 12.68% की वृद्धि के साथ ₹32066 करोड़ तक पहुँचा वहीं निवेश से ब्याज 6.56% की वृद्धि के साथ ₹10924 करोड़ रहा। वर्ष 2014-15 में कुल आय में ऋणों व अग्रिमों से आय का प्रतिशत शेयर पिछले वर्ष के 65% से बढ़कर 66% हो गया।

The Bank's total income recorded a y-o-y growth of 11.09% to reach ₹48300 crore compared to ₹43480 crore last year. While interest from loans and advances increased by 12.68% to ₹32066 crore, interest from investments rose by 6.56% to ₹10924 crore. The percentage share of income from loans & advances in total income increased from 65% last year to 66% in 2014-15.



बैंक की मुख्य क्षेत्र के अनुकूल ब्याजेतर आय पिछले वर्ष की ₹3933 करोड़ की तुलना में 15.70% की वृद्धि के साथ ₹4550 करोड़ रहा। ब्याजेतर आय के मुख्य क्षेत्र कमीशन, विनिमय संव्यवहार तथा दलाली (₹929 करोड़), विनिमय लेनदेनों से लाभ (₹782 करोड़), बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली (₹381 करोड़), निवेशों की बिक्री से लाभ (₹1148 करोड़) तथा सेवा प्रभार व अन्य विविध कमीशन (₹1096 करोड़) रहे। ब्याजेतर आय की हिस्सेदारी कुल आय की पिछले वर्ष की 9.05 % की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए 9.42% रही।



In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income increased by 15.70% to ₹4550 crore compared to ₹3933 crore recorded last year. Contribution of major segments of the non-interest income was Commission, Exchange & Brokerage (₹929 crore), profit from exchange transactions (₹782 crore), recovery from written off accounts (₹381 crore), profit on sale of investments (₹1148 crore) and service charges and other miscellaneous commission (₹1096 crore). The percentage share of non-interest income to total income increased from the last year's level of 9.05% to 9.42% for 2014-15.

यथा मार्च 2015 को जमाओं पर बैंक की लागत 7.38% तक कम हो गयी है तथा अग्रिमों पर प्रतिफल 10.75% तक बढ़ गया। ब्याज कीमत लागत अंतर पिछले वर्ष की 3.12% की तुलना में 3.37% रहा।

The Bank's cost of deposits reduced to 7.38% and yield on advances increased to 10.75% as at March 2015. Interest spread, the difference between cost and yield, was at 3.37% compared to 3.12% a year ago.

बैंक का ब्याज व्यय पिछले वर्ष की ₹30603 करोड़ की तुलना में 11.38% वृद्धि के साथ ₹34086 करोड़ तक बढ़ा। परिचालन व्यय पिछले वर्ष की ₹6081 करोड़ की तुलना में 19.45% वृद्धि के साथ ₹7264 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष 2014-15 के लिए कुल व्यय में ब्याज व्यय का प्रतिशत हिस्सा 83% रहा।

The Bank's interest expenses increased by 11.38% to ₹34086 crore compared to ₹30603 crore last year. Operating expenses grew by 19.45% to ₹7264 crore from ₹6081 crore last year. The percentage share of interest expenditure in total expenditure in 2014-15 has been contained below 83%.



ब्याज आय, प्रदत्त ब्याज व बैंक द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर पिछले वर्ष के ₹8944 करोड़ की तुलना में 8.04% की वृद्धि के साथ ₹9664 करोड़ रहा। निवल ब्याज मार्जिन (निम) मार्च 2015 के दौरान 2.25% रहा।

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, increased by 8.04% to ₹9664 crore compared to ₹8944 crore last year. Net Interest Margin (NIM) stood at 2.25% as at March 2015.

पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ

बैंक की निवल मालियत, यथा मार्च 2014 को ₹23394 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2015 को बढ़कर ₹26256 करोड़ है। जहाँ बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹475 करोड़ रही, वहीं आरक्षित निधियाँ और अधिशेष ₹31384 करोड़ तक बढ़े।

Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2015, increased to ₹26256 crore compared to ₹23394 crore as at March 2014. While total paid-up capital of the Bank was ₹475 crore, reserves and surplus increased to ₹31384 crore.

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने 31.03.2015 को 1.39 करोड़ ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक में ₹570 करोड़ की पूँजी का प्रवाह किया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 69% के पूर्व स्तर से बढ़कर 69.91% तक हो गई। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹1500 करोड़ के बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड जुटाया जिससे बैंक की कुल पूँजी निधि ₹36137 करोड़ हो गयी।

In 2014-15, Government of India infused ₹570 crore capital in the Bank by way of preferential allotment of ₹1.39 crore equity shares on 31.03.2015. On account of the above, the Government of India's shareholding in the Bank increased to 69.91% from the earlier level of 69%. During the year, the Bank also raised ₹1500 crore Basel III compliant additional Tier I bonds, taking the total capital funds to ₹36137 crore.



पूँजी संरचना बेसल III	मार्च 2014	मार्च 2015
जोखिम धारित आस्तियां	312226	342248
सीईटी I	23132	25222
सीईटी I (%)	7.41	7.37
एटी I	859	2238
एटी I (%)	0.27	0.65
टायर I पूँजी	23991	27459
सीआरएआर (%) (टायर I)	7.68	8.02
टायर II पूँजी	9205	8678
सीआरएआर (%) (टायर II)	2.95	2.54
सकल पूँजी	33196	36137
सीआरएआर (%)	10.63	10.56

Composition of Capital Basel III	March 2014	March 2015
Risk Weighted Assets	312226	342248
CET I	23132	25222
CET I (%)	7.41	7.37
AT I	859	2238
AT I (%)	0.27	0.65
Tier I Capital	23991	27459
CRAR (%) (Tier I)	7.68	8.02
Tier II Capital	9205	8678
CRAR (%) (Tier II)	2.95	2.54
Total Capital	33196	36137
CRAR (%)	10.63	10.56

यथा मार्च 2015 को पूँजी पर्याप्तता विनियामक 9% की आवश्यकता के मुकाबले 10.56% रही। पूँजी पर्याप्तता अनुपात के तहत सीईटी I अनुपात 5.5% की आवश्यकता के मुकाबले 7.37% तथा टायर I पूँजी अनुपात 7% की आवश्यकता के मुकाबले 8.02% रहा। कारोबार में वृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए पूँजी जुटाने हेतु बैंक के पास अब भी पर्याप्त गुंजाइश है।

शेयरधारकों का मूल्य

बैंक के बही मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रही है। यह पूर्व वित्तीय वर्ष की ₹522.76 की तुलना में यथा मार्च 2015 को और अधिक बढ़कर ₹552.54 तक जा पहुँचा। निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 105% के लाभांश की सिफारिश की गई है।

Capital Adequacy Ratio as at March 2015 stood at 10.56% against regulatory requirement of 9%. Within the capital adequacy ratio, CET 1 ratio stood at 7.37% against requirement of 5.5% and Tier I Capital ratio was at 8.02% against the requirement of 7%. Adequate headroom is available for the Bank to raise capital in order to support business growth momentum.

Shareholder's Value

There is consistent increase in the Book Value of the Bank. It increased further to ₹552.54 as at March 2015 compared to ₹522.76 for the previous financial. The Board of Directors have recommended a dividend of 105% by for the year 2014-15.



कारोबार संवृद्धि

जमा

पिछले वर्ष की ₹420723 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2015 को बैंक की कुल जमाएं 12.63% वृद्धि दर्ज करके ₹473840 करोड़ तक पहुंची।

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹16242 करोड़ के उच्च लागत वाली जमा राशि को निकाल दिए। परिणामतः उच्च लागतवाली थोक जमाओं का हिस्सा मार्च 2014 के 6.55% से घटकर यथा मार्च, 2015 को 2.38% हो गया।

जमाओं में उद्योग के मध्यम विकास के कारण बैंक की कासा जमाएं 9.93% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ यथा मार्च 2015 को ₹113532 करोड़ हुई। देशी जमाओं में कासा का हिस्सा 25.47% रहा। यथा मार्च 2015 को बचत जमाएं 9.53% बढ़कर ₹93686 करोड़ हुए। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कासा जमाएं जुटाने के लिए देशभर में अभियान चलाए तथा केनरा एसबी-जेन-वाई, केनरा जीवनधारा, केनरा सेविंग्स डिफेन्स उत्पाद, केनरा पावर प्लस, केनरा प्रिविलेज, केनरा पे रॉल पैकेज योजना, केनरा धनवर्षा आरडी-फ्लेक्स व ऑनलाइन बचत जमा खाता खोलने की सुविधा जैसी नए उत्पाद/सेवाओं पर जोर दिया गया।

जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, सभी शाखाओं ने कुल 96 लाख से अधिक जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 5.85 करोड़ तक पहुंच गयी।

अग्रिम (निवल)


उद्योग द्वारा दर्ज की गई वृद्धि के अनुसार, बैंक का निवल अग्रिम 9.62% वृद्धि के साथ पिछले वर्ष की ₹301067 करोड़ की तुलना में ₹330036 करोड़ तक पहुंच गया। बैंक के विविधीकृत आस्ति संविभाग, जैसे कृषि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, निर्यात, आवास, शिक्षा, वाहन सहित खुदरा ऋण व अन्य बड़े कॉर्पोरेट तथा बुनियादी संरचना क्षेत्र जैसे विभिन्न उत्पादन खंडों में फैले हुए हैं।

यथा मार्च 2015 को बैंक का उधार खाता पिछले वर्ष के 66 लाख से 72 लाख तक बढ़ा।

BUSINESS GROWTH

Deposits

Total Deposits grew by 12.63% to reach ₹473840 crore as at March 2015 compared to ₹420723 crore a year ago.



During the year, the Bank shed ₹16242 crore worth high cost deposits. As a result, the share of high cost deposits came down from 6.55% as at March 2014 to 2.38% as at March 2015.

In line with the industry's moderate growth in deposits, Current and Savings Bank (CASA) deposits of the Bank increased


by 9.93% y-o-y to ₹113532 crore as at March 2015. The Bank's CASA deposits to domestic deposits constituted 25.47%. Savings deposits rose by 9.53% to ₹93686 crore as at March 2015. To increase CASA deposits, the Bank launched nationwide campaigns and stressed on some of the new products/services, like, Canara SB Gen-Y, Canara Jeevandhara, Canara Savings Defence Product, Canara Power Plus, Canara Privilege, Canara Payroll Package Scheme and Canara Dhanvarsha RD-Flex and online savings deposit account opening facility.

Pursuing a strategy of expanding deposits clientele, the Bank added 96 lakh deposit accounts during the year, taking the total number of deposit accounts to 5.85 crore.

Advances (net)

In line with the growth recorded by the industry, the Bank's advances (net) grew by 9.62% to reach ₹330036 crore compared to ₹301067 crore a year ago. The Bank's diversified asset portfolio is spread over various productive segments of the economy, like, Agriculture, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Exports, Retail, including Housing, Education, Vehicle and others, large Corporates and Infrastructure segments.

As at March 2015, the number of borrowing accounts increased to over 72 lakh from 66 lakh last year.





बैंक का कुल कारोबार 11.37% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष की ₹721790 करोड़ की तुलना में ₹803876 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष के दौरान बैंक का ग्राहक आधार 1 करोड़ से ज्यादा बढ़कर पिछले वर्ष के 5.55 करोड़ की तुलना में 6.57 करोड़ तक जा पहुँचा।

खुदरा ऋण परिचालन

बैंक के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र के अनुकूल खुदरा उधारी परिचालन ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत विकास दर्ज किया।

(राशि ₹ करोड़ में)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वृद्धि	
	2014	2015	प्रमाणा	(%)
आवास प्रत्यक्ष	12822	16480	3658	28.53
वाहन	3099	3770	671	21.65
अन्य वैयक्तिक	5845	10540	4695	80.33
शिक्षा	4901	5636	735	15.00
सकल खुदरा ऋण	33529	42298	8769	26.15

खुदरा ऋण संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 26.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2015 को ₹42298 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान विभिन्न खुदरा उधारी योजनाओं के तहत संवितरित राशि ₹16590 करोड़ रही। आवास ऋण संविभाग ₹22352 करोड़ तक बढ़े जो कुल खुदरा ऋण संविभाग की 53% होती है। बैंक के वाहन ऋण व अन्य वैयक्तिक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 21.65% व 80.33% की वृद्धि हुई।

शिक्षा ऋण

बैंक ने वर्षों से भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को सहायता पहुँचाई है। बैंक का शिक्षा ऋण संविभाग को

Total business of the Bank increased to ₹803876 crore, with a y-o-y growth of 11.37% compared to ₹721790 crore in the previous year.

During the year, the Bank's total clientele accounts increased by over 1 crore to 6.57 crore from 5.55 crore last year.

Retail Lending Operations

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded robust y-o-y growth.

(Amt. ₹ Crore)


Retail Segments	As at March		Growth	
	2014	2015	Quantum	(%)
Housing Direct	12822	16480	3658	28.53
Vehicle	3099	3770	671	21.65
Other Personal	5845	10540	4695	80.33
Education	4901	5636	735	15.00
Total Retail Loans	33529	42298	8769	26.15

Outstanding retail loans portfolio grew by 26.15% y-o-y to ₹42298 crore as at March 2015. The disbursements during the year under various retail lending schemes amounted to ₹16590 crore. The outstanding total housing loan portfolio rose to ₹22352 crore and accounted for 53% of the total

retail lending portfolio. The Bank's Vehicle loans and other personal loans increased by 21.65% and 80.33% y-o-y respectively.

Education Loans

Over the years, the Bank has assisted lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹ 5636





बढ़कर ₹5636 करोड़ हो गया है। यथा मार्च 2015 को बैंक ने 2.75 लाख छात्रों को ऋण प्रदान किया। शिक्षा ऋणों पर ब्याज अनुदान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत अनुदान संचालन के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा कई पहल किए गए, जिसमें मौजूदा उत्पादों के साथ नए खुदरा ऋण उत्पाद यथा, युवा आवास ऋण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास ऋण तथा कृषकों के लिए वाहन ऋण आदि शामिल हैं। देश भर में अभियानों का आयोजन, एक्सपो का संचालन, प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, प्रतिष्ठित बिल्डरों व कार डीलरों के साथ समझौता बैंक के खुदरा ऋण संविभाग को बढ़ाने में सफल सिद्ध हुए।

वर्ष के दौरान दस नए खुदरा आस्ति केन्द्र खोले गए जिससे खुदरा आस्ति केन्द्रों की कुल संख्या 61 हुई जो देशभर में मुख्य शहरों में स्थित है। बैंक ने मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा आदि के साथ संयुक्त प्रचार व विपणन का समझौता ज्ञापन किया। बैंक ने कई तकनीकी आधारित पहल जैसे खुदरा उधारी योजनाओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, आवास ऋणों के देय तिथि व ईएमआई राशि सूचित किया जाना तथा वेब आधारित लीड सृजन प्रणाली लागू की।

एकीकृत कोष

यथा मार्च 2015 को बैंक का सकल निवेश (निवल) ₹145346 करोड़ रहा। संविभाग संशोधित अवधि पिछले वर्ष के 4.63 से 4.37 तक घट गया। बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग संशोधित अवधि यथा पिछले वर्ष के 3.83 से घट कर 3.58 हुई। वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ पिछले वर्ष की ₹664 करोड़ की तुलना में ₹1148 करोड़ रहा। निवेशों पर प्रतिफल 8.00 % रहा।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में बड़े व्यापारी के रूप में बैंक सक्रिय भाग लेता रहा है। हामीदारी वचनबद्धताओं की कुल राशि ₹59400 करोड़ थी, जिसमें से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हामीदारी के लिए स्वीकृत वचनबद्धता राशि ₹34493 करोड़ थी। प्रधान व्यापारी कारोबार के तहत राजकोषी बिलों के संबंध में प्रत्येक अर्ध वार्षिक के दौरान 40% सफलता अनुपात हासिल करना था। उक्त के क्रम में सितंबर 2014 को समाप्त प्रथम अर्ध वार्षिक के दौरान बैंक का सफलता अनुपात 42.66% रहा तथा मार्च 2015 को समाप्त द्वितीय अर्ध वार्षिक के दौरान प्रधान व्यापारी के रूप में बैंक का सफलता अनुपात 58.22% रहा।

यथा मार्च 2015 को बैंक का सकल विदेशी कारोबार ₹176274 करोड़ रहा जिसमें ₹89811 करोड़ निर्यात, आयातों में ₹51827 करोड़ और विप्रेषणों के तहत ₹34636 करोड़ रहे। यथा मार्च 2015 को बैंक का बकाया निर्यात ऋण ₹11785 करोड़ रहा।

crore, covering 2.75 lakh students as at March 2015. The Bank is designated as the nodal bank for administering subsidy under the Central Sector Scheme for Interest Subsidy on education loans.

Several initiatives were undertaken by the Bank to expand retail credit. These include new retail loan products, viz., Yuva Awas Rin, Housing Loan for Senior Citizens and Vehicle Loan for Agriculturists along with an array of existing products. Besides, nationwide campaigns, expos, competitive interest rates, tie-ups with reputed Builders and Car Dealers boosted Bank's retail loan portfolio.

Ten new Retail Asset Hubs (RAHs) were opened, taking total number of RAHs to 61 across major centres in the country. The Bank entered into Memorandum of Understanding (MoU) with Maruti Suzuki India, Tata Motors, Mahindra and Mahindra for joint publicity and marketing. The Bank also undertook several tech-based initiatives like missed call facility for retail lending Schemes, informing due dates and amount of EMIs for housing loans and introduction of web-based lead generation system.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank was at ₹145346 crore as at March 2015. Portfolio modified duration reduced to 4.37 years from 4.63 years last year. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio reduced to 3.58 years from 3.83 years last year. The trading profit for the year was ₹1148 crore as against ₹664 crore last year. The yield on investments stood at 8.00%.

The Bank continues to be an active player in the Government Securities market as a Primary Dealer (PD). The total amount of bids submitted for underwriting was ₹59400 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹34493 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 42.66% for the first half year ended September 2014 and 58.22% for the second half year ended March 2015.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹176274 crore, comprising ₹89811 crore under exports, ₹51827 crore under imports and ₹34636 crore under remittances during the year ended March 2015. Outstanding export credit stood at ₹11785 crore as at March 2015.



अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक के विदेशी परिचालन में लंदन व लीसेस्टर (यू.के.), हांगकांग व शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन), जोहांसबर्ग (दक्षिण आफ्रीका) और न्यू यॉर्क (यूएसए) में एक-एक शाखा तथा शारजाह (यूएई) में प्रतिनिधि कार्यालय तथा मॉस्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (एल.एल.सी.) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम के साथ 7 देशों को प्रावरित करती है।

वर्ष के दौरान समस्त विदेशी शाखाओं ने संवर्धित कार्यनिष्पादन दर्ज किया। मार्च 2015 को सात विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹51,831 करोड़ रहा। बैंक के कुल कारोबार में विदेशी शाखाओं का हिस्सा पिछले वर्ष के 5.69 % से बढ़कर 6.45% रहा।

बैंक ने वर्ष के दौरान 19.05.2014 को जोहांसबर्ग (दक्षिण आफ्रीका) में तथा न्यू यॉर्क (यू एस ए) में दिनांक 09.06.2014 शाखाएं खोलीं।

बैंक को तंजानिया तथा दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (डीआईएफसी) के विनियामकों से क्रमशः दार-ई-सलाम तथा डीआईएफसी में एक अनुषंगी तथा एक शाखा स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई है।

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को 86 देशों में फैले हुए 392 संपर्ककर्ता बैंकों का विस्तृत तंत्र का अच्छा समर्थन मिल रहा है। अनिवासी भारतीयों के विप्रेषणों को चैनलीकृत करने हेतु 35 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा 13 विदेशी बैंकों के साथ रुपये आहरण व्यवस्था की गई है। बैंक स्विफ्ट एमटी 103 माध्यम से विप्रेषण सुविधा (खुदरा / वाणिज्यिक) प्रदान करने के लिए 14 विदेशी बैंकों के वॉस्ट्रो खाते का भी रख रखाव कर रहे हैं। बैंक द्वारा क्रमशः सेकेंडमेंट तथा प्रबंधन करार के तहत दो विनिमय प्रतिष्ठानों जैसे, अल रजौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई और ईस्टर्न एक्सचेंज एस्टाब्लिशमेंट, कतर का प्रबंधन कार्य कर रही है।

बैंक ने 'रेमिट मनी' नामक वेब आधारित त्वरित विप्रेषण उत्पाद को 32 विनिमय प्रतिष्ठानों तथा लंदन, लीसेस्टर, शंघाई और हांग काँग के 4 समुद्रपारीय शाखाओं में कार्यान्वित किया है। बैंक ने मेसर्स यूएई एक्सचेंज, अबु धाबी के सहयोग से 'फ्लैशरेमिट' नामक एक तत्काल ऋण सुविधा कार्यान्वित की है। बैंक ने मेसर्स अल रजौकी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कंपनी, दुबई, मेसर्स ईस्टर्न एक्सचेंज एस्टाब्लिशमेंट, कतर तथा मेसर्स अल अनसारी एक्सचेंज एलएलसी, यूएई के साथ मिलकर 'इंस्टन्ट रेमिटमनी' नामक एक त्वरित ऋण सुविधा कार्यान्वित की है। यह भारत में केनरा बैंक के लाभार्थी को तत्काल व बाधा रहित विप्रेषण सुविधा प्रदान करती है।

INTERNATIONAL OPERATIONS

The Bank's overseas operations covered 8 countries, with one branch each at London and Leicester (UK), Hong Kong Shanghai (China), Manama (Bahrain), Johannesburg (South Africa) and New York (USA); a Representative Office at Sharjah (UAE) and a Joint Venture Bank, viz., Commercial Indo Bank LLC in Moscow (Russia), in association with State Bank of India.

All overseas branches recorded improved performance during the year. Total business of seven overseas branches aggregated to ₹51831 crore as at March 2015. Overseas business constituted 6.45% of the Bank's total business, up from 5.69% last year.

The Bank opened two overseas branches, at Johannesburg (South Africa) on 19.05.2014 and New York (USA) on 09.06.2014, during the year.

The Bank has received approval from the host country regulators of Tanzania and Dubai International Financial Centre (DIFC) for establishing a subsidiary and a branch respectively at Dar-Es-Salaam and DIFC.

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 392 Correspondent Banks, spread across 86 countries. Rupee Drawing Arrangements with 35 Exchange Houses and 13 overseas banks are also operational for channelizing the remittances of Non Resident Indians (NRIs). The Bank is also maintaining Vostro Accounts of 14 overseas banks for facilitating remittances (retail/commercial) through Swift MT103 mode. The Bank is managing two Exchange Houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar under Secondment and Management Agreement respectively.

The Bank has implemented 'Remit Money', a Web Based Speed Remittance product by extending it to 32 Exchange Houses and its 4 overseas branches in London, Leicester, Shanghai and Hong-Kong. The Bank has implemented 'Flashremit', an instant credit facility in association with M/s. UAE Exchange, Abu Dhabi, UAE. The Bank also implemented another product 'Instant Remitmoney' an instant credit facility with M/s. Al Razouki International Exchange Company, Dubai, M/s. Eastern Exchange Est., Qatar and M/s. Al Ansari Exchange LLC, UAE. This facilitates instant and hassle free remittances to beneficiaries of Canara Bank in India.



अन्य सेवाएं

बैंक के व्यापार बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांड निर्गम के कार्य का निर्वहन किया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बांडों से संग्रहित राशि ₹81.64 करोड़ रही। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा “ईक्विटी के उचित मूल्यांकन” के 6 विशेषीकृत कार्यों का निर्वहन भी किया गया।

3 निजी प्लेसमेंट निर्गमों तथा एक सधिकार निर्गम के लिए बैंक ने संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया जिसकी कुल राशि ₹1185.46 करोड़ है। नामोद्दिष्ट शाखाओं द्वारा अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए) के तहत निर्गत किये गये सार्वजनिक व ऋण निर्गमों की कुल संख्या 104 रही और ब्लॉक की हुई राशि ₹22.86 करोड़ रही।

वर्ष के दौरान समूहन समूह ने परियोजनाओं का निर्वहन किया जिसकी परियोजना लागत ₹7502 करोड़ रही और इसका ऋण आकार ₹3536 करोड़ रहा। समूह ने समूहन परिचालनों से ₹8.97 करोड़ का शुल्क-आधारित आय का अर्जन किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र, अस्पताल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस्पात, अचल संपत्ति रेलवे तथा संचरण इत्यादि जैसे विभिन्न संवर्गों में परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था की गई।

बैंक के ‘बैंकएश्यूरेंस’ अंग के तहत दोनों जीवन तथा गैर – जीवन बीमा संवर्गों में बैंक की गठ-जोड़ व्यवस्था है। बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड से कमीशन के रूप में ₹26.56 करोड़ का आय अर्जन किया है। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम यानी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड से ₹10.90 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। मेसर्स युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड (युआईआईसीएल) के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था के ज़रिए गैर जीवन (सामान्य) बीमा कारोबार के तहत बैंक ने कमीशन के रूप में ₹15.40 करोड़ का आय अर्जन किया है। अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के लिए बैंक ने मेसर्स अपोलो म्यूनिह स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹5.50 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ। पूरे भारत में फैली अपनी शाखाओं के ज़रिए निर्यात नीतियों के विपणन के लिए मेसर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया के साथ बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी का करार भी किया है।

कार्ड कारोबार के तहत, क्रेडिट व डेबिट-सह-एटीएम कार्ड आधार बढ़ाने के लिए बैंक ने कई पहल किए। यथा मार्च 2015 को बैंक का कुल डेबिट कार्ड आधार बढ़कर 2.55 करोड़ हो गया। कार्ड कारोबार के तहत वर्ष के दौरान लाभ ₹40.92 करोड़ रहा।

OTHER SERVICES

The Bank's Merchant Banking Division handled Private Placement Capital Gain Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd (REC) as Arrangers. The amount mobilized in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC during the year was ₹81.64 crore. Six specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year.

The Bank acted as Collecting Banker for 3 Private Placement Issues and one Rights Issue, involving an amount of ₹1185.46 crore. The number of Public and Debt Issues handled under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) by designated branches was 104 and the amount blocked was ₹22.86 crore.

The **Syndication Group** handled projects, involving project cost of ₹7502 crore during the year, with a total debt size of ₹3536 crore. The Group generated fee-based income of ₹8.97 crore from the syndication operations. The funds were arranged for projects in various segments, like, SEZ, Hospital, Wind Energy, Solar Energy, Steel, Real Estate, Railway and Transmission.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its ‘**Bancassurance**’ arm. The Bank earned a commission income of ₹26.56 crore from its joint venture, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹10.90 crore from its joint venture, viz., Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹15.40 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL). A commission income of ₹5.50 crore was earned by the Bank from its Corporate Agency Agreement with M/s Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd for marketing their health insurance products. The Bank also has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

Under **Card Business**, the Bank took several initiatives to expand credit and debit-cum-ATM card base. The total debit card base of the Bank increased to 2.55 crore as at March 2015. Profit under card business during the year was at ₹40.92 crore.



बैंक, देशभर में 38 स्थानों में फैले 46 निक्षेपागार सेवा केन्द्रों के ज़रिए 'निक्षेपागार सेवाएं' प्रदान करता है। इन केन्द्रों के माध्यम से बैंक अपने दलाली अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई के ज़रिए डी पी ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। सभी डीपी सेवा केन्द्रों को बेंगलूरु स्थित केन्द्रीय डीपी से नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है।

बैंक की 'निष्पादक, न्यासी व कराधान सेवाएं' इकाई द्वारा डिबेंचर / प्रतिभूति न्यासधारिता, वसीयतनामा व निष्पादककर्ता, न्यासधारिता, वैयक्तिक कर सहायता तथा मुख्तारनामा जैसी सेवाएं दी जाती हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त सेवाओं से ₹1.75 करोड़ का शुल्क आय अर्जित किया तथा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) से ₹74.26 करोड़ अर्जित किया।

बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी कारोबार उत्पादों जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसूली, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेनों व राज्य कारकार के राजकोषीय लेनदेनों, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति सूचीबद्ध बांडों के निर्गम शामिल हैं। वर्ष के दौरान इन उत्पादों से कासा में सुधार दर्ज होते हुए ₹100.94 करोड़ का शुल्क आय अर्जित हुआ।

बैंक द्वारा कई ऑन लाइन भुगतान सेवाएं, जैसे महाराष्ट्र, तमिल नाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, ओड़ीशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में विक्रय कर / वाणिज्य कर का ई- भुगतान, महाराष्ट्र में वर्चुअल ट्रेजरी पैकेज, तमिल नाडु में परिवहन विभाग को करों का ई-भुगतान, तमिल नाडु में चेन्नई तथा कर्नाटक में बेंगलूरु में कॉर्पोरेशन के लिए संपत्ति कर की वसूली, सार्वजनिक भविष्य निधि खातों को ऑनलाइन खोलना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु व कर्नाटक में ई-स्टाम्प परियोजना, आदि प्रदान की जाती है।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले व खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई), नई दिल्ली के आधिकारिक बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। बैंक ने स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कार्यान्वित किया और विगत दो वर्षों में आधार सीडिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमारा बैंक प्रथम स्थान पर है।

बैंक का कृषि नवोन्मेषण केन्द्र (एआईसी) अंग ने कुल 80 कार्यों का निर्वहन किया। इन 80 कार्यों में 66 मूल्यांकन, 9 पुनरीक्षण तथा 5 व्यवहार्यता अध्ययन शामिल थे। इन कार्यों का कुल परिव्यय, मीयादी ऋण घटक के तौर पर ₹316.25 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान इससे बैंक ने ₹2.66 करोड़ का शुल्क आय अर्जित किया।

The Bank offers its 'Depository Services' from 46 DP Service Centres, spread across 38 locations in the country. Through these Centres, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients from its own broking subsidiary M/s Canara Bank Securities Ltd., Mumbai. All DP Service Centers have been networked with the Central DP at Bengaluru.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services, like, Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. During the year, the Bank earned a fee income of ₹1.75 crore from the above services and ₹74.26 crore from Central Value Added Taxes (CENVAT) credit.

The Bank handles various **Government Business** products comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions of Central Government and State Government, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme and issue of Inflation Indexed Bonds of RBI. These products contributed to improvement of CASA and also earned a fee income of ₹100.94 crore during the year.

The Bank provides several online payment services, viz., E-payment of Sales Tax/ Commercial Tax in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Dadra & Nagar Haveli, Odisha, Punjab, West Bengal and Delhi, Virtual Treasury Package in Maharashtra, E-payment of Taxes to Transport Department in Tamil Nadu, Collection of Property Tax for the Corporation of Chennai in Tamil Nadu and Bengaluru in Karnataka, Online opening of PPF Accounts and E-Stamping project in Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank implemented the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme and occupied number 1 position among public sector banks for the last two years.

Agricultural Innovation Centre (AIC) outfit of the Bank handled 80 assignments. These 80 assignments consisted of 66 appraisals, 9 vetting and 5 viability studies. The total outlay of the assignments worked out to a term loan component of ₹316.25 crore. The Bank earned a fee income of ₹2.66 crore during the year.



आस्ति गुणवत्ता

₹ 5993 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक नकद वसूली

उद्योग स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में जारी दबाव के बावजूद अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने में बैंक का निष्पादन अच्छा रहा और सर्वाधिक नकद वसूली की। सकल अनर्जक आस्ति ₹13040 करोड़ रही तथा सकल अनर्जक अनुपात (यथा मार्च 2014) के 2.49% से बढ़कर 3.89% रहा। ₹8740 करोड़ के निवल एनपीए के साथ निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 1.98% से बढ़कर 2.65% हुआ।

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान नकद वसूली में पिछले वर्ष के ₹5494 करोड़ की तुलना में ₹5993 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। तकनीकी तौर पर बड़े खाते डाले गये खातों से ₹1351 करोड़ अर्जित हुआ और यह बकाया राशि का 18.29% रहा जिसमें हानि आस्तियों से वसूली गई ₹666 करोड़ भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 66 एन पी ए खातों को आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ) को ₹906 करोड़ के खातों की बिक्री की। वर्ष के दौरान कुल ₹2031 करोड़ का स्तरोन्नयन किया गया।

वर्ष के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹1379 करोड़ की वसूली की गयी। बैंक ने 20,387 वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹843 करोड़ राशि वसूल की गयी। वर्ष के दौरान 62,301 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 28,029 मामलों का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹323 करोड़ रही। बैंक ने खातों को एनपीए में फिसलन से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बड़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल कीं। इनमें, समय पर दबावग्रस्त खातों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण करने हेतु खातों की पहचान करना, एकमुश्त निपटानों (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केनअदालतों और अंचल स्तर पर मेगा अदालतों का आयोजन, जिला स्तर पर लोकअदालतों का आयोजन, कॉल केंद्रों के ज़रिए ऋण खातों में अतिदेय राशि का नियमित अनुवर्तन और अभिग्रहित आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी, इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। बैंक ने ₹ 10 लाख तक के छोटी एनपीए के निपटान के लिए एक विशेष योजना भी रूपायित की जिसमें शिक्षा ऋण, ट्रैक्टर ऋण और ₹1 करोड़ से कम के एमएसएमई ऋण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

यथा मार्च 2015 को बकाया पुनर्संरचित आस्ति संविभाग (पुनर्संरचित एनपीए खाते सहित) ₹28371 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 8.47% है।

ASSET QUALITY

All Time High Cash Recovery at ₹5993 crore

The Bank performed relatively well in Non-Performing Assets (NPA) management and made record cash recoveries, despite continued stress at the industry level. With a gross NPA level of ₹13040 crore, the gross NPA ratio has increased to 3.89% from 2.49% (as at March 2014). With a Net NPA of ₹8740 crore, the net NPA ratio increased to 2.65% from 1.98% a year ago.

Cash Recovery during 2014-15 aggregated to a record ₹5993 crore compared to ₹5494 crore last year. Recovery from technically written off accounts was at ₹1351 crore and accounted for 18.29% to outstanding amount, including recovery from loss assets at ₹666 crore. During the year, the Bank also sold 66 NPA accounts to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for consideration of ₹906 crore. An amount of ₹2031 crore was upgraded during the year.

During the year, recovery amounting to ₹1379 crore was made under SARFAESI Act. The Bank conducted 20,387 recovery meets, which resulted in a recovery of ₹843 crore. 62,301 cases were referred to Lokadalat, out of which, 28,029 cases were settled, covering an amount of ₹323 crore. The Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, identification of stressed accounts for restructuring/rephasing in time, conduct of Canadalats at branch level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lokadalats at district levels and regular follow-up of overdues in loan accounts through Call Centre and conducting e-auctions for sale of seized assets, initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. The Bank also formulated a Special Scheme for settlement of small value NPAs upto ₹10 lakh, with a thrust on education loans, tractor loans and MSMEs below ₹1 crore.

As at March 2015, the outstanding restructured assets portfolio (including restructured NPA accounts) of the Bank stood at ₹28371 crore, accounting for 8.47% of gross advances.



जोखिम प्रबंधन

बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। सभी 47 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं जो जोखिम प्रबंधन विभाग के ही विस्तारित अंग हैं।

बैंक में, भौगोलिक स्तर पर और संपूर्ण जोखिम रूपरेखा से प्रावरित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ हैं। इनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

बैंक में, बासेल II और बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया में बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयाँ और सहयोगी संस्था प्रावरित हैं। आईसीएएपी प्रलेख में दबाव परीक्षण संबंधी चित्रण शामिल हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा और अनुमादन की जाती है।

बैंक में पूंजी आयोजन समिति कार्यरत है और समिति, बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की तुलना में और कारोबारी रणनीतियों की तुलना में समष्टि आर्थिक नीति का सुस्पष्ट चित्रण प्रदान करती है। समिति द्वारा, जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी के उपयुक्त स्तर का अनुपात बनाये रखने की बात सुनिश्चित की जाती है और पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है।

बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूंजी के परिकलन हेतु बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की है ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके।

उद्यम के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना – बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके।

ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) अपनाने के लिए, बाज़ार जोखिम

Risk Management

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Risk Management Sections are functioning at all the 47 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing.

The Bank has in place risk management policies across geographies and across all risks encompassing the entire gamut of risk profile. These include policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management.

The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel II and Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, the Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Linkages to Stress Test Scenarios are also documented in ICAAP. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

A Capital Planning Committee is in place. The Committee articulates macroeconomic scenarios vis-à-vis capital requirements of the Bank, in tune with business strategies. The Committee ensures maintenance of appropriate level of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and evaluates various options for raising the capital.

Adoption of Advanced Approaches under Basel II

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel II for computation of capital for Credit, Market and Operational Risk, the Bank has engaged the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the group entities, so as to build requisite risk management framework.

As a pre-requisite for the implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

The Bank has submitted Letters of Intent to RBI for adoption of Internal Rating Based (IRB) Approach for

के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूँजी भार के परिकलन हेतु उन्नत मापन दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

बासेल III के लिए तैयारी

बासेल III पूँजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी बना। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली का पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टियर 1 पूँजी, 9% की कुल पूँजी और 2.50% का पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं के लिहाज से विश्वसनीय प्रतिपूरक उपाय के रूप में पैरेलल रन के दौरान 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 तक 4.5% का न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात भी बनाये रखना है।

बैंक पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रही है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार किया है। भारत सरकार से पुनःपूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति – नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जा सकती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक के पास विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ हैं और व्यापक नीतियाँ व कार्यविधियाँ प्रचलित हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं:

- मूल्यांकन व निर्णय लेने के लिए ऋण मानदंड
- उधारकर्ताओं की आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों / ऋण अनुमोदन समितियों को मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- जोखिम रेटिंग के आधार पर शुरुआती अवरोध
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- ऋण समीक्षा तंत्र

एक विशेष जोखिम निगरानी नीति निर्धारित की गयी है। ऋण निगरानी नीति में उल्लिखित ऋण समीक्षा तंत्र में समीक्षा व निगरानी संबंधी पूर्ण जानकारी प्रावरित की गयी है जिससे कि ऋण पुस्तिका का लगातार रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य, ऋण प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत रूप से निर्धारित ऋण लेखापरीक्षा / जारी पूर्व लेखापरीक्षा सहित ऋण प्रशासन में गुणवत्तात्मक सुधार लाना है।

calculation of capital charge for Credit Risk, Internal Models Approach for calculation of capital charge for Market Risk and Advanced Measurement Approach for calculation of capital charge for Operational Risk.

Preparedness for Basel III

The final guidelines on Basel III Capital Regulations became effective from 1st April, 2013. As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations is extended up to 31.03.2019. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, Total Capital of 9% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of March 2019. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 4.5% during parallel run from 1st January, 2013 to 1st January, 2017, as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements.

The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Moving ahead, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profit, optimization of business levers and proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

The Bank has various risk management systems for managing Credit Risk with comprehensive policies and procedures in place.

The Credit Risk Management Policy articulates, among others, the guidelines on:

- Lending norms for appraisal and decision making
- Delegation of credit sanctioning powers to various authorities/Credit Approval Committees based on internal risk rating of the borrowers
- Entry barriers based on risk rating
- Risk Based Pricing
- Loan Review Mechanism

An exclusive Credit Monitoring Policy has been put in place. The loan review mechanism articulated in the Credit Monitoring Policy covers the entire gamut of review and monitoring as an effective tool for evaluating the loan book continuously. It also intends to bring out qualitative improvements in credit administration, including Credit Audit/ Pre-release Audit, duly administered by the Credit Administration and Monitoring Wing.



बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाज़ार जोखिम ढाँचे का उद्देश्य, जोखिम एक्सपोज़र व तुलनीय न्यूनतम मानदण्डों की तुलना में बाज़ार जोखिम एक्सपोज़र का परिमाण के संबंध में निविष्टियां प्रदान कर अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करना है।

एकीकृत मध्य कार्यालय और जोखिम प्रबंधन विभाग के एकीकृत कोष का मध्य कार्यालय बाज़ार जोखिम एक्सपोज़र पर निगरानी रखती है। एक्सपोज़र लिमिट, जैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑन ट्रेडिंग बुक, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंस्ट्राडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर-वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालनों की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम मूल्य सीमा, जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित किये गये हैं। अन्य उत्प्रेरकों के साथ दैनिक आधार पर इन सीमाओं पर निगरानी रखी जाती है। बाज़ार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित की गयी है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का ढाँचा, नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति और सशक्त परिचालन कार्यविधियों पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक आयोजना समाहित हैं।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु नीतियों को अपनाया है जिसमें, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचा, ऑडिटसोर्सिंग गतिविधियां और सतत व्यवसाय योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। वर्तमान में बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से बासेल III ढाँचे के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिये तथा घटना प्रबंधन, मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण व स्व मूल्यांकन (आरसीएसए), परिचालन जोखिम के पूँजी भार के परिकलन के लिए परिदृश्य विश्लेषण निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया / गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली (एएलएम) चलनिधि और ब्याज दर जोखिम संबंधी मामलों को सुलझाती है ताकि कीमत-लागत अंतर, लाभप्रदता एवं दीर्घावधि व्यवहार्यता के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंक के निदेशक मंडल ने आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी कार्य सहित आस्ति व देयता के विभिन्न घटकों के लिये ब्याज दरों के निर्धारण, उनकी संरचना, परिपक्वता व अवधि- निर्धारण के कार्य की देखरेख करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है।

बैंक ने दिनांक 01.01.2015 से तरलता प्रावरण अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। यथा 31.03.2015 को बैंक का एलसीआर न्यूनतम विनियामक निर्धारित 60% से अधिक है।

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at maximizing the return by providing inputs regarding the extent of market risk exposures, the performance of portfolios vis-a-vis the risk exposure and comparable benchmarks.

Integrated Mid-Office and Mid Office of Integrated Treasury of Risk Management Wing is monitoring Market Risk exposures. Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, intraday and overnight limit for various Currency Positions, Dealer-wise limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR limits are fixed to act as risk mitigants/triggers. These limits, along with other triggers, are monitored on a daily basis. A robust reporting system is in place for effective management of Market Risk.

Operational Risk Management

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The Bank has adopted policies for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan. At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approaches of Basel III framework from Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has initiated process/activities for implementation of Advanced Approaches and to put in place Incident Management, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self Assessment (RCSA), Scenario Analysis to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management

Asset Liability Management (ALM) system addresses issues related to liquidity and interest rate risks in order to maintain a good balance among spreads, profitability and long-term viability. The Board of Directors of the Bank has constituted an Asset Liability Management Committee (ALCO) to oversee ALM functions, including fixation of interest rates for various components of assets and liabilities, its composition, maturity and duration.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. As at 31.03.2015, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 60%.



समूह जोखिम

बैंक की विभिन्न अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व प्रायोजित इकाइयां हैं, जो बहुआयामी गतिविधियों में लगे हुए हैं। बैंक की इन सामूहिक इकाइयों में पर्याप्त हिस्सेदारी होने के कारण बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है ताकि अंतर समूह संव्यवहारों की जोखिमों की पहचान करते हुए उनका उचित प्रबंधन किया जा सके और सामूहिक इकाइयों के बीच हितों के टकराव से बचते हुए / कम करते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को उठाया जा सके और व्यापार मानदण्डों के संबंध में इन इकाइयों के बीच “स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत” सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म साख, कमजोर वर्गों और विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति को महत्व देता आ रहा है।

यथा मार्च 2015 को बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 20.94% का वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹118234 करोड़ रुपये पहुंच गया और 40% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) के प्रति 40.89% हासिल किया गया।

(राशि ₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च तक		वृद्धि	
	2014	2015	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	97762	118234	20472	20.94
कृषि	48797	58868	10071	20.64
प्रत्यक्ष कृषि	44268	51437	7169	16.19

कृषि लक्षित साख संवितरण के तहत बैंक का अग्रिम 20.64% बढ़कर ₹58868 करोड़ तक पहुंच गया है जिसमें 53 लाख से अधिक किसान प्रावरित हुए हैं। कृषि क्षेत्र ऋणों के तहत बैंक ने 18% अनिवार्य मानदंड की तुलना में 20.36% प्राप्त किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का कृषि क्षेत्र को साख संवितरण 9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹45232 करोड़ हो गया है।

प्रत्यक्ष कृषि के तहत बैंक के अग्रिम 16.19% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹ 51437 करोड़ हो गया है। बैंक ने एएनबीसी के तहत 13.5% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में 17.79% दर्ज किया है। बैंक ने किसानों / गैर-किसानों को फसल ऋण / सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाये।

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, it has adopted a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions and exposures to raise the standard of Corporate Governance by reducing /avoiding conflicts of interest between the Group Entities and also to ensure 'Arms Length Principle' among Entities, in regard to business parameters.

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro and small enterprises, education, housing, micro-credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2015 reached ₹118234 crore, recording a y-o-y growth of 20.94% and achieved 40.89% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2014	2015	Amount	%
Total Priority Sector	97762	118234	20472	20.94
Agriculture	48797	58868	10071	20.64
Direct Agriculture	44268	51437	7169	16.19

With a focus on credit delivery to **Agriculture**, the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 20.64% to ₹58868 crore, covering over 53 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 20.36% to ANBC against 18% mandated norm. During 2014-15, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹45232 crore, with a growth of 9% over the previous year.

Advances under **Direct Agriculture** increased by 16.19% to ₹51437 crore and achieved 17.79% to ANBC against 13.5% mandated norm. The Bank undertook special campaigns for extending Crop Loans/General Credit Cards (GCCs) facility to all farmers/non-farmers.



वर्ष के दौरान बैंक ने ₹8653 करोड़ के 5.85 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये हैं। यथा मार्च 2015 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक की बकाया ऋण राशि ₹10330 करोड़ थी। बैंक ने 5.85 लाख पात्र खातों में से 5.39 लाख को किसान रूपे कार्ड जारी करके 92% की उपलब्धि हासिल की है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों, जैसे राज्य द्वारा प्रायोजित अनु जाति / अनु जन जाति संगठनों, आवास और सूक्ष्म साख के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है।

बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस), तथा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2015 तक निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत करीब 2.34 लाख लाभार्थियों पर कुल बकाया अग्रिम ₹960 करोड़ रहा। विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च 2015	
	खाता	राशि
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	11258	143
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	13785	104
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	26243	159
मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एसएलआरएस)	342	1.36
विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)	171762	173
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	11082	380
कुल	234472	960

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के तहत 1.72 लाभार्थियों को ₹173 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया जिसमें से ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण शाखाओं को दिया गया अग्रिम ₹133 करोड़ रहा।

समाज के सुविधारहित वर्ग के समर्थन में यथा मार्च 2015 को 5.52 लाख अजा/अजजा लाभार्थियों को बैंक ने ₹6466 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया। अजा / अजजा को दिया गया अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 5.46% रहा।

During the year, the Bank issued 5.85 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹8653 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹10330 crore as at March 2015. 5.39 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 5.85 lakh, with an achievement of 92%.

During the year, the Bank also extended financial assistance to other priority sectors, such as, State sponsored organization for SCs/STs, housing and micro credit.

The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes**, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM) and Differential Rate of Interest (DRI) Scheme.

As at March 2015, the outstanding advances under the following Government Schemes aggregated to ₹960 crore, involving around 2.34 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	MARCH 2015	
	Accounts	Amount
Prime Minister Rojgar Yojana (PMRY)	11258	143
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)	13785	104
Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)	26243	159
Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers (SLRS)	342	1.36
Differential Rate of Interest (DRI)	171762	173
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	11082	380
Total	234472	960

Advances to DRI stood at ₹173 crore, consisting of 1.72 lakhs beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹133 crore.

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SCs/STs beneficiaries amounted to ₹6466 crore as at March 2015, covering 5.52 lakh borrowers. The **advances to SCs/STs** comprised 5.46% of total priority sector advances.



समाज के कमजोर वर्ग को दिया गया कुल अग्रिम 29% वृद्धि के साथ ₹38649 करोड़ रहा जो 10% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में एएनबीसी का 13.37% रहा।

यथा मार्च 2015 को कमजोर वर्ग को दिये गये अग्रिम का विभिन्न घटक (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
लघु व सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक कारशतकार, कृषक व बंटाईदार	3497318	33854
कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	50443	729
अ जा / अ ज जा लाभार्थी	551639	6466
डी आर आई ऋण	171762	173
एसजीएसवाई लाभार्थी	26243	159
एसजेएसआरवाई लाभार्थी	13785	104
एसएचजी/एनजीओ/एमएफआई	112830	2499
एसएलआरएस को अग्रिम	342	1.36

यथा मार्च 2015 को विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया कुल अग्रिम ₹22766 करोड़ रहा जो 15% के निर्धारित स्तर की तुलना में कुल प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम का 19.26% रहा।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन) के तहत यथा 01.04.2013 के बाद ऋण सहबद्ध महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को ₹3.00 लाख तक की राशि के लिए 7% की दर से ऋण सुविधा मुहैया करायी जाएगी। आगे, त्वरित रूप से ऋण की चुकौती करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को 3% की अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 150 वर्ग – 1 जिलों में योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में चयन किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ऑन लाइन माध्यम से सदस्य बैंकों द्वारा दावों की प्रस्तुति के लिए एक अलग वेब पोर्टल विकसित किया गया।

राष्ट्रीय ग्राम जीविका मिशन (एनआरएलएम) ने दिनांक 01.04.2013 से वर्तमान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को प्रतिस्थापित किया है। हमारे बैंक को विषयगत योजना के अनुदान के प्रशासन के लिए नोडल बैंक के रूप में चयनित किया है।

एनआरएलएम के तहत संचालित केनरा बैंक सहित सभी सदस्य बैंकों के कुल दावे निम्नवत हैं :-

Advances to weaker sections grew by 29% to ₹38649 crore, constituting 13.37% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of Advances to Weaker Sections as at March 2015 (Amt. ₹ Crore)

Sectors	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	3497318	33854
Artisans, Village and Cottage Industries	50443	729
SC/ST Beneficiaries	551639	6466
DRI Loans	171762	173
SGSY Beneficiaries	26243	159
SJSRY Beneficiaries	13785	104
SHGs/NGOs/MFIs	112830	2499
Advances to SLRS	342	1.36

As at March 2015, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹ 22766 crore, accounting for 19.26% of the total priority sector advances against the stipulated 15% norm.

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

Under the Scheme 'Aajeevika' (National Rural Livelihood Mission) implemented by Ministry of Rural Development, Women Self-Help Groups (WSHGs) credit linked after 01.04.2013 would be provided credit facilities at 7% ROI up to ₹3.00 lakh. Further, prompt repaying WSHGs will get additional interest subvention at 3%. Presently, the Scheme is being implemented in 150 Category-I Districts. Canara Bank was selected to act as the nodal bank for implementation of the Scheme and MoU was signed with Ministry of Rural Development, Government of India. An exclusive web portal was developed for submission of claims by member banks through online mode.

NRLM has replaced the existing SGSY Scheme with effect from 01.04.2013 and the Bank is selected as Nodal Bank for administration of the subsidy for the subject scheme.

The consolidated claims handled under NRLM for all member banks, including Canara Bank, are as under.



(₹ करोड़ में)

वर्ष	खातों की संख्या (वास्तविक)	दावा की गई अनुदान राशि
2013-14	619933	268.41
2014-15	411499	204.10
कुल	1031432	472.51

(Amt. ₹ Crore)

Year	No of Accounts (Actual)	Amount of Subsidy claimed
2013-14	619933	268.41
2014-15	411499	204.10
Total	1031432	472.51

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधार

यथा मार्च 2015 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान किया गया अग्रिम 21.11% वृद्धि के साथ ₹60604 करोड़ हो गया। सूक्ष्म व लघु उद्यम (एम व एसई) वर्गों को दिया गया अग्रिम 46305 करोड़ रहा और इसमें अनिवार्य 20% मानक की तुलना में 26.16% की वृद्धि दर्ज हुई। मध्यम व लघु उद्यम (एमएसएमई) में सूक्ष्म ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष के 55.84% की तुलना में सुधार दर्ज होने हुए 60% रहा। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में अनिवार्य 10% की तुलना में 33.22% की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई पहल किए।

- ऋण प्रस्तावों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए देश भर में 162 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं तथा 48 एसएमई सुलभ (विशेषीकृत एसएमई प्रसंस्करण केन्द्र) कार्यरत हैं।
- सूक्ष्म व लघु उद्यमों को कोई संपाश्रिक प्रतिभूति के बिना तथा सरलीकृत ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर्स चॉइस, एमएसई स्मार्ट, एमएसएमई कैप, एमएसएमई वाहन, एमएसई विजेता, केनरा कॉन्ट्रैक्टर योजना, केनरा कारवां, फ्लेवर तथा एमएसएमई एक्सपो जैसे खंड विशेष योजनाओं को शुरू किया गया।
- विशेष क्लस्टरों तथा गतिविधियों को प्रदान की जानेवाली ऋण को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र / क्लस्टर विशेष योजनाओं जैसे अनाज शेलर योजना, दाल मिल योजना, काजू प्रोसेसर योजना आदि शुरू किया / जारी रखा गया।
- जागरूकता पैदा करने के लिए मेगा साख शिविरों का आयोजन किया गया तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए स्रोतों का अपूरण किया गया।
- सफल उद्यमिता के लिए सही मार्गदर्शन व आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्थानीय संगठनों के अधिकारियों को शामिल करते हुए दस शहरों में नए उद्यमियों के लिए शिखर (सम्मिट) सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मूल्यांकन के लिए तथा एमएसएमई उद्यमियों को परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पाँच मुख्य केन्द्रों में एमएसएमई परामर्शदात्री सेवा कक्ष का गठन किया गया।

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Lending

Advances to MSMEs increased by 21.11% to ₹60604 crore as at March 2015. Credit to Micro & Small Enterprises (M&SE) segments rose to ₹46305 crore, with a 26.16% growth against mandated 20% norm. Share of Micro credit in M&SE improved to 60% from 55.84% last year. The number of Micro Enterprises accounts recorded a growth of 33.22% against mandated norm of 10%.

During the year, the Bank took several initiatives to increase the flow of credit to MSME sector.

- 162 specialized SME branches and 48 SME Sulabhs (Specialised SME Processing Centres) for faster processing of credit proposals are functioning throughout the country.
- To extend financial assistance to micro and small enterprises without any collateral security and with relaxed lending terms, new segment specific schemes have been launched, such as, Doctors' Choice, MSE SMART, MSME CAP, MSME Vahan, MSE Vijeta and Canara Contractors' Scheme, Canara CARAVAN, Flavour and MSME Expo.
- To increase exposure to specific clusters and activities, new area/cluster specific Schemes have been launched/continued, such as, Rice Shellers' Scheme, Dal Mills Scheme and Cashew Processors Scheme.
- Mega Credit camps were conducted to create awareness and pool sources for increased credit flow to MSME sector.
- Summits were arranged at ten centres for start-up entrepreneurs, involving functionaries from different Government Departments and local industrial organizations for necessary inputs and guidance for successful entrepreneurship.
- MSME Consultancy Services Cells were established in five major centres for project report preparation, appraisal and other consultancy services to MSME entrepreneurs.



- अचल कार्यालय स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यम कारोबार केन्द्रों की स्थापना की गई।
- एमएसएमई उद्यमियों के विपणन प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने www.canbankemart.com नाम से वेबसाइट व उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ई-स्टोर शुरू किया है।
- बैंक ने एमएसएमई के तहत बैंक के विभिन्न पहलों के संबंध में उचित जानकारी के लिए www.canaramsme.com वेबसाइट शुरू की है।
- एमएसएमई ग्राहकों द्वारा एमएसएमई आवेदनों का प्रस्तुतीकरण व ट्रेकिंग व्यापक तौर पर किया जाता है।
- पहली बार बैंक से ऋण आवेदन करने वाले एमएसएमई उद्यमियों का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल शुरू किया है।
- उभरते उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे एमएसएमई के तहत चुनौतियों व अवसरों से संबंधित जानकारियों को आत्मसात करना, संगोष्ठियों का आयोजन, प्रशिक्षण पहल, संबंधित संगठनों के साथ विचार-विमर्श आदि तथा नियमित पत्रिकाओं के माध्यम से उक्त के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग में उद्यमी विकास केन्द्र का गठन किया गया है।
- एमएसएमई इकाइयों की निगरानी व फिसलन प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर गौर करने के लिए तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास व पुनर्गठन के माध्यम से मदद करने हेतु विभाग में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है।
- युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अनुकरणीय बनाने के लिए राज्य स्तर पर सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन करनेवाले एमएसएमई उद्यमियों के लिए पुरस्कार योजना रूपायित की गई है।
- Micro Enterprises Business Centres were established at Circle Offices for handholding Micro Enterprises.
- In order to support the marketing efforts of the MSME entrepreneurs, the Bank has launched a website www.canbankemart.com and also E-store to display their products.
- The Bank has launched an exclusive website www.canaramsme.com for easy access and understanding of MSME initiatives.
- The online submission of MSME applications and tracking thereof by the customers is facilitated and used extensively by the MSME clientele.
- The Bank has introduced a Credit Scoring Model to evaluate the MSME entrepreneurs who apply loan from the Bank for the first time
- Entrepreneur Development Centre has been set up at Head Office to cater to the needs of budding entrepreneurs by way of assimilation of information regarding the challenges and opportunities under MSME, conducting of seminars, training initiatives, interaction with the concerned organizations and propagation of the same through regular bulletins.
- An exclusive set up has been established at Head Office to look into the aspects of monitoring, slippage management and handholding in times of stress by way of rehabilitation and restructuring of MSME units as per Government guidelines
- The Bank has instituted awards for best performing MSME Entrepreneurs at State level to promote and encourage entrepreneurship amongst the youth.

साख संबद्ध पूँजी आर्थिक सहायता योजना (सीएलसीएसएस) के तहत एमएसएमई के तकनीकी स्तरोन्नयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, भारत सरकार से ₹21.93 करोड़ की राशि प्राप्त की और वर्ष के दौरान इस पूरी राशि का निर्मोचन किया गया। इसके साथ-साथ बैंक ने तकनीकी स्तरोन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत ₹73.21 करोड़ का अनुदान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तकनीकी स्तरोन्नयन (एमओएफपीआई) के तहत ₹6.40 करोड़ का तथा चीनी उपक्रमों 2014 (एसईएफएसयू) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹87 लाख का अनुदान प्राप्त किया व पूरी राशि का निर्मोचन भी किया गया।

The Bank received an amount of ₹21.93 crore from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, during the year as a Nodal Agency for Technology Upgradation of MSMEs under Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) and fully released the amount during the year. The Bank also received and released subsidy of ₹73.21 crore under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFs), ₹6.40 crore under Plan Scheme of Technology Upgradation of Food Processing Industries (MOFPI) and ₹87 lakh under Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings 2014 (SEFASU).



वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर रह गयी जनता को बैंकिंग की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के मूल उद्देश्य से वित्तीय दायरे से बाहर व विशेष रूप से समाज के सीमित वर्गों को वित्तीय उत्पादों व सेवाओं को मुहैया कराने के लिए बैंक प्रयासरत है। भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन की एजेंडा को विभिन्न समूहों में चार महत्वपूर्ण उपायों, जैसे बैंकिंग संरचना का विस्तारण, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के व्यापक और गहन उपयोग और हितधारक सहभागिता के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने देशभर के बैंक रहित 10049 आबंटित गाँवों को सफलतापूर्वक प्रावरित किया। बैंकिंग सुविधा रहित गाँवों में 270 वित्तीय समावेशन शाखाएं खोलीं और इस प्रकार शाखा मॉडल के तहत वित्तीय समावेशन वाली कुल शाखाएं बढ़कर 806 हो गईं। बैंक ने तीन कॉर्पोरेट कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) नामतः मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड, मेसर्स फिनो पेटेक तथा मेसर्स सीएससी इ-गवर्नेन्स सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड को शामिल करते हुए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2459 कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) को नियुक्त किया है। इसके साथ बैंक ने 544 अति लघु शाखाएं खोलीं जिसमें से 65 का वित्तीय समावेशन शाखाओं के रूप में स्तरोन्नयन किया गया है। यथा मार्च 2015 को 479 अति लघु शाखाएं कार्यरत हैं।

वित्तीय समावेशन शाखाओं में कारोबार जुटाया जाना

यथा मार्च 2015 को वि.स. शाखाओं का कारोबार ₹8670 करोड़ के स्तर तक पहुँचा। इन शाखाओं की जमाएं कुल जमाओं के 54% के साथ 2149 करोड़ रहा।

मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की स्थिति

बैंक ने वर्ष के दौरान 54.56 लाख बीएसबीडी खाते खोले जिससे मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों की संख्या यथा मार्च 2015 को ₹2401 करोड़ की कुल जमा के साथ 1.39 करोड़ तक जा पहुँची।

साख संबंधिता

वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में बैंक द्वारा किया गया एक और सार्थक प्रयास है जहाँ बैंक ने केनरा नयी दिशा योजना के तहत इन-बिल्ट ओवर ड्राफ्ट (आईओडी), किसान क्रेडिट कार्ड

Financial Inclusion

A Holistic Approach to Financial Inclusion

With the basic objective of bringing the large unserved population under the banking mainstream, the Bank is striving towards a more inclusive growth by making financial products and services available to financially excluded and marginalized sections of society in particular. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions in four groups, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive and intensive use of technology and through advocacy of Financial Literacy.

During the year, the Bank has successfully covered all the allotted 10049 unbanked villages across the country. The Bank opened 270 Financial Inclusion (FI) branches during the year in unbanked villages, taking the total tally of FI branches to 806 under branch model. The Bank has engaged 2459 Business Correspondents Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model by engaging three Corporate BCs, viz., M/s Integra Micro Systems (P) Ltd, M/s Fino Paytech and M/s CSC e-Governance Services India Ltd. Besides, the Bank had opened 544 Ultra Small Branches (USBs), out of which 65 were upgraded as FI branches. There were 479 USBs operational as at March 2015.

Business canvassed in the new FI Branches

The business of FI branches reached a level of ₹8670 crore as at March 2015. The CASA deposits of these branches stood at ₹2149 crore, constituting 54% of total Deposits.

Position of Basic Savings Bank Deposit (BSBD) Accounts

The Bank opened 54.56 lakh BSBD accounts during the year, taking the tally of BSBD accounts as at March 2015 to 1.39 crore, with an outstanding deposits of ₹2401 crore.

Credit Linkage

Financial deepening is yet another endeavour by the Bank in providing various other facilities, like, In-Built Overdrafts (IODs), Kisan Credit Cards (KCCs), General

(केसीसी), सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी), विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई), स्व सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म साख समूह (एमसीजी), सूक्ष्म बीमा व सूक्ष्म पेंशन जैसी विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। वर्ष के दौरान उपरोक्त साख संबद्धता में सुधार निम्नवत है:

- **इन-बिल्ट ओवर ड्राफ्ट आईओडी** – ₹66 करोड़ राशि से 3.30 लाख लाभार्थियों को इन-बिल्ट ओडी सुविधा की अनुमति दी गयी।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** – वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹8653 करोड़ राशि से 5.85 लाख कार्ड लाभार्थियों को जारी किया। यथा मार्च 2015 को केसीसी के तहत ऋण का बकाया ₹10330 करोड़ रहा।
- **डीआरआई** – वर्ष के दौरान बैंक ने डीआरआई योजना के तहत 70332 व्यक्तियों को वित्तपोषित किया जिसके अंतर्गत ₹99 करोड़ की कुल सहायता प्रदान की गयी। वर्षांत तक 1.71 लाख खातों सहित डीआरआई में बकाया ₹ 172 करोड़ रहा।
- **स्व-सहायता समूह (एसएचजी)** – वर्ष के दौरान 41319 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया। कुल ₹903 करोड़ सहित 42066 स्व-सहायता समूह (एसएचजी) ऋण संबद्ध हुए। वर्षांत तक 114698 लाख एसएचजी खातों सहित एसएचजी में बकाया ₹2456 करोड़ रहा।

सूक्ष्म बीमा

वर्ष के दौरान बैंक ने सूक्ष्म बीमा नीति के तहत 70320 बीएसबीडी खाताधारकों को बीमा प्रावरण मुहैया कराया।

सूक्ष्म वित्त शाखाएं

बैंक ने शहरी केन्द्रों में 19 सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं ने यथा मार्च 2015 को कुल ₹441 करोड़ का कारोबार जुटाया है।

केनरा ग्रामोद्योग योजना

19 नवंबर 2013 को बैंक के संस्थापक दिवस के अवसर पर, बैंक द्वारा अंगीकृत 65 गांवों व 3 झुग्गी झोंपड़ियों के सही मायने में विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केनरा ग्रामोद्योग नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया ताकि साख व गैर-साख समर्थन के ज़रिए सामाजिक – आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक ने आम लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए 65 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किया है। अब तक इन साक्षरता केन्द्रों ने 17 लाख लोगों से संपर्क किया है तथा 2.05 लाख लोगों को सलाह दी है। बैंक ने विभिन्न साक्षरता क्रियाकलाप निम्नवत आयोजित की हैं:

- कॉमिक बुक 'मुद्रा और बचत' 09 भाषाओं में प्रकाशित करा कर अर्धशहरी व ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण छात्रों व कृषक समुदाय में 2 लाख लोगों को वितरित किया गया।

Credit Cards (GCCs), Differential Rate of Interest Scheme (DRI), Self Help Groups (SHGs), Micro Credit Groups (MCGs), Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme. Improvement in the above credit linkages during the year is as under.

- **IODs** - In built OD facility permitted to 3.30 lakh beneficiaries, amounting to ₹66 crore.
- **KCCs** - During the year, the Bank issued 5.85 lakh KCCs, amounting to ₹8653 crore. As at March 2015, the credit outstanding under KCCs was at ₹10330 crore.
- **DRIs**- During the year, the Bank financed 70332 persons under DRI Scheme, with total assistance of ₹99 crore. DRI outstanding at the end of year was 1.71 lakh accounts, with a balance of ₹172 crore.
- **SHGs** - 41319 SHGs were formed during the year and credit linked 42066 SHGs, with credit of ₹903 crore. The outstanding SHGs at the end of the year stood at 114698 accounts, with a balance of ₹2456 crore.

Micro Insurance

The Bank provided life coverage to 70320 BSBD account holders under Micro Insurance Policy during the year.

Micro Finance Branches

The Bank has opened 19 Micro Finance branches in urban centres. These branches mobilized a total business of ₹441 crore as at March 2015.

Canara Gramodaya Scheme

On 19th November, 2013, the Bank's Founder's Day, a new Scheme called 'Canara Gramodaya' was launched for holistic development of 65 villages and 3 slums adopted by the Bank for bringing in socio-economic and cultural changes through credit and non-credit support.

Financial Literacy Centres (FLCs)

The Bank has set up 65 FLCs to provide financial education to common man. So far, these FLCs have contacted 17 lakh persons and counselled 2.05 lakh persons. The Bank has conducted various Financial Literacy activities as under:

- A comic book on "Money and Savings" was brought out in 9 languages and distributed to 2 lakh people through the rural and semi urban branches to reach the rural students and the farming community.



- तमिल नाडु, कर्नाटक व केरल में अग्रणी एनजीओ/एसएचजी के 1057 नेतृत्व के लिए 35 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कर्नाटक राज्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बैंकिंग और वित्त पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें टैबलेट पीसी के माध्यम से 26 स्कूलों में 5000 छात्र लाभान्वित हुए तथा उत्तर प्रदेश के आगरा व अलीगढ़ जिलों के 30 ग्रामीण स्कूलों में कॉमिक बुक वितरित करते हुए 30,000 छात्रों को लाभान्वित किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 5 ग्रामीण स्कूलों में 46 शिक्षकों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो बाद में छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करेंगे तथा उनमें वित्तीय जागरूकता विकसित करेंगे।
- बैंक ने उत्तर केनरा और शिमोगा जिला में वित्तीय साक्षरता फैलाने हेतु 20 “यक्षगान” नाटकों के आयोजन द्वारा 4500 ग्रामीणों को लाभ पहुँचाया गया।
- हमारी ग्रामीण व अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिन्दी में प्रकाशित “वित्तीय डायरी” लोगों में वितरित करते हुए 70000 लोगों को लाभान्वित किया गया।
- कर्नाटक राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख लोगों को कवर करते हेतु सामूदायिक रेडियो स्टेशन (90.4 एफ एम) पर बैंकिंग व वित्त पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रसारित कराया गया।
- पश्चिम बंगाल व ओडिसा के लोगों को समाचार पत्र में विज्ञापनों के जरिए पैसे सुरक्षित रखने पर शिक्षित किया गया।
- लोगों को सूक्ष्म वित्त, सुरक्षित निवेश, जीसीसी, केसीसी, बीएसबीडी खाते व एमएसएमई पर वित्तीय साक्षरता पर शिक्षित करते हुए 6 टीवी विज्ञापन तैयार कर दूरदर्शन के राष्ट्रीय व सहयात्री चैनलों पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्विज प्रतियोगिता के सभी कार्यक्रमों में प्रसारित कराया गया।
- बिहार, ओडिसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्यों में वित्तीय साक्षरता के रूप में 100 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए।
- जनवरी 2015 के दौरान 3 स्वैच्छिक संस्थानों के सहयोग से 13 वित्तीय साक्षरता कैम्प लगाए गए जिसमें 720 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- कर्नाटक में आकाशवाणी एफएम पर “काली पर्श, कैटुम्बा हाना” नामक परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना के सभी लाभ व विवरणों को बताते हुए लोगों को लेनदेन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- 35 Financial Literacy programmes were organized for 1057 leaders of NGOs/SHGs in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala.
- Financial literacy programme on banking and finance was conducted for the rural Government Schools in Karnataka State through the use of Tablet PC in 26 schools and about 5000 students were benefited and in 30 rural schools each in Agra and Aligarh districts in Uttar Pradesh by distributing the comic books, benefiting 30,000 students. Financial Literacy programmes were also organized for 46 teachers in five rural schools in Chitradurga district, Karnataka who in turn will impart financial literacy to the students and upgrade their financial awareness.
- 20 Yakshagana plays were organized to spread financial literacy to the villagers in the districts of Shivamogga and Uttara Kannada, benefiting 4500 villagers.
- “Financial Diary” in Hindi brought out by RBI and distributed to the public through our rural and semi urban branches, reaching 70000 people.
- Financial Literacy programmes on banking and finance was broadcast through Community Radio Station (90.4 FM) to cover 8 lakh population in remote rural areas in Karnataka State.
- People of West Bengal and Odisha were educated on safe parking of their funds through the paper advertisements.
- 6 Television Commercials (TVCs) made on Financial Literacy educating the public on micro insurance, safe investment, GCCs, KCCs, BSBD accounts and MSME and telecast during all episodes of RBI quiz telecast through DD National and DD Sahyadri.
- 100 Street Plays, as a part of Financial Literacy, were conducted in the States of Bihar, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.
- 13 Financial Literacy Camps conducted in association with 3 voluntary agencies, wherein 720 participants were trained during the month of January 2015.
- A Radio talk and interaction programme on ‘Kali Purse, Kaitumba Hana’ was aired in Karnataka on All India Radio FM, giving all the benefits and details of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and motivating the people to do transactions.



- वित्तीय साक्षरता में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से एक सुविधाप्रदाता की नियुक्ति की है।
- देशभर में वित्तीय साक्षरता संयोजक रखे गए जो अपने उप क्षेत्रों में बैंक मित्रों की निगरानी व उन्हें प्रोत्साहित करते हुए लोगों को अधिक लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
- बैंक मित्रों को भारतीय बैंकिंग वित्त व इंफ्रास्ट्रक्चर लिजिंग व फाइनेंसियल सर्विसेज संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बैंक व कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बैंकिंग व प्रौद्योगिकी पहलू पर गहन प्रशिक्षण भी दिया गया।

आधार नामांकन

बैंक ने 7 आधार नामांकन एजेंसियों को पैनलबद्ध किया है। अब तक कुल 101 लाख नामांकन किए जा चुके हैं। बैंक 100 आधार संख्या सिडिंग करते हुए सभी बैंकों में प्रथम स्थान पर है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना कार्यान्वयन

बैंक ने संशोधित डीबीटी/ डीबीटीएल के तहत नवंबर 2014 से ₹328.85 करोड़ प्रसंस्कृत करते हुए 81.27 लेनदेन का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 64.76 लाख खाते खोलकर सभी खातों में रुपये डेबिट कार्ड जारी किया है। इन खातों में ₹858 करोड़ कासा जमा जुटाया है।
- बैंक में ई-केवाईसी उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी शाखाओं तथा बीसी स्थानों पर ई-केवाईसी आवेदन उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर ई-केवाईसी अभियान भी चलाया गया है।
- बैंक मित्रों के माध्यम से भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रदत्त हस्तधारित मशीनों को रुपये कार्ड स्वीकार करने हेतु समर्थित किया गया है।
- अतिस्तर्कता के साथ बनाई गई योजना के माध्यम से सभी आबंटित 3962 एसएसए तथा 3371 वार्डों में परिवारों का सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया गया। आबंटित एसएसए तथा वार्डों में प्रत्येक परिवारों में कम से कम 1 खाते खोले गए। बैंक ने 69.67 लाख घरों का सर्वेक्षण किया है तथा पाया है कि 35 लाख परिवारों के पास अपना बैंक खाता नहीं है। बैंक ने 60.38 लाख खाते खोले हैं तथा 10 दिसंबर 2014 को सभी एसएसए तथा वार्डों को संघनित घोषित कर दिया है तथा भारत सरकार द्वारा सराहा गया है।
- बैंक ने 11 नवंबर 2014 को केरल राज्य, जहाँ बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है, को संघनित घोषित कर दिया है।

- A Facilitator engaged exclusively for intensifying the Financial Literacy efforts.
- Financial Literacy Coordinators were engaged Pan India to monitor and motivate the Bank Mitras to accelerate Financial Literacy in their Sub Service Areas (SSAs) and encourage the people to do more transactions.
- Bank Mitras were trained through Indian Institute of Banking & Finance and Infrastructure Leasing & Financial Services Limited. They were also provided with extensive training on Banking and Technology aspects by the Bank and the Corporate BC.

AADHAAR Enrolments

Bank has empanelled 7 Aadhaar Enrolment Agencies. A total of 101 lakh enrolments have been done so far. The Bank occupies number 1 position among all the Banks in Aadhaar seeding, with 100 lakhs Aadhaar numbers seeded.

Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme

Bank has successfully launched modified DBTL from November 2014. 81.27 lakhs transactions amounting to ₹328.85 crores have been processed under modified DBT/ DBTL.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

- The Bank opened 64.76 lakh accounts under PMJDY and RuPay Cards have been issued to all accounts. These accounts have mobilized a CASA deposit of ₹858 crore.
- To popularize the e-KYC usage in the Bank, e-KYC application has been ported in all branches and BC locations. In addition, e-KYC campaigns have been launched from time to time.
- To provide the facility of payments through the Bank Mitras, handheld devices provided to them was enabled to accept the RuPay Cards.
- Through meticulous planning, the Household survey was completed in all the allotted 3962 SSAs and 3371 Wards well within the timeline. Each household in the allotted SSAs and Wards were covered with at least one account per household. The Bank has surveyed 69.67 lakh households and found 35 lakh households were not having their accounts. The Bank opened 60.38 lakh accounts and declared all the SSAs and Wards as saturated on 10th of December 2014 and was appreciated by the Government of India.
- The Bank declared the State of Kerala as saturated on 11th of November, 2014, where the Bank is Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC).



- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत टॉल फ्री नंबर (1800 425 11 222) प्रदान करते हुए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है तथा उसे राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित कराया गया है। इस नंबर को हमारे सभी पीएमजेडीवाई के विज्ञापनों, पत्रकों, बैनरों व पोस्टरों में प्रकाशित कराया गया है। बैंक ने विभिन्न स्थानों पर बैनर/होर्डिंग/पोस्टर व वाल पेंटिंग लगाया है। मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार सुनिश्चित किया गया है।

अग्रणी बैंक योजना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 03 मेट्रो जिले में बैंक को अतिरिक्त अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके साथ ही बैंक का अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व की संख्या बढ़कर देश के 29 जिलों में हो गई है जिनमें से कर्नाटक में 08, तमिलनाडु में 07 केरल व उत्तरप्रदेश में 05, दिल्ली में 03 और बिहार में 01 जिले में है। केरल में यह बैंक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति(एस बी एसल सी) का संयोजक है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधान कार्यालय, बंगलूर में महिला उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडीडीब्ल्यू) और 47 अंचल कार्यालय में केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 33126 महिलाओं को लाभ पहुंचाते हुए 391 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें 184 सामान्य /कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), 78 उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और 80 संगोष्ठियां/कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम शामिल हैं। बैंक ने 49 केनरा उत्सव /केनरा बाजार आयोजित करते हुए महिला उद्यमी को विपणन सहायता भी उपलब्ध कराया। महिला उद्यमिता विकास केन्द्र ने इन्हें स्वयं सहायता समूह निर्माण व क्रेडिट लिंकेज में सहायता की है। कर्नाटक के हारोहल्ली में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देते हैं और विभिन्न व्यवसायों में स्वरोजगार उपक्रम शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं। संस्थान द्वारा स्थापना के बाद से 18569 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 1061 महिलाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षित किया गया है।

बैंक ने महिला ग्राहकों पर ध्यान देने हेतु दो विशेषीकृत महिला बैंकिंग शाखाओं के अलावा देशभर की 14 शाखाओं को “पूर्ण महिला कर्मचारी शाखा” में परिवर्तित किया है। बैंक ने यथा मार्च 2015 को ₹37783 करोड़ की ऋण बकाया के साथ 23.86 लाख महिलाओं की सहायता की है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीसी के 5% की अधिमानी आवश्यकता के एवज में 13.07 प्राप्त किया है। महिलाओं को अनेक रियायते दी गयी है जिसमें छात्राओं को शिक्षा ऋण में पात्रता नियमों में छूट के साथ 0.50% ब्याज दर में रियायत, ₹2 करोड़ तक के एमएसएमई ऋण के तहत महिला लाभार्थियों को 0.50% ब्याज रियायत शामिल है। वर्ष के दौरान सूक्ष्म व लघु उद्यम के तहत महिला लाभार्थियों के लिए ₹200 लाख तक के ऋण के लिए एक नई ऋण योजना “एमएसई विजेता” लागू की गयी है। बैंक द्वारा महिलाओं के लिए अनेक छूट व सुविधाओं के साथ एक विशेष बचत बैंक उत्पाद केनरा महिला बचत योजना भी लागू की गयी है।

- The Bank has put in place a Grievance Redressal Mechanism by providing a toll free No (1800 425 11 222) for PMJDY and the same has been published in national dailies. The number is also published in all our PMJDY advertisements, leaflets, banners and posters. The Bank has put up banners/hoardings/posters and wall paintings at various locations. Publicity ensured through print and electronic media.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned additional lead bank responsibilities in 3 Metro Districts of Delhi National Capital Territory. With this, the Bank's lead bank responsibilities increased to 29 districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

Women Empowerment

Department of Women Empowerment at Head Office, Bangalore and Centres for Entrepreneurship Development for Women at 47 Circle Offices are working towards economic empowerment of women. These Centres organized 391 training programmes, benefitting 33,126 women during 2014-15, including 184 General/Skill Entrepreneurship Development Programmes (EDP), 78 Entrepreneurship Awareness Programmes, 80 Seminars/ Career Guidance Programmes and 49 Canara Utsav/ Canara Bazar Marketing Melas. The Centers have also assisted in formation of SHGs and credit linkages. An exclusive Rural Self Employment Training Institute was set up at Harohalli, Karnataka to provide EDP skill trainings to women in various vocations, enabling them to take up self employment ventures. 18,569 women have been trained since inception, out of which 1061 women have been trained during 2014-15.

Apart from 2 exclusive Mahila Banking Branches, catering to the banking needs of women, the Bank has converted 14 branches into 'All Women Employee Branches' across the country to give a focus to women clientele. The Bank assisted 23.86 lakh women, with credit outstanding to the tune of ₹37783 crore as at March 2015 and achieved 13.07% to ANBC as against RBI's requirement of 5%. Several concessions have been given to women, including relaxation in eligibility norms and 0.50% interest concession on educational loans to girl students, 0.50% interest concession for loans and advances to women beneficiaries under Micro & Small Enterprises upto ₹2 crore. A new Loan Scheme 'MSE Vijeta' has been introduced during the year for granting loans upto ₹200 lakh to women entrepreneurs under Micro & Small Enterprises. Canara Mahila Savings Scheme, a special Savings Bank Product with many concessions and facilities, was also launched by the Bank for women.



कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित करना

बैंक संस्थापक सिद्धांतों व सदियों पुरानी परम्परा का पालन करते हुए विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल बहुआयामी है जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण व अन्य सामाजिक पहल शामिल हैं।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी) के माध्यम से बैंक ने 26 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, 05 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व 03 शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान सहित 34 विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 27960 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही 73% की प्रभावशाली रोजगार दर से शुरुआत से आज तक बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 2.41 लाख हो गई है।

बैंक ने स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने में लगे हुए 17 राज्यों में अन्य 27 ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटि) को सह-प्रायोजित किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इन संस्थानों द्वारा 24092 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही 73% की रोजगार दर से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की संख्या 3.70 लाख हो गई है।

बैंक ने हैदराबाद में ग्रामीण व उद्यमी विकास हेतु आन्ध्र प्रदेश बैंकर्स संस्थान/ हलियाल, कर्नाटक में केनरा बैंक देशपांडे आरएसईटीआई, बागलकोट, कर्नाटक में कर्नाटक किसान संसाधन केन्द्र (के एफ आर सी) व बेंगलूर में भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया प्रशिक्षण संस्थान को सह प्रायोजित किया है।

सम्यक रूप से बैंक ने 66 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित /सह प्रायोजित किया है जहां 73% की निपटान दर के साथ अबतक 6.11 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह व शिल्पकार को उनके उत्पादों के विपणन हेतु हार्ड टेक, कस्टम निर्मित, सौर उर्जा चालित 'खुदरा मोबाईल विपणन वैन' दान किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सीएस आर कार्यक्रमों के तहत समुदायों के लाभ हेतु निम्नलिखित बहुसंख्यक गतिविधियां की हैं।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities, like, training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established 34 exclusive training institutes, including 26 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), 5 Institutes of Information Technology and 3 Artisan Training Institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. During 2014-15, these Institutes trained 27,960 candidates, taking the tally to 2.41 lakh unemployed youth since inception, with an impressive settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored another 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across 17 States, engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2014-15, these Institutes trained 24,092 candidates, taking the tally to 3.70 lakh unemployed youth, with a settlement rate of 73%.

The Bank has co-sponsored Andhra Pradesh Bankers Institute for Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) at Hyderabad, Canara Bank Deshpande RSETI at Haliyal, Karnataka, Karnataka Farmers Resource Centre (KFRC) at Bagalkot, Karnataka and Bharat Ratna Shri M Visvesvaraya Training Institute at Bengaluru.

Cumulatively, the Bank has sponsored/ co-sponsored 65 training institutes, which have trained 6.11 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.

The Bank has donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

During the year, the Bank undertook a number of activities for the benefit of the communities as part of CSR programmes.



- गांवों में डिफ्लोरिडेशन – रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट:** बैंक ने चिकबल्लापुर व कोलार ज़िले की 217 गांवों में शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिफ्लोरिडेशन – रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना की लागत लगभग 17.58 करोड़ है। स्थापना कार्य प्रगति पर है।
- अग्रणी ज़िले के 130 स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण:** बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत 26 अग्रणी ज़िले के प्रत्येक में 05 स्कूलों में 3.52 करोड़ लागत से शौचालय निर्माण परियोजना प्रायोजित किया है। शौचालयों का निर्माण कार्य 90 स्कूलों में पूरा हो चुका है।
- केनरा विद्या ज्योति योजना:** कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत भारत रत्न डॉ. बी आर अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाके की अनुसूचित जाति/ जनजाति की छात्राओं को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु 'केनरा विद्या ज्योति योजना' की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक ग्रामीण शाखा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 06 छात्राओं को वित्तीय सहायता पहुंचाना अनिवार्य कर दिया गया था। कक्षा 5वीं से 7वीं तक के छात्र के लिए सहायता की राशि ₹2500 प्रति छात्र तथा 8वीं से 10वीं तक के छात्र के लिए ₹5000 प्रति छात्र निर्धारित की गई थी। वर्ष के दौरान 1.52 करोड़ की राशि 3733 छात्रों को वितरित की गई है।
- गांवों का समन्वित विकास:** विशाल ग्रामीण व अर्ध शहरी ग्राहक आधार को ध्यान में रखते हुए बैंक ने केनरा ग्रामोदय योजना के तहत 65 गांवों व 03 गंदी बस्तियों को उनके समन्वित विकास हेतु अंगीकृत किया है। इन गांवों के विकास के लिए बजट आवंटन कर दिया गया है। बैंक स्थाई आधार पर परियोजना चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- विकलांग व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए सहायता:** विकलांग व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए समान विचार वाले एजेंसियों; जैसे एएलआईएमसीओ (कृत्रिम अंग निर्माता) कानपुर को विभिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए नागडा, मध्य प्रदेश; सेवा निकेतन, चेरीखेडी रायपुर में प्रशिक्षण सह आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु कैम्प लगाने, एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट व इनक्लूजन (एएडी आई), नई दिल्ली को कैरियर विकास कक्ष की स्थापना, स्नेहदीप ट्रस्ट को ब्रैल ट्रांसक्रिप्शन इक्विपमेंट व विशेष शॉफ्टवेयर द्वारा केन्द्र द्वारा दृष्टीहीनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए, केनरा बैंक राहत व कल्याण समिति बेंगलूरु को ब्रैल ट्रांसक्रिप्शन केन्द्र उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करते हुए अनेक कार्यक्रम चलाए गए।
- De-fluoridation - Reverse Osmosis plants in villages:** The Bank has undertaken an ambitious project of providing De-fluoridation - RO plants for pure drinking water facility in 217 villages of Kolar and Chickaballapur districts. The estimated cost of the project is about ₹17.58 crore. The installation work is under progress.
- Construction of Toilets for Girls in 130 Schools in Lead Districts:** The Bank has sponsored the project under CSR for construction of toilets for girls in 5 Schools in each of 26 Lead Districts at a cost of ₹3.52 crore. The construction of toilet is completed in 90 schools.
- Canara Vidya Jyothi Scheme:** As a humble homage to Bharat Ratna Dr B R Ambedkar and to encourage education, a Scheme of extending financial assistance to SC/ST girl students from rural areas, viz., "Canara Vidya Jyothi Scheme" was launched under CSR initiative. Each rural branch of the Bank was mandated to extend financial assistance to 6 girl students of their command area. Amount of assistance was fixed at ₹2500 per student for students of class 5th to class 7th and has ₹5000 per student for students of class 8th to class 10th. During the year, an amount of ₹1.52 crore has been disbursed to 3733 students.
- Integrated development of villages:** Keeping in mind the vast rural and semi-urban client base, the Bank has adopted 65 villages and 3 slums for their integrated development under Canara Gramodaya Scheme. Budgetary allocation for development has also been made for these villages. The Bank is committed to run the project on sustainable basis.
- Support to persons with disability to lead a better life:** A number of programmes in association with like minded agencies have been taken up to support persons with disability like assistance to ALIMCO (Artificial Limb Manufacturing Company), Kanpur, for conducting camps in Nagda, Madhya Pradesh; Seva Niketan, Cherrikhedi, Raipur, for setting up training centre cum residential school for differently abled persons, Action for Ability Development & Inclusion (AADI), New Delhi, for setting up of Career Development Cell; Sneha Deep Trust for extending Computer training to visually impaired with special software and Braille transcription equipment, Canara Relief & Welfare Society, Bengaluru, for upgrading Braille transcription centre.



- **जरूरतमंद लोगों की सेवा / इलाज करने के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों से उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगी का इलाज करने के लिए नागरिक केन्द्रित अस्पताल को सहायता जैसे सेवाक्षेत्र अस्पताल और ज्ञानसंजीवनी डाइबिटीज अस्पताल, जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियॉवास्कुलर विज्ञान बेंगलूर को कार्डियक कैथ लैब के लिए, विट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफथैलमोलॉजी को आईकैयर यूनिट के नवीकरण के लिए, श्री वेंकटेश्वरा रामनारायणा रूडया सरकारी अस्पताल तिरुपति को एम्बुलेंस, स्वामी विवेकानन्द ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, पावगडा को मोबाइल एम्बुलेंस के लिए, सरकारी अस्पताल एर्नाकूलम को लिनियर कैंसर उपकरण इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की गई।
- बैंक ने महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित **सोमनाथ छात्रालय** में प्रशिक्षणार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु ₹56 लाख की सहायता प्रदान की है।
- **स्वच्छ विद्यालय अभियान:** बैंक ने तमिलनाडु राज्य के डिंडिगल व मदुरै जिलों के 200 स्कूलों में शौचालयों के निर्माण हेतु 5 करोड़ अंशदान देने व स्वच्छ विद्यालय अभियान में सहभागिता के लिए भारत सरकार से इच्छा जताई है।
- **आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों की सहायता के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता:** जिला प्रशासन चिकबल्लापुर, कर्नाटक को महिला कालेज के निर्माण व जिला पुस्तकालय हेतु, सरस्वती शिशु मन्दिर संस्थान मेरठ को दो विद्यालयों में कंप्यूटर प्रदान करने तथा स्कूल बस खरीदने हेतु, केनरा बैंक जुबिली एडुकेशन फंड बेंगलूरु को बुक बैंक के स्वाचालितकरण हेतु, मल्लेश्वरम शिशु विहार बेंगलूरु को शिक्षण कक्ष तैयार करने हेतु, श्री कृष्ण सोमानी स्कूल, लातूर, महाराष्ट्र को ई – शिक्षण कक्ष तैयार करने हेतु, गुजरात कॉमर्स कालेज, अहमदाबाद को ई – शिक्षण कक्ष तैयार करने तथा अजिमप्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु के माध्यम से 25 स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **Extending financial support for procuring equipments by reputed hospitals to serve/treat deserving needy people:** Assisted citizen centric hospitals, like, Sevakshetra Hospital and Jnanasanjeevini Diabetes Hospital, Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences, Bengaluru for Cardiac Cath Lab, Vittala Institute of Ophthalmology for refurbishment of Mobile eye care unit, Sri Venkateshwara Ramnarayan Ruia Government Hospital, Tirupati, for equipping with Ambulance, Swami Vivekananda Rural Health Care centre, Pavagada for Ambulance, District Hospital, Ernakulam, for Linear Cancer equipment etc., treating patients from economically weaker sections of the society.
- The Bank has provided financial support amounting to ₹56 lakh for providing infrastructure to trainees at **Somnath Chhatralaya** in Sabarmati Ashram, Ahmadabad, started by Mahatma Gandhi.
- **Swachh Vidyalaya Campaign:** The Bank has submitted willingness to Government of India to participate in Swachh Vidyalaya Campaign and contribute an amount of ₹5 crore for construction of 200 toilets in schools in the districts of Dindigul and Madurai of Tamil Nadu State.
- **Supporting Educational Institution for development of infrastructure for helping the children from economically backward families:** Financial assistance extended to District Administration, Chikkaballapur, Karnataka for construction of womens college and District Library at Chikkaballapur; Saraswathi Shishu Mandir Institutions, Meerut, for providing computers to 2 schools and purchasing a school bus; Canara Bank Jubilee Education Fund, Bengaluru for automation of book bank; Malleshwaram Shishu Vihar, Bengaluru for construction of class rooms; Sri Kishan Somani School, Latur, Maharastra for setting up e-class rooms; Gujarat Commerce College, Ahmedabad for e-class; and scholarships to 25 Post Graduate students through Azim Premji University, Bengaluru.

संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

वर्ष के दौरान संसदीय याचिका समिति, संसदीय अधीनस्थ विधान समिति तथा संसदीय कार्मिक स्थायी समिति, सार्वजनिक शिकायत स्थायी समिति, विधि व न्याय स्थायी समिति, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति और राजभाषा कार्यान्वयन पर साक्ष्य एवं आलेख समिति ने बैंक का निरीक्षण किया।

Visits by Parliamentary Committees

During the year, Parliamentary Committees on Petitions, Subordinate Legislation and Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice visited the Bank.



संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क

सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने नई 928 घरेलू शाखाएं जोड़ी गई हैं तथा जोहांसबर्ग (दक्षिण आफ्रीका) व न्यू यॉर्क (यूएसए) में 2 विदेशी शाखाएं भी खोली हैं। यथा मार्च 2015 को बैंक की 7 विदेशी शाखाएं सहित 5682 शाखाएं हैं।

शाखा नेटवर्क की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2014	31.03.2015	
मेट्रोपोलिटन	894	1004	362
शहरी	928	1111	285
अर्ध शहरी	1484	1756	168
ग्रामीण	1444	1804	113
विदेशी	5	7	2
कुल शाखाएं	4755	5682	930*

* वर्ष के दौरान तीन शाखाओं का विलय कर दिया गया।

बैंक ने वर्ष के दौरान 26 विशेष शाखाएं जोड़े हैं जिससे मार्च 2015 तक विशेषीकृत शाखाओं की कुल संख्या 288 हो गई है।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2015
1. एस एम ई	161
2. मिड कॉर्पोरेट शाखाएं	34
3. सूक्ष्म वित्त	19
4. आस्ति वसूली प्रबन्धन	16
5. प्राइम कॉर्पोरेट	12
6. विदेशी	11
7. कृषि वित्त	10
8. अनिवासी भारतीय	6
9. बचत	5
10. औद्योगिक वित्त	3
11. स्टॉक एक्सचेंज	2
12. पूंजी बाजार	2
13. महिला बैंकिंग	2
14. विकलांग के लिए शाखाएं	1
15. विशेषीकृत सरकारी कारोबार शाखा	4
कुल	288

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

During the year, the Bank opened 928 domestic branches across the country and 2 branches overseas at Johannesburg (South Africa) and New York (the USA). As at March 2015, the Bank had 5682 branches, including 7 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2014	31.03.2015	
Metropolitan	894	1004	362
Urban	928	1111	285
Semi-urban	1484	1756	168
Rural	1444	1804	113
Overseas	5	7	2
Total Branches	4755	5682	930*

* 3 branches were merged during the year.

The Bank added 26 Specialized Branches during the year, taking the total tally under the Specialized Branches to 288 as at March 2015.

Categories of Specialized Branches	31.03.2015
1. SMEs	161
2. Mid Corporate Branches	34
3. Micro Finance	19
4. Asset Recovery Management	16
5. Prime Corporate	12
6. Overseas	11
7. Agri-Finance	10
8. NRIs	6
9. Savings	5
10. Industrial Finance	3
11. Stock Exchange	2
12. Capital Market	2
13. Mahila Banking	2
14. Branch for Physically Challenged	1
15. Specialized Govt Business Branch	4
TOTAL	288

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल में प्रगति

2014-15 के दौरान 4021 केन्द्रों में फैले बैंक ने रिकॉर्ड 2221 एटीएम खोले जिससे एटीएम की कुल संख्या 8533 हो गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में बैंक एटीएम संख्या में अव्वल है। बैंक की डेबिट कार्ड आधार मार्च 2014 की तुलना में 1.51 करोड़ से बढ़कर 2.55 करोड़ हो गई है।

बैंक की चयनित शाखाओं में एटीएम, आवाज़ निर्देशन सुविधा युक्त नकद जमा किरायास्क, चेक जमा किरायास्क, पासबुक स्वमुद्रण किरायास्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट एक्सेस सुविधा वाले 132 हाई टेक ई-लॉन्ज कार्यरत हैं। चयनित ई-लॉन्ज में इंटरैक्टिव वीडियो सम्मेलन सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है।

बैंक द्वारा अपनाए गए विभिन्न वैकल्पिक वितरण चैनलों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष के 43.84% की तुलना में यथा मार्च 2015 को ई-लेनदेन 50.21% तक बढ़ गया।

ग्राहक के अनुकूल सूचना तकनीकी पहल

वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के सुविधार्थ कई तकनीकी उत्पाद / सेवा उपलब्ध कराए।

- **पायलट कार्यान्वयन के लिए ई-केवाईसी** के माध्यम से स्वचालित खाता खोलने की सुविधा पेश किया गया।
- **टैबलेट पीसी** के माध्यम से, **टैब बैंकिंग**, सरलीकृत व कागज़ रहित खाता खोलने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग में **आवर्ती जमा बंद** करने की सुविधा समर्थित किया गया।
- **पीएमजेडीवाई के अथत बीमा दावे** के लिए पोर्टल उपलब्ध कराया गया।
- विभिन्न ग्राहक खंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **नई प्रकार के कार्ड**, जैसे **रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड** (शुरु करनेवाला प्रथम बैंक), **विदेशी यात्रियों के सुविधार्थ एकाधिक मुद्रा वैलेट युक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रीपेड विदेशी मुद्रा कार्ड**, **कारोबार डेबिट कार्ड** तथा उच्च मालियतवाले ग्राहकों के लिए **केनरा वर्ल्ड** नाम से **प्रीमियम क्रेडिट कार्ड**, उपलब्ध कराया गया।
- कार्डधारकों के सुविधार्थ क्रेडिट कार्ड के वर्तमान बॉनस पॉयंट के जगह पर **केनरा रिवार्ड्स** योजना।
- **केनरा ई इन्फोबुक** - 8 क्षेत्रीय भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेज़ी, कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगू, मराठी व बंगाली) में उपलब्ध ई पासबुक, जो लॉकर बुकिंग व ई-लॉन्ज लोकेटर जैसे वर्धित सेवाओं के साथ सभी मोबाइल प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध है।

Progress in Alternate Delivery Channels

During 2014-15, the Bank added a record 2221 ATMs, taking the total number of ATMs to 8533, spread across 4021 centres. The Bank's ATMs strength was the highest among nationalized banks. The debit card base of the Bank rose to 2.55 crore compared to 1.51 crore as at March 2014.

132 hi-tech e-lounges were functional in select branches with facilities, like, ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System was also made available at select e-lounges.

As a result of various alternate delivery measures adopted by the Bank, e-transaction ratio increased to 50.21% as at March 2015 compared to 43.84% last year.

Customer-friendly InfoTech Initiatives

During the year, the Bank introduced several tech-products/services for the convenience of the customers.

- **Automatic Account Opening through e-KYC** released for pilot implementation.
- **Tab Banking**, a simplified and paperless account opening facility through tablet PC released.
- **RD closure facility** enabled in internet banking.
- **Portals for insurance claims under PMJDY** released.
- **New Card** variants introduced to cater to the requirements of different segments of customers, viz., **Rupay Platinum Debit Card** (first bank to introduce), **International Travel Prepaid Card in foreign currency with multi currency wallet** for the convenience of foreign travellers, **Business Debit Card** and **Canara World**, a premium Credit Card variant for HNI Customers.
- **'Canara Rewardz'** Scheme in lieu of the existing bonus points for Credit Cards for the convenience of the cardholders.
- **Canara e-Infobook**, an e-passbook, extended to 8 regional languages (Hindi, English, Kannada, Tamil, Malayalam, Telugu, Marathi and Bengali) in all mobile platforms, with added facilities, like, locker appointment booking and e-lounge locator.



- **केनरा एम-वैलेट-कार्ड** रहित व नकद रहित लेनदेनों के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण समर्थित मोबाइल एप्प जो हवाई, बस टिकट आरक्षण, डीटीएच रीचार्ज तथा बिल भुगतान की व्यापक रेंज में सुरक्षित लेनदेन सुविधा प्रदान करती है।
- **शेषराशि पूछताछ, संक्षिप्त विवरण, एम-पिन बदलाव, निधि अंतरण (व्यक्ति से व्यक्ति व व्यक्ति से खाता)** सेवाओं के साथ राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लैटफॉर्म (एनयूयूपी) पर यूएसएसडी सेवाएं समर्थित किया गया।
- लॉकर एक्सेस के लिए **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण**
- प्रवासियों को नकद अंतरण के लिए **केनरा ईजी कैश** पेश किया गया।
- **केनरा पी-सर्व** (टच स्क्रीन कियोस्क अनुप्रयोग) पेश किया गया।
- एटीएम इस्तेमाल करते हुए कार्ड के माध्यम से **देशी निधि अंतरण सुविधा**
- पेमेंट गेटवे सेवाओं के लिए **3 नए एग्रीगेटर्स** जैसे मेसर्स एमवैंटेज, सिट्रस पे सॉल्यूशन्स तथा पे टी एम के साथ गठबंधन किया गया।
- मेसर्स बिल डेस्क के साथ मिलकर बिल भुगतान के लिए बैंक के वेबसाइट में एकल स्टॉप साइट, **इन्स्टा पे** समर्थित किया गया।
- हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं (कन्नड, मलयालम, तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, पंजाबी) में एटीएम लेनदेन पर्ची का मुद्रण
- **इंटरनेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट ग्राहकों** के लिए बिल भुगतान सुविधा समर्थित किया गया।
- आईएमपीएस के माध्यम से विदेशी आवक विप्रेषण समर्थित किया गया।
- **स्विफ्ट लेनदेनों के लिए एसएमएस अलर्ट** समर्थित किया गया।
- **डीबीटीएल (एलपीजी अनुदान का संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)–** विकल्प I (खाता वैधीकरण) तथा विकल्प II (ओएमसी को खाता विवरण का प्रग्रहण / प्रस्तुतीकरण) विकसित करके जारी किया गया।
- **एनआरईजीए भुगतान के लिए आधार मैपिंग** – ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रेषित फाइलों के प्रसंस्करण और सीबीएस पैकेज में आधार प्रविष्टि संबंधी जानकारी के वैधकरण व प्रेषण के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करके जारी किया गया।
- कारोबार संपर्ककर्ता टर्मिनल के माध्यम से **यूआईडीआईआई सत्यापन इस्तेमाल** करते हुए ई-केवाईसी सेवा समर्थित किया गया।
- **Canara m-Wallet**, a mobile app for cardless and cashless transactions across the variety of merchants, released with 2-factor authentication enabled for customer convenience and safety for flight, bus ticket booking, DTH Recharge and a wide range of bill payments.
- **USSD Services enabled on National Unified USSD Platform (NUUP)** with the following services – Balance Enquiry, Mini Statement, Change M-Pin, IMPS Funds Transfer (Person to Person and Person to Account).
- **Biometric authentication** for locker access.
- **Canara easyCash** released for cash transfer to migrant population.
- **Canara P-Serve** (Touch Screen Kiosk Application) released.
- **Domestic funds transfer facility** through card using ATMs.
- Tied up with **3 new Aggregators**, viz., M/s EmVantage, M/s Citrus Pay Solutions and M/s PayTM for Payment Gateway Services.
- Enabled one stop site for bill payment–**InstaPay in the Bank's Website**, in tie-up with Aggregator M/s Billdesk.
- **Printing of ATM receipts in any 3 languages** (English, Hindi and regional language).
- **Bill payment facility** enabled for corporate customers in internet banking.
- **Foreign Inward Remittance** through IMPS enabled.
- **SMS Alert for SWIFT transactions** enabled.
- **DBTL (Modified Direct Benefit Transfer of LPG Subsidy)** – both Option I (Account Validation) and Option II (capturing/ submitting account details to OMCs) developed and released.
- **Aadhaar Mapping for NREGA Payments**, Software Package for processing files sent by the Ministry of Rural Development and validating and sending Aadhaar seeding entries to the CBS developed and released.
- **e-KYC Service using UIDAI verification** enabled through Business Correspondent Terminal.



- देशी ग्राहकों व अनिवासी ग्राहकों को खाता शेष जानने के लिए मिस कॉल्स संख्या क्रमशः 092892 92892 व 9192892 92892 तथा अंतिम तीन लेनदेन संबंधी जानकारी के लिए मिसड कॉल संख्या 092891 92891 जारी है तथा लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने सूचना सुरक्षा, ईलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन व साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष-श्री जी गोपालकृष्ण) की सिफारिश को पूर्णरूपेण लागू किया है। बैंक ने 12.04.2014 को आईएसओ 27001:2013 प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।

जनशक्ति प्रोफाइल

यथा मार्च, 2015 को बैंक में 53984 कर्मचारी थे।

	मार्च 2014	मार्च 2015
कर्मचारियों की कुल संख्या	48794	53984
अधिकारी	20878	23372
क्लर्क	18770	20268
अधीनस्थ कर्मचारी*	9146	10344

*अंशकालिक कर्मचारी सहित (पीटीई)

बैंक के कर्मचारियों में 43% अधिकारी, 38% लिपिक व 19% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी 15303 हैं जो बैंक के कुल कर्मचारियों की 28% है। मार्च 2015 को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 546 है। बैंक के रोल पर विकलांग कर्मचारियों की संख्या 1123 है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 8296 व्यक्तियों को विभिन्न कैडरों में नियुक्त किया है, जिसमें से 1762 अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है व 571 अनुसूचित जन जाति (एसटी) से संबंधित हैं। इसमें वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में नियुक्त हुए 546 भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों के तहत 2544 महिला कर्मचारी नियुक्त हुई और 503 महिला कर्मचारी पदोन्नत हुई।

एससी व एसटी के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2015 को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कुल संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 26.76% है। मार्च 2015 को बैंक के कर्मचारियों में एससी / एसटी का संयोजन निम्नलिखित है:

कैडर	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
अधिकारी	4105	1631
क्लर्क	3829	1212
अधीनस्थ कर्मचारी + पीटीई	3120	547
कुल	11054	3390

- Missed call to 092892 92892 to know account balance for domestic customers and 9192892 92892 for NRI customers and missed call to 092891 92891 to know last 3 transactions continued and popularized.

Compliance to International Standards

The Bank has fully implemented the recommendations of the RBI Working Group (Chairman, Shri G Gopalakrishna) on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The Bank obtained the ISO 27001: 2013 Certification on 12.04.2014.

Manpower Profile

As at March 2015, the Bank had 53984 employees on its rolls.

	March 2014	March 2015
Total No. of Employees	48794	53984
Officers	20878	23372
Clerks	18770	20268
Sub-Staff*	9146	10344

* includes part-time employees (PTEs)

The Bank's staff comprised 43% Officers, 38% Clerks and 19% Sub-Staff. Women employees comprising 15303 constituted 28% of the Bank's total staff. The total number of ex-servicemen staff as at March 2015 stood at 546. There were 1123 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

During the year, the Bank recruited 8296 persons in various cadres, out of which, 1762 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 571 to Scheduled Tribes (STs) categories. This includes 546 ex-servicemen recruited in various cadres during the year.

2544 women employees were recruited and 503 women employees were promoted under various cadres during the year.

Reservation Policy in respect of SCs and STs

As at March 2015, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 26.76% of total staff strength of the Bank. The composition of SC/ST employees in the Bank as at March 2015 is as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	4105	1631
Clerks	3829	1212
Sub-staff + PTEs	3120	547
Total	11054	3390



भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के संबंध में बैंक आरक्षण नीति का सख्ती से अनुपालन करता है।

(क) आरक्षण नीति पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने सभी कैडरों हेतु पद आधारित रोस्टर्स के तंत्र पर स्विच ओवर कर लिया है।

(ख) सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति हेतु भी बैंक ने आरक्षण / रियायत / छूट प्रदान की है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वाले अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति व पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिक व अधिकारी संवर्ग में भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगनेवाले विज्ञापन में एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक समुदाय/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में एक विशेष संदर्भ दिया जाता है। इनमें से वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्वनियुक्ति प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 2 सप्ताह की है। अध्ययन सामग्री, नोटबुक, स्टेशनरी सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क दिया जाता है। जहाँ भी संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराती है।

(घ) बैंक ने रोस्टर के अनुरक्षण को व आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी एससी / एसटी कक्ष स्थापित किया है।

(ङ) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी को नामांकित किया है और अंचल कार्यालय में भी संपर्क अधिकारी को नामांकित किया गया है। आगे, प्रत्यक्ष रूप से या तो एससी/एसटी संघ के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर मुख्य संपर्क अधिकारी/संपर्क अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जायेगा। जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जायेगी व उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के रिकॉर्डिंग हेतु एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है और की गयी कार्यवाही को भी रजिस्टर में नोट किया जाता है।

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Government of India guidelines.

(a) Reservation Policy is implemented through mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Bank has since switched over to Post Based Rosters for all cadres.

(b) The Bank has been extending Reservation/Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per guidelines.

(c) Pre-recruitment and pre-promotion training is given to candidates belonging to SC/ST. In the Advertisement inviting for the application from the eligible candidates for recruitment to Clerical and Officer Cadres, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC/ST/PWD/Minority Communities/Ex-SM. Such of those candidates, who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview. The duration of the training, is upto two weeks. Study materials, note book, stationeries are provided free of cost to all the participants. Wherever possible, respective State Governments are also providing the Lodging Facilities in Government/backward class hostels.

(d) The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and implementation of other aspects of Reservation Policy.

(e) Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy. Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.



उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति कर्मचारी के प्रतिनिधियों को बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ तिमाही बैठक हेतु बुलाया जाता है जहाँ आरक्षण नीति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिचर्चा की जाती है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठक की जाती है जहाँ रोस्टर रखा जाता है व यदि कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।

(च) बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति में हुए कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक आधार पर समीक्षा करती है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) गतिविधियाँ

बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य के अनुकूल होने हेतु बैंक की मानव संसाधन नीतियों को परिवर्तित किया गया है। फ्रंट लाइन कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने हेतु एचआर पहल जैसे सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कार्यपालकों को संवारना तथा अन्य महत्वपूर्ण एचआर टूल्स जैसे स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक व मस्तिष्क मंथन सत्र को प्रभावी टीम निर्माण और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं से शिक्षित करने के लिये विभिन्न कॉर्पोरेट संप्रेषणों को लाया गया है।

बैंक ने विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को उजागर किया है जो आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, इन-कंपनी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण को कवर करता है। आंतरिक रूप से, बैंक का बेंगलूर में कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है और 23 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने साख अभिमुखीकरण, विपणन कौशल, अधिकारियों, कृषि विस्तारण अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों हेतु प्रवेश कार्यक्रम को कवर करते हुए 66052 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 12550 व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, 3963 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 21797 महिला कर्मचारी हैं। बैंक ने कई नये प्रशिक्षण कार्यक्रम रूपायित व कार्यान्वित किये हैं जैसे धोखाधड़ी जागरूकता व निवारण, प्राथमिकता साख, ग्रामीण विकास व वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, सेवा मामले, सेबी दिशानिर्देशों पर अनुपालन, कोर बैंकिंग से परे – ग्राहक विश्लेषिकी आदि।

बैंक ने एक नए कार्यक्रम की कल्पना की यथा, प्रतिभा बैंक (टैलेंट बैंक) जो पहचान किये गये 10 क्षेत्रों में काम करने हेतु सामान्य अधिकारियों को सक्षम बनानेवाली कार्यक्रम है। आने वाले वर्षों में बैंक का ध्यान उपयुक्त प्रतिभा प्रबन्धन व प्रतिफल प्रणाली की स्थापना करना होगा। संभावित नेताओं को पहचानने व उच्चतम दायित्व लेने हेतु उनको संवारने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे।

In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.

(f) The Board of Directors of the Bank also review the progress made in the implementation of Reservation Policy, half yearly and yearly.

Human Resource Development (HRD) Activities

The HR policies of the Bank have been revisited to suit the changing banking scenario. HR initiatives, like, soft skill training programme for bringing attitudinal change among front line staff, Executive grooming through reputed institutes and other significant HR tools, like, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence. Various Corporate Communications are brought out to boost the morale of the employees and educate them on various facets of banking.

The Bank has in place exhaustive training processes that cover Internal Training, External Training, In-company Training and Foreign Training. Internally, the Bank has Staff Training College at Bengaluru and 23 Regional Staff Training Colleges.

The Bank trained 66052 employees during the year, covering a wide range of functional areas including Credit Orientation, Marketing Skills, Induction Programme for Officers, AEOs and Specialist Officers. Out of the trained staff, 12550 personnel belonged to the Scheduled Caste category, 3963 belonged to the Scheduled Tribe category. The total employees trained include 21797 women employees. The Bank designed and implemented several new training programmes, including Fraud Awareness and Prevention, Priority Credit, Rural Development and Financial Inclusion, MSME, Service matters, Compliance on SEBI guidelines and beyond Core Banking - Customer Analytics.

The Bank envisioned a novel programme, viz., Talent Bank to provide opportunities for generalist officers to assume the role of specialists in 10 identified streams. Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities.



आगे, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि आईआईएम, आईडीआरबीटी, सीएबी (आरबीआई), एनआईबीएम, आईएमआई, एक्सएलआरआई, आईआईसीए, क्रिसिल व एसआईबीएसटीसी पर केन्द्रित ध्यान व आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक का प्रयास जारी है। स्वनिर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं ताकि कुछ आला क्षेत्रों में यथा, साख, जोखिम प्रबन्धन, कोष परिचालन व सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता का विकास किया जा सके।

वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर / उच्चतम प्रबन्धन स्तर के कार्यपालकों हेतु आवश्यकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैंक अपने अधिकारियों के कौशल स्तर में प्रशिक्षण हस्तक्षेप व उन्हें नवीकृत ताकत व उत्साह के साथ निष्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करने के माध्यम से काफी हद तक योगदान करने में सफल रहा है।

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की उप समिति को, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा व सुधार करने हेतु और कर्मचारियों के कार्य पहल को संवर्द्धित करने हेतु सुझाव देने के लिये, गठित किया गया है।

संगठनात्मक रूपरेखा व प्रभाविता में परिवर्तन

बढ़ते हुए कारोबार जटिलता तथा कुछ प्रमुख कार्यकारी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालयों के विभागों व अंचलों के पुनर्गठन / पुनर्निर्माण कार्यों को किया गया। पुनर्गठन के पश्चात प्रधान कार्यालय में 23 विभाग हैं।

कार्यकारी उत्कृष्टता हेतु संगठनात्मक डिजाइन व संरचना का निरंतर आधार पर देखा गया तथा अध्ययन किया गया। शाखाओं व ग्राहक सेवा को स्फूर्तिदायक बनाकर, शाखाओं से बिक्री बढ़ाकर, रोबस्ट आस्ति आधार की वृद्धि करके व परिचालन मॉडल में सुधार जैसे कई विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा बैंक का कार्यालय करने के उद्देश्य से बैंक ने परियोजना 'शिखर' का शुभारंभ किया है। इस परिवर्तन में बैंक की सहायता ग्लोबल प्रबन्धन परामर्शदात्री फर्म यथा, मेसर्स बोस्टन परामर्शदात्री समूह (भारत) प्राइवेट लिमिटेड (बीसीजी) कर रहा है।

विपणन और प्रचार

बैंक ने विपणन को और मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई विशेषज्ञ कार्मिकों को संगठन से जोड़ा और एक प्रभावी अग्रणी प्रबंधन प्रणाली के साथ, सभी अंचल कार्यालयों में विशेष विपणन कार्यपालकों द्वारा पर्यवेक्षित विपणन अनुभाग का गठन किया। वर्ष के दौरान कई अभियानों के माध्यम से बैंक के उत्पादों की विक्रय व प्रति बिक्री करने के लिए विपणन ढांचा ने कई पहल की।

बैंक ने अपनी ब्रांड छवि को और बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रचार अभियानों का शुभारंभ किया और विज्ञापन, सामाजिक मीडिया और विपणन संपार्श्विकों जैसे सभी साधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया।

Further, the Bank's quest to enhance the competencies of the workforce continued through focused and need based trainings at various institutes of repute, like, IIMs, IDRBT, CAB(RBI), NIBM, IMI, XLRI, IICA, CRISIL and SIBSTC. Customized programmes are also organized to develop expertise in certain niche areas like Credit, Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialized trainings to the Senior Management Level/ Top Management Level Executives are conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the skill level of its officials through training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.

A Sub-Committee of the Board of Directors on HR is in place to review and improvise the existing HR policies and make suggestions to accelerate the employee engagement initiatives.

Changes in the Organizational Setup and Effectiveness

Keeping in view the increased business complexities and the need for imparting more focus on certain key functional areas, the re-organization/re-aligning functions of Wings at Head Office and Circles was undertaken. Post-reorganization, there are 23 Wings in Head Office.

The organizational design and structure are continuously revisited and studied for functional excellence. The Bank launched Project 'Shikhar' aimed at rejuvenating the Bank by focusing on several themes, like, energizing branches and customer service, increasing sales from branches, growing a robust asset base and revamping the operating model. Global Management Consulting firm viz., M/s Boston Consulting Group (India) Private Limited (BCG) is assisting the Bank in this transformation.

Marketing and Publicity

The Bank further strengthened marketing vertical during the year by inducting specialized personnel into the setup and also establishing marketing sections in all Circle Offices overseen by dedicated Marketing Executives, with an effective lead management system. Marketing set up has taken initiatives in cross selling and up selling of Bank's products by launching several campaigns during the year.

The Bank also launched publicity campaigns for its several new products and services introduced during the year and used effectively all channels of communication, including advertising, social media and marketing collaterals to enhance its brand image.



ग्राहकोन्मुखता

त्वरित सेवा उपलब्ध कराने, विविधीकृत उत्पाद / सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बीसीएसबीआई द्वारा जारी की गई “ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता” और “संशोधित नागरिक चार्टर” बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट में एक “ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र” उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 15.11.2014 से 30.11.2014 तक ग्राहक पखावाड़े का आयोजन किया गया।

दामोदरन समिति की अनुशंसा के अनुसार बैंक ने दिनांक 31.08.2013 को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) को नियुक्त किया है जो बैंक के आंतरिक लोकपाल की तरह काम करेंगे।

कॉल सेंटर, एकल संपर्क संख्या 1800 425 0018 के साथ हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 6 क्षेत्रीय भाषाओं यानि बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगु में ग्राहकों को शिकायत निवारण सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल लगभग 21.59 लाख थे और ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 98% रहा। बैंक ने केनरा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के तहत वेबसाइट में शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा कार्यान्वित की है। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया। वर्ष के दौरान 2221 शिकायतें सीपीजीआरएस में पंजीकृत किए गए तथा सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निवारण भी किया गया। पेंशन संचालन के लिए तथा पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण कक्ष का गठन किया गया है। खाता खोलने के लिए भी चुनिंदा जगहों पर केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की है।

वर्ष के दौरान, कोलार, अलीगढ़, आगरा, कोयंबतूर, दिंडिगल, शेखपुरा, मदुरै, तेनी, कालीकट, मलप्पुरम, चन्नरायपट्टणा तथा शिकारीपुरा में भारतीय रिज़र्व बैंक व बीसीएसबीआई बैंकिंग लोकपाल के संयोजन में ‘टाउन हॉल ग्राहक बैठक’ का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने पिछले वर्ष के 1265 शिकायतों के साथ 108836 शिकायत (98214 एटीएम संबंधित, 1553 लोकपाल मामले, उपभोक्ता

Customer Orientation

Several initiatives were taken to remain customer focussed through providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' are available in the Bank's website. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, a 'Customer Satisfaction Survey Form' is available in the Bank's website. Customers' fortnight was conducted from 15.11.2014 to 30.11.2014, inviting suggestions from customers.

As per Damodaran Committee Recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO) on 31.08.2013, who shall act as an Internal Ombudsman of the Bank.

Call centre with single point contact Toll free number 1800 425 0018 is functioning to cater to customers in 6 regional languages of Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil and Telugu, besides Hindi and English for redressal of grievances. The number of calls received by the Call Centre during the year was around 21.59 lakh and percentage of complaints redressal was 98%. The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at Call Centre were also integrated with CPGRS package. During the year, Call Centre registered 2221 grievances in CPGRS and all grievances were redressed as per prescribed time norms. Centralized Pension Processing Cell has been established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. Central Processing Centres are established at selected places for account opening purposes.

During the year, 'Town Hall Customers Meet' was held at Kolar, Aligarh, Agra, Coimbatore, Dindigul, Sheikhpura, Madurai, Theni, Calicut, Malappuram Channarayapatna and Shikaripura in association with the Banking Ombudsman, RBI and BCSBI.

With the opening balance of 1265, the Bank received 108836 complaints during the year (including 98214



विवाद निवारण फॉर्म में लॉज किए गए 86 मामले, सरकारी पोर्टल सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से 455 और 8528 सामान्य शिकायत प्राप्त किए, जिसमें से 98.6% का निवारण किए गए।

पद्धति एवं प्रक्रियाएं

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए चयनित 2551 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर.बी.आई. ए.) संपन्न की गयी / आर.बी.आई.ए. के साथ-साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी संपन्न की गयी / जमाओं के 71.97% और अग्रिमों के 76.26% को प्रावरित करते हुए 754 चयनित शाखाओं / इकाइयों में संगामी / अविराम लेखापरीक्षा संपन्न की गयी जिसमें से 177 इकाइयाँ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी / अविराम लेखापरीक्षा के अधीन है तथा 577 शाखाएं / इकाइयाँ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अधीन है - 551 शाखाएं आय / राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन है जिसमें तिमाही आधार पर आय लेखापरीक्षा के लिए चयनित शाखाएं भी शामिल है। श्री बसंत सेठ की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक व संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली पर गठित समिति की सिफारिशों का बैंक ने पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

शाखाओं के आर.बी.आई.ए. के लिए वेब आधारित पैकेज का शुभारंभ किया गया है पैकेज से, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के शाखाओं का स्वतः ही जोखिम श्रेणीकरण निर्धारण किया जाता है केनरा बैंक उन बैंकों में से एक है जिसने श्री बसंत सेठ समिति की सिफारिशों पर वेब आधारित पैकेज को लागू किया है। बैंक ने लेखापरीक्षा कार्य के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूची में सम्मिलित किया और स्थान पर ही सुधार करने तथा आय रिसाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू किया।

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.), धन शोधन निवारक (ए.एम.एल.), और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने (सी.एफ.टी.) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न उपाय किये गये।

कुछ प्रमुख उपलब्धियां एवं किये गये पहल निम्नानुसार हैं:

- यथा 31.03.2015 को बहु ग्राहक आईडी का डी-डुप्लिकेशन कार्य को पूरा किया गया।
- केवाईसी / एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली जाँच / संवर्धन उपलब्ध है।
- दिशानिर्देशों को जारी करके तथा सामयिक प्रशिक्षणों के माध्यम से शाखा कर्मचारियों को उक्त के संबंध में अवगत कराया गया।
- अंचल कार्यालयों में कार्यरत केवाईसी / एएमएल / सीएफटी के नोडल कार्यपालकों को शाखाओं में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से दिशानिर्देशों को अवगत कराया गया।

ATM complaints, 1553 Banking Ombudsman Cases, 86 Cases lodged at Consumer Dispute Redressal Forum, 455 complaints through Government Portal CPGRAMS and 8528 General Complaints), of which, 98.6% of the complaints were redressed.

Systems and Procedures

Risk based Internal Audit (RBIA) was conducted in all the 2551 branches/units programmed for onsite RBIA during the year. Information Security audit was conducted along with RBIA. Concurrent/continuous audit was conducted in 754 branches/service units, of which 177 units were subjected to concurrent/continuous audit by internal auditors and 577 branches / service units were subjected to concurrent audit by external auditors, covering 71.97% of deposits and 76.26% of advances. 551 branches were subjected to income/revenue audit, which included branches identified for income audit on quarterly basis. The Bank ensured full implementation of the recommendations of the Committee on Internal and Concurrent Audit Systems in Public Sector Banks under the Chairmanship of Shri Basant Seth.

Web based package for RBIA of branches introduced. The package arrives at the Risk Rating of the branches automatically, without manual intervention. The Bank is one of the few banks to introduce web based package as recommended by the Committee on Internal and Concurrent Audit Systems in Public Sector Banks. The Bank has empanelled retired Officers for audit works and also introduced incentive scheme for Spot Rectification and Detection of Income Leakage.

Know Your Customers (KYC)

The Bank took various measures for the effective implementation of guidelines on Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT).

Some of the major achievements and initiatives taken were as under:

- Deduplication of multiple customers IDs completed as on 31.03.2015.
- System checks/enhancements are put in place to ensure compliance to guidelines on KYC/AML/CFT.
- Branch staff were sensitized by way of issuance of guidelines and periodical training.
- Nodal Executives for KYC/AML/CFT at the Bank's Circle Offices were sensitized on guidelines by arranging workshops and to ensure compliance at branches.

ऑफ साइट निगरानी:

- एक स्वस्थ ऑफ साइट अनुप्रवर्तन प्रणाली (तीसरी आंख पर्यवेक्षण) की शुरुआत की गयी ताकि सी.बी.एस. का उपयोग करते हुए डेस्कटॉप लेखापरीक्षा के माध्यम से लगभग तत्काल आधार पर ऑफ साइट लेनदेनों का अनुप्रवर्तन किया जा सके।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनका समर्थन प्रधान कार्यालय, सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और बैंक के अनुषंगियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग का उद्देश्य अनुशासन व विकास को सुनिश्चित करना तथा हमारे बैंक को महान ऊंचाइयों तक ले जाना है।

बैंक के सतर्कता प्रबंधन में, निवारक, सहभागिता व दंडात्मक कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, व स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है जो संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल हो। इन्हीं लक्ष्यों को अपनाया गया तथा विभिन्न साधनों व चैनलों के माध्यम से समर्थित किया गया है।

सतर्कता जागरूकता अभियान के अंश के रूप में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार, बैंक द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2014 से 01 नवंबर 2014 तक "भ्रष्टाचार से संघर्ष – प्रौद्योगिकी की समर्थक की भूमिका" विषय पर अधिक ध्यान के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। **प्रो.आर वेंकट राव**, उप कुलपति, इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलूरु ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को बैंक के सभी वरिष्ठ कार्यपालकों तथा कर्मचारियों को संबोधित किया।

निवारक, खुफिया और साझेदारी सतर्कता में सतर्कता अधिकारियों के कार्य / भूमिका के बारे में जागरूकता लाने तथा सतर्कता आकर्षित करने वाली शिकायतों / मामलों के तुरंत निपटान में संबंधित अनुभागों से आवधिक अनुवर्तन करने हेतु, बैंक के सतर्कता अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए दिनांक 03.11.2014 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगांव में सतर्कता अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक बैंक की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए "निवारक सतर्कता" पर अधिक बल दिया गया।

Off Site Monitoring:

- A robust Offsite Transaction Monitoring System, (the third eye supervision) introduced, which monitors the transactions off-site on a near real time basis through desktop audit by leveraging Core Banking System (CBS).

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) in the rank of a General Manager. The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at Head Office, all Circle Offices, RRBs and the Bank's Subsidiaries. The objectives of the Vigilance Wing are to ensure that discipline and development go in tandem and help the Bank to reach greater heights.

Vigilance Management in the Bank include preventive, participative and punitive functions, with an objective to ensure free, fair and healthy environment, which is conducive for all round growth of the organization. These goals are pursued and promoted through various means and channels.

As a part of the Vigilance Awareness campaign and in conformity with the directives of the Central Vigilance Commission, the Bank observed 'Vigilance Awareness Week' from 27th October 2014 to 1st November, 2014, with focus on the theme- 'Combating Corruption, Technology as an enabler'. During the Vigilance Awareness Week, on 31st October, 2014, Prof. **R Venkata Rao**, Vice Chancellor, National Law School of India University, Bengaluru, addressed all the senior functionaries and other employees of the Bank on the theme.

Vigilance Officers' Conference was held at RSTC, Gurgaon on 03.11.2014 to sensitize Vigilance Officers' of the Bank about the functions/roles of Vigilance Officers in Preventive, Detection, Proactive, Participative Vigilance and periodic follow up with the concerned Sections in speedy disposal of complaints / cases, attracting vigilance angle.

During the year, thrust has been given to preventive vigilance, covering all the areas of banking, including systemic improvement in the laid down systems and procedures of the Bank.



सुरक्षा व्यवस्था

कुल 47 अंचल कार्यालयों की 5675 शाखाओं और 99 मुद्रा तिजोरियों में से बैंक ने 77 शाखाओं को उच्च जोखिम, 1529 शाखाओं को मध्यम जोखिम और 4069 शाखाओं को कम जोखिम वाली शाखाओं के रूप में पहचान की है। सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन शाखाओं का दौरा किया गया।

- सभी शाखाओं में सी.सी.टी.वी. लगाये गये हैं।
- ए.टी.एम में आंतरिक निर्मित सी.सी.टी.वी. के अतिरिक्त 1651 ए.टी.एम में अलग से सी.सी.टी.वी. लगाए गए हैं।
- देशभर के 3782 ए.टी.एम पर खतरे की संभावना के मद्देनजर निजी सुरक्षा गार्डों को रखा गया है।

परिवेश में सुधार

वर्ष के दौरान बैंक की 752 शाखाओं में परिवेश सुधार कार्य कराये गये और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शेष 528 शाखाओं में यह कार्य पूरा किया जाएगा – “शिखर परियोजना” के तहत 550 शाखाओं के लेआउट को टोकन प्रदर्शन व्यवस्था के साथ एकल खिडकी सेवा के लिए परिवर्तित किया गया। प्रलेख डिजीटलीकरण का शुभारंभ प्रस्तावित है जो परिवेश में और भी सुधार लाएगा।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र की स्थापना की है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी 47 अंचलों में जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 2827 सूचना का अधिकार आवेदन, 503 प्रथम अपील तथा 88 द्वितीय अपीलों प्राप्त कीं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है और विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए।

यथा मार्च 2015 को लगभग 98% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 3300 शाखाओं को बैंक ने अधिसूचित किया है। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त बैंक के सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 380 से अधिक पुनरुर्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

Security Arrangements

Out of 5675 domestic branches and 99 currency chests in 47 Circle Offices, the Bank identified 77 branches as High Risk, 1529 branches as Medium Risk and 4069 as Low Risk. These Branches were periodically visited by Security Officers as per statutory guidelines. All the sensitive currency chests were visited by the Chief Security Officer during the year.

The following measures were initiated based on the instruction from RBI and State Police Authorities.

- All branches were provided with CCTVs.
- 1651 ATMs provided with stand alone CCTV in addition to the inbuilt CCTV in the equipment.
- 3782 PAN ATMs guarded with Private Security Guards based on the threat perception and police authorities.

Ambience Improvement

During the year, ambience improvement work was carried out in 752 branches of the Bank and the remaining 528 branches will be completed during the current financial year. Under 'Project Shikhar' 550 branches layout were transformed for single window service along with token display arrangements. Digitalization of the records is on the anvil, which will further improve the ambience of the branches.

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, an exclusive Right to Information Act outfit is functioning to provide information and bring transparency. As per the requirement of the RTI Act, the Bank has nominated Public Information Officers and Appellate Authorities at Head Office and in all its 47 Circle Offices to provide information to the applicants. During the year, the Bank received 2827 RTI applications, 503 First Appeals and 88 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review.

As at March 2015 around 98% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 3300 branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted more than 380 refresher training programmes for such employees.



सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने “यूनिफाइड” का प्रयोग बढ़ाया और बैंक के ए.टी.एम. स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेने-देने का प्रावधान जारी रखा। टेलीफोन बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ प्रमुख 6 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। बैंक विशेष अवसरों पर अपने सभी ग्राहकों को हिन्दी में एस.एम.एस. भी भेजता है। बैंक ने 1 जुलाई 2011 से कोर बैंकिंग प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, एटीएम लेनदेन रिपोर्ट व ई-इंफोबुक में हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया है। हमारे बैंक की इलेक्ट्रॉनिक द्विभाषी पता पुस्तिका “केनपता” को सभी शाखाओं के कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया।

राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा “केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना” के तहत 182 पुरस्कार अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शाखाओं व कार्यालयों के अनुभागों को प्रदान किए गए। “केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना” के तहत 109 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता” भी आयोजित की है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

हमारी अर्ध वार्षिक हिन्दी पत्रिका “केनराज्योति” का 13 वां एवं 14 वां अंक जारी किया गया। प्रधान कार्यालय, बंगलूर में हिन्दी दिवस समारोह के दौरान हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 13वें अंक का विमोचन किया गया तथा 14वें अंक का विमोचन श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। केनराज्योति हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा लिखित बैंकिंग संबंधी लेख, कविता, लघु कथा, यात्रावृत्तांत आदि शामिल हैं।

ए.बी.सी.आई. द्वारा “केनराज्योति” को फीचर श्रेणी में रजत पदक तथा विशेष स्तंभ (भारतीय भाषा) श्रेणी में कांस्य पदक अवार्ड प्रदान किया गया है।

बैंक ने राजभाषा अधिकारियों का 32वां अखिल भारतीय सम्मेलन भी 9 व 10 मार्च 2015 को क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुडगांव में आयोजित किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने केरल राज्य में बैंक की कोल्लम शाखा का दौरा किया। राजभाषा पर संसदीय समिति की साक्ष्य व आलेख समिति द्वारा नागपुर अंचल कार्यालय का दौरा किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Tele banking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is made fully in bilingual. The Bank is also giving SMSs in Hindi to all its customers on special occasions. With effect from 1st July 2011, the Bank has provided Hindi option in Core Banking System. Hindi option provided in Mobile Banking, Internet Banking portal, ATM transaction reports and in e-Infobook. The Bank's bilingual address booklet CANPATHA is made available to all branches and offices in electronic form.

To encourage effective implementation of Official Language in the Bank, 182 prizes were given to Circle Offices, branches, RSTCs and Sections of Head Office under the award Scheme formulated by the Bank viz., Canara Bank Rajbhasha Akshay Yojana and 109 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana. The Bank also conducted annual “All India Hindi Essay Competition” for its employees and prizes were given to winners.

Our Half Yearly Hindi journal “Canarajyoti” – 13th and 14th issues were brought out during the year. The 13th issue was released by the C&MD during Hindi Day Celebration at Head Office, Bangalore and 14th issue was released by Miss Poonam Juneja, Joint Secretary, Department of OL, Ministry of Home Affairs, Government of India. “Canarajyoti” is brought out to encourage original writing in Hindi. This publication contains articles on banking related subjects as well as Poetry, Short Stories, Travelogues in Hindi written by employees.

“Canarajyoti” won ABCI Awards, a Silver Medal under Feature category; a Bronze Medal under special column (Indian Languages) category, for excellence in business communications from the Association of Business Communicators of India (ABCI).

The Bank also held the 32nd All India OL Conference of OL Officers at RSTC, Gurgaon on 9th and 10th March 2015.

During the year, the Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected Kollam Branch, in the State of Kerala. The Drafting and Evidence Committee of the Parliamentary Committee on Official Languages had inspected Nagpur Circle Office and lauded the efforts put by the Bank in the field of Official Language implementation. The Bank is convening the Town Official



बैंक के प्रयासों की सराहना की गई। बेंगलूरु, कोयंबतूर, आगरा और तिरुवनंतपुरम में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व मार्गदर्शन देने के लिए बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं।

खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक टूर्नामेंट आदि को प्रायोजित करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप प्रदान करके हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहित व समर्थन कर रहा है और देश भर में खेल गतिविधियों के लिए उदारता से योगदान दिया है। वर्ष 1982 में बैंक में खेलकूद के अनुप्रवर्तन व प्रोत्साहन के लिए प्रधान कार्यालय में एक खेलकूद काउंसिल का गठन किया गया।

बैंक के 6 क्षेत्र में टीम हैं, जो निम्नवत है:

अथलेटिक्स	महिला	4 सदस्य
बॉल बैडमिंटन	पुरुष	3 सदस्य
क्रिकेट	पुरुष	15 सदस्य
हॉकी	पुरुष	12 सदस्य
शटिल बैडमिंटन	पुरुष	3 सदस्य
टेबल टेनिस	पुरुष	2 सदस्य

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जैसे श्री बी के वेंकटेश प्रसाद व श्री सुनिल जोशी (क्रिकेट), श्री विमल कुमार (शटिल बैडमिंटन), श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा व श्रीमती एच एम ज्योती (अथलेटिक्स), श्री पी शण्मुखम, श्री भरत कुमार छेत्री (कप्तान, भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलिंपिक्स-2012) व श्री के एम सोमण्णा (हॉकी-सीनियर), श्री के पी दिनेश (हॉकी-जूनियर) वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं। उक्त खिलाड़ियों ने राज्य / राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट / प्रतियोगिताओं में बैंक का प्रतिनिधित्व करके बैंक का नाम रोशन किया है। श्री के एम सोमण्णा, हॉकी खिलाड़ी व श्री डी गुरुप्रसाद, शटिल बैडमिंटन खिलाड़ी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जानेवाले सर्वोच्च सम्मान-“एकलव्य पुरस्कार” से नवाजा गया। श्री भरत कुमार छेत्री पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा खिलाड़ियों को दिए जानेवाले सर्वोच्च सम्मान “बंगाल रत्न” पुरस्कार से नवाजा गया।

वर्ष के दौरान श्रीमती एच एम ज्योती ने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया (फाइनल में 5वीं स्थान), इनचोन, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई खेलों में 4x100 मीटर रिले में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। लखनऊ में आयोजित अंतर राज्य अथलेटिक मीट में प्रतिभागिता करके 100 मीटर में 11.4 सेकेंड (सबसे अच्छा व्यक्तिगत समय) के साथ रजत पदक जीती। वर्ष के दौरान श्री दीपक चौगुले ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड राज्य की प्रतिभागिता किया। श्री मंसूर अली खान वर्ष के दौरान रणजी ट्रॉफी व इरानी ट्रॉफी जीतनेवाले कर्नाटक राज्य क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच थे। श्री डी गुरुप्रसाद, शटिल बैडमिंटन खिलाड़ी

Language Implementation Committees of Bengaluru, Agra, Coimbatore and Thiruvananthapuram. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Government of India.

Promotion of Sports

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and has contributed generously to sporting activities all over the country, in the realms of sponsoring tournaments and providing scholarships to talented sportspersons. A Sports Council at Head Office was setup in the year 1982 to monitor / encourage Sports in the Bank.

The Bank has teams in 6 disciplines as under:

Athletics	Women	4 Members
Ball Badminton	Men	3 Members
Cricket	Men	15 Members
Hockey	Men	12 Members
Shuttle Badminton	Men	3 Members
Table Tennis	Men	2 Members

International Sportspersons in the Bank's fold are Shri B K Venkatesh Prasad and Shri Sunil B Joshi (Cricket), Shri Vimal Kumar (Shuttle Badminton), Smt M K Asha, Smt Suma Gopalakrishna and Smt H M Jyothi (Athletics), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) and Shri K M Somanna (Senior-Hockey) and Shri K P Dinesh (Junior-Hockey). Some of the above sportspersons have earned laurels while representing the Bank in tournaments/competitions at the State/National levels. Shri K M Somanna, Player of Hockey Team and Shri D Guruprasad, Player of Shuttle Badminton Team were bestowed with 'EKALAVYA AWARD', highest honour for sports person in Karnataka State. Shri Bharat Kumar Chetri, player of Hockey Team was bestowed with 'BENGAL RATNA', highest honour for sports person in State of West Bengal.

During the year, Smt H M Jyothi represented Indian Athletics 4x100 Mts Relay Team in the Commonwealth Games at Glasgow, Scotland in 2014 (5th Place Finals), Indian Athletics 4 x 100 Mts Relay Team in the Asian Games at Incheon, South Korea in 2014 and Karnataka State Team in the Inter State Athletic Meet at Lucknow 2014 in 100 Mts Individual event and secured Silver Medal with a timing of 11.4 Seconds (Personal Best). Shri Deepak Chougale represented Jharkhand State Cricket Team in the Ranji Trophy during the year. Shri K B Pawan represented Kerala State Cricket Team in the Ranji Trophy. Shri Mansur Ali Khan was the Bowling Coach of the Karnataka State Cricket Team that won the Ranji Trophy and Irani Trophy during the year. Shri D Guruprasad, player of Shuttle Badminton Team



ने बर्मिंघम, युनाइटेड किंगडम में आयोजित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में प्रतिभागिता की।

बैंक प्रधान कार्यालय की टीमों के अलावा अंचल कार्यालय स्तर पर बजट आबंटित करके खेलकूद को प्रोत्साहन देता है, जिसकी निगरानी अंचल स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किया जाता है। बैंक के 50% से अधिक खिलाड़ी अपने संबंधित खेल क्षेत्रों में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों हेतु 'एक स्टॉप बैंकिंग' प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 दशक के अंत के दौरान सहायकी खोलने के द्वारा विविध कारोबार गतिविधियों में प्रवेश किया। आज, बैंक विविध क्षेत्रों में कम से कम नौ सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ एक "वित्तीय सुपरमार्केट" के रूप में कार्य कर रहा है।

बैंक ने सम्यक मूल्यांकन हेतु व बैंक के सहायकी/सहयोगी हेतु खांका तैयार करने के लिये भी एक सलाहकार के रूप में मेसर्स केपीएमजी सलाहकार सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड नियुक्त किया है। स्वीकृत सिफारिशों को कार्यावित किया गया है। बैंक के सभी सहायकी / प्रायोजित संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

केनफिन होम्स लिमिटेड, जो कि केनरा बैंक की 43.45% धारिता के साथ एक प्रायोजित संस्था है, प्रमुख आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। 31.03.2015 को सीएफएचएल में बैंक का शेयर 43.45% है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹3346 करोड़ के संवितरण राशि के साथ ₹3670 करोड़ के ऋण राशि की मंजूरी दी है। यथा मार्च 2015 को कुल बकाया ऋण ₹8238 करोड़ है। कंपनी ने वर्ष समापन मार्च 2015 हेतु ₹86.24 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया है और 2014-15 हेतु 70% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड (सीबीएसएल)

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड, (पूर्व में, गिल्ट प्रतिभूति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पूंजी बाजार संबंधित गतिविधियों में, विशेषकर 2007 से स्टॉक ब्रोकिंग में संलिप्त रहा है। कंपनी संस्थागत व खुदरा ग्राहकों, दोनों के लिये स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करता है। खुदरा ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर मुख्य उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्नी सुविधा प्रदान करता है एवं कंपनी का ग्राहक आधार 35172 से अधिक है। वर्ष समापन 2015 के लिये कंपनी ने ₹6.90 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है और 12.50% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनरा रोबेको परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएमसी)

केनरा बैंक म्यूचुअल फंड के आस्तियों को प्रबंधित करने के लिये 1993 में मेसर्स केनरा निवेश प्रबन्धन सेवाएं लिमिटेड स्थापित की गयी थी। वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबन्धन कंपनी का 49% शेयर मेसर्स रोबेको समूह एन वी के पक्ष में निवेश किया था जिससे कि केनरा बैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों के प्रबन्धन हेतु एक संयुक्त उद्यम का निर्माण हुआ। तब से ही कंपनी को केनरा रोबेको आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित कर दिया गया था जिसमें 51% शेयर धारिता बैंक के पास थी। कंपनी के प्रबन्धन के तहत 5.27 लाख के निवेशक आधार को कवर करते हुए आस्तियां ₹6421 करोड़ थी। वर्तमान में कंपनी, गोल्ड ईएफटी सहित 29 म्यूचुअल फंड योजनाएं संभाल रही है। वर्ष 2014-15 के लिये कंपनी ने ₹19.42 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

participated in the All England Badminton Championship at Birmingham, United Kingdom, 2015.

Apart from the Teams at the Head Office, Bank is also encouraging sports at the Circle level by allotting annual budget for sports activities, which is monitored by the Circle Sports Council. More than 50% of the Banks sports persons are representing the State in their respective sports discipline.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket' with as many as nine subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures in diversified fields.

To unlock the potential in Subsidiaries, Bank had appointed M/s KPMG Advisory Services Private Limited as consultant for comprehensive assessment and to draw a road map for Subsidiaries/Associates. The accepted recommendations have since been implemented. All the subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the year.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

Canfin Homes Limited, a Sponsored Entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country, with a stake of 43.45%. The Company sanctioned loans amounting to ₹3670 crore and disbursed loans amounting to ₹3346 crore during the year. The loan outstanding as at March 2015 was ₹8238 crore. The Company earned a profit after tax of ₹86.24 crore for the year ended March 2015 and proposed a 70% dividend for the year 2014-15.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

Canara Bank Securities Limited, (formerly Gilt Securities Trading Corporation Limited) has diversified into Capital Market related activities, mainly stock broking since 2007. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives and has a clientele base of 35172. The Company has posted a Profit after tax of ₹6.90 crore for the year ended March 2015 and paid a dividend of 12.50%.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

To manage assets of Canbank Mutual Fund M/s Canbank Investment Management Services Limited was established in 1993. In the year 2007, Canara Bank divested 49% stake of Asset Management Company in favour of M/s Robeco Groep NV forming a joint venture for managing the assets of Canbank Mutual Fund. The Company has since renamed as Canara Robeco Asset Management Company Limited with a majority share of 51% held by the Bank. Assets under Management of the Company was ₹6421 crore with investor base of 5.27 lakhs. The Company is currently managing 29 Mutual Fund Schemes, including Gold EFT. The Company posted a net profit of ₹19.42 crore for the year 2014-15.



केनरा एचएसबीसी ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एचएसबीसी बीमा (एशिया पसेफिक) होल्डिंग लिमिटेड व ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहयोग के साथ बैंक का बीमा संयुक्त उद्यम है। कंपनी सितम्बर 2007 के दौरान निगमित हुई थी और अपना कारोबार परिचालन 16.06.2008 से प्रारंभ किया था। कंपनी में बैंक का 51% की बहुमत शेयरधारण है। वर्ष के दौरान कंपनी ₹1642 करोड़ के कुल कारोबार प्रीमियम तक पहुँचे तथा ₹102.90 करोड़ के संवैधानिक लाभ दर्ज किए।

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

केनबैंक वेंचर पूंजी कोष लिमिटेड, केनबैंक वेंचर पूंजी कोष (सीवीसीएफ) का न्यासी व प्रबन्धक है और बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने कर के बाद ₹6.92 करोड़ के लाभ अर्जित किया है और 1000% के लाभांश का भुगतान किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक फैक्ट्रिंग अनुषंगी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने ₹3072.50 करोड़ का कुल कारोबार टर्नओवर प्राप्त किया है तथा ₹14.80 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2014-15 के लिये कंपनी ने 10% लाभांश प्रस्तावित किया है। भारतीय साख रेटिंग सूचना सेवा (क्रिसिल) ने इनके अल्पावधि ऋण योजना को उच्चतम ए1+ रेटिंग प्रदान किया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड पूरे देश में यह एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित है। केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड मुख्यतया सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास सेवा, प्रशिक्षण / परामर्शदात्री व रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंसी के रूप में कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष दौरान ₹6.51 करोड़ के कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड ने डिब्रीबद्ध खातों के तहत पट्टा किराये की वसूली व अतिदेय की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा अपनी गतिविधियों को प्रतिभूति में पिछले संव्यवहार से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित कर दिया है।

कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (सीआईबीएल)

सीआईबीएल, केनरा बैंक व भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उद्यम है जो अप्रैल, 2004 से मास्को, रूस में कार्यरत है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2015 को कर पश्चात यू एस \$ 1.05 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यथा केरल ग्रामीण बैंक, जो केरल के संपूर्ण 14 जिलों को 565 शाखाओं के साथ कवर करता है तथा पूर्वी कर्नाटक के 11 जिलों में 645 शाखाओं के साथ प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास कुल मिलाकर 1210 शाखाओं व 412 एटीएम का नेटवर्क है। वर्ष के दौरान, दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 73 शाखाएं तथा 135 एटीएम खोले।

यथा मार्च 2015 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समग्र कारोबार 40402 करोड़ है जिसमें जमा के अंतर्गत 20578 करोड़ तथा अग्रिम के अंतर्गत 19824 करोड़ है। 20940 करोड़ के समग्र कारोबार के साथ

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

An Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with internationally reputed HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank Commerce. The Company was incorporated during September 2007 and commenced business operation from 16.06.2008. The Bank has a majority shareholding of 51% in the Company. During the year, the Company reached total business premium of ₹1642 crore and recorded statutory profit of ₹102.90 crore.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly owned Subsidiary of the Bank. The Company recorded a profit after tax of ₹6.92 crore for the year 2014-15 and paid a dividend of 1000%.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank. During 2014-15, the Company achieved a total business turnover of ₹3072.50 crore and earned a profit after tax of ₹14.80 crore. The Company has proposed a 10% dividend for 2014-15. The Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL) has rated its Short Term Debt Programme, the highest 'A1+'.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country. Canbank Computer Services Limited is primarily engaged in IT and Software development services, training / consultancy and registrar and share transfer agency. The Company has achieved a profit after tax of ₹6.51 crore for the year.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA)

Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed accounts.

COMMERCIAL INDO BANK LLC (CIBL)

CIBL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational since April 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of US\$1.05 million as on 31st March, 2015.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBS)

The Bank has two sponsored RRBs viz., Kerala Gramin Bank, which covers entire 14 districts of Kerala with 565 branches and Pragathi Krishna Gramin Bank with 11 districts of eastern Karnataka and 645 branches. RRBs together have a branch network of 1210 and 412 ATMs. During the year, both RRBs have opened 73 branches and 135 ATMs.

The aggregate business of the RRBs as at March 2015 stood at ₹40402 crore, comprising ₹20578 crore under deposits and ₹19824 crore under advances. Kerala Gramin Bank with a total business of ₹20940 crore ranked 1st amongst RRBs, followed by Pragathi Krishna Gramin Bank with



केरल ग्रामीण बैंक का स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच प्रथम रहा, जिसमें हमारा अपना प्रगति किसान ग्रामीण बैंक ₹19462 करोड़ के कारोबार के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत कुल अग्रिम के 60% के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त किया। कुल अग्रिम के अंतर्गत सकल एनपीए व निवल एनपीए 5% के संतोषजनक स्तर से नीचे था।

वर्ष के दौरान, दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ₹284.89 करोड़ का सकल लाभ तथा ₹101.60 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% के अधिमानी मानक से अधिक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस का 100% अनुपालन कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अपने समकक्षी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे हैं। वे अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवा, चेक टंक्शन प्रणाली, ई-केवाईसी तकनीकी, आधार समर्थित सेवा तथा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नबार्ड व जीआईजेड के साथ साझीदारी में मेसर्स एसेस द्वारा संस्थापित **इनक्लुसिव फाइनेंशियल इंडिया अवार्ड-2014** केरल ग्रामीण बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यावयन के लिए प्राप्त हुआ तथा प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक द्वितीय विजेता रहा।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय समावेशन व प्रधान मंत्री जन-धन योजना कार्यावयन की स्थिति

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 884 कारोबार संपर्की (बीसी) व 157 कियोस्क के माध्यम से शाखाओं के अतिरिक्त गांवों में आधारभूत बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं से माध्यम से 22 वित्तीय साक्षरता परामर्शी केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए हैं तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 7.80 लाख से अधिक खाते खोले हैं तथा सभी खाता धारकों को रुपये कार्ड जारी किया। उन्होंने, आवंटित 1847 उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) के सभी घरों को कवर किया है और 375 वार्डों को कम-से-कम एक आधारभूत बैंकिंग खाता व रुपये कार्ड से जोड़ा है। ई-केवाईसी तकनीकी व आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) कार्यावित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच उनका प्रथम स्थान है।

पुरस्कार / प्रशंसा

विभिन्न पहलों के अभिज्ञान में, वर्ष के दौरान बैंक को कई पुरस्कार प्राप्त किए। इनमें से मुख्य पुरस्कार निम्नवत हैं:

- एशिया एचआरडी कॉंग्रेस अवार्ड-2014 के “संगठन को योगदान” श्रेणी के अंतर्गत “एशिया एचआरडी अवार्ड”।
- स्कॉच फाइनेंशियल इन्क्लुशन एंड डीपेनिंग अवार्ड-2014 में “इन्नोवेशन” श्रेणी के अंतर्गत प्लैटिनम अवार्ड।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए निर्देशक संस्थान, भारत द्वारा **गोल्डन पीकॉक पुरस्कार**।
- “कम्प्यूटर शिक्षा व रोजगार प्रवर्तन” के कॉर्पोरेट सामाजिक पहल के लिए शिक्षा 2014 हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय रजत पुरस्कार।
- बेंगलुरु के सर्वोत्तम 50 ब्रांडों के बीच “नम्मा बेंगलुरु बेस्ट ब्रांड” पुरस्कार।
- कॉर्पोरेट सामाजिक पहल के तहत सर्वोत्तम कार्यनिष्ठादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक श्रेणी के अंतर्गत **एस्सोचेम सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड 2014**।

₹19462 crore. Both RRBs achieved the mandated target of 60% of total advances under priority sector lending. Gross NPA and Net NPA levels were below the tolerable level of 5% of total advances.

Both RRBs registered a gross profit of ₹284.89 crore and net profit of ₹101.60 crore during the year. Their capital adequacy ratio is above the mandatory norm of 9%.

RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front. They are extending IT based products, like, Mobile Banking, RuPay Debit Card services, Cheque Truncation System, e-KYC technology, Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT/NGRTGS/AEPS to their customers. Kerala Gramin Bank has received ‘**Inclusive Finance India Award-2014**’ for adaptation and implementation of information technology and Pragathi Krishna Gramin Bank as 2nd runner-up, instituted by M/s Access in partnership with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Implementation of Financial Inclusion and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the sponsored Regional Rural Banks

The sponsored RRBs, in addition to branches, are extending basic banking services to villages through 884 Business Correspondents (BCs) and 157 Kiosks. They have established 22 Financial Literacy Counselling Centers (FLCs) and also organizing financial literacy camps through branches in rural areas.

Under PMJDY both RRBs together opened over 7.80 lakh accounts and issued RuPay Cards to all the account holders. They have covered all households in 1847 Sub-Service Areas (SSAs) and 375 wards allotted to them with at least one basic banking account and RuPay Cards. They are the first amongst RRBs to implement e-KYC technology and Aadhaar enabled Payment System (AEPS).

AWARDS/ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with several awards/accolades. The major awards received are as under:

- “Asia HRD Award” under the category “Contribution to Organization” of the Asia HRD Congress Awards, 2014.
- **Platinum Award** under the category of “Innovation” in the Skoch Financial Inclusion & Deepening Award, 2014.
- **Golden Peacock Award for Corporate Governance** by the Institutes of Directors, India.
- **Pt. Madan Mohan Malviya Silver Award** for Education 2014 for CSR initiative of “Promoting Computer Education and Employment”.
- “**Namma Bengaluru’s Best Brand**” among Bengaluru’s top 50 brands.
- **Assocham Social Banking Excellence Award, 2014** under Public Sector Banks category for excellent performance under Corporate Social Responsibility initiatives.



- चैम्बर ऑफ एमएसएमई (सीआईएमएसएमई), नई दिल्ली द्वारा संचालित “एमएसएमई बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड-2014” । बैंक को अन्य पुरस्कारों के साथ “सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार विजेता” से नवाजा गया ।
- निर्यातकों के प्रवर्तन के लिए सर्वोत्तम समर्थन सेवा प्रदान करने हेतु भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) द्वारा आयोजित “निर्यात बंधु” पुरस्कार ।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, शिल्पकार संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सामुदायिक विकास व महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की उत्तम परियोजना 2014 श्रेणी के अंतर्गत “स्काॅच पुनर्जागरण पुरस्कार 2014” ।
- नए डीमैट खातों को परिचालित करने में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल स्टार परफॉर्मर अवार्ड 2014 तथा खाता वृद्धि में सर्वोत्तम कार्यनिष्ठादक ।
- पब्लिकेशन के लिए भारत की सर्वोत्तम कम्पनियों पर एक आलेख में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के बीच प्रथम स्थान प्रदान किया गया ।
- बीएफएसआई क्षेत्र में एचआर प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मेसर्स डेलॉयट के साथ साझीदारी में बैंकिंग फ्रन्टीयर द्वारा बेस्ट इम्प्लायरिंग प्लेस टू वर्क (सार्वजनिक क्षेत्र) ।
- निदेशक संस्थान, भारत द्वारा गोल्डन पीकाॅक बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड 2015 ।
- पीएमजेडीवाई कार्यालयन के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यनिष्ठादन के लिए मेसर्स उद्योग व्यापार व सेवा संघ द्वारा गठित पीएमजेडीवाई व एक्सलेंस अवार्ड 2015 ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच “आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो व अवार्ड 2015” में 4 पुरस्कार जीते ।
 1. प्रथम रनर अप – “डिजिटल व चैनल प्रौद्योगिकी का बेहतरीन उपयोग” ।
 2. प्रथम रनर अप – “सर्वश्रेष्ठ वित्तीय पहल”
 3. द्वितीय रनर अप – “वर्ष का प्रौद्योगिकी बैंक”
 4. द्वितीय रनर अप – “सर्वोत्तम भुगतान पहल”
- “श्रेष्ठ आवास ऋण” प्रदाता श्रेणी के अंतर्गत आउटलुक मनी अवार्ड 2014 ।
- दलाल स्ट्रीट निवेश जर्नल द्वारा 6ठे पीएसयू अवार्ड में खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत बेहतरीन कार्यनिष्ठादना
- केनरा इ-इंफोबुक के लिए फिनोविटी अवार्ड 2015 ।
- सीबीएस के लिए फिंगर बेस्ड बायोमेट्रिक प्राधिकरण के लिए सेक्योर आईटी 2014 अवार्ड ।
- सबसे अधिक संख्या में रुपये कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 ।
- ‘ग’ क्षेत्र में प्रभावी राजभाषा कार्यालयन के लिए लगातार दो वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार ।
- “MSME Banking Excellence Awards, 2014” organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME) at New Delhi. The Bank has been adjudged as the “Best Bank Award-Winner” among other awards.
- ‘Niryat Bandhu’ instituted by Federation of Indian Export Organisation (FIEO) for excellent support services rendered for the promotion of exports.
- “SKOCH Renaissance Award, 2014” under India’s Best Projects 2014 Category for Rural Self Employment Training Institute, Institute for Artisans, Institute for information Technology, Community Development and Women Empowerment.
- NSDL Star Performer Awards, 2014, for securing first position in mobilizing new Demat Accounts for the second consecutive year and also adjudged Best Performer in Accounts Growth.
- Ranked 1st among Public Sector Banks in an article on India’s Best Companies for CSR published in the “Corporate Dossier” of Economic Times.
- Best Inspiring Place to Work (Public Sector) by the Banking Frontiers in partnership with M/s.Deloitte in an effort to recognize the HR efforts of the BFSI sector.
- Golden Peacock Business Excellence Award, 2015, by the Institutes of Directors, India.
- PMJDY & Excellence Award, 2015 instituted by M/s Federation of Industry Trade & Services (FITS) for best performance under PMJDY implementation.
- Received 4 Awards at ‘IBA Banking Technology Conference, Expo & Awards, 2015’ amongst Public Sector Banks.
 1. First Runners-up- ‘Best use of Digital and Channel Technology’.
 2. First Runners-up- ‘Best Financial Initiative’
 3. Second Runners-up- ‘Technology Bank of the Year’.
 4. Second Runners-up- ‘Best Payments Initiative’
- Outlook Money awards 2014 under ‘The Best Home Loan’ provider category.
- Outstanding Performance under Retail Banking in the 6th PSU Awards – 2014 by Dalal Street Investment Journal.
- Finnoviti Award, 2015 for Canara e-Infobook.
- Secure IT 2014 award for finger print based Biometric Authorization for CBS.
- National Payment Excellence Award, 2014 for highest RuPay Card issuing bank.
- 1st Prize under Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar Yojana for effective implementation of Official Language in Region ‘C’ for two consecutive years in 2012-13 and 2013-14.



बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। वर्ष के दौरान भारिबै के विनियामक आवश्यकताओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों व वर्तमान परिदृश्य में बैंक की आकस्मिक आवश्यकताओं के आलोक में बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु ठोस प्रयास किये गये हैं। तदनुसार, अन्य के बीच, साख जोखिम प्रबन्धन, बाजार जोखिम प्रबन्धन, परिचालक जोखिम प्रबन्धन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन, चलनिधि जोखिम प्रबन्धन, समूह जोखिम प्रबन्धन, देश जोखिम, प्रतिपक्षी बैंक जोखिम, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटन, संपाश्विक प्रबन्धन, तनाव परीक्षण, अनुपालन कार्यो, आपदा पुनर्प्राप्ति और कारोबार सतत आयोजन, कारोबार लाइन, आउटसोर्सिंग और आईसीएएपी, केवाईसी, एएमएल, वसूली, व निवेश के संबंध में नीतियों पर तीक्ष्ण ध्यान केंद्रित किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में वर्ष 2014-15 में निम्न परिवर्तन हैं।

अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकों की कार्य अवधि समाप्त हो गई।

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
श्री आर के दुबे	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	11.01.2013	30.09.2014
श्री सुतानु सिन्हा	अल्पकालिक गैर अधिकारिक निदेशक	17.10.2011	16.10.2014
श्री जी.वी. सम्बसिव राव	कामगार प्रतिनिधि निदेशक	21.10.2011	20.10.2014
श्री अशोक कुमार गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	28.07.2011	31.10.2014
श्रीमती मीना हेमचंद्र	भरिबै नामिती निदेशक	13.10.2011	22.02.2015

निम्नलिखित निदेशकों ने अवधि के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
श्रीमती उमा शंकर	आरबीआई नामिति निदेशक	23.02.2015	अगली आदेश तक
श्री हरिदीश कुमार बी.	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015	31.05.2017

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Group Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing, ICAAP, KYC, AML, Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2014-15 saw the following changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

Tenure of the following Directors on the Board of the Bank ended during the period.

Name	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Shri R K Dubey	Chairman & Managing Director	11.01.2013	30.09.2014
Shri Sutanu Sinha	Part-Time Non-Official Director	17.10.2011	16.10.2014
Shri G V Sambasiva Rao	Workmen representative Director	21.10.2011	20.10.2014
Shri Ashok Kumar Gupta	Executive Director	28.07.2011	31.10.2014
Smt Meena Hemchandra	RBI Nomi-nee Director	13.10.2011	22.02.2015

Following Directors assumed Office during the period.

Name	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
Smt Uma Shankar	RBI Nomi-nee Director	23.02.2015	Until further Orders
Shri Harideesh Kumar B	Executive Director	11.03.2015	31.05.2017



वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के नवनियुक्त निदेशक मंडल का संक्षिप्त ब्यौरा

श्रीमती उमा शंकर

श्रीमती उमा शंकर को 23.02.2015 के प्रभाव से बैंक के निदेशक मंडल में भारिबै के प्रतिनिधि निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। श्रीमती उमा शंकर ने कला संकाय में स्नात्कोत्तर की उपाधि ली है तथा भारतीय बैंक संस्थान में सर्टिफाइड एसोसिएट है।

श्रीमती उमा शंकर ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक में वर्ष 1982 के दौरान सीधी भर्ती वाले ग्रेड बी अधिकारी के तौर पर की तथा चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई व बेंगलूरु कार्यालयों में जारीकर्ता विभाग, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, शहरी बैंक विभाग व भारिबै के अन्य महत्वपूर्ण विभागों में विभिन्न योग्यताओं में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

वर्तमान में वह मुख्य महा प्रबंध, मुद्रा प्रबंधन विभाग, भारिबै, मुम्बई में कार्यरत हैं। इससे पहले वह भारिबै, बेंगलुरु की क्षेत्रीय निदेशक थीं। उन्होंने कॉर्पोरेट बैंक व यूको बैंक के निधक मंडल में भी अपनी सेवा दी है।

श्री हरिदीश कुमार बी

श्री हरिदीश कुमार बी को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 10.03.2015 द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 31.05.2017 तक, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने 11.03.2015 को कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री हरिदीश कुमार बी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से हैं। उन्होंने लॉ में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है तथा वर्ष 1978 में विजया बैंक के साथ अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया।

उन्होंने देशभर में बैंक में विभिन्न योग्यताओं वाले पदों पर कार्य किया है। उनके प्रतिष्ठित कैरियर का 38 वर्ष गोवा, कोलकाता, मुम्बई, अहमदाबाद, बेंगलुरु व दिल्ली में बीता है। उन्होंने बैंकिंग के विभिन्न परिचालनात्मक क्षेत्रों में कार्य किया है तथा एक जानकार व निपुण प्रशासक हैं।

उन्होंने भारत व विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में कई सेमिनारों, सम्मेलनों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिरकत की है।

वे विजया बैंक के चंडीगढ़, बेंगलूरु व दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी रहे। उन्होंने केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के तौर पर नियुक्ति से पहले बैंक के दिल्ली क्षेत्र में महा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2014-15

Smt. Uma Shankar

Smt. Uma Shankar has been nominated on the Board of the Bank with effect from 23.02.2015 as a Director representing RBI. Smt. Uma Shankar holds a Master Degree in Arts and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

Smt. Uma Shankar started her career as a direct recruit Grade B Officer in RBI in the year 1982 and held important posts in various capacities in the Issue Department, Banking Department, Department of Banking Supervision, Urban Banks Department and other important departments of RBI in Chennai, Hyderabad, Mumbai and Bengaluru Offices.

She is presently working as Chief General Manager, Department of Currency Management, RBI, Mumbai. Prior to this she was the Regional Director of RBI, Bengaluru. She also served on the Boards of Corporation Bank and UCO Bank earlier.

Shri Harideesh Kumar B

Shri Harideesh Kumar B has been appointed as Executive Director of the Bank with effect from the date of his assumption of charge of the post upto 31.05.2017, the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier, vide Government of India Notification dated 10.03.2015. He has taken over charge on 11.03.2015.

Shri Harideesh Kumar B hails from Dakshina Kannada district of Karnataka. He is a Post Graduate with a Degree in Law and started his banking career with Vijaya Bank in the year 1978.

He has worked in various capacities in the bank across the country. His distinguished career of 38 years spans across Goa, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru and Delhi. He has worked in various operational areas of banking and is a knowledgeable and an able administrator.

He has attended various seminars, conferences and training programmes at reputed institutions in India and abroad.

He was in charge of Vijaya Bank's Regional offices at Chandigarh, Bengaluru and Delhi. He was heading the Bank's Delhi Region as General Manager prior to joining Canara Bank as Executive Director.



निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

निदेशक, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

धन्यवाद

अपने सभी हितधारकों यानि शेयरधारकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कर्मचारियों व मुख्य रूप से जनता को अधिकतम प्रतिफल देने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए।

संरक्षण के लिए ग्राहकों, सहयोग के लिए शेयरधारकों, मूल्यवान मार्गदर्शन व सहयोग के लिए सरकारी प्राधिकारियों व भारतीय रिज़र्व बैंक, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, सहयोग व साख के लिए देश व विदेश में बैंक के संपर्ककर्ताओं और विकास व तरक्की की इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी कर्मचारी सदस्यों की बोर्ड प्रशंसा करना चाहता है।

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक

(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Bank made several initiatives to maximize rewards for all its stakeholders, viz., shareholders, customers, investors, Government, RBI, employees and the public at large.

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all staff members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

PRADYUMAN SINGH RAWAT

EXECUTIVE DIRECTOR

(ADDITIONAL CHARGE AS MANAGING DIRECTOR & CEO)



करोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2014-15

(सूचीकरण समझौता की धारा 55 के अंतर्गत)

1. कंपनी के कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – लागू नहीं
2. कंपनी का नाम : केनरा बैंक
3. पंजीकृत पता : केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूरु – 560002
4. वेबसाइट: www.canarabank.com
5. ई-मेल : edscrt2@canarabank.com
6. सूचित वित्तीय वर्ष : 2014-15
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (उद्योग क्रियाकलाप कूट वार) : वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग
8. कंपनी द्वारा निर्मित / उपलब्ध कराए जा रहे तीन उत्पाद / सेवाएं:
1. थोक बैंकिंग, 2. खुदरा बैंकिंग, 3. ग्रामीण व कृषि बैंकिंग
9. कंपनी द्वारा कितने स्थानों पर क्रियाकलाप किया जा रहा है

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (7 मुख्य स्थल बताएं)

जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रिका), न्यू यार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), लंदन व लीसेस्टर (यू के), हांगकांग व शंघाई (चीनी जनवादी प्रजातंत्र) तथा बहरीन (मनामा)

उपरोक्त उल्लिखित स्थानों के अलावा, बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में है एवं मास्को, रूस में संयुक्त उद्यम बैंक है यथा, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी।

ii. कुल राष्ट्रीय स्थलों की संख्या: 5675

10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने के मार्केट – बिन्दु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय

उपरोक्त उल्लिखित स्थानों के अलावा, बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में है एवं मास्को, रूस में संयुक्त उद्यम बैंक है यथा, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी।

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (₹में) ₹475.20 करोड़
2. कुल करोबार (₹में) : कुल करोबार ₹803876 करोड़ (कुल जमाएं: ₹473840 करोड़ + निवल अग्रिम ₹330036 करोड़)

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT – 2014-15

(Under Clause 55 of Listing Agreement)

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company: Not Applicable
2. Name of the Company: Canara Bank
3. Registered Address: Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560002
4. Website: www.canarabank.com
5. E-mail id: edscrt2@canarabank.com
6. Financial Year Reported: 2014-15
7. Sector(s) that the Company is engaged in (Industrial activity code-wise):
Financial Services, mainly banking.
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet):
1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company

i. Number of International Locations (Provide details of major 7)

Johannesburg (South Africa), New York (United States of America), London and Leicester (UK), Hong Kong and Shanghai (People's Republic of China) and Bahrain (Manama).

Besides Locations mentioned above, the Bank has a representative office at Sharjah, UAE and a Joint venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC.

ii. Number of National Locations: 5675

10. Markets served by the Company – National and International Market as mentioned under point number 9 (i).

Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE and a Joint Venture Bank in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR): ₹475.20 crore
2. Total Turnover (INR): Total Business: ₹803876 crore (Total Deposits: ₹473840 crore + Net Advances: ₹330036 crore)



- कर पश्चात कुल लाभ (₹ में) : ₹2703 करोड़
- कर पश्चात लाभ का कितना प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च: (%) : मंजूरीकृत परियोजना 2.48% : संवितरण: 1.12%
- वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर के तहत मंजूर गतिविधियों की सूची:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	प्रायोजित संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि
ए	शिक्षा	395	1296.87	424.67
बी	स्वास्थ्य	136	379.88	290.71
सी	गरीबी और पोषण	25	268.56	17.91
डी	विकलांग व्यक्तियों व वृद्धावस्था	39	254.26	85.93
ई	कला और संस्कृति	2	20.00	10.00
एफ	कौशल विकास	7	2121.00	1348.35
जी	पर्यावरण सुरक्षा	12	11.10	11.10
एच	ग्रामीण विकास	11	1852.84	515.94
आई	महिला सशक्तिकरण	396	60.00	50.00
जे	वित्तीय साक्षरता	63	440.00	285.00
	कुल	1086	6704.51	3039.61

स्वीकृत प्रायोजन का खंड वार वर्गीकरण :

ए) शिक्षा (₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	महिला कॉलेज, चिकबल्लापुर	कॉलेज भवन का निर्माण	144.00	0.00
2	महिला कॉलेज, चिकबल्लापुर	हाईटेक पुस्तकालय का निर्माण	59.50	0.00
3	जीएसएसएस चैरिटेबल फाउंडेशन	प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु कंप्यूटर	1.32	1.32

- Total profit after taxes (INR): ₹2703 crore
- Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%): Sanctioned projects 2.48% Disbursement 1.12%
- List of activities sanctioned under CSR during 2014-15:

(₹ in lakh)

Sl No.	Activity	No. of Sponsorships	Amount Sanctioned	Amount Disbursed
a	Education	395	1296.87	424.67
b	Health	136	379.88	290.71
c	Poverty & Nutrition	25	268.56	17.91
d	Persons with Disability (PwD)& Old age	39	254.26	85.93
e	Art & Culture	2	20.00	10.00
f	Skill Development	7	2121.00	1348.35
g	Environment Protection	12	11.10	11.10
h	Rural Development	11	1852.84	515.94
i	Women Empowerment	396	60.00	50.00
j	Financial Literacy	63	440.00	285.00
	Total	1086	6704.51	3039.61

Segment-wise classification of Sponsorships sanctioned:

a. Education (₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount spent
1	Womens' college, Chikkaballapur	Construction of college building	144.00	0.00
2	Womens' college, Chikkaballapur	Construction of hitech library	59.50	0.00
3	GSSS Charitable Foundation, Bengaluru	Computers for training centres	1.32	1.32



4	सौंडा स्वर्णवल्ली विद्या सम्स्थ, हुबली	दो कक्षा गृहों का निर्माण	10.00	0.00
5	एमएचएन सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, हुबली	10 डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराये गये	3.30	3.30
6	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट मैसूर	वीएलईएडी मैसूर में कार्यक्रम	9.00	4.5
7	श्री अखिला हवयक महा सभा, बेंगलूरु	पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	10.00	4.00
8	माध्यमिका शिक्षण प्रसार समिति, हुबली	विद्यालयों हेतु सौर प्रकाश और वॉटर हीटर	1.36	1.17
9	हायर प्राइमरी स्कूल, बलेसारा		0.93	0.93
10	एमएसवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेंगलूरु	कक्षा गृह का निर्माण	10.00	10.00
11	श्री संगामेश्वरा कन्नड हायर प्राइमरी स्कूल, बेंगलूरु	भोजन और प्रार्थना कक्ष का निर्माण	9.20	3.94
12	मांझा जिला प्रशासन - मांझा	बनानगाडी में सरकारी स्कूलों का नवीकरण	5.0	0.00
13	गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, बंडल, हुबली	स्कूल हेतु 4 कंप्यूटर व समान	1.72	1.72
14	श्री गजानन विद्यावर्धक संघ, सम्पाखंड, सिरसी	स्कूलों को 8 चैनल सीसीटीवी प्रणाली उपलब्ध कराना	1.15	1.15
15	सेल्को फाउंडेशन, उत्तर कन्नड जिला	15 सरकारी स्कूलों में ई-शाला	7.05	0.00
16	श्री विवेकानन्द शैक्षणिक संस्थान, हुविनाहदगल्ली	स्कूल बस स्वराज मजदा उपलब्ध कराना	14.23	14.22
17	रास्ट्रोथन परिषद, बेंगलूर	विज्ञान लैब की स्थापना	14.25	0.00

4	Sonda Swarnavalli vidya samsthe, Hubli	Construction of two class rooms	10.00	0.00
5	MHN Govt. Pre University College, Hubli	Provided 10 desktop computers	3.30	3.30
6	Swamy Vivekananda Youth Movement Mysore	Programme at VLEAD Mysore	9.00	4.5
7	Sri Akhila Havyaka Mahasabha, Bengaluru	Construction of library room	10.00	4.00
8	Madhyamika Shikshana Prasara Samithi, Hubli	Solar lighting and water heater for schools	1.36	1.17
9	Higher Primary school, Balesara	Computers and LCD portable projector	0.93	0.93
10	MSV Group of Institutions, Bengaluru	Construction of class rooms	10.00	10.00
11	Sri Sangameshwara Kannada Higher Primary school, Bengaluru	Construction of dining and prayer hall	9.20	3.94
12	Mandya Dist. Admn - Mandya	Renovation of Govt. school at Banangadi	5.0	0.00
13	Government Higher Primary school, Bandal - 4 computers and accessories for school, Hubli	4 computers and accessories for school	1.72	1.72
14	Sri Gajanana Vidyavardhaka Sangha, Sampakhand Sirsi - providing 8 channel CCTV system to school, Sirsi	Providing 8 channel CCTV system to school	1.15	1.15
15	SELCO Foundation - E shala at 15 Govt. schools, Uttara Kannada dist.	E-shala at 15 Government schools	7.05	0.00
16	Sri Vivekananda Educational Institute, Huvinahadagali	Providing school bus Swaraj Mazda	14.23	14.22
17	Rastrothan Parishad, Bengaluru	Setting up Science lab	14.25	0.00



18	दिव्य दीप चैरिटेबल ट्रस्ट, मैसूर	हॉस्टल व कक्षा में ई-लर्निंग सुविधा व सौर प्रकाश	9.47	0.00
19	बीम ग्रामीण विकास संगठन	ग्रामीण सरकारी स्कूल छात्रों को अनुपूरक शिक्षा कार्यक्रम	4.32	0.00
20	श्री प्रसन्ना रामेश्वर ग्रामीण शिक्षा समिति, होसादुर्गा - शिवमोगा	स्कूलों को कंप्यूटर उपलब्ध कराना	10.00	0.00
21	मालेनाडु शिक्षा व ग्रामीण विकास समिति, सिरसी	चन्दना स्कूल को स्कूल बस	10.00	10.00
22	श्रीदेवी शिक्षण समिती, हुलीकल	कक्षा का निर्माण	9.90	0.00
23	समन्वय ट्रस्ट बन्दागद्दे	बाल भारती हायर प्राइमरी स्कूल में ऑडिटोरियम का निर्माण	9.95	0.00
24	जुबली शिक्षा फंड, बैंगलूरु	बुक बैंक हेतु कॉर्पस	10.00	10.00
25	भारत लोक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	एकल स्कूलों को अपनाया जाना	4.00	0.00
26	साबरमती आश्रम, अहमदाबाद	प्रशिक्षुओं हेतु शौचालय का निर्माण	56.05	56.05
27	गुजरात गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, गुजरात	सरकारी कॉमर्स कॉलेज में स्मार्ट क्लास की स्थापना	4.81	4.81
28	प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, फरीदाबाद	450 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा	10.00	10.00
29	मनी लाइफ फाउंडेशन, मुम्बई	वित्तीय साक्षरता व क्रेडिट हेल्पलाइन	9.60	0.00
30	टी एम आचार्य स्मारक ट्रस्ट, वडादरा	लड़कियों हेतु छात्रावास	10.00	10.00
31	श्री किशन सोमानी स्कूल, लातूर	ई-शाला स्मार्ट कक्षा	9.54	0.00
32	जिला प्रशासन, त्रिचूर	कौशल विकास हेतु 50 कंप्यूटर उपलब्ध कराये गये	7.50	7.50
33	सरस्वती शिशु मन्दिर, मेरठ	स्कूल हेतु कंप्यूटर	13.27	13.27
34	सरस्वती हेमचन्द त्यागी सरस्वती विद्या मन्दिर मेरठ	स्कूल बस	9.95	9.95

18	Divya Deep Charitable trust , Mysore	E Learning facilities and solar lighting to hostels and classrooms	9.47	0.00
19	Beem Rural Development Organisation – supplementary education programme to Rural Govt. school children, Bengaluru	Supplementary education programme to Rural Govt. school children	4.32	0.00
20	Sri Prasanna Rameshwara Rural Education Society, Hosadurga – Shimoga	Providing computers to school	10.00	0.00
21	Malenadu Education & Rural Dev.society, Sirsi	School bus to Chandana school	10.00	10.00
22	Sridevi Shikshana Samsthe, Hulikal	Construction of class rooms	9.90	0.00
23	Samanvaya Trust Bandagadde	Construction of Auditorium at Balabharathi Higher Primary school	9.95	0.00
24	Jubilee Education Fund, Bengaluru	Corpus fund for book bank	10.00	10.00
25	Bharat Lok Shiksha Parishad, New Delhi	Adoption of Ekala schools	4.00	0.00
26	Sabarmati Ashram, Ahmedabad	Construction of toilets for trainees	56.05	56.05
27	Gujarat Govt Commerce College, Gujarat	Setting up of smart class in Govt Commerce college	4.81	4.81
28	Prayas Social Welfare Society , Faridabad	Free education to 450 students	10.00	10.00
29	Money Life Foundation, Mumbai	Financial literacy and credit helpline	9.60	0.00
30	T M Acharya Smarak Trust, Vadodara	Hostel for girls	10.00	10.00
31	Shri Kishan Somani School, Latur	E shala smart class rooms	9.54	0.00
32	District Administration, Trichur	Provided 50 computers for skill development	7.50	7.50
33	Saraswathi Shishu Mandir, Meerut	Computers for schools	13.27	13.27
34	Saraswati Hemchand Tyagi Saraswati Vidya Mandir Meerut	School bus	9.95	9.95



35	अक्षय ज्ञान विकास संस्थान, लखनऊ	गर्ल्स अक्षर ज्योति बीटीसी एकेडमी हेतु शौचालय का निर्माण	3.00	0.00
36	फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी, कोयम्बतूर	एकल स्कूल को अपनाया जाना	4.00	0.00
37	डिंडिगुल व मदुरै जिले में स्वच्छ विद्यालय अभियान	डिंडिगुल व मदुरै जिले में 200 सरकारी स्कूलों में लडकियाँ हेतु शौचालय	500.00	0.00
38	सरकारी ट्राइबल रेसिडेंशियल प्राइमरी स्कूल, करुमन्दुरै, सेलम	सौर प्रकाश प्रणाली व आरओ वाटर प्लांट की स्थापना	7.75	0.00
39	शौचालय का निर्माण – स्कूलों में, पुर्णिया	स्कूलों में शौचालय का निर्माण	2.6	2.6
40	ग्रामीण विकास न्यास, अनंतपुर	दो स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	10.00	0.00
41	जिला प्रशासन भ कडलूर	कडलूर जिले में सरकारी हाई स्कूल में इनसिनेरेटर्स की स्थापना	2.06	0.00
42	सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज, मसूरी	कंप्यूटर की खरीद	0.74	0.74
43	सभी अंचलों में कार्यावित्त केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति	अ.जा./अ.ज.जा. छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति	124.60	153.00
44	अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलूरु	25 पीजी छात्रों को छात्रवृत्ति	31.25	0.00
45	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	फर्नीचर मद, डेस्क व बेंच, कंप्यूटर, वाटर प्यूरीफायर, नोटबुक, बैग, आदि	110.50	90.50
	कुल		1296.87	424.67

35	Akshay Gyan Vikas Sansthan, Lucknow	Construction of toilets for girls Akshar Jyothi BTC Academy	3.00	0.00
36	Friends of tribal society, Coimbatore	Adoption of Ekala schools	4.00	0.00
37	Swachha Vidyalaya campaign Dindigul and Madurai dists.	Toilet for girls in 200 Govt. schools in Dindigul and Madurai dists	500.00	0.00
38	Govt. Tribal Residential Primary School, Karumandurai, Salem	Installation of solar lighting system and RO water plant	7.75	0.00
39	Construction of toilets –at Schools, Purnea	Construction of toilets at Schools	2.6	2.6
40	Rural Development Trust Ananthapur	Construction of two school buildings	10.00	0.00
41	District Administration, Cuddalore	Installation of incinerators to Govt. High school in Cuddalore dist.	2.06	0.00
42	Sanathan Dharma Girls College, Mussorie	Purchase of computers	0.74	0.74
43	Canara Vidya Jyothi scholarship Implemented in all circles	Scholarship to SC/ST girls students	124.60	153.00
44	Ajim Premji University, Bengaluru	Scholarship to 25 PG students	31.25	0.00
45	Various branches of Canara Bank	Furniture items, Desk & benches, computers, water purifier, note books, bags etc.,	110.50	90.50
	Total		1296.87	424.67

बी) स्वास्थ्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	जयदेवा इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी – कार्डियक कैथलैब	कार्डियक कैथलैब की स्थापना	75.00	75.00

b. Health

(₹ in lakh)

Sl No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount spent/debited
1	Jayadeva Institute of Cardiology – cardiac cathlab	Installation of cardiac cathlab	75.00	75.00



2	लॉयंस आई हॉस्पिटल, बरकुर	उपकरण व जनरेटर	9.64	9.64
3	गोरागुंटेपाल्या यूथ एसोसिएशन	रक्त-दान कैम्प	0.10	0.10
4	प्रज्ज्वल एम नायक, योगासना	अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी	0.40	0.40
5	टीएसएस श्रीपद हेगडे कदावे इंस्टिट्यूट	अस्पताल हेतु एम्बुलेंस	10.00	10.00
6	मेसर्स अर्काज्योति वेलफेयर ट्रस्ट	ओल्ड एज होम को सहायता	5.00	0.00
7	नेम्माडी श्री लक्ष्मीनरसिम्हा ट्रस्ट	ओल्ड एज होम सुविधाएं	7.54	6.70
8	सन्ध्या दीप बेंगलूरु	रोगियों हेतु साइड रैक	0.50	0.50
9	ओमाश्रम ट्रस्ट	ईको वाहन की खरीद	3.80	3.80
10	फोसा – मानवीय अस्पताल आरवीएम फाउंडेशन	ईको व हेमोडायलिसिस मशीन	9.90	9.90
11	विठ्ठल इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑप्टल्मोलॉजी	उन्नत नेत्र देखभाल का नवीनीकरण “नयन”	9.20	9.20
12	केनरा बैंक राहत व कल्याण समिति	सेवाक्षेत्र अस्पताल हेतु उपकरण	40.00	20.15
13	इंडियन रेड क्रॉस समिति, पुणे	मेमोग्राफी इकाई	28.00	17.40

2	Lions Eye Hospital, Barkur	Equipments and generator	9.64	9.64
3	Goraguntepalya Youth Association	Blood donation camp	0.10	0.10
4	Prajwal M Nayak, Yogasana	Participation in International competition	0.40	0.40
5	TSS Shripad Hegde Kadave Institute	Ambulance for hospital	10.00	10.00
6	M/s Arkajyothi Welfare Trust	Assistance to old age home	5.00	0.00
7	Nemmadi Sri Lakshminarasimha Trust	Old Age home amenities	7.54	6.70
8	Sandya Deepa Bengaluru	Side rack for patients	0.50	0.50
9	Omathram Trust – purchase of Eco vehicle	Purchase of Eco vehicle	3.80	3.80
10	FOSA – Humanitarian hospital RVM Foundation	Eco and Haemodialysis machine	9.90	9.90
11	Vittala International Institute of Ophthalmology	Refurbishment of Advanced eye care unit “Nayana”	9.20	9.20
12	Canara Bank Relief & Welfare society	Equipments for Sevakshetra hospital	40.00	20.15
13	Indian Red Cross, Society, Pune	Mammography unit	28.00	17.40



14	मलाबार कैंसर सेंटर, टेलीचेरी	टेम्पो ट्रेवेलर की खरीद	9.35	9.35
15	अनुग्रह चैरिटेबल ट्रस्ट, एरणाकुलम	मारुति ईको ऐम्बुलेंस की खरीद	4.40	4.40
16	नवूथन चैरिटेबल फाउंडेशन	मोबाइल कैंसर यूनिट	10.00	10.00
17	जिला अस्पताल एरणाकुलम	कैंसर उपचार हेतु रेखीय त्वरक	25.00	0.00
18	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भुवनेश्वर	कटक ब्लड बैंक हेतु उपकरण	7.88	0.00
19	ग्लोबल कैंसर मिशन, मुम्बई	कैंसर जागरूकता कैम्प	7.50	7.50
20	सरकारी जिला अस्पताल, करुर	उपसाधन के साथ फोर्स कूजर वाहन	6.51	6.51
21	श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, तिरुपति	ऐम्बुलेंस प्राप्त करना	14.80	14.80
22	स्वामी विवेकानन्द इंस्टिट्यूट, पावगडा	मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट	14.36	14.36
23	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	हेल्थ चेक अप कैम्प, रक्तदान कैम्प, डेंटल चेक अप कैम्प आयोजित करना, अस्पतालों को मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना आदि	81.00	61.00
	कुल		379.88	229.71

14	Malabar Cancer centre, Tellicherry – Tempo traveller	Purchase of tempo traveller	9.35	9.35
15	Anugraha Charitable Trust, Ernakulam – Maruthi Eeco ambulance	Purchase of Eeco ambulance	4.40	4.40
16	Navoothan Charitable Foundation	Mobile cancer unit	10.00	10.00
17	District Hospital Ernakulam	Linear Accelerator device for cancer treatment	25.00	0.00
18	Indian Red Cross Society, Bhubaneswar	Equipments for Cuttack blood bank	7.88	0.00
19	Global cancer mission, Mumbai	Cancer awareness camps	7.50	7.50
20	Government District Hospital, Karur	Force cruiser vehicle with accessories	6.51	6.51
21	Sri Venkateshwara Ramnarayan Ruia Govt. General Hospital, Tirupati	Procuring Ambulance	14.80	14.80
22	Swami Vivekananda Institute, Pavagada	Mobile Health care unit	14.36	14.36
23	Various branches of Canara Bank	Conducting health check up camps, blood donation camps, dental check up camps, providing medical instruments to hospitals etc.,	81.00	61.00
	Total		379.88	229.71



सी) गरीबी व पोषण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	अक्षयपात्रा फाउंडेशन, बेंगलूरु	स्वचालित रसोई गृह की स्थापना	250.00	0.00
2	के एस आर टी आई, मैसूर	अनुसंधान सहायता प्रदत्त आदिवासियों के लिए चार पहिया वाहन	8.84	8.84
3	सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट एन्नी, बेंगलूरु	फर्निचर व सौर प्रकाश प्रणाली	2.32	2.32
4	निवासा - थिम्मायानडोड्डी	घरों हेतु धूम्ररहित स्टोव	0.65	0.00
5	श्री साई आध्यात्मिक केन्द्र, बेंगलूरु	स्कूल छात्रों को भोजन देने हेतु अल्युमीनियम कंटेनर सहित डिलीवरी वैन	6.75	6.75
	कुल		268.56	17.91

c. Poverty & Nutrition:

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount spent
1	Akshayapatra Foundation, Bengaluru	Setting up of Automated kitchen	250.00	0.00
2	KSRTI, Mysore	Four wheeler for research assisted tribals	8.84	8.84
3	Sisters of charity of St Anne, Bengaluru	Furniture and solar lighting system	2.32	2.32
4	Nivasa - Thimmayandoddi	Smokeless stoves to households	0.65	0.00
5	Sri Sai Spiritual centre, Bengaluru	Delivery van with aluminium container for feeding for school children	6.75	6.75
	Total		268.56	17.91

घ. विकलांग (पी डब्ल्यू डी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	स्नेहदीप ट्रस्ट	नेत्रहीन छात्रों हेतु कंप्यूटर	5.35	5.35
2	श्री रमन्ना महर्षि एकेडमी फॉर ब्लाइंड, बेंगलूरु	बाथरूम / टॉयलेट का निर्माण	2.05	2.05
3	केनरा बैंक राहत व कल्याण समिति	सेवाक्षेत्र अस्पताल हेतु ब्रेल प्रतिलेखन केंद्र उपकरण	42.50	0.00

d. Persons With Disability (PWD):

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount Sanctioned	Amount spent
1	Snehadeep Trust, computers for blind children	Computers for blind children	5.35	5.35
2	Shree Ramana Maharshi Academy for Blind Bengaluru	Construction of bathroom/ toilets	2.05	2.05
3	Canara Bank Relief & Welfare society	Braille transcription centre equipments for Sevashetra hospital	42.50	0.00



4	कर्नाटक पैरेंट्स एसोसियेशन फॉर मेंटली रिटारडेड सिटिज़ेन (केपीएमआरसी)	मेंटली रिटारडेड व्यक्तियों हेतु बिल्डिंग का निर्माण	10.00	0.00
5	एसोसियेशन फॉर मेंटली चैलेंज, बाथरूम / टॉयलेट का नवीकरण		5.20	0.00
6	सेवा निकेतन रायपुर	विकलांग हेतु प्रशिक्षण व पुनर्वास केन्द्र का निर्माण	70.00	33.93
7	एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लुजन, नई दिल्ली	कैरियर विकास कक्ष की स्थापना	59.56	0.00
8	एलिमको - कृत्रिम अंग निर्माण को., कानपुर	कृत्रिम अंग का संवितरण	30.00	30.00
9	जयदीबन - स्पोर्ट्स बेंगलूरु	अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खेल किट	0.10	0.10
10	केनरा बैंक की विभिन्न शाखाएं	शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षमों के लिये सहायता, वाहन, उपकरण, आदि प्रदान करना	29.50	14.50
	कुल		254.26	85.93

ड. कला व संस्कृति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	मंजूरित राशि	संवितरित राशि
1	श्री मस्ती वेंकटेश आयरंगर रंग मन्दिर	रंग मन्दिर का नवीकरण	10.00	0.00
2	डॉ. चूडामणि नन्दगोपाल	छवि बनाने की कला	10.00	10.00
	कुल		20.00	20.00

4	Karnataka Parents Association for Mentally Retarded Citizens (KPAMRC)	Construction of building for mentally retarded persons	10.00	0.00
5	Association for mentally challenged , Renovation of bathrooms/toilets	Renovation of bathrooms/ toilets	5.20	0.00
6	Seva Niketan Raipur - construction of training and rehabilitation center for disabled	Construction of training and rehabilitation centre for disabled	70.00	33.93
7	Action for Ability Development & inclusion, New Delhi	Setting up of career development cell	59.56	0.00
8	ALIMCO - Artificial Limb Manufacturing Co., Kanpur	Distribution of artificial limb	30.00	30.00
9	Jayadeeban - sports, Bengaluru	Sports kit for International competition	0.10	0.10
10	Various branches of Canara Bank	Assistance to physically/ mentally challenged, providing vehicles, equipments, etc.,	29.50	14.50
	TOTAL		254.26	85.93

e. Art & Culture:

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount spent/ debited
1	Sri Masthi Venkatesh Iyengar Ranga Mandira	Renovation of Ranga Mandira	10.00	0.00
2	Dr Choodamani Nandagopal	Art of Image making	10.00	10.00
	Total		20.00	20.00



च. कौशल विकास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	संवितरित राशि
1	विकासना आईआईएमबी सोशल सर्विस क्लब	कौशल विकास कार्यशाला	3.00	0.00
2	रोटरी क्लब ऑफ बेंगलूरु, लेकसाइड	बीआरईटी सॉल्यूशन के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग	10.00	0.00
3	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (रूडसेटी)	संपूर्ण भारतवर्ष में 26 आरसेटी, 3 आर्टिशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट व 5 सीबीआईआईटी को प्रशिक्षण लागत उपलब्ध कराना	1468.00	1050.00
4	ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)	संपूर्ण भारतवर्ष में सभी 27 आरयूडीसेटी का 40% प्रशिक्षण व्यय	580.00	260.00
5	देशपांडे ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (डी रूडसेटी), हलियल	देशपांडे आरयूडीसेटी, हलियल के प्रशिक्षण व्यय का 50% उपलब्ध कराना	50.00	38.26
6	आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण व उद्यमिता विकास बैंकर्स संस्थान (एपीबीआईआरईडी)	एपीबीआईआरईडी संस्थान के प्रशिक्षण लागत का 10% उपलब्ध कराया जाना	10.00	0.09
	कुल		2121.00	1348.35

छ. पर्यावरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	संवितरित राशि
1	कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजी, गोवा – टाटा टिपर	शहर की सफाई का उद्देश्य	10.00	10.00
2	पर्यावरण संरक्षण संस्थान	अभियान आयोजित करना	1.10	1.10
	कुल		11.10	11.10

f. Skill Development:

(₹ in lakh)

SI No.	Project/Activity	Purpose	Amount	Amount spent/debited
1	Vikasana IIMB social service club	Skill development workshop	3.00	0.00
2	Rotary Club of Bengaluru Lakeside	Online coaching through BReT solutions	10.00	0.00
3	Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRD)	Providing training cost of 26 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBITs all over India	1468.00	1050.00
4	Rural Development & Self Employment training institute(RUDSETI)	40% training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	580.00	260.00
5	Deshpande Rural Development Training Institute (DRUDSETI), Haliyal	Providing 50% of training expenditure of Deshpande RUDSETI, Haliyal	50.00	38.26
6	Andhara Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Dev (APBIRED)	Providing 10% of training cost of the APBIRED Institute	10.00	0.09
	Total		2121.00	1348.35

g. Environment:

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount spent/debited
1	Corporation city of Panaji, Goa – Tata tipper	City cleaning purpose	10.00	10.00
2	Environment Protection Institute	Organising campaigns	1.10	1.10
	Total		11.10	11.10



ज) ग्रामीण विकास

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दान ग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि	संवितरित राशि
1	केएवीएफएस, बिदर	पशु चिकित्सा देखभाल हेतु मोबाइल वैन	3.82	3.82
2	देशपांडे रूडसेटी हलियल	स्वयं सहायता समूह के घरों हेतु सौर लालटेन	30.00	0.00
3	श्रीलक्ष्मी नरसिम्हा ट्रस्ट, मुरुल्या	वाटर टैंक का निर्माण	2.00	0.00
4	रामनगर आरओ वाटर प्लांट, सिरसी	आरओ वाटर प्लांट स्थापना	7.40	0.00
5	विकास फाउंडेशन हेतु पहल, (आईडीएफ)	बेलगाम में फोर्ड ऊष्मायन केन्द्र	8.44	0.00
6	चिनाकरिहल्ली वक्कालेगेरे कादुर हुबली चिकमंगलूर	जिले में सड़क व जलनिकास का निर्माण	8.75	0.00
7	टीआरआईएफडी - ट्राइबल हनी हंटर को प्रशिक्षण	ट्राइबल हनी हंटर को प्रशिक्षण	2.02	2.02
8	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै	टेम्पो ट्रेवेलर ऐम्बलेंस	9.51	0.00
9	रसिपुरम नगर-पालिका - सेलम	श्मसान का निर्माण	5.00	0.00
10	अनंतपुर जिला प्रशासन	5 गाँवों में आरओ प्लांट	10.00	0.00
11	द एसोसियेशन ऑफ कैथोलिक पोर्ट ब्लेयर	ग्रामीण समुदाय विकास हेतु महिन्द्रा बोलेरो वाहन	7.90	7.90
12	आरओ पेय जल संयंत्र	कोलार व चिकबल्लापुर जिले के 217 गाँवों में आरओ पेय जल प्लांट की स्थापना	1758.00	91.89

h. Rural Development:

(₹ in lakh)

SI No.	Name of Donee	Purpose	Amount	Amount spent/debited
1	KAVFS Bidar	Mobile van for veterinary care	3.82	3.82
2	Deshpande RUDSETI, Haliyal	Solar lanterns to rural self help group households	30.00	0.00
3	Sri Lakshmi Narasimha Trust, Murulya	Construction of water tank	2.00	0.00
4	Ramnagar RO water plant, Sirsi	RO water plant installation	7.40	0.00
5	Initiatives for Development Foundation, (IDF)	Ford Incubation centre at Belgaum	8.44	0.00
6	Construction of Road & Drainage in Chinakarihally Vakkalegere Kadur hobli Chickmagalur Dist.	Construction of Road and Drainage	8.75	0.00
7	TRIFED - training to Tribal Honey Hunters	Training to tribal honey hunters	2.02	2.02
8	Tamilnadu Agricultural University, Madurai	Tempo traveler ambulance	9.51	0.00
9	Rasipuram Municipality - Salem	construction of crematorium	5.00	0.00
10	Ananthapur District Administration	RO plant in 5 villages	10.00	0.00
11	The Association of Catholic Port Blair	Mahindra Bolero vehicle for rural community development	7.90	7.90
12	RO drinking water plants	Installation of RO drinking water plants in 217 villages in Kolar & Chikballapur dist.	1758.00	91.89



13	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (केनरा ग्रामोद्योग योजना)	गोद लिये गये 63 गाँवों में समग्र विकास		410.31
	कुल		1852.84	515.94

13	Integrated village development programme (Canara Gramodaya scheme)	Holistic development in adopted 63 villages		410.31
	Total		1852.84	515.94

आई) महिला सशक्तिकरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना/ गतिविधि	उद्देश्य	राशि	संवितरित राशि
1.	केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय महिला उद्यमिता विकास केन्द्र	महिलाओं हेतु उद्यमी विकास कार्यक्रम, परामर्शी सेवाएं, महिला उद्यमियों हेतु विपणन कैम्प आउटलेट आयोजित करना	60.00	50.00

i. Women Empowerment :

(₹ in lakh)

Sl No.	Project/ Activity	Purpose	Amount	Amount spent/debited
1.	Canara Bank's Head office, Circle offices CEDW centres	Organizing entrepreneurship development programmes to women, counseling of women, organizing marketing camps outlets for women entrepreneurs	60.00	50.00

जे) वित्तीय साक्षरता:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना/ गतिविधि	उद्देश्य	राशि	संवितरित राशि
1.	65 केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)	जनता को निःशुल्क परामर्शी सेवाएं देने हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर 65 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले गए	440.00	285.00

j. Financial Literacy :

(₹ in lakh)

Sl No.	Project/ Activity	Purpose	Amount	Amount spent/debited
1.	Financial literacy centres at 65 centres (FLC)	65 Financial literacy centres opened at District/block levels for giving free counseling to public	440.00	285.00

भाग ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां, एक सहयोगी कंपनी और विदेश में एक संयुक्त उद्यम हैं -

- क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. .
- ख) केनबैंक फैक्टर लि.
- ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.
- घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि. .
- ड) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि.
- च) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
- छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
- ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
- झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes. The Company has seven domestic subsidiaries, an associate company and a Joint Venture at an overseas destination, viz.,

- a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- b) Canbank Factors Ltd.
- c) Canara Bank Securities Ltd.
- d) Canbank Computer Services Ltd.
- e) Canbank Financial Services Ltd.
- f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
- h) Canfin Homes Ltd., (Associate Company).
- i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture).



2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें।

हाँ, एक अनुषंगी अर्थात केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. क्या अन्य संस्था/संस्थाएँ (यानी आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)

शून्य

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण
क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण :

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है तो)	06701854
2	नाम	श्री प्रद्युमन सिंह रावत
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रधान का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एस एस भट
3.	पदनाम	मुख्य महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22128840
5.	ई-मेल	pcfiw@canarabank.com

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].

Nil

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR
a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	06701854
2	Name	Shri P S RAWAT
3	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri S S Bhat
3.	Designation	Chief General Manager
4.	Telephone number	08022128840
5.	e-mail id	pcfiw@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1.	क्या आपके पास ---- के लिए पॉलिसी/पॉलिसियां हैं.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी श्रेयधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी पॉलिसी के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां



6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं \$	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या पॉलिसी को सभी आंतरिक तथा बाह्य श्रेयधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित श्रेयधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा / मूल्यांकन करवाया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

\$www.canarabank.com

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online? \$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

\$www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पि1	पि2	पि3	पि4	पि5	पि6	पि7	पि8	पि9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई है									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विनिर्दिष्ट सिद्धांत के लिए पॉलिसी बनाए व उसे लागू कर पाए									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									

5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है																		
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)	<p>बैंक ने अपने सतत विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को रूपायित की है और इनका कार्यान्वयन की निगरानी सतत विकास समिति तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा किया जाएगा ।</p>																	

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is “No”, please explain why: (Tick up to 2 options)

[illegible]

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा

3-6 महिने

- क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? क्या इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाईपरलिंक है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?

रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और हाइपर लिंक पर उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड. : सिद्धान्त वार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा स्वयं नियंत्रित हो।

1. क्या नैतिकता, विश्वतुष्टी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावर्तित है? हाँ / नहीं

क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर लागू है?

हाँ। बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'कॉर्पोरेट प्रशासन नीति' है जो कि सभी श्रेयरधारकों यानी जमाकर्ताओं, श्रेयरधारकों, ग्राहकों,

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

3-6 months

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The Report published annually and made available under the hyperlink www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.

Does it extend to the Group/Joint Ventures / Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?

Yes. The Bank is having a Board approved 'Corporate Governance Policy', which is drawn with an overall 3.



उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसाराण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के समय कुछेक स्टाफ खातों की जांच की जाती है। स्टाफ खातों में ₹50000/- से अधिक के लेनदेनों की निगरानी ऑफलाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

बैंक में शाखाओं/यूनिट/कार्यालयों का निर्दिष्ट आवधिकता पर निरीक्षण करने के लिए सूचना प्रणाली आडिट सहित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईए) हैं।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितनी श्रेयरधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतुष्टिपूर्वक सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

श्रेयरधारक शिकायतें: वर्ष 2014-15 में बैंक ने श्रेयरधारकों से 1649 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतुष्टिपूर्वक किया गया।

अधिकांश शिकायतें लाभांश प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित श्रेयरधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिकार-पत्र (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्राहक शिकायतें: वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 108836 शिकायतें प्राप्त की तथा 99% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

ग्राहकों से प्राप्त 108836 शिकायतों में से (ए टी एम से संबंधित 98214 शिकायतों सहित) 108567 शिकायतों का (ए टी एम से संबंधित 98012 शिकायतों सहित) समाधान किया गया। सुलझाए गए शिकायतों में से अधिक शिकायतें पिछले वर्ष की लंबित शिकायतें हैं।

Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches/ Units/ Offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. How many stakeholder complaints have been received 1649 in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Shareholders Complaints: The Bank received representations/ grievances from Shareholders during 2014-15 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

108836 (including 98214 complaints related to ATMs) complaints were received from customers of which 108567 (including 98012 complaints related to ATMs) were resolved. The resolved complaints are more owing to previous years few pending complaints.

Customer Complaints: During 2014-15, the Bank received 108836 complaints and 99% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.



सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हो तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखे।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलाप, जैसे शाखाएं खोल कर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, कारोबार सुलभकर्ता के माध्यम से ज्यादा क्षेत्र तक फैलाव, सादा खाते खोलना, केसीसी व जीसीसी के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, सुक्ष्म बीमा उपलब्ध कराना, आधार का पंजीकरण, किसान क्लबों की स्थापना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास वाहिनी तैनात करना और ग्रामीण जनता के लिए ऋण परामर्श देना।

ii. **ग्रामीण विकास** – बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 64 स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व-रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 5.97 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 73% है।

iii. **हरित बैंकिंग:** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए सौर ऊर्जा युक्त बायो-मेट्रिक एटीएम और कुछ आंतरिक कार्यकलाप। इसके अलावा बैंक ने दो स्थानों पर एटीएम, नकद / चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेलीबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई-लाउंज स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही और ई-लाउंज की स्थापना करने के योजना है। आंतरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व कतिपय अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस कार्यान्वित की है।

सौर ऊर्जा, बायोगैस तथा पवन चक्की परियोजनाओं के वित्तीयन के द्वारा बैंक हरित ऊर्जा को प्रोसाहन दे रहा है।

2. ऐसे सभी उत्पादों के लिए प्रयुक्त संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) के संबंध में निम्न सूचित करें (वैकल्पिक):

i. पिछले वर्ष से लेकर अबतक मूल्य श्रृंखला के दौरान सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के समय आई कमी?

लागू नहीं

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

i. **Financial Inclusion Campaign** - covering varied rural activities, such as, increasing access to banking services through opening branches, increasing coverage under Business Facilitators, mobilizing no-frill accounts, providing credit under KCCs and GCCs, credit linking SHGs, providing micro-insurance, Aadhar enrollment, forming farmers' clubs, deploying Gramin Vikas Vahini for enhancing financial literacy and credit counseling among rural folks.

ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored/ co-sponsored/ supported 64 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 5.97 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 73%.

iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several environment friendly measures, viz., core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with hi-tech banking facilities like ATM, cash/ cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at two places and more such e-lounges are planned during the year. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas.

Bank is encouraging green energy by financing solar, biogas and wind mill projects.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable



- ii. पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?

जल शोधन संयंत्रों की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट पानी का उपयोग ।

3. क्या कंपनी में स्थायी सॉर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई पद्धति है ? यदि हां, तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में तत्संबंधी विवरण दें।

सॉर्सिंग के लिए बैंक में निर्धारित नीति है जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण मुक्त वातावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी मानक को पूरा करना चाहिए ।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय व छोटे उत्पादकों सहित आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे विक्रेताओं की क्षमता व योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की धारिता तथा क्षमता को सुधारने के लिए, बैंक उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन सह बिक्री के लिए नियमित रूप से केनरा बाजारों का आयोजन करता है । बैंक नम्मूरा संथे, एक मोबाइल बिक्री वैन चलाता है, जो सौर ऊर्जा युक्त कस्टम बिल्ट है जिसमें स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन सह बिक्री होता है । दोनों सेवाएं बैंक द्वारा निशुल्क दिया जाता है । बैंक के कुल अग्रिम से लघु व मध्यम उद्यम का हिस्सा 30% है ।

5. क्या उत्पादों व अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु कंपनी के पास कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है ? (5% से कम, 5-10%, 10% से अधिक, अलग - अलग बताएं) । 50 शब्दों में तत्संबंधी विवरण दें।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

कर्मचारियों की कुल संख्या 53984 है।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।

- ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, pollution free climate friendly technologies.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

To improve the capacity and capability of local and small vendors, Bank is regularly organizing Canara Bazaars for display cum sale of products made by them. Bank is running Nammura Santhe - A mobile sales van which is solar powered custom made for display cum sale of the products made by Self Help Groups, women entrepreneurs. Both the services are offered free of cost by the Bank. Out of total advances of Bank, Small & Medium Enterprises constitute 30%.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the total number of employees.

Total number of employees is 53984

2. Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.



अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या शून्य है।

- कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें
स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 15303 है।
- कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें
स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1129 है।
- क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?
हाँ 2 संगठन हैं। 1) अधिकारी कर्मचारी, 2) कामगार कर्मचारी
- आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य है?

अधिकारी संघ	85.16%
कर्मचारी यूनियन	76.11%

- कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

- पिछले वर्ष के दौरान निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	122%
नियमित महिला कर्मचारी	142%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	82%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति संवेदनशील हो, विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति

Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis is NIL

- Please indicate the number of permanent women employees.
The number of permanent women employees is 15303
- Please indicate the number of permanent employees with disabilities.
The number of permanent employees with disabilities is 1129
- Do you have an employee association that is recognized by management.
Yes. 2 Associations. 1. Officer Employees 2. Workmen Employees.
- What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers' Association	85.16%
Workmen Union	76.11%

- Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	NIL	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

- What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	122%
Permanent Women Employees	142%
Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	82%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है? हाँ / नहीं

हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक शामिल हैं।

2. क्या कंपनी ने उक्त में से, कमजोर, वंचित व उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?

हां.

3. क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो 50 शब्दों में तत्संबंधी विवरण दी

कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समानाहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/सुविधाएं/ सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/वेतन दिया जाता है। बैंक, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उदान परियोजना के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षित व भर्ती कर रहा है।

ग्राहक : समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने, अन्य योजनाओं के साथ, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सादा बचत खाता योजना, सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरू की हैं।

सिद्धांत 5 : कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करो

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर ही लागू होती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

बैंक भारत के संविधान में निहित मानवाधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार का सम्मान करता है।

मानव संसाधन से संबंधित नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू हैं। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियाँ सभी कर्मचारियों को समानता और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष प्रावधान हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की नीति लागू की गयी है। नीति के अनुसार, महा प्रबंधक बैंक की महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही हैं और एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक कार्रवाई करता है। बैंक समय समय पर सेवा शर्तों, नियमों,

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders

Yes.

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. The Bank, as part of Corporate Social Responsibility, is training and recruiting unemployed graduates from the State of Jammu and Kashmir under the project 'Udaan'

Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Naye Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, general credit cards, loans to self help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of guidelines issued by Supreme Court of India in its landmark judgment in Visakha & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. As per the policy, a Complaints Committee has been constituted headed by a lady Executive of the rank of General Manager with majority of lady members and an outside member from a reputed NGO. The action is taken based on the reports



महिला कर्मचारियों के लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार तथा यौन उत्पीड़न को रोकथाम को प्रभावी बनाने के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। अंचल स्तरीय निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए वह जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख-रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेषतौर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

वर्ष के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करो।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर-सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू हैं?

नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ
ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ऐसे नयी ईकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान नहीं करता जिनके द्वारा ओजोन विच्छेदन पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लूरो कार्बन - 11 (सीएफसी-11), सी.एफ.सी.-12 और सी.एफ.सी. 11 और सी.एफ.सी. 12 का मिश्रण, सी.एफ.सी. - 113, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर और एयरकंडिशनर, एरोसॉल उत्पाद, सफाई के उत्पाद में प्रयुक्त सॉल्वेंट, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलॉन - 1211, 1301, 2402, आदि का प्रयोग किया जाता है।

बैंक द्वारा उन छोटे / मझौले स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

टॉक्सिक पदार्थों का उत्सर्जन करने वाले उत्पादन ईकाइयों के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक ऐसे प्रदूषित पदार्थों को वातावरण में छोड़ने से पूर्व प्रसंस्कृत करने के लिए जल शोधन इकाई की स्थापना के लिए दबाव डालता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि उधारकर्ता केन्द्र / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं

हाँ

of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/ electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labor laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

No complaints have been received during the year.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Policy covers only the Bank.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS) such as Chlorofluoro carbon - 11 (CFC - 11), CFC - 12, Mixtures of CFC - 11 and CFC - 12, CFC - 113 Carbon Tetrachloride, Methyl Chloroform, Halons - 1211, 1301, 2402 used in Foam products, Refrigerators & Air conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning applications, Fire extinguishers.

No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

While appraising the credit proposal, of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes.



4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में तत्संबंधी विवरण दें और, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ

बैंक द्वारा विभिन्न हरित बैंकिंग पहल की गई है जिसमें कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेलिबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित बायोमेट्रिक एटीएम, शाखाओं में ई- लाउंज और अपने स्टाफ तथा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ई गवर्नेंस और कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देना शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन चक्की / सौर ऊर्जा परियोजनाएं। बैंक को हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं।

इसके अलावा, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटिंग) अपने सभी परिसर में लगाने के लिए अग्रसर है। बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है अर्थात् एयर कंडीशनर।

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी नियमों (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का पालन करता है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है?

बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। अतः यह लागू नहीं है।

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित है? (यानी संतुष्टि के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आमजनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो उन बड़ी संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?

हाँ।

- क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
- ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
- घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई)
- च) भारतीय समाशोधन निगम(सीसीआई)
- छ) भारतीय निवेश बैंकर संघ, मुंबई

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, internet banking, telebanking, mobile banking, ATMs, solar powered biometric ATMs for the use of rural folk, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a no. of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

Further, the Bank is changing over to CFL's (Compact Fluorescent Lightings) in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances, viz., Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

- a) Indian Banks' Association (IBA)
- b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
- c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
- d) National Institute of Bank Management (NIBM)
- e) National Payments Corporation of India (NPCI)
- f) The Clearing Corporation of India (CCI)
- g) Association of Investment Bankers of India, Mumbai



2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मोटे तौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थाई कारोबार सिद्धांत, अन्य)

भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय - समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार, समावेशी वृद्धि और समान विकास को संबल दे

1. क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा।

बैंक ने समावेशी वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को चलाया है।

विवरण निम्नवत है:

बैंक ने आवंटित सभी 10049 गाँवों में 806 पारंपरिक शाखाओं को खोलकर तथा 2459 कारोबार प्रतिनिधियों की सेवा लेकर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई है। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्च पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। इसका कार्यावयन दो मॉडल के तहत किया गया यानी पारंपरिक शाखाएँ और कारोबार संपर्की मॉडल।

536 गाँवों को ब्रिक और मॉर्टर मॉडल और बचे हुए 4992 गाँवों को कारोबार संपर्की की मदद से बैंकिंग सेवा उपलब्ध करायी गयी। इन 4992 गाँवों में से, 516 गाँवों में कारोबार संपर्की अति लघु शाखाओं द्वारा एक निश्चित स्थान पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएँगे।

2015-16 के लिए योजना: बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान पारंपरिक शाखाएँ खोलकर 76 गाँवों को प्रावरित की योजना है।

जिला/ब्लॉक स्तर पर 65 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) खोले गए। इस वर्ष के मार्च 2015 तक 1008234 व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है एवं 79879 व्यक्तियों को परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य / गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी। बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है। बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

अन्य न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नवत है जहाँ बैंक परियोजनाएँ लागू करने के लिए सम्मिलित है, जिसने जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव उत्पन्न किया है :-

1. केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

The Bank has undertaken various initiatives/ programmes/projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

The details are as under:

Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 806 brick & mortar branches and engaging 2459 BC agents. The objectives are to provide them the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

Plan for 2015-16: The Bank has plans to cover 76 villages during 2015-16 by opening 76 brick and mortar branches.

65 Financial literacy centres (FLCs) opened at District/Block levels. 1008234 persons have been educated and 79879 persons have been counseled upto March 2015 this year.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/ any other organization?

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Division under Priority Credit and Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Financial Literacy Trust.

Following are the other Trusts/Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

1. Canara Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Golden Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society



बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इन्हीं न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करता है।

3. क्या आपने अपने प्रयास का प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

हाँ। बैंक पहल के मुख्य प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों के वितरण में है। मुख्य प्रदेय हैं :-

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान 54.55 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों तथा योजना की शुरुआत से लेकर अबतक 142.89 लाख बैंकिंग सेवारहित लोगों को मूलभूत बचत जमा खाता उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान हमारी 270 वित्तीय समावेशन शाखाएँ खुली हैं और 4.98 लाख खाते से ₹568 करोड़ का कारोबार किया तथा ₹273 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जिससे 0.43 लाख हिताधिकारी लाभान्वित हुए।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, ऋण सुविधाएँ जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभेदक ब्याज दर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वैपिंग) योजना और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने हमारे मे. केनरा एचएसबीसी ओबीसी इंश्योरेंस कंपनी के समूह बीमा योजना के तहत ऋण प्रदत्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के जीवन को कवर किया गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य के जीवन को ₹36,000 तक ₹100 के मामूली प्रीमियम के साथ कवर किया गया है। लगभग 70320 व्यक्ति इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

बैंक ने कर्नाटक के चार जिलों और तमिलनाडु के सभी जिलों में "एक जिला कई बैंक मॉडल" के तहत सरकारी लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तान्तरण के कार्यान्वयन में भाग लिया है। कर्नाटक के चार जिलों में मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए खातों के खोलने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से लाभार्थियों को उनके दरवाजे / गांवों में समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिली है।

बैंक ने पहले चरण में 48 चयनित जिलों में और द्वितीय चरण में 78 चयनित जिलों में सरकारी लाभ को सीधे स्थानांतरित करने में भाग लिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के तहत हस्तांतरित लाभ ₹474 करोड़ पहुंच गया है।

बैंक ने "केनरा ग्रामीण विकास वाहिनी वाहन" नामक समावेशी विकास वाहन एवं 49 वाहन पूरे देश में तैनात किए हैं। इन वाहनों में कृषि विस्तारण अधिकारी या सामान्य अधिकारी साथ जाते हैं जिन्हें हमारी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की अच्छी जानकारी होती है और ये नियमित तौर पर ग्रामीणों में बैंकिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने जाते हैं। इन वाहनों में खाता खोलने के फार्म तथा अन्य योजनाओं के पैम्पलेट्स होते हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? राशि भारतीय रूपयों में तथा शुरु किए गए परियोजनाओं का विवरण।

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक - आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹67.05 करोड़ की राशि मंजूर की है। (कृपया बिंदु 5 का भाग 2 का संदर्भ लें)

5. क्या इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 54.55 lakh unbanked people during the year 2014-15 and 142.89 lakh unbanked persons since inception of the Scheme.

During 2014-15, 270 FI Branches have been opened garnering a business of ₹568 crores in 4.98 lakh accounts and provided a credit of ₹273crores benefitting 0.43 lakh beneficiaries.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, Inbuilt Overdraft Facilities, credit facilities under products like General Credit Card Schemes, Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme and various other credit products.

The Bank has also covered the lives of the members of credit linked SHGs under Group Insurance Scheme by M/s Canara HSBC OBC Insurance Company, covering the lives of the individual members to the extent of ₹36000 for a nominal premium of ₹ 100. About 70320 persons have been benefitted out of the Scheme.

The Bank has participated in implementation of Electronic Benefit Transfer of Govt. benefits like Social Security Pension in four districts of Karnataka and all districts of Tamil Nadu under "One District Many Bank Model". The enrollment is in progress for opening of accounts for disbursement of wages under MGNREGA in four districts of Karnataka. This has helped the beneficiaries under the Scheme in getting the timely payment at their doorsteps/ villages.

The Bank has also participated in implementation of Direct Benefit Transfer of Govt. Benefits in 48 identified districts in Phase I and 78 identified districts in Phase II. During the year 2014-15, benefits transferred under the scheme to the tune of ₹ 474 Crores.

The Bank has provided inclusive growth vehicles called "Canara Gramin Vikas Vahini Vehicles" & 49 vehicles are deployed across the country. These vehicles accompanied by an Agriculture Extension Officer or general officer who are well aware of the Bank's various rural development schemes visit the villages regularly for creating awareness among the rural mass about banking. The vehicles are also provided with the account opening forms and pamphlets of various schemes.

4. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken. The Bank has sanctioned a sum of ₹67.05 Crores (sponsorships) engaged in various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank is obtaining a Certificate issued by a Chartered Accountant of the donee organization/ Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.



बैंक दानग्राही संगठन / संस्थान से सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो पुष्टि करता है कि जिस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दान मंजूर किया गया था उसका अंतिम उपयोग किया गया है।

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व-विकासात्मक व विकासोपरान्त दौर के पश्चात संवितरित किया जाता है। समुदाय के लोगों को शामिल कर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सहायता सौंप दिया जाता है।

समुदायिक विकास की प्रक्रिया को अपनाया सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास तंत्र है।

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करो।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 108836 ग्राहक शिकायतों की 1.41% (1534) लंबित थी।

2. क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचनाएं)

बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी शोयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में तत्संबंधी विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान का पता लगाया है?

बैंक, शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक स्व-निहित, स्टॉपयुक्त प्रश्नावली सभी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. 93% ग्राहक एटीएम संबंधित सेवाओं से संतुष्ट हैं।
2. 82% ग्राहक इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं।
3. समग्र रूप से 90% ग्राहक बैंक की सेवाओं से संतुष्ट थे।

The grants for the projects are disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance are handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

1.41% (1534) of the 108836 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/N.A. /Remarks(additional information)

The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Nil.

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches and to get the feedback directly from the customers, a self contained, prestamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the Survey is as under:

1. 93% of the customers were satisfied with ATM related services.
2. 82% of the customers were satisfied with internet services.
3. Overall 90% of the customers were satisfied with the Bank's services.



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट

2014-2015

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:

"कॉर्पोरेट गवर्नेन्स, सभी श्रेयधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन व उसके वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण करना है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा श्रेयधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वातालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने श्रेयधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, श्रेयधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.



3) लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।

ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:

क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।

ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा

ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

iii) यह समिति बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा करती है।

iv) यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों / टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है।

v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस. एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेंडर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेंडर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.

ii) The main functions of the committee are as under:

a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.

b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and

c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.

iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.

v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.



4) (i) नामांकन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों के “उपयुक्तता व माकूलता” स्थिति निर्धारित करने की समुचित प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से एक नामांकन समिति का गठन किया गया। समिति अवश्यकतानुसार बैठक आयोजित करेगी। शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन प्रक्रिया नहीं होने के कारण तथा निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों द्वारा यथा 31.03.2014 को प्रस्तुत घोषणाओं (जीवन वृत्त) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने पूर्णकालिक निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध “क” तथा “ख” में दिये गये हैं।

(iii) निदेशकों को पारिश्रमिक:

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत् है :

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री वी एस कृष्णकुमार कार्यपालक निदेशक	23,01,470.00
श्री प्रद्युमन सिंह रावत कार्यपालक निदेशक	21,26,323.00
श्री हरिदीश कुमार बी कार्यपालक निदेशक	95,550.00
श्री राजीव किशोर दुबे भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.09.2014 तक)	24,15,716.00
श्री अशोक कुमार गुप्ता भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.10.2014 तक)	18,85,077.57
कुल	88,24,136.57

4) (i) Nomination Committee :

In terms of RBI Communication DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007, the Board of the Directors of the Bank had constituted a Nomination Committee to undertake a process of due diligence to determine the “Fit and Proper” status of the existing elected Shareholder Directors/ Proposed Candidates as per the guidelines of RBI. The Committee shall meet as and when required. It didn't meet during 2014-15, since there was no process of election of Shareholder Directors and also no significant changes in the declarations (bio-data) submitted by the elected Shareholder Directors as on 31.03.2014 for conducting due diligence exercise.

(ii) Remuneration Committee:

In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007, the Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance of whole time directors as per GOI guidelines. During the financial year 2014-15, the Bank has paid the performance linked incentives pertaining to the financial year 2013-14 to the Whole-time Directors. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

(iii) Remuneration to Directors:

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2014-15 are as under:

Name & Designation	Amount (₹)
Shri V S Krishna Kumar Executive Director	23,01,470.00
Shri Pradyuman Singh Rawat Executive Director	21,26,323.00
Shri Harideesh Kumar B Executive Director	95,550.00
Shri R K Dubey Ex-Chairman & Managing Director (up to 30.09.2014)	24,15,716.00
Shri Ashok Kumar Gupta Ex-Executive Director (up to 31.10.2014)	18,85,077.57
TOTAL	88,24,136.57



क) गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

5) हितधारक संबंध समिति (पूर्व में शेयर धारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति):

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति (एस आई जी एस) का गठन किया गया है। खंड 49 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त समिति का हितधारक संबंध समिति (एस आर सी) के रूप में पुनःनामकरण किया गया है। इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि सहित प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण का अनुप्रवर्तन किया जाता है।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	1649
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

सूचीकरण करार के खंड 47(ए) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

अन्य समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

b) Non - Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India. The sitting fees paid to the Directors is given in the Appendix C.

5) Stakeholders Relationship Committee (Previously Shareholders' / Investors' Grievances Committee) :

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee (SIGC) has been constituted in terms of Clause 49 of the Listing Agreement. As per the revised guidelines of Clause 49, the same has been renamed as Stakeholders Relationship Committee (SRC). The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Shareholders' Grievances Statistics:	
Complaints Received	1649
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

In terms of Clause 47(a) of the Listing Agreement, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.



प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, चार उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

- क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- ड) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD&CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- (A) Liquidity risk management
- (B) Management of market risk
- (C) Trading risk management
- (D) Funding and capital Planning
- (E) Profit Planning & Growth Planning



आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

6) सामान्य बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

दिनांक	समय	स्थान
28.06.2012	04 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु- 560 001
22.07.2013	10 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु- 560 001
21.07.2014	3.30 अपराह्न	सभागृह - 1, निमहंस, कंवेसन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौडा नगर, बेंगलूरु - 560 029

पिछली सामान्य वार्षिक बैठक (अर्थात दिनांक 21.07.2014 को आयोजित बैंक की बारहवीं सामान्य बैठक) में कोई विशेष संकल्प नहीं रखा गया था तथा डाक मतदान भी नहीं किया गया।

बारहवीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

बैंक ने दिनांक 27.03.2015 को ₹10/- अंकित मूल्य के 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर ₹398.95/- के प्रीमियम सहित ₹408.95/- की निर्गम मूल्य पर निर्गमित / आबंटित करने के लिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विशेष संकल्प के माध्यम से एक असाधारण सामान्य बैठक आयोजित किया।

7) प्रकटन:

बैंक के संबंधित पार्टी से लेनदेन यथा 31.03.2015 के तुलनपत्र के लेखा संबंधी टिप्पणी अनुसूची 18 में प्रकट किये गये हैं।

बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

6) General Body meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
28.06.2012	4 pm	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001
22.07.2013	10 am	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru -560 001
21.07.2014	3.30 pm	Auditorium - 1, NIMHANS Convention Centre, Hombegowda Nagar, Hosur Main Road, Bengaluru - 560 029

One special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 12th AGM of the Bank held on 21.07.2014) and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 12th Annual General Meeting are given in Appendix B.

The Bank has conducted an Extraordinary General Meeting on 27.03.2015 for the purpose of obtaining consent of the shareholders by way of a Special Resolution to issue / allot 1,39,38,134 equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at an Issue Price of ₹ 408.95 including premium of ₹ 398.95.

7) Disclosures:

The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2015.

The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.



बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिस्टल ब्लोअर नीति तैयार किया है तथा व्हिस्टल ब्लोअर सुरक्षा प्रदान किया गया है

बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्नवत है:

क्र. मांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु अर्ह होंगे।	बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के अनुसार किया गया है। अतः यह खंड बैंक के लिए लागू नहीं है।
2.	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है।
3.	लेखा परीक्षा योग्यतायें	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यताएं जारी नहीं की हैं।
4.	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद	बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा ९(३) के अनुसार किया गया है।

The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of non-mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement are as under:

Sl. No.	Non Mandatory Requirement	Status of Implementation
1.	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office.	Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. Hence this clause is not applicable for the Bank.
2.	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
3.	Audit qualifications	Statutory Auditors have not issued any qualifications in their audit report for the year ended 31.03.2014
4.	Separate Posts of Chairman and CEO	Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970.



5.	आंतरिक लेखापरीक्षक का रिपोर्टिंग	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।
----	----------------------------------	--

5.	Reporting of Internal Auditor	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management
----	-------------------------------	---

8) संप्रेषण का माध्यम:

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं बैंक की वेबसाइट आदि के ज़रिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ / प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2014	06.05.2014	प्रजावाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी), बिजनेस लाइन, इकॉनॉमिक टाइम्स व डेक्कन हेराल्ड
30.06.2014	22.07.2014	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड

8) Means of communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2014	06.05.2014	Prajavaani	Business Standard (English & Hindi), Business Line, Economic Times and Deccan Herald
30.06.2014	22.07.2014	Kannada Prabha	Business Standard



30.09.2014	07.11.2014	विजय कर्नाटका	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.12.2014	05.02.2015	विजय कर्नाटका	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी) व बिजनेस लाइन

30.09.2014	07.11.2014	Vijay Karnataka	Business Standard (English & Hindi)
31.12.2014	05.02.2015	Vijay Karnataka	Business Standard (English & Hindi) and Business Line

9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना: वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2014-2015
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	27.06.2015 - 14.07.2015
प्रॉक्सि फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	09.07.2015
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	14.07.2015
लाभांश भुगतान की तारीख	14.07.2015
लाभांश वारंटों के प्रेषण की संभावित तारीख	21.07.2015

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2014-15 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

9) General Shareholders' Information: Financial Calendar

Financial year	2014-2015
Book Closure Date (Both days inclusive)	27.06.2015 - 14.07.2015
Last Date for receipt of proxy forms	09.07.2015
Date of Annual General Meeting	14.07.2015
Dividend Payment Date	14.07.2015
Probable date of dispatch of dividend warrants	21.07.2015

Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2014-15 has been paid within the prescribed due date.



बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधि- कतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2014	299	250	55,18,019	299	258	5,78,52,466
मई	2014	492	273	1,68,84,328	492	273	13,93,92,664
जून	2014	498	418	77,82,747	498	416	7,87,09,399
जुलाई	2014	470	382	62,88,147	470	382	6,74,88,041
अगस्त	2014	414	357	43,62,936	414	356	4,31,22,487
सितंबर	2014	419	335	61,84,509	419	335	4,94,56,088
अक्टूबर	2014	403	344	34,11,885	404	344	2,85,05,383
नवंबर	2014	422	380	35,53,058	422	380	3,90,35,145
दिसंबर	2014	454	390	56,40,798	454	390	6,26,85,899
जनवरी	2015	478	431	33,26,743	479	431	3,44,77,931
फरवरी	2015	461	392	59,84,439	462	392	4,78,62,095
मार्च	2015	451	346	41,39,563	452	346	3,52,26,561

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2014	299	250	55,18,019	299	258	5,78,52,466
May	2014	492	273	1,68,84,328	492	273	13,93,92,664
June	2014	498	418	77,82,747	498	416	7,87,09,399
July	2014	470	382	62,88,147	470	382	6,74,88,041
August	2014	414	357	43,62,936	414	356	4,31,22,487
September	2014	419	335	61,84,509	419	335	4,94,56,088
October	2014	403	344	34,11,885	404	344	2,85,05,383
November	2014	422	380	35,53,058	422	380	3,90,35,145
December	2014	454	390	56,40,798	454	390	6,26,85,899
January	2015	478	431	33,26,743	479	431	3,44,77,931
February	2015	461	392	59,84,439	462	392	4,78,62,095
March	2015	451	346	41,39,563	452	346	3,52,26,561



अन्य प्रकटन:

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5 ए में संशोधन किये। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

खण्ड 5 ए: बैंक ने 2002-03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/- अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और विभौतिक दोनों रूपों में जारी किये।

सूचीकरण करार के खंड 5ए के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचित खाते में जमा किया जाना है। तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूरु में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है। तदसंबंधी जानकारी निम्नानुसार है :

खाते का नाम: केनरा बैंक – अदावी उचित खाते – भौतिक शेयर डीपीआईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या : 301356 / 20552606

विवरण	शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2012 को	4(अदावी)	2200
2012-13 में अदावी उचित खाते को अंतरित (उपर्युक्तानुसार)	2	1200
पहचान किए गए / डी आर टी मामला	1	500
पहचान किए गए तथा 2013-14 में हस्तांतरित	1	500
यथा 31.03.2015 को लंबित	--	--
यथा 31.03.2015 को स्थिति	--	--

Other Disclosures:

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.



Clause 5 A - The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a Demat Account with Canara Bank, DP Cell, Bengaluru. The details are as under :

Name of the Account: Canara Bank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares DPID ID / Client ID Number: 301356 / 20552606


Particulars	No. of Share Certificates	No. of Shares
As on 01.04.2012	4 (Unclaimed)	2200
Transferred to Unclaimed Suspense Account (as stated above) in 2012-13	2	1200
Identified / DRT Case	1	500
Identified & handed over in 2013-14	1	500
Pending as on 31.03.2015	--	--
As on 31.03.2015, the position	--	--

व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices







CANARA BANK Share Price & BSE Bankex High




CANARA BANK Share Price & BSE-Index-Bankex Low




CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty High




CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty Low



CANARA BANK Share Price & S&P CNX NIFTY High



CANARA BANK Share Price & S&P CNX NIFTY Low





रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक
कार्वी सेलीनियम टावर बी, प्लॉट सं.31-32,
गाच्चीबोवली, नानाक्रमगुडा वित्तीय जिला
हैदराबाद - 500 032

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर:

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए।

(ख) विभौतिक रूप में शेयर:

विभौतिक रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

शेयर धारण का संवितरण

श्रेणीवार

(31.03.2015)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	(*) 332196971	69.91
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	3170453	0.67
3	बीमा कंपनियां	36534724	7.69
4	म्यूचुअल फंड	23093947	4.86
5	कॉर्पोरेट निकाय	4492269	0.94
6	एन आर आई / ओ सी बी	612713	0.13
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	24821672	5.22
8	विदेशी संस्थागत निवेशक	50274222	10.58
	कुल	475196971	100

प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य ₹10/- है

(*) नोट: बैंक ने दिनांक 31.03.2015 को अधिमानीत आधार पर भारत सरकार को 1,39,38,134 इक्विटी शेयर निर्गमित / आबंटित किया।

Registrar and transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD - 500 032

Share Transfer System

(a) Physical Shares:

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding

Category wise

(31.03.2015)

Sl No.	Category	# No. of shares	% of share holding
1	Government of India	(*) 332196971	69.91
2	Banks & Financial Institutions	3170453	0.67
3	Insurance Companies	36534724	7.69
4	Mutual Funds	23093947	4.86
5	Bodies Corporate	4492269	0.94
6	NRIs/OCBs	612713	0.13
7	Resident Individuals/HUF / Trust etc.	24821672	5.22
8	Foreign Institutional investors / FIIs	50274222	10.58
	TOTAL	475196971	100

Nominal value of each share is ₹10/-

(*) Note: The Bank had issued / allotted 1,39,38,134 equity shares to Government of India on Preferential basis on 31.03.2015.



मूल्य वार: (31.03.2015)

शेयर धारण का नाममात्र मूल्य (₹)	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	132611	93.85	15014231	3.16
5001 से 10000	6435	4.55	5289380	1.11
10001 से 20000	1220	0.86	1798912	0.38
20001 से 30000	293	0.21	736930	0.16
30001 से 40000	113	0.08	396177	0.08
40001 से 50000	119	0.08	536853	0.11
50001 से 100000	162	0.11	1196803	0.25
100001 व उससे अधिक	365	0.26	450227685	94.75
कुल	141318	100	475196971	100

Value wise: (31.03.2015)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	132611	93.85	15014231	3.16
5001 to 10000	6435	4.55	5289380	1.11
10001 to 20000	1220	0.86	1798912	0.38
20001 to 30000	293	0.21	736930	0.16
30001 to 40000	113	0.08	396177	0.08
40001 to 50000	119	0.08	536853	0.11
50001 to 100000	162	0.11	1196803	0.25
100001 and above	365	0.26	450227685	94.75
TOTAL	141318	100	475196971	100



शेयरों का विभौतिकीकरण और नकदी:

बैंक के शेयरों का खरीद-फरोख्त अनिवार्यतया विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के विभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरीस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का विभौतिकीकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का विभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो शेयर के विभौतिक रूप में परिवर्तन के लिये बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2015)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	27216	19.26	20194556 (*)	4.25
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	85156	60.26	129304976	27.21
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	28946	20.48	325697439	68.54
कुल	141318	100	475196971	100

(*)नोट: बैंक ने दिनांक 31.03.2015 को अधिमानित आधार पर भारत सरकार को 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर निर्गमित / आबंटित किया। दिनांक 31.03.2015 को भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि यथा 31.03.2015 को तुलन पत्र के पूँजी व शेयर प्रीमियम खाते में शामिल किए जाने के कारण आबंटित शेयर सी डी एस एल के साथ भारत सरकार के डी मैट खाते में जमा करने से पूर्व भौतिक रूप में रखे गए। अन्यथा, बैंक के कुल निर्गमित शेयरों में से भौतिक रूप में उपलब्ध शेयर 1.32% तथा सी डी एस एल श्रेणी में डी मैट रूप में उपलब्ध शेयर 71.47 थे। जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी का सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूर - 560 002
ई-मेल पता: hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2015)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	27216	19.26	20194556 (*)	4.25
Electronic-NSDL	85156	60.26	129304976	27.21
Electronic-CDSL	28946	20.48	325697439	68.54
TOTAL	141318	100	475196971	100

(*)Note: The Bank had issued / allotted 1,39,38,134 equity shares to Government of India on Preferential basis on 31.03.2015. Since the application money received from GOI on 31.03.2015, has been accounted for in Balance Sheet as on 31.03.2015 under Capital and Share Premium accounts, the allotted shares were kept in Physical Mode before crediting to the demat account of GOI with CDSL. Otherwise, the shares in physical mode would have been at 1.32 % and demat shares in CDSL category at 71.47 % in the total issued shares of the Bank.

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments

Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
MD & CEO'S SECRETARIAT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
EMAIL ID: hosecretarial@canarabank.com



परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2015)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री वी एस कृष्ण कुमार	का नि	04.04.2013-30.04.2015	8
2.	श्री प्रद्युमन सिंह रावत	का नि (अ प्र- -प्र नि)	05.08.2013-31.05.2016	शून्य
3.	श्री हरिदीश कुमार बी	का नि	11.03.2015-31.05.2017	शून्य
4.	डॉ. रजत भार्गव	भा स	Nominated on 26.07.2013	शून्य
5.	श्रीमती उमा शंकर	भा रि बै	Nominated on 23.02.2015	शून्य
6.	श्री जी वी मणिमारन	अ नि	03.01.2014-02.01.2017	शून्य
7.	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	गैर का नि- स ले	06.12.2013-05.12.2016	1 (शेयरधारण)
8.	श्री साईराम भास्कर मोचरला	गैर का नि	05.12.2013-04.12.2016	2
9.	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	शे नि	27.07.2013-26.07.2016	8
10.	श्री संजय जैन	शे नि	27.07.2013 -26.07.2016	1 (साझेदार)

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2015)

SI No.	NAME	TYPE	TERM OF OFFICE	MEMBERSHIP OF OTHER BOARDS
1.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	ED	04.04.2013-30.04.2015	8
2.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	ED (Additional charge - MD & CEO)	05.08.2013-31.05.2016	Nil
3.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	ED	11.03.2015-31.05.2017	Nil
4.	Dr. RAJAT BHARGAVA	GOI	Nominated on 26.07.2013	Nil
5.	SMT UMA SHANKAR	RBI	Nominated on 23.02.2015	Nil
6.	SHRI G V MANIMARAN	OD	03.01.2014-02.01.2017	Nil
7.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	NED - CA	06.12.2013-05.12.2016	1(shareholding)
8.	SHRI SAIRAM BHASKAR. MOCHERLA	NED	05.12.2013-04.12.2016	2
9.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	SD	27.07.2013-26.07.2016	8
10.	SHRI SANJAY JAIN	SD	27.07.2013 -26.07.2016	1 (Partner)



ii. 2014-15 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्यौर

1.	श्री राजीव किशोर दुबे	अ व प्र नि	11.01.2013– 30.09.2014	ला.न.
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	का नि	28.07.2011-31.10.2014	ला.न.
3.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	भा रि बैं	13.10.2011-22.02.2015	ला.न.
4.	श्री जी वी सांबशिव राव	काम. नि	21.10.2011-20.10.2014	ला.न.
5.	श्री सुतानु सिन्हा	गैर का नि	17.10.2011-16.10.2014	ला.न.

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2014-2015

1.	SHRI R K DUBEY	C&MD	11.01.2013– 30.09.2014	NA
2.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	ED	28.07.2011-31.10.2014	NA
3.	SMT MEENA HEMCHANDRA	RBI	13.10.2011-22.02.2015	NA
4.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	WD	21.10.2011-20.10.2014	NA
5.	SHRI SUTANU SINHA	NED	17.10.2011-16.10.2014	NA

संकेत / KEY

अ व प्र नि / C&MD	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
प्र नि व मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर कानि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable



iii. बोर्ड की समितियों का समिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष/ CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री वी एस कृष्णकुमार Shri V S Krishna Kumar	श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री वी एस कृष्णकुमार Shri V S Krishna Kumar	श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री साईराम भास्कर मोचरला/ Shri Sairam Bhaskar Mocherla श्री रजिन्दर कुमार गोयल / Shri Rajinder Kumar Goel श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री साईराम बी. मोचरला / Shri Sairam Bhaskar Mocherla	श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B डॉ. रजत भार्गव / Dr. Rajat Bhargava श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta
शेयरधारकों / निवेशकों के शिकायत समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री रजिन्दर कुमार गोयल Shri Rajinder Kumar Goel	श्री वी एस कृष्णकुमार / Shri V S Krishna Kumar श्री प्रद्युमन सिंह रावत / Shri Pradyuman Singh Rawat श्री हरिदीश कुमार बी / Shri Harideesh Kumar B श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा / Shri Sunil Hukumchand Kocheta
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ. रजत भार्गव Dr. Rajat Bhargava	श्रीमती उमा शंकर / Smt Uma Shankar श्री श्री साईराम भास्कर मोचरला/ Shri Sairam Bhaskar Mocherla श्री संजय जैन / Shri Sanjay Jain



परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित	उपस्थिति/ आयोजित		
1.	श्री वी एस कृष्ण कुमार	12/13	23/23	9/9	1/1	7/7	✓	10
2.	श्री प्रद्युम्न सिंह रावत	10/13	18/23	8/9	1/1	6/7	✓	शून्य
3.	श्री हरिदीश कुमार बी	1/1	1/1	1/1	--	1/1	ला न	शून्य
4.	डॉ. रजत भार्गव	7/13	--	2/9	--	--	X	शून्य
5.	श्रीमती उमा शंकर	2/2	1/2	1/1	--	--	ला न	शून्य
6.	श्री जी वी मणिमारन	13/13	19/19	--	--	5/5	✓	शून्य
7.	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	12/13	18/19	7/7	1/1	5/5	✓	शून्य
8.	श्री साईराम भास्कर मोचरला	11/13	7/8	5/5	--	2/2	✓	शून्य
9.	श्री रजिन्द्र कुमार गौयल	12/13	17/17	--	1/1	5/5	ला न	100
10.	श्री संजय जैन	13/13	15/15	--	--	4/4	✓	200

वर्ष 2014-2015 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा

1.	श्री आर के दुबे	7/7	12/12	--	--	4/4	✓	Nil
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	5/8	8/13	4/5	--	2/4	✓	Nil
3.	श्रीमती मीना हेमचंद्रा	6/11	9/20	4/8	--	--	x	Nil
4.	श्री जी वी सांबशिवराव	6/7	5/6	--	--	--	✓	Nil
5.	श्री सुतानु सिन्हा	7/7	4/4	5/5	--	--	✓	Nil

विभिन्न बैठकों की तारीख								
	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पिछ-ली वार्षिक सामान्य बैठक	ईजिएम	
	28.04.14	08.04.14	05.05.14	09.03.15	28.04.14	21.07.14	27.03.15	
	05.05.14	28.04.14	26.05.14		14.06.14			
	26.05.14	14.05.14	14.06.14		26.08.14			
	23.06.14	26.05.14	21.07.14		27.09.14			
	21.07.14	14.06.14	08.09.14		30.12.14			
	26.08.14	23.06.14	06.11.14		24.02.15			
	30.09.14	07.07.14	04.02.15		19.03.15			
	31.10.14	01.08.14	23.02.15					
	06.11.14	26.08.14	23.03.15					
	10.01.15	13.09.14						
	04.02.15	18.09.14						
	09.03.15	27.09.14						
	23.03.15	15.10.14						
		20.11.14						
		05.12.14						
		13.12.14						
		24.12.14						
		30.12.14						
		16.01.15						
		04.02.15						
		24.02.15						
		09.03.15						
		25.03.15						

कुंजी: एस आई जी सी: शेयरधारक / निवेशक परिवार समिति की बैठक

ला न: लागू नहीं



Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held		
1.	SHRI V S KRISHNA KUMAR	12/13	23/23	9/9	1/1	7/7	✓	10
2.	SHRI PRADYUMAN SINGH RAWAT	10/13	18/23	8/9	1/1	6/7	✓	Nil
3.	SHRI HARIDEESH KUMAR B	1/1	1/1	1/1	--	1/1	NA	Nil
4.	Dr. RAJAT BHARGAVA	7/13	--	2/9	--	--	X	Nil
5.	SMT UMA SHANKAR	2/2	1/2	1/1	--	--	NA	Nil
6.	SHRI G V MANIMARAN	13/13	19/19	--	--	5/5	✓	Nil
7.	SHRI SUNIL HUKUMCHAND KOCHETA	12/13	18/19	7/7	1/1	5/5	✓	Nil
8.	SHRI SAIRAM BHASKAR MOCHERLA	11/13	7/8	5/5	--	2/2	✓	Nil
9.	SHRI RAJINDER KUMAR GOEL	12/13	17/17	--	1/1	5/5	✓	100
10.	SHRI SANJAY JAIN	13/13	15/15	--	--	4/4	✓	200

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2014-2015

1.	SHRI R K DUBEY	7/7	12/12	--	--	4/4	✓	Nil
2.	SHRI ASHOK KUMAR GUPTA	5/8	8/13	4/5	--	2/4	✓	Nil
3.	SMT MEENA HEMCHANDRA	6/11	9/20	4/8	--	--	x	Nil
4.	SHRI G V SAMBASIVA RAO	6/7	5/6	--	--	--	✓	Nil
5.	SHRI SUTANU SINHA	7/7	4/4	5/5	--	--	✓	Nil

		DATES OF VARIOUS MEETINGS						
		BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
		28.04.14	08.04.14	05.05.14	09.03.15	28.04.14	21.07.14	27.03.15
		05.05.14	28.04.14	26.05.14		14.06.14		
		26.05.14	14.05.14	14.06.14		26.08.14		
		23.06.14	26.05.14	21.07.14		27.09.14		
		21.07.14	14.06.14	08.09.14		30.12.14		
		26.08.14	23.06.14	06.11.14		24.02.15		
		30.09.14	07.07.14	04.02.15		19.03.15		
		31.10.14	01.08.14	23.02.15				
		06.11.14	26.08.14	23.03.15				
		10.01.15	13.09.14					
		04.02.15	18.09.14					
		09.03.15	27.09.14					
		23.03.15	15.10.14					
			20.11.14					
			05.12.14					
			13.12.14					
			24.12.14					
			30.12.14					
			16.01.15					
			04.02.15					
			24.02.15					
			09.03.15					
			25.03.15					

KEY: SRC: Stakeholders Relationship Committee Meeting.

NA: Not Applicable



परिशिष्ट ग

वर्ष 2014-15 के लिए निदेशकों को प्रदत्त उपस्थिति शुल्क

क्र सं	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री जी वी सांबशिव राव (20.10.2014 तक)	85,000
2	श्री जी वी मणिमारन	2,60,000
3	श्री सुनील हुक्मचंद कोचेटा	3,00,000
4	श्री सुतानु सिन्हा (16.10.2014 तक)	1,25,000
5	श्री साईराम भास्कर मोचरला	2,00,000
6	श्री रजिन्दर कुमार गोयल	2,75,000
7	श्री संजय जैन	2,70,000

Appendix C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2014-15

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri G.V.Sambasiva Rao (up to 20.10.2014)	85,000
2	Shri G.V.Manimaran	2,60,000
3	Shri Sunil Hukumchand Kocheta	3,00,000
4	Shri Sutanu Sinha (up to 16.10.2014)	1,25,000
5	Shri Sairam Bhaskar Mocherla	2,00,000
6	Shri Rajinder Kumar Goel	2,75,000
7	Shri Sanjay Jain	2,70,000



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 01 जून, 2015

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक
(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-अतिरिक्त प्रभार)

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2015.

Place : Bengaluru
Date : 01st June, 2015

PRADYUMAN SINGH RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(Additional Charge as MD & CEO)



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारकों के संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारकों/ निवेशकों के शिकायत निवारण समिति) द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते ए. आर. दास एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पियाली बसु
साझेदार

एम. नं. 054704

एफ आर एन नं. 306109 ई

बंगलूरु
09.05.2015

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2015 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee (previously Shareholders' / Investors' Grievance Committee).

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For A. R. Das & Associates
Chartered Accountants

Piyali Basu
Partner

M.No. 054704

FRN NO. 306109E

Bengaluru
09.05.2015



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2014-2015

**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2015 को केनरा बैंक के संलग्न वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2015 का तुलन – पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी (लेखा संबंधी टिप्पणियाँ) शामिल है। इन वित्त विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2671 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं। इसमें लेखा परीक्षा नहीं की गई 3116 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की हैं। लेखा परीक्षा नहीं की गई शाखायें 4.97% अग्रिम, 16.39% जमा, 4.18% ब्याज आय और 14.54% ब्याज गठित करती हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व :

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदायी है, जिससे वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, व बैंक के नकद प्रवाह की भारतीय रिजर्व बैंक विनियम अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों व भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू के अनुसार सही व सत्य झलक प्रस्तुत की जा सके। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं। प्रबंधन की इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने व निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, उचित लेखांकन नीति का चयन व लागू किया जाना, विवेक पूर्ण फैसले व अनुमान, व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता व सटीकता सुनिश्चित करते हैं तथा वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली जो सत्य व निष्पक्ष झलक प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी या दोष जनित अशुद्धियाँ रहित हैं, जो उपरोक्त वर्णित के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as on 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 2671 branches audited by statutory branch auditors and 6 foreign branches audited by local auditors in respective countries. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 3116 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.97 per cent of advances, 16.39 per cent of deposits, 4.18 per cent of interest income and 14.54 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The bank's management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines and recognized accounting policies and practices, including Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), as applicable. This responsibility of the management includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection of and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are prudent; and the design, implementation and maintenance of internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, and risk management systems relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of Financial Statements by the management of the Bank, as aforesaid.



गया है। वैसे जोखिम मूल्यांकन के समय प्रबंधन ने उन आंतरिक नियंत्रणों को कार्यावित किया है जो वित्तीय विवरणी के निर्माण से संबंधित हैं तथा परिस्थितियों के अनुकूल प्रक्रिया निर्मित की है जिससे बैंक के सभी क्रियाकलापों के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।
4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को अपनाना होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है। इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखती हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।
5. लेखा परीक्षा पर हमारा विचार व्यक्त करने के लिए हमने जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है – यह हमारा विश्वास है।

हमारा विचार

6. हमारे विचार में, बैंक बहियों में दिखाए गए के अनुसार और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
 - (i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन – पत्र संपूर्ण और संगत तुलन – पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सके; तथा

In making those risk assessments, the management has implemented such internal controls that are relevant to the preparation of the financial statement and designed procedures that are appropriate in the circumstances so that the internal control with regard to all the activities of the Bank is effective.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 1. the Balance sheet, read with the significant accounting policies and the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;



- (ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ – हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है।
- (iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

ध्यान देने योग्य बातें

7. हम अनुसूची 18: में निम्नलिखित के संबंध में 'लेखा पर नोट्स' की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:
- नोट 16, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांकित 27 जून 2014 द्वारा अनुमति के अनुसार, राजस्व आरक्षित निधि से एकबारगी उपाय के तौर पर प्रत्यक्षतः पिछली अवधि एफआईटीएल के लेखा पर विविध देयताएं (ब्याज पूंजीकरण) जमा करते समय विवरण प्रदान करता है।
 - नोट 6.17 (ए), (बी) जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 9 फरवरी 2011 द्वारा अनुमति के अनुसार पेंशन व उपदान देयताओं के परिशोधन के संबंध में वर्ष के दौरान पहचान व समायोजन का विवरण प्रदान करता है।
 - नोट 6.20, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांकित 15 मई 2015 द्वारा अनुमति के अनुसार कतिपय गैर-निष्पादन वाले अग्रिमों के लिए 801.07 करोड़ के भिन्नकालिक प्रावधान का विवरण प्रदान करता है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

- तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र 'क' व 'ख' में तैयार किये गये हैं।
 - उपरोक्त पैरा 1 से 5 में सूचित लेखा जांच की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण) अधिनियम 1970/1980 तथा उनमें निहित प्रकटन की सीमाओं की आवश्यकता के अनुसार हम निम्नवत रिपोर्ट करते हैं:
- क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास में हमारी लेखा जांच के उद्देश्य से आवश्यक सभी सूचनाएं व व्याख्याएं प्राप्त की हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के लेनदेन, जो हमारी सूचना में हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।
- ग) हमारे बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा जांच के उद्देश्य से पर्याप्त पाई गई हैं।

- the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

- We draw attention to the Schedule 18: 'Notes to Accounts' regarding:
 - Note 6.19 to the financial statement, which provide details of crediting Sundry Liability (Interest Capitalisation) on account of past period FITL directly from the Revenue Reserve as a onetime measure, as permitted by Reserve Bank of India vide their letter dated June 27, 2014.
 - Note 6.17 (a) and (b) to the financial statements, which provide details of identification and adjustment during the year regarding amortization of pension and gratuity liability as permitted by Reserve Bank of India vide their circular dated February 9, 2011.
 - Note 6.20 to the financial statements, which provide details of staggering of provision of Rs.801.07 crores for certain non-performing advances as permitted by Reserve Bank of India vide their letter dated May 15, 2015.

Our opinion is not qualified in respect of the above stated matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and a subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;



10) हमारे विचार से तुलन – पत्र, लाभ – हानि खाता व नकद प्रवाह
लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं।

10) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account
and Cash Flow Statement comply with the applicable
accounting Standards.

कृते पी चोपड़ा एण्ड
कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
004957एन

कृते ए आर दास एण्ड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
306109ई

कृते एस सी वासुदेव
एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
000235एन

For P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN : 004957N

For A.R. Das & Associates
Chartered Accountants
FRN : 306109E

For S. C. Vasudeva & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000235N

(राकेश जैन)
साझेदार
सदस्यता संख्या :
087925

श्यामल कुमार नायक
साझेदार
सदस्यता संख्या :
051353

(आशीष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या :
093790

(Rakesh Jain)
Partner
Membership No.
087925

(Syamal Kumar Nayak)
Partner
Membership
No.051353

(Ashish Agarwal)
Partner
Membership
No.093790

कृते विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
000719सी

कृते राम राज एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
002839एस

कृते वी के निरंजन
एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
002468एस

For Vinay Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000719C

For Ram Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 002839S

For V K Niranjana & Co.
Chartered Accountants
FRN : 002468S

(विनय कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या :
013795

(के सिव सुब्रमण्य प्रसाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या :
024456

(निरंजन वी के)
साझेदार
सदस्यता संख्या :
021432

(Vinay Kumar Agrawal)
Partner
Membership
No.013795

(K Siva Subramanya Prasad)
Partner
Membership
No.024456

(Niranjana V K)
Partner
Membership
No.021432

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 25 मई 2015

Place: Bengaluru
Date: 25th May, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	475 19 70	461 25 88
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	31384 03 55	29158 85 44
जमा / DEPOSITS	3	473840 10 31	420722 81 82
उधार / BORROWINGS	4	25671 56 75	27230 63 66
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	16629 66 17	14348 28 63
जोड़ / TOTAL		548000 56 48	491921 85 43
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	21971 95 41	22153 78 08
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	26669 14 03	22674 92 99
निवेश / INVESTMENTS	8	145346 18 40	126828 25 50
अग्रिम / ADVANCES	9	330035 51 45	301067 47 88
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	6949 44 73	6641 56 23
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	17028 32 46	12555 84 75
जोड़ / TOTAL		548000 56 48	491921 85 43
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	275355 21 88	223051 44 98
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		21903 47 31	16268 91 63
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यकारी अधिकारी – अतिरिक्त प्रभार)

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमारेन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

राकेश जैन
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

आशिश अग्रवाल
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

बेंगलूरु
25 मई, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	43750 04 26	39547 61 18
अन्य आय / OTHER INCOME	14	4550 25 03	3932 75 62
जोड़ / TOTAL		48300 29 29	43480 36 80
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	34086 37 44	30603 16 54
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	7263 55 13	6081 01 03
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4247 74 30	4357 99 77
जोड़ / TOTAL		45597 66 87	41042 17 34
III. वर्ष का निवल लाभ / III. NET PROFIT FOR THE YEAR		2702 62 42	2438 19 46
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES		680 00 00	650 00 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVES		122 40 00	87 50 00
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		360 80 00	-
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		387 69 62	1107 07 99
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		500 00 00	-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND		-	299 81 95
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		540 96 68	207 56 52
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		110 76 12	86 23 00
जोड़ / TOTAL		2702 62 42	2438 19 46
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		58.59	54.48

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM
BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

RAKESH JAIN
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

ASHISH AGARWAL
Partner

VINAY KUMAR
AGRAWAL
Partner

K SIVA SUBRAMANYA
PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

Bengaluru
MAY 25, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹10/ के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 33,21,96,971 ईक्विटी शेयर । पिछले वर्ष ₹10/- के 31,82,58,837 ईक्विटी शेयर		
i) 33,21,96,971 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH PREVIOUS YEAR 31,82,58,837 EQUITY SHARE OF ₹10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	332 19 70	318 25 88
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 14,30,00,000 EQUITY SHARES OF ₹10/- EACH HELD BY OTHERS	143 00 00	143 00 00
	475 19 70	461 25 88
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		
(बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	7303 00 00	6653 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	680 00 00	650 00 00
जोड़ / TOTAL	7983 00 00	7303 00 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / a. REVALUATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	5498 25 33	2033 24 03
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	-	3569 47 57
	5498 25 33	5602 71 60
घटायें: लाभ व हानि खाते को अंतरण / समायोजन LESS : ADJUSTMENTS / TRANSFER TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	92 40 25	104 46 27
जोड़ / TOTAL	5405 85 08	5498 25 33
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियाँ / b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	221 67 98	99 29 84
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	122 38 14
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	25 05 95	
जोड़ / TOTAL	196 62 03	221 67 98
ग. अन्य / c. OTHERS		
अथशेष / OPENING BALANCE	1356 27 07	1268 77 07
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	122 40 00	87 50 00
जोड़ / TOTAL	1478 67 07	1356 27 07



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM :		
अथशेष / OPENING BALANCE	2716 94 12	2235 20 00
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	556 06 19	481 74 12
जोड़ / TOTAL	3273 00 31	2716 94 12
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क राजस्व आरक्षित निधियाँ / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	8357 70 94	8440 27 95
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	387 69 62	1107 07 99
विशेष आरक्षित निधियों से अंतरित / TRANSFERRED FROM SPECIAL RESERVE		
	8745 40 56	9547 35 94
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	264 31 50	1189 65 00
जोड़ / TOTAL	8481 09 06	8357 70 94
ख विशेष आरक्षित निधियाँ / b. SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (VIII) के अनुसार} {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
अथशेष / OPENING BALANCE	3500 00 00	3500 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	500 00 00	-
जोड़ / TOTAL	4000 00 00	3500 00 00
ग निवेश आरक्षित निधि खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	205 00 00	205 00 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	360 80 00	-
	565 80 00	205 00 00
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
जोड़ / TOTAL	565 80 00	205 00 00
घ लाभ व हानि खाते में शेष / d. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		
	-	-
जोड़ / TOTAL	31384 03 55	29158 85 44



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	1042 08 10	888 36 61
ii. अन्य से / FROM OTHERS	18803 83 00	16855 42 27
जोड़ / Total	19845 91 10	17743 78 88
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	93686 33 32	85535 60 57
जोड़ / Total	93686 33 32	85535 60 57
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / FROM BANKS	28153 78 66	19060 88 04
ii. अन्य से / FROM OTHERS	332154 07 23	298382 54 33
जोड़ / Total	360307 85 89	317443 42 37
जोड़ / Total	473840 10 31	420722 81 82
B. शाखाओं के जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	444702 00 45	398852 91 65
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	29138 09 86	21869 90 17
जोड़ / Total	473840 10 31	420722 81 82
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	131 25 00	-
iii. अन्य संस्थाएँ तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	1915 69 68	5128 71 54
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	10514 60 00	9778 10 00
जोड़ / Total	12561 54 68	14906 81 54
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	11547 49 96	10825 93 82
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	1562 52 11	1497 88 30
जोड़ / Total	13110 02 07	12323 82 12
जोड़ / Total	25671 56 75	27230 63 66



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1020 71 10	1174 10 14
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	306 21 01	218 47 77
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1711 54 72	1471 13 36
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	1406 83 00	1760 50 00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	12184 36 34	9724 07 36
जोड़ / TOTAL	16629 66 17	14348 28 63
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1850 63 10	1140 51 29
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	20121 32 31	21013 26 79
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	20121 32 31	21013 26 79
जोड़ / TOTAL	21971 95 41	22153 78 08
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	38 02 99	163 07 73
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
जोड़ / TOTAL	38 02 99	163 07 73
ii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
जोड़ / TOTAL	-	-
जोड़ / TOTAL	38 02 99	163 07 73
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	4518 27 69	5406 24 25
ii. अन्य जमा खातों में / ii. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	21592 29 23	15104 44 91
iii. माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	520 54 12	2001 16 10
जोड़ / TOTAL	26631 11 04	22511 85 26
जोड़ / TOTAL	26669 14 03	22674 92 99



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल		
I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	144518 69 04	126779 65 35
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	109 06 10	805 85 71
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	144409 62 94	125973 79 64
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /		
i. GOVERNMENT SECURITIES	125529 28 48	107592 82 59
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /		
ii. OTHER APPROVED SECURITIES	1 49 87	1 49 87
iii. शेयर /		
iii. SHARES	1722 35 66	1549 14 09
iv. डिबेंचर और बॉण्ड /		
iv. DEBENTURES AND BONDS	7278 65 77	8407 94 82
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम /		
v. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	796 06 80	665 99 72
vi. अन्य /		
vi. OTHERS	9081 76 36	7756 38 55
जोड़ / Total	144409 62 94	125973 79 64
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	103118 72 50	85242 12 28
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	40343 46 21	40574 80 13
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	947 44 23	156 87 23
जोड़ / Total	144409 62 94	125973 79 64
II. भारत के बाहर निवेश- सकल /		
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	936 55 46	896 51 68
घटायें: मूल्यहास व एन पी आई के लिए प्रावधान /		
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	-	42 05 82
भारत के बाहर निवल निवेश /		
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	936 55 46	854 45 86
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	--	--
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम /		
SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	73 22 11	73 22 11
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	863 33 35	781 23 75
जोड़ / Total	936 55 46	854 45 86
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	98 75 46	77 79 34
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	837 80 00	776 66 52
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	--	--
जोड़ / Total	936 55 46	854 45 86
जोड़ / Total	145346 18 40	126828 25 50



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	10644 88 62	10172 54 20
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	130964 98 18	117083 79 43
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	188425 64 65	173811 14 25
जोड़ / Total	330035 51 45	301067 47 88
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	263935 17 80	242130 83 43
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	9364 08 69	9933 90 69
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	56736 24 96	49002 73 76
जोड़ / Total	330035 51 45	301067 47 88
ग. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	106928 90 32	96652 16 40
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	31624 64 14	31777 93 93
iii. बैंक / iii. BANKS	2 49 69	37 75 12
iv. अन्य / iv. OTHERS	168786 72 14	153375 62 85
जोड़ / Total	307342 76 29	281843 48 30
II. भारत से बाहर अग्रिम / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा अन्य से बकाया) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / i. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	3435 05 61	1507 34 83
ii. मीयादी / समूहन ऋण ii. TERM / SYNDICATED LOANS	9354 61 82	8444 87 26
iii. अन्य / OTHERS	9903 07 73	9271 77 49
जोड़ / Total	22692 75 16	19223 99 58
जोड़ / Total	330035 51 45	301067 47 88



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 10- अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / I. PREMISES		
लागत पर / पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6591 34 99	2919 01 71
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	58 29 78	104 68 51
	6649 64 77	3023 70 22
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	-	3569 47 57
	6649 64 77	6593 17 79
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	66 93	1 82 80
	6648 97 84	6591 34 99
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	697 97 11	594 69 99
	5951 00 73	5996 65 00
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	2385 81 67	1996 36 77
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	779 98 38	442 46 81
	3165 80 05	2438 83 58
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	92 34 78	53 01 91
	3073 45 27	2385 81 67
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2077 20 27	1743 09 44
	996 25 00	642 72 23
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	75 26 84	81 14 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	-
	75 26 84	81 14 04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	5 87 20
	75 26 84	75 26 84
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	70 57 07	69 76 11
	4 69 77	5 50 73
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	2 50 77	3 31 73
	2 19 00	2 19 00
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II and III)	6949 44 73	6641 56 23



यथा 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य अस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED	4450 75 55	4153 25 62
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	6071 04 67	4038 94 36
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	11 58 88	11 68 35
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग अस्तियाँ IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	32 13	33 09
V. अन्य / V. OTHERS	6494 61 23	4351 63 33
जोड़ / TOTAL	17028 32 46	12555 84 75
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	8744 39 85	8015 15 49
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	36 00	25 36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	207080 71 69	158715 01 00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	39353 06 07	35822 84 52
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	98 31 86	44 98 42
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	39451 37 93	35867 82 94
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE		
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-	--
ख. अन्य / b. OTHERS	1500 00 46	614 39 12
जोड़ / TOTAL	275355 21 88	223051 44 98



यथा 31 मार्च, 2015 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)		यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / कटौती / I. INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		32066 12 17		28457 32 65
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		10923 75 29		10251 07 96
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		759 79 04		730 81 88
IV. अन्य / IV. OTHERS		37 76		108 38 69
जोड़ / TOTAL		43750 04 26		39547 61 18
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		928 60 19		939 83 01
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	1160 78 96		681 51 88	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	12 36 00	1148 42 96	17 81 76	663 70 12
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT				
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	103 48 53	(103 48 53)	160 74 51	(160 74 51)
IV. भूमि/ भवनें और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	3 88 36		2 76 58	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	2 52 35	1 36 01	1 66 48	1 10 10
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	781 73 03		669 72 92	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	781 73 03	-	669 72 92
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA		81 15 92		70 25 29
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1712 45 45		1748 88 69
जोड़ / TOTAL		4550 25 03		3932 75 62



यथा 31 मार्च, 2015 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	32025 85 21	28657 80 32
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS	1103 96 57	698 14 23
III. अन्य (टियर I तथा टियर II बॉण्ड ब्याज सहित) / OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	956 55 66	1247 21 99
जोड़ / TOTAL	34086 37 44	30603 16 54
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	4274 25 70	3672 38 11
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	658 89 77	546 80 97
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	51 41 98	41 72 81
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	43 74 07	66 16 23
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	427 06 18	228 46 57
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 38 95	1 43 64
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	51 45 83	47 13 92
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	27 16 44	23 46 52
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	52 50 44	46 04 39
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	199 01 17	181 16 74
XI. बीमा / XI. INSURANCE	391 27 02	299 80 89
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	1085 37 58	926 40 24
जोड़ / TOTAL	7263 55 13	6081 01 03



अनुसूची- 17

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1](क) तैयारी का आधार:

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधानों व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

- 2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। इस प्रकार के मदों के पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।
- 2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में "फेडआई" द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को "फेडआई" द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1](a) Basis of Preparation:

The accounts are prepared under the historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

- 2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

- 2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11- "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain/loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.



2.3 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या डिस्काउंट को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या डिस्काउंट सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित'। इस तरह के वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बाँड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

3.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नवत है :

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/ Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments

3.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2. In determining the acquisition cost of investment:

- (a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.
- (b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.



अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेरों में निवेशों को लागत मूल्य पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर उस प्रतिभूति का बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाजार कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades/quotes on the stock exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category/classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a)) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at Re. 1 per VCF.

c) HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities do not undergo any change after marked to market.



3.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है :

- क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। यदि एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।
- ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।
- ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसम्पत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :-

- क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी)से कम मूल्य पर है तो, तदसंबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।
- ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को आरक्षित पूँजी (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

3.4. Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

- (a) HTM to AFS/HFT category at acquisition price/book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.
- (b) AFS/HFT to HTM category at lower of the book value or market value.
- (c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5. Non performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:-

- (a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.
- (b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/RC.

3.6. Securities included in any of three categories where interest/principal is in arrears for a specified period, are classified as Non performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7. Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).



सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया।

3.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता पर उसको वापस किया जाता है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

- क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नी संविदाएँ बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।
- ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं :
 - i. व्युत्पन्नी संविदाएँ बाज़ार के लिए अंकित नहीं की जाती हैं, जब तक आधारभूत आस्तियां / देयताएँ बाज़ार के लिए अंकित नहीं की जाती हैं।
 - ii. प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

[5] अग्रिम

- 5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- 5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।
- 5.3 घरेलू अग्रिमों हेतु अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8. Accounting for Repo/Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

The securities purchased/sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are recognized as borrowing / lending.

The securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment account and reversed on maturity.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

- a. Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] Advances

- 5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.
- 5.3 Provisions for domestic advances are made for performing/non - performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for performing/ non-performing advances with foreign branches are made as per local regulations / regulations of host country according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.



- 5.5 तुलन पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- 5.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जाता है। वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है।
- 5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(6) अचल परिसंपत्तियाँ

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

(7) मूल्यहास

- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।
- 7.2 पट्टाधृत संपत्ति परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टा अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।
- 7.3 अचल परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 5.6 Partial recoveries in Non Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements/ "Loan Past Due" advances, the recoveries are first adjusted towards principal.
- 5.7 In case of financial assets sold to SC/ RC, the valuation, income recognition is being done as per RBI guidelines.

(6) Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.
- 6.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

[7] Depreciation

- 7.1. Fixed Assets excluding Computers are depreciated under Written Down Value Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of RBI, depreciation on Computers including ATMs is charged at 33.33% on Straight-Line Method.
- 7.2. Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- 7.3. Depreciation on additions to fixed assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.



(8) आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

(9) राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोड़कर, उपचित आधार पर किया किया जाता है :

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।
- ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।
- ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने की अधिकार स्थापित किया जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

(10) कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं : परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

- क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।
- ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[9] Revenue Recognition

9.1. Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a) Interest on Non-Performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

(10) Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

10.2 Defined Benefit Plans

- a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Banks obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
- b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Banks obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.



ग) ऋण परिशोधन : बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

10.3 विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

(11) कराधान के लिए प्रावधान

क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।

ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।

ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

(12) निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-

क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो।

ख) यह संभव है कि उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन दायित्व निपटान के लिए आवश्यक हो, तथा

ग) जब दायित्व राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

c) Amortization: The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

10.3 The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each Balance Sheet date.

(11) Provision for Taxation

a) Provision for tax is made for both Current and & Deferred Taxes.

b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.

c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

(12) Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants Of India, the bank recognizes provision only when :

a. it has a present obligation as a result of past event.

b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.



II. निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया :-

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

12.2 निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

- क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व अनावश्यक प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

II. No provision is recognized for:

- a. Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:-

- a) Provision for depreciation on Investments.
- b) Provision for Taxation.
- c) Provision on loan losses
- d) Provision on Standard Assets.
- e) Provision for Non Performing Investments.
- f) Other usual & necessary Items.

[13] Earning per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.



अनुसूची 18

अनुसूची 18- लेखा संबंधी टिप्पणियां

1 निवेश:

- यथा 31.03.2015 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मीयादी देयता का 22.23% था (पिछले वर्ष 21.66%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।
- अनुसूची-8 में अनुषंगियों तथा / या भारत के संयुक्त उद्यमों में निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयरों का आवंटन लंबित रहने के कारण शेयर पूंजी के प्रति निवेश की गई अग्रिम ₹29.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.40 करोड़) को भी समाहित किया गया है।

2 अंतर-शाखा लेनदेन:

31.03.2015 तक अंतर-शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टि को घटाने के अपने प्रयास को जारी रख रहा है।

3 परिसर:

परिसर में ₹211.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.35 करोड़) की कुछ संपत्तियां शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंकों के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।

4 भारतीय रिज़र्व बैंक के आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण:

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ में)

मदें	बासेल II		बासेल III	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
(i) सीआरएआर	10.98	11.14	10.56	10.63
(ii) सी ई टी 1 अनुपात (%)	---	---	7.37	7.41
(iii) टियर I पूंजी अनुपात (%)	8.30	8.00	8.02	7.68
(iv) टियर II पूंजी अनुपात (%)	2.68	3.14	2.54	2.95
(v) बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत (%)	69.91	69.00	69.91	69.00
(vi) अतिरिक्त प्राप्त टियर I पूंजी राशि	1500.00	--	1500.00	--

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1 Investments:

- The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2015 was 22.23% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 21.66%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines
- Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates in India in Schedule-8 includes Rs.29.40 Crore (Previous year Rs.29.40 Crore) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

2 Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2015 has been done. However, Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

3 Premises:

Premises include certain properties having original cost of ₹211.35 Crore (Previous year ₹211.35 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending executions.

4 Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

(₹ In Crore)

Particulars	Basel II		Basel III	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
(i) CRAR	10.98	11.14	10.56	10.63
(ii) CET 1 Ratio (%)	---	---	7.37	7.41
(iii) Tier I Capital Ratio (%)	8.30	8.00	8.02	7.68
(iv) Tier II Capital Ratio (%)	2.68	3.14	2.54	2.95
(v) Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	69.91	69.00	69.91	69.00
(vi) Amount of Additional Tier 1 capital raised	1500.00	--	1500.00	--



(vii) अतिरिक्त प्राप्त टियर II पूँजी राशि; जिसमें से ऋण पूँजी लिखत:	शून्य	2500.00	शून्य	2500.00
अधिमानी शेयर पूँजी लिखत:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vii) Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:	Nil	2500.00	Nil	2500.00
	Nil	Nil	Nil	Nil

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. निवेशों का सकल मूल्य	145455.24	127676.17
क. भारत में	144518.68	126779.65
ख. भारत से बाहर	936.56	896.52
ii. मूल्यहास, एन पी आई के लिए प्रावधान	109.06	847.92
क. भारत में	109.06	805.86
ख. भारत से बाहर	-	42.06
iii. निवेशों का निवल मूल्य	145346.18	126828.25
क. भारत में	144409.62	125973.79
ख. भारत से बाहर	936.56	854.46

(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार – चढ़ाव और एन पी आई :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. प्रारंभिक शेष	847.92	217.71
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	56.17	756.00
iii. घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते डालना	795.03	125.79
iv. इति शेष	109.06	847.92

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. Gross Value of Investments	145455.24	127676.17
a. In India	144518.68	126779.65
b. Outside India	936.56	896.52
ii. Provisions for Depreciation, NPI	109.06	847.92
a. In India	109.06	805.86
b. Outside India	-	42.06
iii. Net Value of Investments	145346.18	126828.25
a. In India	144409.62	125973.79
b. Outside India	936.56	854.46

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. Opening Balance	847.92	217.71
ii. Add: Provisions made during the year	56.17	756.00
iii. Less: Write back of excess provisions during the year	795.03	125.79
iv. Closing balance	109.06	847.92



4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन:

i. बाजार रेपो

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2015 को
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.00	7242.05	570.18	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	30.00	8903.20	1242.86	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.1 Repo Transactions-

i. Market REPO

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2015
Securities sold under repo				
i) Government Securities	5.00	7242.05	570.18	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	30.00	8903.20	1242.86	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2015
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	12033.84	2942.51	5876.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	104.00	7696.00	436.19	2600.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2015
Securities sold under repo				
i) Government Securities	104.00	12033.84	2942.51	5876.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	104.00	7696.00	436.19	2600.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL



4.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग:

i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश का जारीकर्ता विन्यास:

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	4805.52	4284.35	शून्य	शून्य	12.89
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	5077.06	4506.81	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंक	5004.40	4210.58	10.00	31.25	31.25
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	1616.93	1011.69	118.70	शून्य	शून्य
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	869.29	869.29	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	2529.90	2362.99	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	घटाएं : मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	108.46	--	--	--	--
	कुल	19794.64	17245.71	128.70	31.25	44.14

कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	4805.52	4284.35	NIL	NIL	12.89
(ii)	Fis	5077.06	4506.81	NIL	NIL	NIL
(iii)	Banks	5004.40	4210.58	10.00	31.25	31.25
(iv)	Private Corporate	1616.93	1011.69	118.70	NIL	NIL
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	869.29	869.29	NIL	NIL	NIL
(vi)	Others	2529.90	2362.99	NIL	NIL	NIL
(vii)	Less: Provision held towards depreciation and NPI	108.46	--	--	--	--
	Total	19794.64	17245.71	128.70	31.25	44.14

Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.



ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश :
(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
प्रारंभिक शेष	284.81	225.76
1 अप्रैल के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	81.83	122.31
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	35.08	63.26
इति शेष	331.56	284.81
धारित कुल प्रावधान	281.40	219.81

ii) Non-Performing Non SLR Investments:
(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance	284.81	225.76
Additions during the year since 1st April 2014	81.83	122.31
Reductions during the above period	35.08	63.26
Closing balance	331.56	284.81
Total Provisions held	281.40	219.81

4.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग को / से बिक्री और अंतरण :

एच टी एम वर्ग को / से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य यथा 01.04.2014 तक एच टी एम वर्ग धारित निवेश के बही मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

The value of sale and transfers of securities to/from HTM category during the year does not exceed five percent of the book value of the investment held in HTM category as on 01.04.2014.

4.3 व्युत्पन्नियाँ:

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	6692.50	6461.07
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	230.23	272.24
iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	शून्य	शून्य
iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेंद्रण	शून्य	शून्य
v. विनिमय बही का उचित मूल्य	229.47	269.62

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. The notional principal of swap agreements	6692.50	6461.07
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	230.23	272.24
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	229.47	269.62



4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी :

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार) शून्य a) 8.83 CL 23 MAT 12.12.2041 b) 8.40 CL MAT 28.07.2024	654.84 104.88
(ii)	यथा 31 मार्च 2015 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा “ज्यादा प्रभावी” नहीं (लिखत-वार)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा “ज्यादा प्रभावी” नहीं (लिखत-वार)	शून्य

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument Wise) a) 8.83 CL 23 MAT 12.12.2041 b) 8.40 CL MAT 28.07.2024	654.84 104.88
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2015 (instrument- wise)	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument- wise)	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	NIL

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण:

I गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की आस्तियों / देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राजकोष जोखिम प्रबंधन नीति है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर, जीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक के पास टायर II बांड भी हैं और यह पूंजी लागत स्थिर दर पर है और इसमें बहिर्गमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I Qualitative Disclosure

The Treasury Risk Management Policy for using Derivative Instruments to hedge bank's Assets/Liabilities has been approved by the Board of Directors.

A) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has Tier II bonds hedged for interest rate swaps which do not have exit options. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS (only plain vanilla transactions are permitted). These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.



आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) और बिलकुल सादा (प्लेन वनिला) कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव से उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है। बैंक द्वारा विकल्प बुक रनिंग प्रारंभ करना बाकी है।

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश संविभाग के ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) में व्युत्पन्नी का प्रयोग नहीं किया है और व्यापार अदला-बदली/मुद्रा व्युत्पन्नी/वायदा दर करार भी नहीं किया है।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बकाया व्युत्पन्नी लेनदेन के बचाव व्यवस्था प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में निगरानी की जाती है।

ग) बचाव की स्थिति

- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को राजस्व खाते में माना जाता है।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफआईएमएमडीए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS, FRAs, etc for the purpose of hedging Foreign Currency liabilities. Options and Swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis. The Bank is yet to start Option book running.

During the year Bank has not undertaken derivative trades in Interest Rate Swaps (IRS) of the Investment Portfolio and Trading Swaps / Currency Derivative / Forward Rate Agreements (FRA) were also not undertaken.

B) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on an ongoing basis.

C) Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense/ income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. Bank has used the FIMMDA pricing method i.e. relevant G SEC yield + corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying Asset/Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as expense / income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expense under the above head.



II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	– बचाव व्यवस्था	शून्य		6592.50	
	– ट्रेडिंग	1121.32*		100.00	
2	बाजार स्थितियों पर अंकित				
	– आस्तियाँ (+)	शून्य		230.23	
	– देयताएँ (–)	-0.01		-0.76	
3	ऋण जोखिम	शून्य		0.65	
		घरेलू		समुद्रपारीय	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01]–				
	– बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	1.01
	– ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	0.0058	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01				
	– बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	– ट्रेडिंग व्युत्पन्नियों पर	शून्य	0.0155/0.0055	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव : ₹0.41 करोड़ का लाभ				

*Currency future in NSE/MCX



II Quantitative disclosure

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging		Nil		6592.50
	- Trading		1121.32*		100.00
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)		Nil		230.23
	- Liabilities (-)		-0.01		-0.76
3	Credit Exposure		NIL		0.65
		Domestic		Overseas	
		Currency Derivative	Interest Rate Derivatives	Currency Derivative	Interest Rate Derivatives
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]				
	- on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	1.01
	- on trading derivatives	NIL	0.0058	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	0.0155/0.0055	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: Gain of ₹0.41 crore.				

*Currency future in NSE/MCX



4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2015	31.03.2014
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	2.65	1.98
(ii)	एनपीए का उतार- चढ़ाव (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	7570.21	6260.16
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	10869.53	8443.62
	ग. वर्ष के दौरान कमी	5399.78	7133.57
	घ. इति शेष	13039.96	7570.21
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	5965.46	5278.07
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	8174.41	8443.62
	ग. वर्ष के दौरान कमी	5399.78	7756.23
	घ. इति शेष	8740.09	5965.46
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. प्रारंभिक शेष	1560.84	932.96
	ख. मुद्रा अस्थिरता तथा अन्य के लिए प्रावधान	-3.25	30.46
	ग. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	4175.71	2238.03
	घ. बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	1479.62	1640.61
	ड. इति शेष	4253.68	1560.84

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2015	31.03.2014
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	2.65	1.98
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	7570.21	6260.16
	b. Additions during the year	10869.53	8443.62
	c. Reductions during the year	5399.78	7133.57
	d. Closing balance	13039.96	7570.21
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a. Opening balance	5965.46	5278.07
	b. Additions during the year	8174.41	8443.62
	c. Reductions during the year	5399.78	7756.23
	d. Closing balance	8740.09	5965.46
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a. Opening balance	1560.84	932.96
	b. Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	-3.25	30.46
	c. Provisions made during the year	4175.71	2238.03
	d. Write off / (Write back) of excess provision	1479.62	1640.61
	e. Closing balance	4253.68	1560.84



4.4.2 पुनः संरचित खातों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनःसंरचना तंत्र के तहत				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	42	6	9	1	58	2644	1538	3848	2545	10575
		बकाया राशि	4485.45	802.12	274.15	239.30	5801.02	524.94	188.80	143.76	46.03	903.53
		तद्संबंधी प्रावधान	156.99	125.05	212.61	239.30	733.95	18.37	34.80	78.62	46.03	177.04
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	23	2	5	0	30	7618	614	15	11	8258
		बकाया राशि	2192.40	73.53	731.37	0.00	2997.30	418.55	53.97	2.85	0.08	475.45
		तद्संबंधी प्रावधान	76.51	11.03	433.89	0.00	521.42	11.00	8.53	1.31	0.08	20.92
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	4	-3	-1	0	0	209	-98	138	-236	13
		बकाया राशि	528.70	-500.72	-26.98	0.00	1.00	41.62	-35.59	11.04	-7.01	10.05
		तद्संबंधी प्रावधान	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	1.46	0.00	9.85	-5.72	5.59
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	17	0	0	0	17	590	0	0	0	590
		बकाया राशि	1253.81	0.00	0.00	0.00	1253.81	83.19	0.00	0.00	0.00	83.19
		तद्संबंधी प्रावधान	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-16	11	7	1	3	-924	497	286	169	28
		बकाया राशि	-1601.31	772.54	829.73	122.22	123.19	-136.03	125.66	102.11	90.46	182.20
		तद्संबंधी प्रावधान	-56.05	-159.71	403.14	122.22	309.61	-4.76	-5.17	18.29	73.51	81.88
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-12	-5	2	0	-15	670	505	-19	-23	1133
		बकाया राशि	-2554	-803	404	0	-2953.08	188	83	21	5	297.12
		तद्संबंधी प्रावधान	-51	-322	221	0	-152	6	-2	-13	9	-1
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	48	21	18	2	89	8287	2046	4306	2512	17151
		बकाया राशि	6905.67	1950.12	1404.46	361.52	10621.77	577.88	249.93	239.04	124.06	1190.92
		तद्संबंधी प्रावधान	241.70	298.25	829.14	361.52	1730.60	20.23	39.86	121.33	104.54	285.96



4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		UNDER CDR MECHANISM					UNDER SME DEBT RESTRUCTURING MECHANISM				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	42	6	9	1	58	2644	1538	3848	2545	10575
		AMOUNT OUTSTANDING	4485.45	802.12	274.15	239.30	5801.02	524.94	188.80	143.76	46.03	903.53
		PROVISION THEREON	156.99	125.05	212.61	239.30	733.95	18.37	34.80	78.62	46.03	177.04
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	23	2	5	0	30	7618	614	15	11	8258
		AMOUNT OUTSTANDING	2192.40	73.53	731.37	0.00	2997.30	418.55	53.97	2.85	0.08	475.45
		PROVISION THEREON	76.51	11.03	433.89	0.00	521.42	11.00	8.53	1.31	0.08	20.92
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	4	-3	-1	0	0	209	-98	138	-236	13
		AMOUNT OUTSTANDING	528.70	-500.72	-26.98	0.00	1.00	41.62	-35.59	11.04	-7.01	10.05
		PROVISION THEREON	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	1.46	0.00	9.85	-5.72	5.59
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASES TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	17	0	0	0	17	590	0	0	0	590
		AMOUNT OUTSTANDING	1253.81	0.00	0.00	0.00	1253.81	83.19	0.00	0.00	0.00	83.19
		PROVISION THEREON	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-16	11	7	1	3	-924	497	286	169	28
		AMOUNT OUTSTANDING	-1601.31	772.54	829.73	122.22	123.19	-136.03	125.66	102.11	90.46	182.20
		PROVISION THEREON	-56.05	-159.71	403.14	122.22	309.61	-4.76	-5.17	18.29	73.51	81.88
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-12	-5	2	0	-15	670	505	-19	-23	1133
		AMOUNT OUTSTANDING	-2554	-803	404	0	-2953.08	188	83	21	5	297.12
		PROVISION THEREON	-51	-322	221	0	-152	6	-2	-13	9	-1
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	48	21	18	2	89	8287	2046	4306	2512	17151
		AMOUNT OUTSTANDING	6905.67	1950.12	1404.46	361.52	10621.77	577.88	249.93	239.04	124.06	1190.92
		PROVISION THEREON	241.70	298.25	829.14	361.52	1730.60	20.23	39.86	121.33	104.54	285.96



(₹ करोड़ में)

क्र मांक	पुनःसंरचना का प्रकार		पुनःसंरचना का प्रकार					अन्य				
	आस्ति वर्गीकरण		आस्ति वर्गीकरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि
	विवरण											
1	यथा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनःसंरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़ा)	उधारकर्ताओं की संख्या	13291	1345	2668	1023	18327	15977	2889	6525	3569	28960
		बकाया राशि	17946.54	660.22	1055.28	236.27	19898.31	22956.93	1651.14	1473.20	521.60	26602.87
		तद्संबंधी प्रावधान	628.12	100.54	494.19	236.27	1458.96	803.49	260.39	785.42	521.60	2370.90
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	22183	948	109	92	23332	29824.00	1564	129	103	31620.00
		बकाया राशि	4365.96	58.16	48.27	1.04	4473.43	6976.91	185.66	782.50	1.12	7946.19
		तद्संबंधी प्रावधान	173.40	9.52	24.31	1.04	208.28	260.91	29.08	459.51	1.12	750.62
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक श्रेणी को स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	536	-298	-54	-147	37	749.00	-399	83	-383	50.00
		बकाया राशि	479.89	-474.03	-1.19	-2.28	2.38	1050.20	-1010.34	-17.14	-9.28	13.43
		तद्संबंधी प्रावधान	16.80	0.02	1.25	-1.10	16.97	36.76	0.03	11.10	-6.82	41.06
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा / या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित करनेवाली पुनःसंरचित मानक अग्रिमों को अगले वित्तीय वर्ष में पुनः संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	1595	0	0	0	1595	2202.00	0	0	0	2202.00
		बकाया राशि	2173.38	0.00	0.00	0.00	2173.38	3510.37	0.00	0.00	0.00	3510.37
		तद्संबंधी प्रावधान	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49	29.71	0.00	0.00	0.00	29.71
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1738	973	547	398	180	-2678.00	1481	840	568	211.00
		बकाया राशि	-247.48	-60.17	322.56	64.38	79.28	-1984.82	838.03	1254.40	277.06	384.67
		तद्संबंधी प्रावधान	-8.66	-115.14	118.09	64.38	58.67	-69.47	-280.01	539.52	260.11	450.16
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनःसंरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	4439	530	74	40	5083	5097.00	1030	57	17	6201.00
		बकाया राशि	1210	-186	504	102	1628.92	-1156.55	-942.00	928	107	-1027.04
		तद्संबंधी प्रावधान	115	-64	136	103	289	69	-387	343	112	137
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनःसंरचना खाते (इति आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	28238	2438	3196	1326	35198	36573.00	4505	7520.00	3840.00	52438.00
		बकाया राशि	19161.84	370.53	920.99	197.77	20651.12	26645.40	2570.59	2564.49	683.35	32463.82
		तद्संबंधी प्रावधान	670.66	58.86	502.28	197.71	1429.51	932.59	396.97	1452.75	663.77	3446.07



(₹ in Crore)

Sl. No.	TYPE OF RESTRUCTURING		OTHERS					TOTAL				
	ASSET CLASSIFICATION		STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STANDARD	SUB STANDARD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DETAILS											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY(OPENING FIGURES)	NO OF BORROWERS	13291	1345	2668	1023	18327	15977	2889	6525	3569	28960
		AMOUNT OUTSTANDING	17946.54	660.22	1055.28	236.27	19898.31	22956.93	1651.14	1473.20	521.60	26602.87
		PROVISION THEREON	628.12	100.54	494.19	236.27	1458.96	803.49	260.39	785.42	521.60	2370.90
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO OF BORROWERS	22183	948	109	92	23332	29824.00	1564	129	103	31620.00
		AMOUNT OUTSTANDING	4365.96	58.16	48.27	1.04	4473.43	6976.91	185.66	782.50	1.12	7946.19
		PROVISION THEREON	173.40	9.52	24.31	1.04	208.28	260.91	29.08	459.51	1.12	750.62
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO OF BORROWERS	536	-298	-54	-147	37	749.00	-399	83	-383	50.00
		AMOUNT OUTSTANDING	479.89	-474.03	-1.19	-2.28	2.38	1050.20	-1010.34	-17.14	-9.28	13.43
		PROVISION THEREON	16.80	0.02	1.25	-1.10	16.97	36.76	0.03	11.10	-6.82	41.06
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/ OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO OF BORROWERS	1595	0	0	0	1595	2202.00	0	0	0	2202.00
		AMOUNT OUTSTANDING	2173.38	0.00	0.00	0.00	2173.38	3510.37	0.00	0.00	0.00	3510.37
		PROVISION THEREON	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49	29.71	0.00	0.00	0.00	29.71
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	-1738	973	547	398	180	-2678.00	1481	840	568	211.00
		AMOUNT OUTSTANDING	-247.48	-60.17	322.56	64.38	79.28	-1984.82	838.03	1254.40	277.06	384.67
		PROVISION THEREON	-8.66	-115.14	118.09	64.38	58.67	-69.47	-280.01	539.52	260.11	450.16
6	WRITE OFFS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO OF BORROWERS	4439	530	74	40	5083	5097.00	1030	57	17	6201.00
		AMOUNT OUTSTANDING	1210	-186	504	102	1628.92	-1156.55	-942.00	928	107	-1027.04
		PROVISION THEREON	115	-64	136	103	289	69	-387	343	112	137
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO OF BORROWERS	28238	2438	3196	1326	35198	36573.00	4505	7520.00	3840.00	52438.00
		AMOUNT OUTSTANDING	19161.84	370.53	920.99	197.77	20651.12	26645.40	2570.59	2564.49	683.35	32463.82
		PROVISION THEREON	670.66	58.86	502.28	197.71	1429.51	932.59	396.97	1452.75	663.77	3446.07



4.4.3 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. खातों की संख्या	66	60
ii. एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	497.51	709.96
iii. समग्र प्रतिफल*	906.00	1166.36
iv. पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
v. निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	408.49	456.40

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. No. of accounts	66	60
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	497.51	709.96
iii. Aggregate consideration*	906.00	1166.36
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
v. Aggregate Gain over Net Book Value	408.49	456.40

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1 क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख. समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
2 क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनः संरचनाकृत खातों की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1 a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
b. Aggregate consideration	NA	NA
2 a. Of these, number of accounts restructured during the year	NA	NA
b. Aggregate outstanding	NA	NA



ख) बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. बेचे गये खातों की संख्या	66	60
ii. समग्र बकाया	1200.11	1479.74
iii. प्राप्त समग्र प्रतिफल	906.00	1166.36

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. No. of accounts sold	66	60
ii. Aggregate outstanding	1200.11	1479.74
iii. Aggregate consideration received	906.00	1166.36

4.4.5 प्रतिभूतिकृत कम्पनियों (एस सी) / पुनर्संरचित कम्पनियों (आर सी) को अनर्जक वित्तीय आस्तियां बेचा जाना:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनपीए द्वारा अंतर्निहित के तौर पर बैंक द्वारा बेचा गया		एनपीए द्वारा समर्थित अंतर्निहित के तौर पर अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बेचा गया		कुल	
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
	709.96	497.51	शून्य	शून्य	709.96	497.51

4.4.5 Sale of non-performing assets (NPAs) to Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Companies (RCs).

(₹ In Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
Book value of investments in security receipts	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year
	709.96	497.51	Nil	Nil	709.96	497.51



4.4.6 मानक आस्ति संबंधी प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1870.25	1715.38

4.4.6 Provisions on Standard Asset:

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provisions towards Standard Assets	1870.25	1715.38

4.5 कारोबार अनुपात:

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	8.88	8.80
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.92	0.87
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.41	1.51
iv. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.55	0.54
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलकर) [₹ लाख में]	1435.02	1438.38
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	0.05	0.05

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	8.88	8.80
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.92	0.87
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.41	1.51
iv. Return on Assets (%)	0.55	0.54
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [₹ in lakhs]	1435.02	1438.38
vi. Profit per employee [₹ in crore]	0.05	0.05



4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	4072.31 (5866.00)	17135.04 (9488.00)	211.25 (237.97)	1100.00 (3000.00)	3600.93 (1532.26)	860.24 (1239.95)
2 से 07 दिनों तक	15662.94 (26984.00)	11513.17 (13636.00)	2500.00 (549.02)	287.48 (1936.43)	1744.34 (3461.26)	3886.11 (3305.22)
8 से 14 दिनों तक	12729.60 (12565.00)	8622.58 (11119.00)	5.00 (55.63)	0.00 (275.61)	3073.59 (1475.28)	3287.62 (1410.29)
15 से 28 दिनों तक	16211.67 (14254.00)	14575.33 (16231.00)	347.54 (630.41)	446.06 (149.79)	2564.25 (2271.01)	2205.90 (1492.02)
29 दिनों से 3 महीने तक	46182.82 (41560.00)	28135.10 (20701.00)	6867.80 (2406.82)	3740.43 (2261.38)	9798.76 (7551.54)	11351.41 (7586.70)
3 महीने से 6 महीने तक	38531.94 (35584.00)	20837.77 (21463.00)	3394.47 (1340.02)	1347.27 (2158.69)	4882.25 (6054.11)	7781.87 (9633.45)
6 महीने से 1 वर्ष तक	132437.70 (128792.00)	47128.30 (40135.00)	5081.73 (2227.65)	1726.27 (1265.20)	10926.29 (8566.44)	9678.39 (4805.09)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	167375.63 (129055.00)	82604.60 (76365.00)	16868.52 (12332.09)	5984.34 (5735.17)	6240.47 (3825.78)	1506.87 (5279.81)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	21443.81 (11232.00)	35902.27 (27975.00)	32567.18 (30092.29)	3450.09 (4358.77)	2874.14 (1972.76)	4041.56 (3026.43)
5 वर्षों से ऊपर	19191.68 (14832.00)	63581.35 (63954.00)	77502.69 (76998.41)	7589.60 (6089.60)	3561.01 (2306.04)	4666.06 (1237.52)
कुल	473840.10 (420724.00)	330035.51 (301067.00)	145346.18 (126870.31)	25671.57 (27230.64)	49266.03 (39016.48)	49266.03 (39016.48)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिये गए हैं)

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	4072.31 (5866.00)	17135.04 (9488.00)	211.25 (237.97)	1100.00 (3000.00)	3600.93 (1532.26)	860.24 (1239.95)
2 to 7 days	15662.94 (26984.00)	11513.17 (13636.00)	2500.00 (549.02)	287.48 (1936.43)	1744.34 (3461.26)	3886.11 (3305.22)
8 to 14 days	12729.60 (12565.00)	8622.58 (11119.00)	5.00 (55.63)	0.00 (275.61)	3073.59 (1475.28)	3287.62 (1410.29)
15 to 28 days	16211.67 (14254.00)	14575.33 (16231.00)	347.54 (630.41)	446.06 (149.79)	2564.25 (2271.01)	2205.90 (1492.02)
29 days to 3 months	46182.82 (41560.00)	28135.10 (20701.00)	6867.80 (2406.82)	3740.43 (2261.38)	9798.76 (7551.54)	11351.41 (7586.70)
3 months to 6 months	38531.94 (35584.00)	20837.77 (21463.00)	3394.47 (1340.02)	1347.27 (2158.69)	4882.25 (6054.11)	7781.87 (9633.45)
6 months to 1 year	132437.70 (128792.00)	47128.30 (40135.00)	5081.73 (2227.65)	1726.27 (1265.20)	10926.29 (8566.44)	9678.39 (4805.09)
1 year to 3 years	167375.63 (129055.00)	82604.60 (76365.00)	16868.52 (12332.09)	5984.34 (5735.17)	6240.47 (3825.78)	1506.87 (5279.81)
3 years to 5 years	21443.81 (11232.00)	35902.27 (27975.00)	32567.18 (30092.29)	3450.09 (4358.77)	2874.14 (1972.76)	4041.56 (3026.43)
Over 5 years	19191.68 (14832.00)	63581.35 (63954.00)	77502.69 (76998.41)	7589.60 (6089.60)	3561.01 (2306.04)	4666.06 (1237.52)
Total	473840.10 (420724.00)	330035.51 (301067.00)	145346.18 (126870.31)	25671.57 (27230.64)	49266.03 (39016.48)	49266.03 (39016.48)

(Figures in brackets relate to previous year)

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)



4.7 ऋण जोखिम:

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2015	31.03.2014
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	21622.52	17039.39
	आवासीय बंधक	18019.93	14210.20
	- आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिया गया है।		
	- जिसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र है	9071.83	8984.47
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	3601.96	2828.19
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।		
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	0.63	1.00
	क. आवासीय	0.63	1.00
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	7808.02	9515.30
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	7808.02	9515.30
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	29430.54	26554.69

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in Crore)

Category		31.03.2015	31.03.2014
a)	Direct Exposure	21622.52	17039.39
(i)	Residential Mortgages	18019.93	14210.20
	- lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	9071.83	8984.47
(ii)	Commercial Real Estate	3601.96	2828.19
	- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.		
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	0.63	1.00
	a. Residential	0.63	1.00
	b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
b)	Indirect Exposure	7808.02	9515.30
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7808.02	9515.30
	Total Exposure to Real Estate Sector	29430.54	26554.69

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)



4.7.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2015	31.03.2014
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1281.39	1064.79
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यक्तियों को दिया गया अग्रिम	10.30	शून्य
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के इकाईयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	61.40	673.58
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के इकाईयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के इकाईयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती।	77.00	शून्य
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	662.27	730.70
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचरों के प्रतिभूति में या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तियाँ कार्पोरेटों को स्वीकृत अग्रिम।	0.10	शून्य
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इश्यूओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण।	NIL	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इश्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें।	NIL	शून्य
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	NIL	शून्य
x.	वेंचर पूँजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत, दोनों पूँजी बाजार में कुल जोखिम	363.96	411.15
पूँजी बाजार की कुल ऋण जोखिम		2456.42	2880.22



4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2015	31.03.2014
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1281.39	1064.79
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	10.30	NIL
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	61.40	673.58
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	77.00	NIL
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	662.27	730.70
vi.	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.10	NIL
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible –debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	363.96	411.15
Total Exposure to Capital Market		2456.42	2880.22



4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम:

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2015 को युनाइटेड किंगडम (नगण्य जोखिम – ए1) व हाँगकाँग (निम्न जोखिम ए2 – श्रेणी) के साथ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा हुआ है तथा आवश्यक प्रावधान बनाया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2015 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2015 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2014 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2014 को धारित प्रावधान
नगण्य	12659.96	6.17	10775.60	शून्य
कम	20367.49	8.12	21876.47	6.84
सामान्य	1568.85	शून्य	2223.46	शून्य
उच्च	7.05	शून्य	82.19	शून्य
बहुत ज्यादा	96.61	शून्य	0.87	शून्य
प्रतिबंधित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऑफ- क्रेडिट	2.73	शून्य	1.75	शून्य
कुल	34702.69	14.29	34960.34	6.84

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country for which the Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2015 in the case of United Kingdom (Insignificant Risk – A1) & Hong Kong (Low Risk category –A2) the Net funded exposure exceeds 1% of the total assets, for which the required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015	Exposure (net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014
Insignificant	12659.96	6.17	10775.60	NIL
Low	20367.49	8.12	21876.47	6.84
Moderate	1568.85	NIL	2223.46	NIL
High	7.05	NIL	82.19	NIL
Very High	96.61	NIL	0.87	NIL
Restricted	0.00	NIL	0.00	NIL
Off-credit	2.73	NIL	1.75	NIL
TOTAL	34702.69	14.29	34960.34	6.84



4.7.4 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) तथा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण:

बैंक का किसी भी समूह खातों के मामले में निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा से अधिक नहीं है तथा आधारभूत संरचना परियोजनाओं में या ऑयल कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता को नियोजित किया गया है।

4.7.5 गैर जमानती अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल गैर जमानती अग्रिम	56736.25	49002.74
जिसमें से		
i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	5094.56	4863.02
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	7689.29	9276.59

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

4.8 विविध:

4.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आयकर हेतु प्रावधान (संपत्ति कर तथा आस्थगित कर सहित)	795.00	625.00

4.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी) के साथ पठनीय धारा 47A(1) तथा फेमा की धारा 11 की उप धारा (3) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नियम या शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने के लिए बैंक पर ₹0.10 करोड़ का दंड लगाया गया है। बैंक ने दिनांक 04.08.2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को ₹0.10 करोड़ का उक्त दंड राशि प्रदान किया है।

5. लेखांकन मानदंड:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

4.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for Oil Companies.

4.7.5 Unsecured Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Unsecured Advance	56736.25	49002.74
Out of which		
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	5094.56	4863.02
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	7689.29	9276.59

(As Compiled by Management and relied upon by Auditor)

4.8. Miscellaneous:

4.8.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Income Tax (including Wealth tax and Deferred tax)	795.00	625.00

4.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the financial year 2014-15, the Bank has been subjected to an aggregate penalty of Rs 0.10 Crore in terms of Section 47A(1) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance of the Reserve Bank of India instructions. Bank has paid penalty amount of Rs.0.10 Crore to Reserve Bank of India on 04.08.2014.

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:



5.1 लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 – कर्मचारी हितलाभ

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमाकिक अनुमान किये गए हैं :

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा-बही में प्रावधान नहीं बनाए गए हैं क्योंकि इसका नकदीकरण नहीं किया जा सकता है, जब कोई कर्मचारी अस्वस्थता अवकाश लेता है तो उस कर्मचारी के बदले में कोई अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान नहीं किया जाता है तथा अस्वस्थता अवकाश के लिए कोई एवजी भुगतान नहीं किया जाता है।

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has not been made in the books of account due to the reason that the same is not encashable, no additional staff being provided when an employee avails sick leave and there will not be any pay out on account of sick leave.

मूलधन बीमाकिक अनुमान

	विवरण	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	8.00%	8.00%	8.00%
	आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	9.15%	9.15%	शून्य
	वेतन में बढोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढोत्तरी	शून्य	2.00%	शून्य
	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत	आई ए एल एम (2006-08) आधारभूत

Principal Actuarial Assumptions

	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	8.00%	8.00%	8.00%
	Expected Return on Assets	9.15%	9.15%	NIL
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	NIL	2.00%	NIL
	Mortality	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate



दायित्वों तथा आस्तियों में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क. परिभाषित दायित्व लाभ में परिवर्तन

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1610.34	9035.86	724.22
2	सेवा लागत	37.88	182.60	35.91
3	ब्याज लागत	138.28	805.27	66.99
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	108.81	269.80	(26.74)
5	लाभ भुगतान	(230.77)	(660.39)	शून्य
6	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1664.54	9633.14	800.38

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1567.50	8896.09	-
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	140.91	800.69	-
3	वास्तविक कंपनी अंशदान	175.68	369.54	-
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	(135.52)	(205.77)	-
5	लाभ भुगतान	(230.77)	(660.39)	-
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1517.79	9200.16	-

Change in obligation and assets over the year ending 31 Mar 2015

(₹ in Crore)

A Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	DBO at beginning of the year	1610.34	9035.86	724.22
2	Service Cost	37.88	182.60	35.91
3	Interest Cost	138.28	805.27	66.99
4	Actuarial Losses / (Gains)	108.81	269.80	(26.74)
5	Benefit Payments	(230.77)	(660.39)	Nil
6	DBO at end of the year	1664.54	9633.14	800.38

(₹ in Crore)

B Changes in Fair Value of Assets

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	1567.50	8896.09	-
2	Expected Return on plan assets	140.91	800.69	-
3	Actual company contributions	175.68	369.54	-
4	Actuarial Gain / (Loss)	(135.52)	(205.77)	-
5	Benefits payments	(230.77)	(660.39)	-
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1517.79	9200.16	-



अनुभवगत इतिहास

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्ष के अंत में परिभाषित दायित्व लाभ	1664.54	9633.14	800.38
2	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियाँ	1517.79	9200.16	-
3	निधीयन स्थिति	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	योजनागत देयताओं में अनुभवगत समायोजन	61.98	260.77	(133.13)
5	योजनागत आस्तियों में अनुभवगत समायोजन	(135.52)	(205.77)	-

Experience History

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Defined Benefit Obligation at end of the year	1664.54	9633.14	800.38
2	Plan Assets at end of the year	1517.79	9200.16	-
3	Funded Status	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	Experience adjustments on plan liabilities	61.98	260.77	(133.13)
5	Experience adjustments on plan assets	(135.52)	(205.77)	-

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च, 2015 को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व लाभ का वर्तमान मूल्य	1664.54	9633.14	800.38
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1517.79	9200.16	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / घाटा)	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(146.75)	(432.99)	(800.38)

(₹ in Crore)

Net Asset (Liability) Recognized in Balance Sheet - 31 March 2015				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1664.54	9633.14	800.38
2	Fair Value of Plan Assets	1517.79	9200.16	-
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(146.75)	(432.99)	(800.38)



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन

(₹ करोड़ में)

नियोक्ता व्यय के घटक				
		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	37.88	182.61	35.91
2	ब्याज लागत	138.28	805.27	66.99
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	(140.91)	(800.69)	-
4	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	244.33	475.56	(26.74)
5	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	279.75	662.75	76.16

Disclosure of Employer Expense for the year ending 31 Mar 2015

(₹ in Crore)

Components of Employer Expense				
		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	37.88	182.61	35.91
2	Interest Cost	138.28	805.27	66.99
3	Expected Return on Plan Assets	(140.91)	(800.69)	-
4	Actuarial Losses / (Gains)	244.33	475.56	(26.74)
5	Total Employer Expense recognized in P&L	279.75	662.75	76.16

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता - 31 मार्च, 2015

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1664.54	9633.14	800.38
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1517.79	9200.16	-
3	निधीयन स्थिति (अधिशेष / (घाटा))	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	(146.75)	(432.99)	(800.38)

Net Asset/(liability) Recognised in Balance Sheet - 31 Mar 2015

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1664.54	9633.14	800.38
2	Fair Value of Plan Assets	1517.79	9200.16	-
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	(146.75)	(432.99)	(800.38)
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	(146.75)	(432.99)	(800.38)



वर्ष समापन 31.03.2015 हेतु बैलेन्स शीट में प्राधिकृत निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
1	अवधि के आरंभ में निवल आस्ति/(देयता)	(42.84)	(139.77)	(724.22)
2	नियोक्ता व्यय	278.59	662.75	76.16
3	नियोक्ता अंशदान	175.68	369.54	-
4	अधिग्रहण / कारोबार संयोजन	-	-	-
5	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	146.75	432.99	800.38

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31.03.2015

(₹ in Crore)

		Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Net Asset/(Liability) at the beginning of the period	(42.84)	(139.77)	(724.22)
2	Employer Expenses	278.59	662.75	76.16
3	Employer Contributions	175.68	369.54	-
4	Acquisitions/Business Combinations	-	-	-
5	Net Asset/(Liability) at the end of the period	146.75	432.99	800.38



5.3 लेखांकन मानदंड- 17- खंड रिपोर्टिंग:
भाग क - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2015	31.03.2014
(क)	खंड राजस्व		
1	राजकोष परिचालन	12201.37	11079.17
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	12582.47	10788.38
3	थोक बैंकिंग परिचालन	22818.09	20806.56
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित	698.36	806.26
	कुल	48300.29	43480.37
(ख)	खंड परिणाम		
1	राजकोष परिचालन	1569.12	1463.00
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1221.35	1722.43
3	थोक बैंकिंग परिचालन	3548.66	2946.74
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	6339.13	6132.17
(ग)	गैर आवंटित आय / व्यय	611.24	664.02
(घ)	परिचालन लाभ	6950.37	6796.19
(ङ)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	3452.74	3733.00
(च)	आय कर	795.00	625.00
(छ)	निवल लाभ	2702.63	2438.19
(ज)	खंड आस्तियां*		
1	राजकोष परिचालन	192632.54	167100.83
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	117466.87	99619.98
3	थोक बैंकिंग परिचालन	217195.46	209370.03
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित आस्तियां	15299.84	10332.76
	कुल	542594.71	486423.60
(झ)	खंड देयताएं		
1	राजकोष परिचालन	50848.56	51466.11
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	251281.63	183552.33
3	थोक बैंकिंग परिचालन	183254.51	199789.78
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित देयताएं	30756.63	27493.52
6	पूंजी और आरक्षित निधियां*	26453.38	24121.86
	कुल	542594.71	486423.60

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)



5.3 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2015	31.03.2014
(a) Segment Revenue			
1	Treasury Operations	12201.37	11079.17
2	Retail Banking Operations	12582.47	10788.38
3	Wholesale Banking Operations	22818.09	20806.56
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	698.36	806.26
	Total	48300.29	43480.37
(b) Segment Results			
1	Treasury Operations	1569.12	1463.00
2	Retail Banking Operations	1221.35	1722.43
3	Wholesale Banking Operations	3548.66	2946.74
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	6339.13	6132.17
(c) Unallocated Income/Expenses		611.24	664.02
(d) Operating Profit		6950.37	6796.19
(e) Provisions and Contingencies		3452.74	3733.00
(f) Income Tax		795.00	625.00
(g) Net Profit		2702.63	2438.19
(h) Segment Assets*			
1	Treasury Operations	192632.54	167100.83
2	Retail Banking Operations	117466.87	99619.98
3	Wholesale Banking Operations	217195.46	209370.03
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	15299.84	10332.76
	Total	542594.71	486423.60
(i) Segment Liabilities			
1	Treasury Operations	50848.56	51466.11
2	Retail Banking Operations	251281.63	183552.33
3	Wholesale Banking Operations	183254.51	199789.78
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	30756.63	27493.52
6	Capital and Reserves*	26453.38	24121.86
	Total	542594.71	486423.60

(* Excluding Revaluation Reserve)



भाग ख: भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2015	31.03.2014
क	देशी परिचालन		
	राजस्व	47101.13	42431.73
	आस्तियाँ	494678.72	449034.29
ख	विदेशी परिचालन		
	राजस्व	1199.16	1048.64
	आस्तियाँ	47915.99	37389.31
ग	कुल		
	राजस्व	48300.29	43480.37
	आस्तियाँ*	542594.71	486423.60

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं.8/21.04.018/2014-5 दिनांक 01.07.2014 के अनुसार तैयार किया गया है।

Part B – Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2015	31.03.2014
A	Domestic Operations		
	Revenue	47101.13	42431.73
	Assets	494678.72	449034.29
B	International Operations		
	Revenue	1199.16	1048.64
	Assets	47915.99	37389.31
C	Total		
	Revenue	48300.29	43480.37
	Assets*	542594.71	486423.60

(* Excluding Revaluation Reserve)

This has been prepared in terms of RBI Master Circular : DBOD.BP.BC No.8/21.04.018/2014-15 Dated 01.07.2014.

5.4 लेखांकन मानदंड-18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण: संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री वी एस कृष्णकुमार, कार्यपालक निदेशक
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक
- श्री हरिदीशकुमार बी, कार्यपालक निदेश (11.03.2015 से)
- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.09.2014 तक)
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.10.2014तक)

5.4 Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures: Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

5.4.1 Key Management Personnel –

- Shri. V S Krishnakumar, Executive Director
- Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director
- Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director (from 11.03.2015)
- Shri. R K Dubey, Chairman & Managing Director (till 30.09.2014)
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director (till 31.10.2014)



5.4.2 प्रधान

- i) केनरा बैंक

5.4.3 अनुषंगियां

- i) केनबैंक फिनान्सियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लार्डफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम

- i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मलाबार ग्रामीण बैंक)

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

- (i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक – ₹0.88 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹0.72 करोड़)
- (ii) श्री श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹0.05 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹0.07 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

5.4.2 Parent

- i) Canara Bank

5.4.3 Subsidiaries

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn.Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

5.4.4 Joint Ventures

- i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (Erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- (i) Remuneration to Key Management Personnel ₹0.88 Crore (Previous Year: ₹0.72 Crore)
- (ii) Staff Housing Loan to Shri P S Rawat (Executive Director) ₹0.05 Crore (Previous Year ₹0.07 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.



5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएँ व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (49.40)	-	-	30.00 (49.40)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (49.40)			30.00 (49.40)
जमाएं –					
यथा वर्षांत को बकाया	136.98 (125.91)	2063.36 (1443.18)	-	-	2200.34 (1569.09)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	136.98 (212.85)	2063.36 (1453.18)			2200.34 (1666.03)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	140.94 (130.32)	-	-	140.94 (130.32)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	140.94 (130.32)			140.94 (130.32)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	620.23 (454.53)	2220.58 (2679.16)	-	-	2840.81 (3133.69)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	620.23 (454.53)	2220.58 (3135.40)			2840.81 (3589.93)
निवेश –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)	-	-	120.50 (524.67)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)			120.50 (524.46)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	2.03 (2.72)	शून्य (शून्य)	-	-	2.03 (2.72)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.03 (2.72)	शून्य (शून्य)			2.03 (2.72)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – जारी किए गए –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र – प्रतिभागिता किए गए –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	744.43 (शून्य)	-	-	744.43 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	744.43 (शून्य)			744.43 (शून्य)



5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (49.40)	-	-	30.00 (49.40)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (49.40)			30.00 (49.40)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	136.98 (125.91)	2063.36 (1443.18)	-	-	2200.34 (1569.09)
Maximum outstanding during the year	136.98 (212.85)	2063.36 (1453.18)			2200.34 (1666.03)
Placement of Deposits –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	140.94 (130.32)	-	-	140.94 (130.32)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	140.94 (130.32)			140.94 (130.32)
Advances-					
Outstanding as at the year end	620.23 (454.53)	2220.58 (2679.16)	-	-	2840.81 (3133.69)
Maximum outstanding during the year	620.23 (454.53)	2220.58 (3135.40)			2840.81 (3589.93)
Investments-					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)	-	-	120.50 (524.67)
Maximum outstanding during the year	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)			120.50 (524.46)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	2.03 (2.72)	NIL (NIL)	-	-	2.03 (2.72)
Maximum outstanding during the year	2.03 (2.72)	NIL (NIL)			2.03 (2.72)
Inter Bank Participation Certificate – Issued					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	744.43 (NIL)	-	-	744.43 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	744.43 (NIL)			744.43 (NIL)



कमीशन प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
अन्य प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (0.02)	-	-	शून्य (0.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (0.02)			शून्य (0.02)
दत्त ब्याज	10.86 (13.11)	104.22 (95.48)	-	-	115.08 (108.59)
प्राप्त ब्याज	40.66 (26.48)	236.65 (283.59)	-	-	277.31 (310.07)
प्राप्त लाभांश	7.50 (6.00)	शून्य (शून्य)	-	-	7.50 (6.00)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकौती	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृति	शून्य (10.00)	4.63 (शून्य)	-	-	4.63 (10.00)
प्रदत्त प्रीमियम	62.39 (98.74)	शून्य (शून्य)	-	-	62.39 (98.74)
सेवा उपलब्ध कराना	34.86 (25.18)	0.93 (0.67)	-	-	35.79 (25.85)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	33.87 (49.97)	0.01 (0.02)	-	-	33.88 (49.99)
निधियन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान देयताओं के भुगतान	शून्य (72.05)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (72.05)
बी एस ई को जारी अधिकार के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	1.38 (शून्य)	-	-	1.38 (शून्य)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिया गया वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है। कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)



Commission Receivable- Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Other payable Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (0.02)	-	-	NIL (0.02)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (0.02)			NIL (0.02)
Interest paid	10.86 (13.11)	104.22 (95.48)	-	-	115.08 (108.59)
Interest received	40.66 (26.48)	236.65 (283.59)	-	-	277.31 (310.07)
Dividend received	7.50 (6.00)	NIL (NIL)	-	-	7.50 (6.00)
Repayment of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (10.00)	4.63 (NIL)	-	-	4.63 (10.00)
Premium Paid	62.39 (98.74)	NIL (NIL)	-	-	62.39 (98.74)
Rendering of Service	34.86 (25.18)	0.93 (0.67)	-	-	35.79 (25.85)
Receiving for Services	33.87 (49.97)	0.01 (0.02)	-	-	33.88 (49.99)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	NIL (72.05)	NIL (NIL)	-	-	NIL (72.05)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	1.38 (NIL)	-	-	1.38 (NIL)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed. Figures in brackets relate to previous year.

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)



5.4.8 आंतर-समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2014-15 के लिए
आंतर समूह जोखिम के लिए कुल राशि	3728.20
उच्चतम -20 आंतर-समूह जोखिम की कुल राशि	3728.20
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से आंतर समूह जोखिम का प्रतिशत	0.61%
आंतर-समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणित तथा लेखा-परीक्षक द्वारा आश्रित)

5.5 लेखा मानक-20-प्रति शेयर अर्जन:

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20- "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है:

	विवरण	2014-2015	2013-2014
क	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ में)	2702.63	2438.19
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	47.52	46.13
ग	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	46.13	44.75
घ	प्रति शेयर अर्जन (क / ग)(₹)	58.59	54.48
ङ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10/-	10/-

5.6 लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखांकन:

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2015 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है:

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार है:

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2014 -15
Total amount of intra-group exposures	3728.20
Total amount of top-20 intra-group exposures	3728.20
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers /customers	0.61%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

5.5 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below:

	Particulars	2014-2015	2013-2014
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	2702.63	2438.19
B	Number of Equity Shares (In Crore)	47.52	46.13
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	46.13	44.75
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (Rs.)	58.59	54.48
E	Nominal Value per Share (Rs.)	10/-	10/-

5.6 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2015 as under:

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under::



(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	-	-	933.77	854.69
छुट्टी नकदीकरण	315.00	283.54		-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	55.06	60.58		-
अन्य	391.00		22.82	60.28
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि पर डी टी एल			1211.28	1189.65
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	761.06	344.12	2167.87	2104.62

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Interest accrued but not due on securities	-	-	933.77	854.69
Leave Encashment	315.00	283.54		-
Depreciation on Fixed Assets	55.06	60.58		-
Others	391.00		22.82	60.28
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961			1211.28	1189.65
Deferred Tax Asset/ Liability	761.06	344.12	2167.87	2104.62

यथा 31 मार्च, 2015 को निवल आस्थगित कर देयता: ₹1406.82 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1760.50 करोड़)

Net Deferred Tax Liability as on March 31, 2015: ₹1406.82 Crore (Previous year: ₹1760.50 Crore)

5.7 लेखांकन मानक - 27 - संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) '73.22 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

ए एस 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हित ₹ 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है :

5.7 Accounting Standard - 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investments include Rs.73.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Indo Bank LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल इन्डो बैंक एल.एल.सी. - परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

विवरण	31.03.2015 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2015 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.03.2014 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2014 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	18,975	118.59	47.44	42,403	254.06	101.62
कुल देयताएं	72,470	452.94	181.18	59,458	356.24	142.50
कुल आस्तियाँ	91,445	571.53	228.61	101,861	610.30	244.12
कुल आय	7,450	45.55	18.22	7,212	43.60	17.44
कुल व्यय	6,403	39.43	15.77	3,141	18.99	7.59
लाभ	1,047	6.11	2.44	4,071	24.64	9.84

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)



Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31/03/2015	Current year ended 31/03/2015	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31/03/2014	Previous year ended 31/03/2014	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	18,975	118.59	47.44	42,403	254.06	101.62
Aggregate Liabilities	72,470	452.94	181.18	59,458	356.24	142.50
Aggregate Assets	91,445	571.53	228.61	101,861	610.30	244.12
Aggregate Income	7,450	45.55	18.22	7,212	43.60	17.44
Aggregate Expenditure	6,403	39.43	15.77	3,141	18.99	7.59
Profit	1,047	6.11	2.44	4,071	24.64	9.84

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

5.8 लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की क्षति:

प्रबंधन की राय में, 31.03.2015 तक विस्तारित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है जिसकी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निर्बंधन में निर्धारण की जरूरत है।

5.8 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2015 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5.9 लेखांकन मानक - 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2014 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2015 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	10.09	46.15	--	56.24

5.9 Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2014	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2015
Movement of Provision for Contingent Liabilities	10.09	46.15	--	56.24



6. अतिरिक्त प्रकटीकरण

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
निवेश मूल्यहास / एन पी आई के लिए प्रावधान	(657.76)	692.42
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	3770.87	2135.04
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	153.73	478.41
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर देयता सहित)	795.00	625.00
उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान	(41.42)	(6.32)
परिसंपत्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(12.00)	8.00
देशीय ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	7.30	7.00
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	232.00	418.45
कुल	4247.74	4358.00

6.2 अस्थाई प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

6. Additional Disclosures

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(657.76)	692.42
Provision towards NPA	3770.87	2135.04
Provision towards Standard Asset	153.73	478.41
Provision for Tax (includes Deferred Tax Liability)	795.00	625.00
Provision for Diminution in Fair Value	(41.42)	(6.32)
Provision for Asset Doubt Of Recovery	(12.00)	8.00
Provision for Country Risk Exposure	7.30	7.00
Provision for FITL and other contingencies	232.00	418.45
TOTAL	4247.74	4358.00

6.2 Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year.	NIL	NIL
Closing Balance	NIL	NIL



6.3 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण :

क) ग्राहक शिकायतें

क्रम सं.	विवरण	सामान्य शिकायतें	एटीएम संबंधी शिकायतें	बी ओ मामले	सी डी आर एफ	सी पी जी आर एएमएस	कुल
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	31	372	93	765	4	1265
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8528	98214	1553	86	455	108836
ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	8549	98012	1458	91	457	108567
घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	10	574	188	760	2	1534

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints

Sl.No	Particulars	General Complaint	ATM Complaint	BO Cases	CDRF	CPGR AMS	Total
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	31	372	93	765	4	1265
(b)	Number of complaints received during the year	8528	98214	1553	86	455	108836
(c)	Number of complaints redressed during the year	8549	98012	1458	91	457	108567
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	10	574	188	760	2	1534

एटीएम विफल लेन-देन पर शिकायतें:

- हमारे बैंक के ग्राहकों ने अन्य बैंकों के एटीएम में लेन-देन किया है उससे संबंधित एटीएम के विफल लेन-देन संबंधी 19746 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8818 का निपटान बैंक के पक्ष में किया गया है तथा 10928 का निपटान ग्राहकों के पक्ष में किया गया है।
- अन्य बैंकों के ग्राहकों ने हमारे बैंक के एटीएम में लेन-देन किया है, उससे संबंधित एटीएम के विफल लेन-देन संबंधी 28628 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10980 का निपटान बैंक के पक्ष में किया गया है तथा 17648 का निपटान ग्राहकों के पक्ष में किया गया है।
- केनरा बैंक के भीतर एटीएम के माध्यम से विफल एमटीएम लेन-देन की शेष 49840 शिकायतों का निपटान किया गया, जिनमें से 50 मामले बिना शुल्क-वापसी वाले थे। 49840 शिकायतों में से में से 36037 शिकायतों का निपटान ग्राहकों के पक्ष में किया गया।

Complaints on ATM Failed Transactions:

- ATM Failed Transactions complaints of 19746 pertaining to our customers made transactions in other Banks ATMs, out of which 8818 complaints were redressed in favour of Bank and 10928 complaints were in favour of customers.
- ATM failed transactions complaints of 28628 pertaining to other Bank customers who used our ATMs, out of which 10980 complaints were redressed in favour of Bank whereas 17648 complaints were redressed in favour of customers.
- Remaining 49840 complaints were redressed on account of failed ATM transactions within Canara Bank through ATM, 50 cases without raising any chargeback. Out of 49840 complaints, 36037 complaints are redressed in favour of customers.



ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय

क्र.सं.	विवरण	
(क)	वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2*
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	14
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	16
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	Nil

*दोनों गैर कार्यान्वित निर्णयों की तिथि 25.04.2014 तथा 28.04.2014 है।

6.6 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना:

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹34004.06 करोड़ के 2989 चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2015 को उक्त पत्रों की संचित स्थिति ₹8481.31 करोड़ के 1358 है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये:

वर्ष 2014-2015 के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र:

- शून्य

पहले जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शंघाई शाखा की ओर से) – दिनांकित 29.03.2008 के आदेश द्वारा।
- यू.ए.ई. का सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांकित 04.06.2009 के आदेश द्वारा।
- बहरीन का सेंट्रल बैंक (हमारे मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांकित 15.01.2010 के आदेश द्वारा तथा
- दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक (जॉहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांकित 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव:

बैंक द्वारा चुकौती आश्वासन पत्र/घोषणा-पत्र पर वित्तीय प्रभाव, बैंक के अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र के मामले में होता है। बैंक ने अबतक न तो कोई समुद्रपारीय अनुषंगियां स्थापित की हैं और न ही अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl.No.	Particulars	
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	2*
(b)	Number of Awards received during the year	14
(c)	Number of Awards redressed during the year	16
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	Nil

*Both the unimplemented awards were honoured on 25.04.2014 and 28.04.2014

6.4 Issuance of Letters of Comfort:

Bank has issued 2989 no. of Letters of Comfort to the tune of ₹34004.06 Crore during the financial year. The cumulative outstanding position of 1358 no. of LOC as on 31.03.2015 is ₹8481.31 Crore. Apart from this, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators:

LOC issued during the year 2014-2015:

- Nil.

LOC issued in the past:

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) – vide order dated 29.03.2008
- Central Bank of the UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) – Vide order dated 04.06.2009
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) – Vide order dated 15.01.2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) – Vide order dated 19.11.2011

Financial Impact:

The financial impact on issue of LOC/undertaking by the Bank exists in case of LOCs issued on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs) of the Bank. Bank has so far not established any overseas subsidiaries nor issued any LOC on behalf of subsidiaries or JV.



शाखाओं के संबंध में, समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन-पत्र बनाया गया है। समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र की देयताओं का एक भाग है।

अतः शाखाओं की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र के कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं हैं। प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेजबान देश के विनियामकों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

यथा 31 मार्च 2015 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी चुकौती आश्वासन पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में, हम अबतक बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के विवरणों का खुलासा करना प्रस्तावित करते हैं तथा यथा मार्च 2015 को तुलन-पत्र में “खातों के नोट्स” के अंतर्गत ऐसे चुकौती आश्वासन पत्रों की ओर से “शून्य” वित्तीय प्रभाव है।

6.4.1 यथा 31.03.2015 तक प्रावधान प्रावरण अनुपात 57.29% रहा (पिछले वर्ष 60.11%)।

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	26.56	26.12
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	15.39	13.80
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	10.90	5.90
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	5.50	0.73
	कुल	58.35	46.55

With regard to branches the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Banks annual balance sheet.

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulators.

As at 31st march 2015, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and “NIL” financial impact on account of such LOCs, under “Notes to Accounts” in the Balance Sheet as at March 2015.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 57.29% as on 31.03.2015 (Previous Year 60.11%)

6.5 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2015	31.03.2014
1	For selling Life Insurance Policies	26.56	26.12
2	For selling Non Life Insurance Policies	15.39	13.80
3	For selling Mutual Funds Products	10.90	5.90
4	Other (Health Insurance Policies)	5.50	0.73
	TOTAL	58.35	46.55



6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का केंद्रीकरण:

6.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

बीस बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा	61078
बैंक के कुल जमाओं में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के जमाओं का प्रतिशत	12.89%

6.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	32236.39
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	9.77%

6.6.3 निवेशों का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल निवेश	55951.79
बैंक के कुल निवेश में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के निवेशों का प्रतिशत	9.10%

6.6.4 एन पी ए का केंद्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

प्रथम चार एनपीए खातों का कुल निवेश	1885.38
------------------------------------	---------

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	61078
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.89%

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	32236.39
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.77%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	55951.79
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	9.10%

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	1885.38
---	---------



6.6.5 क्षेत्र – वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र कुल बकाया अग्रिम	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	58,868.00	1410.31	2.40%	48,797.00	978.54	2.01%
	2 उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम तथा बड़े)	23,922.68	3047.58	12.74%	21,348.04	1727.45	8.09%
	3 सेवाएं	20,327.98	379.66	1.87%	14,271.34	250.23	1.75%
	4 व्यक्तिगत ऋण	15,115.00	--	-	1,3345.00	-	-
	उप- कुल (ए)	1,18,233.66	4837.55	4.09%	97761.38	2956.22	3.02%
B	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
	1 कृषि व संबद्ध क्रिया कलाप	-	-	-	-	-	-
	2 उद्योग	143949.41	6644.39	4.62%	138867.33	3667.75	2.64%
	3 सेवाएं	45581.21	1342.39	2.95%	46186.31	780.57	1.69%
	4 व्यक्तिगत ऋण	27183.00	215.63	0.79%	20616.00	165.67	0.80%
	उप- कुल (बी)	216713.62	8202.41	3.78%	205669.64	4613.99	2.24%
	कुल (ए+बी)	334947.28	13039.96	3.89%	303431.02	7570.21	2.49%

6.6.5 Sector-wise Advances

(₹ in Crore)

SI No	Sector* Outstanding total Advances	Current Year			Previous Year		
		Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances
A	Priority sector						
	1 Agriculture and allied activities	58,868.00	1410.31	2.40%	48,797.00	978.54	2.01%
	2 Advances to industries sector eligible as priority sector lending	23,922.68	3047.58	12.74%	21,348.04	1727.45	8.09%
	3 Services	20,327.98	379.66	1.87%	14,271.34	250.23	1.75%
	4 Personal loans	15,115.00	--	-	1,3345.00	-	-
	Sub total (A)	1,18,233.66	4837.55	4.09%	97761.38	2956.22	3.02%
B	Non Priority sector						
	1 Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
	2 Industries	143949.41	6644.39	4.62%	138867.33	3667.75	2.64%
	3 Services	45581.21	1342.39	2.95%	46186.31	780.57	1.69%
	4 Personal loans	27183.00	215.63	0.79%	20616.00	165.67	0.80%
	Sub total (B)	216713.62	8202.41	3.78%	205669.64	4613.99	2.24%
	Total (A+B)	334947.28	13039.96	3.89%	303431.02	7570.21	2.49%



उद्यम के उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिम के 10% से अधिक हैं।

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	उप- क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से एन पी ए का प्रतिशत
1	बुनियादी धातु व धातु उत्पाद	17768.52	1533.00	8.63%	17031.00	1123.00	6.59%
2	अवसंरचना	64713.17	1732.00	2.68%	57748.00	366.00	0.63%

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत तथा लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector.

Rs in Crore

SI No	Sub Sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	17768.52	1533.00	8.63%	17031.00	1123.00	6.59%
2	Infrastructure	64713.17	1732.00	2.68%	57748.00	366.00	0.63%

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors.)

6.7 एन पी ए का अंतरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
यथा 1 अप्रैल 2014 तक सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	7570.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	10869.53
उप - कुल (क)	18439.74
घटाएं:-	
(i) अद्यतन	2031.11
(ii) वसूलियाँ (अद्यतनित खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1896.45
(iii) तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डालना	1111.75
(iv) उक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	360.47
उप कुल (ख)	5399.78
यथा 31 मार्च 2014 तक सकल एन पी ए (इति शेष) (क-ख)	13039.96

6.7 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1st April 2014 (Opening Balance)	7570.21
Additions (Fresh NPAs) during the year	10869.53
Sub-total (A)	18439.74
Less:-	
(i) Upgradations	2031.11
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1896.45
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	1111.75
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	360.47
Sub-total (B)	5399.78
Gross NPAs as on 31st March 2015 (closing balance) (A-B)	13039.96



6.8 तकनीकी बट्टे खाते में डालना तथा तत्पश्चात बनाए वसूली का अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों के प्रारंभिक शेष	7384.76	7396.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खाते	1119.15	1010.45
उप कुल (क)	8503.91	8406.54
घटाएं: वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रुडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से पहले की गई वसूली (ख)*	1080.70	1021.78
यथा मार्च 31 को इति शेष (क - ख)	7423.21	7384.76

*शाखाओं को अंतरित वास्तविक बट्टे खाते तथा विनिमय उतार-चढ़ाव सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	48219.67
कुल एन पी ए : सकल निवल	533.87 243.31
कुल राजस्व	1199.16

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1	7384.76	7396.09
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1119.15	1010.45
Sub-total (A)	8503.91	8406.54
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)*	1080.70	1021.78
Closing balance as at March 31 (A-B)	7423.21	7384.76

* including actual write off transferred to Branches and exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Total Assets	48219.67
Total NPAs : Gross Net	533.87 243.31
Total Revenue	1199.16

6.10 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL



6.11 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर की अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों की राशि	
	क) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलन पत्र में शामिल होनेवाली निवेश	
	प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	i) प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

6.11 Disclosure relating to Securitisation:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	No./ Amount
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	Exposure to own securitizations	
	i) First loss	
	Others	
	Exposure to third party securitizations	
	ii) First loss	
	Others	

6.12 ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस): शून्य

6.12 Credit Default Swaps (CDS): NIL

6.13 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को हस्तांतरण (डीईएफ)

6.13 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	-	लागू नहीं
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को हस्तांतरित राशि जोड़ें	855.25	लागू नहीं
घटाएं : दावों के निपटान के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	7.26	लागू नहीं
डीईएफ को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	847.99	लागू नहीं

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of amounts transferred to DEAF	-	NA
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	855.25	NA
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	7.26	NA
Closing balance of amounts transferred to DEAF	847.99	NA

6.14 भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी संसूचना संख्या डीबीओडी. नं.बीपी..बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के साथ निकायों को बैंक के एक्सपोजर से संबंधित वेतन वृद्धि व पूंजी प्रदान करे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, बैंक ने अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए 84.56 करोड़ का वेतन वृद्धि प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2015 को बैंक के पास अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर जोखिम हेतु 250.98 करोड़ की पूंजी है।

6.14 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly for the financial year 2014-15, bank has made a incremental provision of Rs 84.56 Crore towards unhedged foreign currency exposure. Further, Bank is also holding a capital of Rs 250.98 Crore as on 31.03.2015 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ऋण जोखिम मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

उधारकर्ता निकायों के संबंध में जिनका विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, बैंक द्वारा अनाच्छादित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीडी); ब्याज पर वार्षिक आय व मूल्यहास (ईबीआईडी); सालाना अस्थिरता का उपयोग करते हुए यूएसडी-आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अनुमानित हानि की गणना की जाती है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अनुमानित हानि को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को विशेषीकृत दर पर कुल ऋण जोखिम पर वेतन वृद्धि पूंजी व वेतन वृद्धि प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया जाता है।

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure, Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.



6.15. चलनिधि कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल निर्धारित मूल्य औसत	कुल निर्धारित मूल्य औसत	कुल निर्धारित मूल्य औसत	कुल निर्धारित मूल्य औसत
	उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति				
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		67627.22		
	नकद बहिर्वाह				
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमेंसे	217083.26	18428.03		
(i)	स्थिर जमा	65606.01	3280.30		
(ii)	कम स्थिर जमा	151477.25	15147.73		
3	गैर प्रतिभूतिकृत थोक निधियन, जिसमेंसे	143561.92	84374.15		
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	4045.30	991.36		
(ii)	गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	130955.62	74821.79		
(iii)	गैर-प्रतिभूतिकृत उधारी	8561.00	8561.00		
4	प्रतिभूतिकृत संपूर्ण निधियन	6253.57	4007.47		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमेंसे	44506.39	12833.70		
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजरों व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4.96	4.96		
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00		
(iii)	ऋन व चलनिधि सुविधाएं	44501.43	12833.70		
6	अन्य संविदात्मक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	500.00	500.00		
7	अन्य आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र	61230.88	3061.54		
8	कुल नकद बहिर्वाह	473136.02	123204.88		
9	प्रतिभूतिकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	2178.94	13.31		
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	28970.92	18035.12		
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1105.20	1037.81		
12	कुल नकद अंतर्वाह	32255.06	19086.23		
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एच क्यू एल ए		67627.22		
22	कुल निवल नकद बहिर्वाह		104118.65		
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		64.95%		



6.15. Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

Sl No		Current year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
	High Quality Liquid Assets				
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		67627.22		
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	217083.26	18428.03		
(i)	Stable deposits	65606.01	3280.30		
(ii)	Less stable deposits	151477.25	15147.73		
3	Unsecured wholesale funding, of which:	143561.92	84374.15		
(i)	Operational deposits (all counterparties)	4045.30	991.36		
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	130955.62	74821.79		
(iii)	Unsecured debt	8561.00	8561.00		
4	Secured wholesale funding	6253.57	4007.47		
5	Additional requirements, of which	44506.39	12833.70		
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	4.96	4.96		
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00		
(iii)	Credit and liquidity facilities	44501.43	12833.70		
6	Other contractual funding obligations	500.00	500.00		
7	Other contingent funding obligations	61230.88	3061.54		
8	Total Cash Outflows	473136.02	123204.88		
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2178.94	13.31		
10	Inflows from fully performing exposures	28970.92	18035.12		
11	Other cash inflows	1105.20	1037.81		
12	Total Cash Inflows	32255.06	19086.23		
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		67627.22		
22	Total Net Cash Outflows		104118.65		
23	Liquidity Coverage Ratio (%)		64.95%		



परिमाणात्मक प्रकटीकरण

कुल चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की लघु अवधि तन्त्रता के प्रवर्तन के लिए है। यह एलसीआर के न्यूनतम 60% आवश्यकता के साथ 1 जनवरी 2015 से प्रभावी है, इसे 1 जनवरी 2019 तक 100% करने के लिए 10% वार्षिक तौर पर आगे बढ़ाया जाना है।

एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्यूएलए) अभारित आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे 30 दिनों की चलनिधि दबावग्रस्त स्थिति आसानी के लिए चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।

बैंक ने मार्च तिमाही 2015 के लिए 64.95% का मासिक औसत एलसीआर का रखरखाव किया है। एलसीआर के मुख्य संचालक हैं एचक्यूएलए का स्तर तथा अगले 30 दिनों में निवल नकद बहिर्वाह। मुख्य चर जो बैंक के एचक्यूएलए का निर्धारण करते हैं उसमें शामिल है नकद, अतिरिक्त सीआरआर अधिशेष एसएलआर प्रतिभूतियाँ, स्तर 1 आस्ति के रूप में एमएसएफ के अंतर्गत 2% का अनिवार्य एसएलआर, एफएलएलसीआर के अंतर्गत 5% का अनिवार्य एसएलआर, यह कुल एचक्यूएलए का 93.72% बनाता है। स्तर 2ए व 2बी आस्तियों को स्तर 1 आस्ति से कम तरल माना जाता है, यह कुल एचक्यूएलए का 6.28% बनाता है।

अगले 30 दिनों में निवल नकद बहिर्वाह जो एलसीआर में विभाजक है वह नकद बहिर्वाह में से नकद अंतर्वाह को घटाकर है तथा यह एनडीटीएल का 23.92% है। निम्नलिखित कारणों से नकद बहिर्वाह, नकद अंतर्वाह से अधिक है:

1. बैंक जमा का मुख्य प्रतिशत एलसीआर सीमा के भीतर 30 दिनों के अंदर प्रतिदेय है।
2. नकद बहिर्वाह का अनुमान बैंक द्वारा प्रतिपक्षों को प्रदत्त संविदात्मक व आकस्मिक निधियन प्रतिज्ञा-पत्र के कारण लगाया जाता है और यह तुलनात्मक रूप से उच्च होता है।
3. अंतर्वाह मुख्यतया निष्पादक आस्तियों से है जो संविदात्मक रूप से 30 दिनों तक देय है।

6.16 वर्ष के दौरान मूल बैंक ने दिनांक 27.03.2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों की सहमति द्वारा पारित की गई विशेष संकल्प के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को ₹10/- अंकित मूल्य के 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर ₹398.95/- के प्रीमियम सहित ₹408.95/- की निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानित आधार पर निर्गमित किया।

6.17 (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान

Qualitative disclosure around LCR

The liquidity coverage ratio (LCR) is to promote the short term resilience of the liquidity risk profile of the banks. It is effective from 1st January 2015 with minimum LCR requirement of 60% to be stepped up by 10% annually to reach 100% by 1st January 2019.

LCR basically ensures that the Bank maintains an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) that can be converted easily and immediately into cash to meet liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The Bank has maintained monthly average LCR of 64.95% for the quarter ended March 2015. The main drivers of LCR are the level of HQLA and the net cash outflows in the next 30 days. The prime variables which determines the HQLA of the Bank includes cash, excess CRR surplus SLR securities, 2% of the mandatory SLR under MSF, 5% of the mandatory SLR under FALLCR as level 1 assets and forms 93.72% of the total HQLA. Level 2A and 2B assets are considered to be less liquid than level 1 asset forms 6.28% of the total HQLA.

Net cash outflow in the next 30 days which is the denominator in LCR is the cash outflow minus cash inflow and is 23.92% of the NDTL. Cash outflows are more than the cash inflows mainly on account of followings:

1. Major percentage of Bank's deposits is callable within the LCR horizon of 30 days.
2. Cash outflows expected on account of contractual and contingent funding obligations extended by the Bank to the counterparties are also relatively high.
3. Inflows are mainly from performing assets which are contractually due up-to 30 days.

6.16 During the year Bank had issued and allotted 1,39,38,134 Equity shares of face value of ₹10 each for cash at an issue price of Rs 408.95 including premium of ₹398.95 to the Government of India (GOI) on preferential basis on 31.03.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 27.03.2015.

6.17 (a) In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide their circular no: DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011,



लाभ-हानि खाता में ₹1853.57 करोड़ की गैर परिशोधित देयता के प्रति आनुपातिक आधार पर ₹370.72 करोड़ नामे किया गया (वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं दिया था, उनके लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करने के लिए 31 मार्च 2011 को शुरू होनेवाली 5 साल के लिए परिशोधित)।

(ख) उपदान सीमा में संवर्धन के लिए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाता में ₹679.52 करोड़ की गैर परिशोधित देयता के प्रति आनुपातिक आधार पर ₹135.91 करोड़ प्रभारित किया गया (31 मार्च 2011 को शुरू होनेवाली 5 साल के लिए परिशोधित)।

6.18 वेतन संशोधन की बकाया राशि के लिए वर्ष के दौरान ₹350 करोड़ (गत वर्ष 31.03.2014 तक ₹240 करोड़ व ₹325 करोड़ का प्रावधान है जो आईबीए द्वारा 1 नवंबर 2012 से लम्बित समझौता-वार्ता से प्रभावी होगा।

6.19 पुनर्संरचित अग्रिमों के संबंध में वित्तपोषित सावधि ऋण ब्याज को आय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा 31.03.2013 तक खाते में तदनुसार अभिलेखित किया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने संसूचना डीबीओडी संख्या : बीपी.12415/21.04.132/2013-14 दिनांक 03 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि लाभ व हानि खाता से प्रभार की वसूली कर आय की वापसी करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी उपाय के तौर पर बैंक को एफआईटीएल के लिए दिसंबर 2013 से सितम्बर 2014 तक के लिए यथा 31.03.2013 को चारो तिमाहियों के लिए अपेक्षित प्रावधान सृजित करने की अनुमति दी थी। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹528.63 करोड़ के कुल प्रावधान से ₹264.32 करोड़ लाभ-हानि खाते से नामे किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की संसूचना संख्या डीबीओडी.नं.बी.पी. 20791/21.04.132/2013-14 दिनांक 27 जून 2014 के अनुसार 264.31 करोड़ की शेष राशि को वर्ष 2014-15 के दौरान आरक्षित राजस्व से अंतरित किया गया है।

6.20 पत्र संख्या डीबीएस.सीओ.एसएसएम. (केनरा बैंक)/13747/13.39.001/2014-15 दिनांक 05.05.2015 तथा डीबीएस.सीओ.एसएसएम (केनरा बैंक) 14323/13.39.001/2014-15 दिनांक 15.05.2015 के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है कि यद्यपि बैंक द्वारा किसी आस्ति को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथापि 127.26 करोड़ प्रदान करने का प्रावधान किया गया ताकि

the bank has debited Profit & Loss Account during the year a sum of ₹370.72 crore being the remaining proportionate amount of the total liability of ₹1853.57 crore (to be amortised over a period of 5 years beginning from 31st March 2011 on account of reopening of Pension options during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier).

(b) The Bank has debited Profit & Loss account a sum of ₹135.91 crore being the remaining proportionate amount of the total liability of ₹679.52 crore, to be amortised over a period of five years beginning from 31st March 2011 on account of enhancement of gratuity limit.

6.18 Provision of ₹350.00 Crore (Previous year ₹240.00 crore and ₹325.00 crore up to 31.03.2014) has been made during the year towards arrears for wage revision, which will be effective from 1st November 2012 pending negotiation by IBA.

6.19 The Funded Interest Term Loan in respect of restructured Advances was recognized as Income and dealt accordingly in the accounts till 31.03.2013. However, Reserve Bank of India vide their communication DBOD no:BP.12415/21.04.132/2013-14 dated January 03 2014 directed the bank to reverse the income by charging to the Profit & Loss account. Reserve Bank of India as a onetime measure has permitted the Bank to create the provision required for FITL as on 31/03/2013 to be spread over four quarter starting from December 2013 to September 2014. Out of the total provision for ₹528.63 crore ₹264.32 crore has been charged to Profit & Loss Account during 2013-14. Balance amount of ₹264.31 crore has been transferred from revenue reserve during the year 2014-15 as per RBI communication no: DBOD.No.BP.20791/21.04.132/2013-14 dated: June 27 2014

6.20 In terms of the letter no DBS.CO.SSM.(Canara Bank)/13747/13.39.001/2014-15 dated 05.05.2015 and DBS.CO.SSM (Canara Bank)/14323/13.39.001/2014-15 dated 15.05.2015, Reserve Bank of India (RBI) has permitted that one of the advances though categorized as Standard Assets by the bank, yet a provision to the extent of ₹127.26 crore be made and staggered, so that one third of the said amount



कथित राशि (₹ 42.42 करोड़) का एक तिहाई राशि 31 मार्च 2015 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए प्रदान किया जाए तथा ₹ 84.84 करोड़ की शेष राशि को 30 जून 2015 तथा 30 सितम्बर 2015 को समाप्त होनेवाली तिमाही में दो किस्तों में समाप्त किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी उपरोक्त उल्लिखित पत्र के द्वारा 30 जून 2015 को शुरू होनेवाली तीन तिमाहियों में कतिपय गैर-निष्पादक अग्रिमों के संबंध में ₹ 716.23 करोड़ की राशि के प्रावधान की अनुमति दी है।

6.21 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से लम्बित स्पष्टीकरण के कारण ₹1.65 करोड़ की अप्रदत्त / अदावी राशि का लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना शेष है।

7. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

(₹42.42 crore) is provided in the year ended 31st March 2015 and balance amount of ₹84.84 crore is to be provided in two installments in quarter ending 30th June 2015 and 30th September 2015. RBI has also permitted vide the aforesaid letter to spread the provision amounting to ₹716.23 crore in respect of certain non performing advances in three quarters commencing 30th June 2015.

6.21 Pending clarification from Ministry of Corporate Affairs (MCA), a sum of ₹1.65 Crore being Unpaid/ Unclaimed dividend is yet to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) as per Sec 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अतिरिक्त प्रभार)

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

रakesh जैन
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

आशिश अग्रवाल
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

बेंगलूरु
25 मई, 2015

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM
BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

RAKESH JAIN
Partner

Shyamal Kumar Nayak
Partner

ASHISH AGARWAL
Partner

VINAY KUMAR
AGRAWAL
Partner

K SIVA SUBRAMANYA
PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

Bengaluru
MAY 25, 2015



यथा 31.03.2015 को स्तंभ 3 – बासेल II प्रकटन (एकल)

प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन:

- क. बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: **केनरा बैंक**
- ख. समूह के अंतर्गत निकायों के संक्षिप्त विवरण सहित लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतरों से संबंधित रूपरेखा
- (i) जो पूर्णतः समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में अनुषंगियां हैं, उदाहरण के लिए ए एस 21, जिसका धारण >50 है)
1. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (धारण 100%–वित्तीय निकाय)
 2. केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (धारण 100%–वित्तीय निकाय)
 3. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (धारण 100%–स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी)
 4. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (धारण 70%–वित्तीय निकाय)
 5. केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (धारण 69.14%–अन्य)
 6. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (धारण 51%–म्यूचुअल फंड की ए एम सी)
 7. केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (धारण 51%– वित्तीय निकाय)
- (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम हैं, उदाहरण के लिए ए एस 27 जिसका धारण <50% है)।
1. कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी (धारण 40%–भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम)
- (iii) जिनके संबंध में कटौती की गयी है। (एसोसियेट–धारण 20% से अधिक व 50% से कम)
1. केनफिन होम्स लि. (धारण 43.45%)
 2. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक– धारण 35%)
 3. केरल ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक– धारण 35%)

BASEL II PILLAR 3 DISCLOSURES (Solo) AS ON 31.03.2015

TABLE DF 1: SCOPE OF APPLICATION:

Qualitative Disclosures:

- a. The name of the Bank to which the framework applies : **CANARA BANK**
- b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:
- (i) That are fully consolidated (viz., subsidiaries as in consolidated accounting, e.g. AS 21, having holding > 50%)
1. Canbank Venture Capital Fund Ltd. (Holding 100% – Financial Entity)
 2. Canbank Financial Services Ltd. – (Holding 100% – Financial Entity)
 3. Canara Bank Securities Ltd (Holding 100% – Stock Broking Company)
 4. Canbank Factors Ltd. (Holding 70%– Financial Entity)
 5. Canara Bank Computer Services Ltd (Holding 69.14% – Others)
 6. Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. (Holding 51% – AMC of Mutual Fund)
 7. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% – Financial Entity)
- (ii) That are pro-rata consolidated (viz. Joint ventures in consolidated accounting, e.g. AS 27, having holding < 50%)
1. Commercial Indo Bank LLC. – (Holding 40% – Joint Venture with SBI)
- (iii) That are given a deduction treatment (Associates – Holding above 20% and below 50%)
1. Canfin Homes Ltd. (Holding 43.45%)
 2. Pragathi Krishna Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
 3. Kerala Gramin Bank (RRB – Holding 35%)



ग) लेखांकन तथा विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतर:

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समेकित बैंक बीमा कारोबार तथा वित्तीय सेवाओं से असंबद्ध कारोबार में लगे हुए समूह कंपनियों को निकाल सकता है। अतः केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (धारण 51% – बीमा कारोबार) तथा केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (धारण 69.14% – अन्य) को विनियामक उद्देश्य के लिए निकाल दिया है।

परिमाणात्मक प्रकटन:

घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी अपर्याप्तता की समग्र राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है अर्थात् जिनकी कटौती हुई है और उन अनुषंगियों का नाम

शून्य

ड) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भांति हैं, उनका नाम, जहां निगमित किया गया है, उस देश का नाम या निवास, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो इन निकायों में मतदान शक्ति का अनुपात।

1. नाम : केनरा एचएसबीसी ओबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
2. निगमित देश का नाम: भारत
3. स्वामित्व हित : ₹4,845.00 मिलियन (51%)

प्रकटन प्रपत्र तालिका 2: पूंजी संरचना:

गुणात्मक प्रकटन:

हमारे बैंक की टायर I पूंजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षित निधियां और नवोन्मेषी स्थाई बॉण्ड शामिल हैं।

बैंक द्वारा नवोन्मेषकारी बांड (टायर I) और टायर II पूंजी में शामिल करने हेतु योग्य अन्य बांड भी जारी किये गये। बांडों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें (आई पी डी आई)– टायर I

विवरण	स्थान	जारी तिथि	सतत व क्रय विकल्प	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला I	भारत में	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	2,403.00
श्रृंखला II	भारत में	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	6,000.00
श्रृंखला III	भारत में	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	7,493.00
बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टायर I	भारत में	05.03.2015	05.03.2025	9.55%	15,000.00
				कुल	30,896.00

c. Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes:

In terms of Regulatory guidelines, a consolidated bank may exclude group companies which are engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services. Hence, Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% – Insurance Business) and Canara Bank Computer Services Ltd. (Holding 69.14% – Others) has been excluded for regulatory purpose.

Quantitative Disclosures:

(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.

NIL

(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities.

- 1) Name : Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd
- 2) Country of Incorporation : India
- 3) Ownership Interest : ₹4,845.00 Million (51%)

TABLE DF 2: CAPITAL STRUCTURE:

Qualitative Disclosures:

Our Bank's Tier I Capital comprises of Equity Shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

The Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other Bonds eligible for inclusion in Tier 2 Capital. Details of the Bonds are as under:



A) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I

Particulars	Place	Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in millions
Series I	In India	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	2,403.00
Series II	In India	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	6,000.00
Series III	In India	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	7,493.00
Basel III Compliant Additional Tier I	In India	05.03.2015	05.03.2025	9.55%	15,000.00
				TOTAL	30,896.00

ख) उच्चतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	5,000.00
श्रृंखला II	भारत में	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	5,000.00
श्रृंखला III	भारत में	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	10,000.00
				कुल	20,000.00
विदेशी मुद्रा बांड	लन्दन	27.11.2006	28.11.2016	6.365%	250 मि. यूएस डालर

B) Upper Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in millions
Series I	In India	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	5,000.00
Series II	In India	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	5,000.00
Series III	In India	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	10,000.00
				TOTAL	20,000.00
FC Bonds	London	27.11.2006	28.11.2016	6.365%	250 mn US \$

ग) निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
श्रृंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	5,000.00
श्रृंखला II	भारत में	23.03.2007	23.03.2022	10.00%	5,000.00
श्रृंखला III	भारत में	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	10,000.00
				कुल	20,000.00
विदेशी मुद्रा बांड	लन्दन	27.11.2006	28.11.2016	6.365%	250 मि. यूएस डालर
श्रृंखला VIII	भारत में	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	5,000.00
श्रृंखला IX	भारत में	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	4,250.00
श्रृंखला IX क	भारत में	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	5,750.00
श्रृंखला X	भारत में	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	4,000.00
श्रृंखला XI	भारत में	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	7,000.00
श्रृंखला XII	भारत में	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	3,250.00
बासेल III टायर II श्रृंखला I	भारत में	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.00
बासेल III टायर II श्रृंखला II	भारत में	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.00
				कुल	54,250.00



C) Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in millions
Series VIII	In India	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	5,000.00
Series IX	In India	01.03.2006	01.05.2015	8.15%	4,250.00
Series IX A	In India	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	5,750.00
Series X	In India	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	4,000.00
Series XI	In India	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	7,000.00
Series XII	In India	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	3,250.00
BASEL III TIER II SER I	In India	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.00
BASEL III TIER II SER II	In India	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.00
				TOTAL	54,250.00

टायर I पूँजी के तहत नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आईपीडीआई जारी की है।

इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :

- ये बिना किसी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के सतत स्वभावी हैं।
- ये लिखतें, माँग वचन पत्र (बांड) की प्रकृति में गैर जमानती अपरिवर्तनीय गौण सतत बांड हैं।
- इन लिखतों को क्रिसिल द्वारा (सी आर आई एस आई एल) एएए (स्थिर) और ब्रिकवर्क रेटिंग द्वारा बीडब्ल्यूआर एएए रेटिंग दिया गया है।
- इन लिखतों पर सालाना मीयादी ब्याज दर संदेय है।
- ब्याज संचित नहीं होगा।
- जारी तारीख से 10 वर्ष बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ बैंक इन के लिए क्रय-विक्रय विकल्प दे सकता है।
- 10 वर्ष के समाप्त होने पर बैंक स्टेप-अप विकल्प (लिखत के पूरे जीवनकाल में एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है) कर सकता है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर 2010 के पहले जारी की गई लिखतें बासेल III के तहत पात्र पूँजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

The main features of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) Under Tier I Capital are as follows:

The Bank has issued IPDI during the current financial year.

The important features of these instruments are:

- The debt instruments are perpetual in nature without any specific maturity period.
- The instruments are Unsecured Non Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- Fixed rate of interest is payable on the debt instruments, annually.
- The interest shall not be cumulative.
- The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
- The Bank has step up option (shall be exercised only once during the whole life of the instrument) at the end of 10 years which shall be not more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BP.BC. No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step – ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III.



- ये ऋण लिखतें लॉक-इन खण्ड के अधीन होंगी, जिसके अनुसार, यदि (क) बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाने पर या (ख) ऐसे भुगतानों का परिणाम स्वरूप बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता है या नीचे बने रहने पर बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- तत् स्वभावी होने के कारण, पूंजी पर्याप्तता के लिए ये लिखतें क्रमिक बढ़े के अधीन नहीं होंगी।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

उच्चतर टायर II बांडों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई उच्चतर टायर II बांड जारी नहीं किया है।

इन ऋण लिखतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- लिखतें वचन पत्रों (बांडों) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अधीनस्थ अपरिवर्तनीय हैं।
- इन ऋण लिखतों को क्रिसिल द्वारा ए ए ए (स्थिर) और ब्रिक वर्क रेटिंग द्वारा बीडब्ल्यूआर ए ए ए रेटिंग दिया गया है।
- जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ बैंक के पास मांग विकल्प है।
- 10 वर्ष की समाप्ति पर बैंक को स्टेप-अप विकल्प है जो 50 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होना है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी सं. 75/21.06.001/2010-11 दिनांक 20/01/2011 के अनुसार लिखतों के प्रतिदेयता के लिए कोई स्टेप-अप या प्रोत्साहन नहीं है। 12 सितंबर, 2010 को जारी की गई ₹10,000 मिलियन के उच्चतर टायर II श्रृंखला III लिखतों को पूंजी पर्याप्तता कार्य के लिए अनुमान लगाने की विशेष अनुमति प्रदान की है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संसूचना डीबीओडीबीपीबीसी सं. 16.284/21.06.201/2010-11 दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा हमें 12 सितंबर, 2010 के बाद जारी की गई उपरी टियर II सीरीज III के 10,000 मिलियन के लिखतों को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से संगणित करने की विशेष अनुमति प्रदान की है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।

- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk weighted assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
- These debt instruments are not subjected to a progressive discount for capital adequacy purposes since these are perpetual in nature.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

The Bank has not issued Upper Tier II Bond during the current financial year.

The important features of these debt instruments are:

- The instruments are Unsecured Redeemable Subordinated Non-Convertible in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- The Bank has Call Option after 10 years from the date of issue with the RBI's approval.
- The Bank has step up option at the end of 10 years that shall not be more than 50 basis points. As per RBI circular DBOD.BP.BC.No.75/21.06.001/2010-11 dated 20/01/2011 the instruments should not have step-ups or other incentives to redeem. Instruments issued before Sept 12, 2010 will continue to be recognized as eligible capital instruments under Basel III. However, RBI has accorded special permission to us vide their communication DBOD.BP.BC.No.16.284/21.06.201/2010-11 dated 19 April 2011 to reckon the Upper Tier II Series III instrument of ₹10,000 million issued post Sept 12, 2010 for the purpose of capital adequacy.
- The instruments are subjected to a progressive discount @ 20% per year during the last 5 years of their tenure. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purpose.



- अवधि के समाप्त हो जाने से या बैंक क्रय-विक्रय विकल्प करता है तो जारी करने के 10 वर्षों के बाद बाँड का अंकित मूल्य सम मूल्य पर छुड़ाया जा सकता है। इनके छुड़ाये जाने की तारीख के बाद बाँड पर ब्याज या अन्यथा कोई राशि अदा नहीं की जाएगी। ये लिखतें रोधात्मक खण्डों से मुक्त हैं और धारक के पहल किये जाने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना इन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता है।
- इन ऋण लिखतों में बंद-खण्ड है जिसके अनुसार (क) बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम होगा, (ख) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो या कम रह जाता हो तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर। पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एन एस ई) में सूचीबद्ध की गई हैं।
- The face value of the Bond is redeemable at par, on expiry of the tenure or after 10 years from issue if the Bank exercises Call Option. The Bond will not carry any obligation, for interest or otherwise, after the date of redemption. The instruments are free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk weighted assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

निम्नतर टायर II बांडों के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान बासेल III अनुपालित ₹25,000 मिलियन के टायर II बांड जारी की है। विवरण निम्नवत है :-

निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ मिलियन में
बासेल III टायर II श्रृंखला I	भारत में	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
बासेल III टायर II श्रृंखला II	भारत में	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				कुल	25,000.0

The main features of Lower Tier II bonds are as follows:

- The Bank has issued BASEL III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹25,000 million during the previous financial year. The details are as follows:-

Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in millions
BASEL III TIER II SER I	In India	03.01.2014	03.01.2024	9.73%	15,000.0
BASEL III TIER II SER II	In India	27.03.2014	27.03.2024	9.70%	10,000.0
				Total	25,000.0



- इन बांडों की अवधि 9 से 10 वर्ष की है।
- ऋण लिखतें क्रिसिल से एएए (स्थिर) तथा इकरा से एलएएए मूल्यांकित है।
- ये लिखतें पूर्ण रूप से प्रदत्त, अप्रतिभूत और अन्य लेनदारों के दावों के प्रति गौण, प्रतिबंधित खंडों से मुक्त और धारक के प्रस्ताव पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बढ़ा प्राप्त है। ऐसी बढ़ा प्राप्त राशियां पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- The bonds have a tenure ranging from 9 to 10 years.
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and LAAA from ICRA.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last 5 years of their tenure. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मदें	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2015	31.03.2014
(क)	टायर I पूंजी की राशि जिसमें निम्न प्रकटन है:		
	• प्रदत्त शेयर पूंजी	4,752.00	4,612.60
	• आरक्षित निधियाँ	252,157.00	232,339.20
	• नवोन्मेषी लिखतें (\$)	30,896.00	15,896.00
	• अन्य पूंजी लिखतें	-	-
	उप जोड़	287,805.00	252,847.80
	• घटाएँ : साख व निवेशों सहित टायर I पूंजी से कटौती की गयी राशियाँ	4,335.00	3,684.90
	कुल टायर I पूंजी	283,470.00	249,162.90
(ख)	टायर II पूंजी की कुल राशि (टायर II पूंजी से निवल कटौती)	91,320.00	97,802.60
(ग)	उच्चतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें		
	• कुल बकाया राशि	35,625.00	34,978.80
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	0.00	0.00
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	15,125.00	19,991.50
(घ)	निम्नतर टायर II पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र गौण ऋण		
	• कुल बकाया राशि	54,250.00	61,885.00
	• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	0.00	25,000.00
	• पूंजी निधियों के रूप में गणना के लिए पात्र राशि	31,700.00	37,550.00
(ङ)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ, अगर कोई हों तो	0.00	0.00
(च)	कुल पात्र पूंजी – टायर I + टायर II (क + ख – ङ)	374,790.00	346,965.50

(\$) समय-समय पर अनुमत नवोन्मेषकारी स्थाई ऋण लिखतें तथा अन्य प्रकार की लिखतें



Quantitative Disclosures:

SI No	Items	Amount (₹ in millions)	
		31.03.2015	31.03.2014
(a)	The amount of Tier I Capital, with separate disclosure of		
	• Paid-up Share Capital	4,752.00	4,612.60
	• Reserves	252,157.00	232,339.20
	• Innovative Instruments (\$)	30,896.00	15,896.00
	• Other Capital Instruments	-	-
	Sub -total	287,805.00	252,847.80
	• Less amounts deducted from Tier I Capital, including Goodwill and Investments.	4,335.00	3,684.90
	Total Tier I capital	283,470.00	249,162.90
(b)	The total amount of Tier II Capital (net of deductions from Tier II Capital)	91,320.00	97,802.60
(c)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital		
	• Total amount outstanding	35,625.00	34,978.80
	• Of which amount raised during the current year	0.00	0.00
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	15,125.00	19,991.50
(d)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier II Capital.		
	• Total amount outstanding	54,250.00	61,885.00
	• Of which amount raised during the current year	0.00	25,000.00
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	31,700.00	37,550.00
(e)	Other deductions from Capital, if any.	0.00	0.00
(f)	Total eligible Capital - Tier I+ Tier II (a+b-e)	374,790.00	346,965.50

(\$) Innovative Perpetual Debt Instruments and any other type of instruments that may be allowed from time to time.

प्रकटन प्रपत्र तालिका 3: पूंजी पर्याप्तता:

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक पूंजी आयोजना प्रक्रिया में निम्न की समीक्षा करता है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- कारोबारी रणनीति तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार लक्षित तथा बनाये रखने लायक पूंजी

पूंजी आवश्यकता और पूंजी इष्टतमीकरणों का पूंजी योजना समिति जिसके सदस्य उच्च कार्यपालकगण सदस्य हैं, अवधिकतया अनुप्रवर्तन करती है। आगे, बोर्ड स्तर पर पूंजी आयोजना का निरीक्षण प्रबन्ध

TABLE DF 3: CAPITAL ADEQUACY:

Qualitative Disclosures:

In Capital Planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Further, Capital Planning is monitored at the Board level comprising of Managing Director & CEO, Executive Directors and two



निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक व दो स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की जाती है। अग्रिमों, निवेशों व अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश में अनुमानित वृद्धि पर विचार करते हुए तिमाही तौर पर पूंजी आवश्यकता को प्रक्षेपित किया गया है। समिति आईसीएपी व विज्ञान दस्तावेजों में प्रगणित दीर्घावधि लक्ष्यों अनुसार पूंजी इष्टमतीकरण हेतु विधिवत परिदृश्य विश्लेषण करते हुए कारोबार वृद्धि व पूंजी संरचना को फिर से संगठित करते हुए अनुसार पूंजी वृद्धि हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देना देगी।

independent Directors. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries / Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization in tune with its long term goals enumerated in ICAAP and Vision documents.

परिमाणात्मक प्रकटन:

क्रमांक	मदें	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2015	31.03.2014
(क)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं		
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन सविभाग	270,074.96	246,041.15
	• प्रतिभूतीकरण ऋण जोखिम	0.00	0.00
(ख)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		
	• ब्याज दर जोखिम	13,087.60	13,090.56
	• विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	375.90	592.47
	• ईक्विटी जोखिम	7,201.40	5,156.27
(ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं		
	• आधार संकेतक दृष्टिकोण	16,578.68	15,394.60
(घ)	बैंक के लिए कुल व टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	10.98	11.14
	• टायर I सीआरएआर (%)	8.30	8.00
(ङ)	समेकित समूह के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	11.01	11.37
	• टायर I सीआरएआर (%)	8.34	8.24
(च)	महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह के तहत नहीं हैं, के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
	• कुल सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
	• टायर I सीआरएआर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं



Quantitative Disclosures:

SI No	Items	Amount (₹ in millions)	
		31.03.2015	31.03.2014
	Capital requirements for Credit Risk		
(a)	• Portfolios subject to Standardized Approach	270,074.96	246,041.15
	• Securitization Exposures	0.00	0.00
	Capital requirements for Market Risk – Standardized Duration Approach		
(b)	• Interest Rate Risk	13,087.60	13,090.56
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	375.90	592.47
	• Equity Risk	7,201.40	5,156.27
(c)	Capital requirements for Operational Risk		
	- Basic Indicator Approach	16,578.68	15,394.60
	Total & Tier I CRAR for the Bank		
(d)	• Total CRAR (%)	10.98	11.14
	• Tier I CRAR (%)	8.30	8.00
	Total & Tier I CRAR for the Consolidated Group		
(e)	• Total CRAR (%)	11.01	11.37
	• Tier I CRAR (%)	8.34	8.24
(f)	Total & Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which are not under Consolidated Group		
	• Total CRAR (%)	NA	NA
	• Tier I CRAR (%)	NA	NA

प्रकटन प्रपत्र तालिका 4: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन:

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबन्धन नीति (सीआरएम नीति) को स्थापित किया है, जो कि सभी साख जोखिम संबंधित पहलुओं को शासित करता है। सीआरएम नीति बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन हेतु मूल सिद्धांत, मानक व दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह साख जोखिम को सक्रिय रूप से प्रबन्धित करने हेतु प्रणाली, प्रक्रिया, नियंत्रण व उपाय संस्थापित करता है, संसाधनों को अनुकूलित करता है एवं बैंक को प्रतिकूल साख स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। साख सीमा की मंजूरी हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

बैंक की नीतियाँ सीमित जोखिम उठाने और जोखिम तथा प्रतिफल में स्वस्थ संतुलन को मानती हैं। जोखिम प्रबंधन के अहम लक्ष्य है

TABLE DF 4: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES:

Qualitative Disclosures:

Bank has put in place Board approved Credit Risk Management Policy (CRM Policy), which governs all credit risk related aspects. CRM Policy outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. It establishes systems, procedures, controls and measures to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the bank against adverse credit situations. The delegation of power for approval of credit limits is approved by the Board of Directors.

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and



स्वीकार्य मानदंडों के अंदर एवं विनियामक प्राधिकारों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टेक धारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शेयर धारकों के लिए मूल्य अधिकतम बनाना। बैंक के जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सूत्र है : विनियामक एवं विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन, जोखिम और प्रतिफल में संतुलन कायम करना, जोखिम क्रिया कलापों की आजादी सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन और व्यापारिक लक्ष्यों का मेल-मिलाप, बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शक्तिशाली संगठनात्मक संस्कृति एवं ठोस परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के पथ पर चलती है जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, अभिवृत्ति, सक्षमतायें, व्यापारिक ज्ञान साधनों का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावशाली आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजनाओं का समावेश होता है।

बैंक के समग्र साख जोखिम प्रबंधन उद्देश्य निम्नानुसार है :

- क्षेत्रवार संतुलित गुणात्मक के साथ-साथ परिमाणात्मक ऋण वृद्धि जिसमें जोखिमों का अधिकतम विविधिकरण हो, सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों और संविभागों पर जारी विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों में निहित विविध प्रकार के जोखिमों का पर्याप्त रूप से मूल्यनिर्धारण।
- सभी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का एकीकृत सिस्टम का निर्माण करना जिसके तहत ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

रणनीतियाँ और प्रक्रियायें :

ऋण जोखिम प्रबंधन के उपर्युक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए बैंक ऋण जोखिम की पहचान, मापन, संवर्ग एवं समुच्चयन तकनीकियाँ, अनुप्रवर्तनों और रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / प्रशमन तकनीकियाँ तथा समस्यामूलक ऋणों / उधारों के प्रबंधन के लिए अनेकानेक पद्धतियाँ निर्धारित करता है। बैंक ने लक्षित बाज़ार, जोखिम स्वीकार्यता मानक, ऋण अनुमोदन प्राधिकार और ऋण व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया है।

इन रणनीतियों को ऋण जोखिम प्रशमन के लिए विभिन्न उपायों की दृष्टि में रखकर रूपायित किया गया है जिनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा लक्षित बाज़ारों की पहचान, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों और जोखिम संभालने में बैंक की क्षमता, संकेंद्रक जोखिम और रेटिंग के आधार पर मूल्यन का स्वीकार्य स्तर समाहित है।

adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control/ mitigation techniques and management of problem loans/ credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination/ maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, Minimizing Concentration Risk, and pricing based on rating.



बैंक समय-समय पर खंडों के प्रकटन तथा अर्थव्यवस्था की माँगों के आधार पर ऋण देने के लिए क्षमता योग्य और उत्पादन क्षेत्रों को पहचानते हैं। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के आधार पर उद्योगों / क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर विकास क्षमता नहीं रखनेवाले क्षेत्रों में बैंक ऋण को प्रतिबंधित रखता है।

ऋण से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएं और प्रणालियां सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर निर्मित हैं और ये आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन हैं।

ऋण प्रस्तावों पर समुचित रूप से ध्यान दिये जाने की प्रक्रिया के तौर पर बैंक की व्यापक ऋण जोखिम पहचान प्रक्रिया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन :

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है-

- i. निदेशक मंडल
- ii. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी)
- iii. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- iv. मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्य दल (एम आर टी डब्ल्यू जी)
- v. महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- vi. उप महा प्रबंधक (I व II), जोखिम प्रबंधन विभाग
- vii. ऋण जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- viii. साख जोखिम प्रबंधन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग और साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग होते हैं। साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग में तीन कामकाजी डेस्क हैं जैसे साख जोखिम प्रबंधन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क और उद्योग अनुसंधान डेस्क।
- ix. मॉडल विकास दल
- x. मॉडल मान्यकरण दल (एम वी टी)
- xi. अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन और साख समीक्षा अनुभाग

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function:

Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- i. Board of Directors
- ii. Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- iii. Credit Risk Management Committee (CRMC)
- iv. Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- v. General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)
- vi. Deputy General Manager (I&II), Risk Management Wing
- vii. Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- viii. The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- ix. Model Development Team
- x. Model Validation Team (MVT)
- xi. Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.



जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन सिस्टम का कार्यक्षेत्र और प्रकृति :

बैंक की एक समुचित जोखिम मापन और निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का मापन, बैंक द्वारा स्थापित ऋण जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की निर्धारित मंजूरी पूर्व प्रक्रिया से संपन्न होता है। इन जोखिमों में से प्रत्येक के तहत मानदंडों की पहचान के साथ-साथ उन्हें भारित स्कोर निर्धारित करने के लिए और। से VII के पैमाने में उनकी रेटिंग के लिए बैंक में प्रत्येक जोखिम निर्धारण नीति है। ग्रेड VIII या उच्च जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहा गया है। पूंजी परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिमों को जोखिम भारित करने के लिए मान्यताप्राप्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ई सी ए आई) द्वारा दी गई रेटिंग के प्रयोग / मापन के संबंध में बैंक की आवश्यकता पर जोखिम निर्धारण नीति जोर देती है।

ऋण जोखिम मापन के लिए समस्त ऋण संविभाग के लिए बैंक ने "मानकीकृत दृष्टिकोण" अपनाया है। बैंक आई आर बी दृष्टिकोण की तरफ अंतरित होने के लिए प्रयास कर रहा है तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

ऋण जोखिम की समीक्षा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से ऋण संविभाग की निगरानी, विश्लेषण करने के लिए सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली की अपेक्षाओं के लिए एक प्रभावी ऋण डाटा संग्रह स्थापित करने, जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यू ए) के परिकलन, ऋण संबंधी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए तथा सिस्टम समर्थन प्राप्त करने हेतु बैंक ने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का उपयोग किया है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) और / या जोखिम को कम करने और बचाव व्यवस्था / प्रशामक की सतत प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएं :

ऋण मंजूर करते समय बैंक मुख्यतः उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण को अदा करने की क्षमता पर निर्भर रहता है। चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की ऋणपात्रता के मूल्यांकन के लिए एक विकल्प के रूप में संपादिकों या गारंटियों पर बैंक अत्यधिक निर्भर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ऋण के लिए पात्र के रूप में मूल्यांकित किया गया है, को केवल इस आधार पर ही ऋण अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है कि उनके पास पर्याप्त संपादिक नहीं है।

अपने ऋण जोखिम निवेश का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने ऋण मूल्यांकित और अनुमोदन नीतियाँ और प्रक्रियायें अपनाई है जिनकी अन्य कामकाजी विभागों से परामर्श करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/ mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

The Bank has embarked upon implementation of a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation



जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। ऋण मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्थूलतः ऋण मौलिकीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निपटान में विभाजित किया गया है।

कॉर्पोरेट वित्तीयन और परियोजना वित्तीयन ऋण, विशिष्ट रूप से स्थिर आस्तियों, सामान्यतया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों जैसे विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की गिरवी की प्रतिभूति भी लेता है और जहां कहीं संगत हो कॉर्पोरेट गारंटियां और वैयक्तिक गारंटियां प्राप्त की जाती हैं। कार्यशील पूंजी ऋण चालू आस्तियों, जिनमें स्टॉक और प्राप्य राशियां निहित हैं, पर विशिष्ट रूप से प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत किये जाते हैं।

संपार्श्विकों पर बैंक के प्रभार की कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

किसी विशिष्ट उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता की अनुमानों के आलोक में और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता को देखते हुए किसी विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में संविभाग विविधिकरण को सुनिश्चित करना और कुल वित्तीयन जोखिम का मूल्यांकन करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों और विशिष्ट रूप से विभिन्न उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के विशिष्ट जोखिमों की निगरानी करता है। औद्योगिक कार्यकलापों को ऋण जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं जो उस उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, के अधीन हैं। बैंक के एकल और समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम साथ ही बड़े जोखिम की निगरानी की जाती है और उसे समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए अनुसार विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के भीतर नियंत्रित किया जाता है।

ऋण व्युत्पत्ति मूल स्तर से होती है जिसकी शाखा तंत्र और अंचल कार्यालय भरपूर मदद करते हैं। प्रगाढ़ मूल्यांकन, समुचित जागरूकता और निर्धारण के आरंभ किये जाने के पहले ही पहचान और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक संविष्ट अंश होती है जो मंजूरी पूर्व अभियान के रूप में उधारकर्ता के अधिदेशात्मक ऋण जोखिम को रेटिंग किये जाने से शुरू होती है। उधारकर्ता के साथ लगा हुआ ऋण जोखिम का माप-तोल, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, क्रिया-कलाप, वर्तमान बाजार व्यवहार, गत व्यवहार, प्रबंधन क्षमतायें, सहयोगी व्यापार निकायों के साथ अनुभव, सुविधाओं का स्वभाव आदि का मूल्यांकन करता है। विभिन्न प्राधिकारियों को उधारकर्ताओं के आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी के आधार पर साख मंजूरी अधिकारों

with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance



को प्रत्यायोजित किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों में साख अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है। प्रशासनिक इकाइयों (अर्थात् शाखा अधिकार के अलावा) के सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख मंजूरी अधिकारों को वापस लिया गया है तथा समिति दृष्टिकोण को लगाया गया है। बैंक ने चुनिंदा शहरों में ऋण वितरण सरल बनाने के लिए तथा विशेषीकृत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीयू), खुदरा आस्ति केंद्र (आरएएच) तथा एसएमई सुलभ सुस्थापित किया गया है।

नियंत्रण कार्य को बढ़ाने के लिए, विशेषीकृत ऋण समीक्षा, समस्या खातों की निगरानी, साख लेखा परीक्षा आदि शुरू करने के लिए, अलग साख प्रशासन व निगरानी विभाग कार्यरत है। इस से ऋणों की मंजूरी उपरांत अनुप्रवर्तन पर अधिक जोर सुनिश्चित किया जा सकता है और ऋण समीक्षा तंत्र संबंधी नीतियों में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

ऋण की प्रभावी समीक्षा के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की है :

- मंजूर नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु पूर्व-जारी लेखापरीक्षा प्रणाली, सवितरण से पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पावती आदि
- ₹5.00 करोड़ की साख सीमा के साथ मंजूर सभी प्रकार की साख सुविधाओं हेतु गैर-अनुपालन व सुधार की घटनाओं का विश्लेषण व पहचान करने के लिये साख लेखापरीक्षा प्रणाली।
- प्रत्येक मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऋण की समीक्षा उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है।
- एक निश्चित सीमा से ऊपर के उधार खातों की मध्यावधि समीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्तरों पर विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की निगरानी। पूर्व सुधार या पुनर्गठन हेतु संयुक्त उधारकर्ता फोरम (जेएलएफ) का गठन व संघीय /जेएलए खातों के मामले में सुधारात्मक कार्यवाही योजना (सीएपी) की संगणना।
- निगरानी उपाय जैसे ऋण निगरानी फार्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक लेखा-परीक्षा, विशेष निगरानी सूची खाते आदि।
- शाखाओं में अनुप्रवर्तन कार्यों के लिए प्रभारी ऋण अनुप्रवर्तन अधिकारी।

notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Pre-release Audit System for compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc.
- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification for all types of credit facilities sanctioned with credit limit of Rs. 5 crore.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of Special Mention Accounts (SMA) at various levels. formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP) in the case of consortium/JLA accounts, for early rectification or restructuring.
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.



- एक सुधारात्मक कार्यवाही योजना को रेखांकित करते हुए एक मूल संरचना विकसित की गयी है जो कि समस्यामूलक खातों की पूर्व-पहचान, व्यवहार्य खातों का समय से पुनर्गठन व वसूली या विक्रय हेतु ऋणदाताओं द्वारा उचित कदम उठाया जाना जिससे कि बैंक में विपत्तिकालीन खाते सशक्त हो सके, को प्रोत्साहित करेगा।

कालातीत और अनर्जक ऋण :

आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों को अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित करता है, जहां :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और / या मूलधन की किस्त अतिदेय हो।
- अधिविकर्ष / नकद उधार के मामले में खाता "अव्यवस्थित" हो जाता है। बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से लगातार अधिक रहने लगता है तो खाते को "अव्यवस्थित" माना जाता है। परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकारों से कम हो, लेकिन यथा तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं हो या उसी अवधि के दौरान नामे डाले गये ब्याज के लिए राशि पर्याप्त न हो तो इन खातों को "अव्यवस्थित" मानना चाहिए।
- क्रय किए गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जो बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हों।
- कृषि अग्रिमों, ब्याज और / या मूलधन की किस्त के मामले में जो 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) और 1 फसल मौसम (दीर्घावधि फसल के संबंध में) से अतिदेय हो।
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो।
- किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज जो उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं गया हो।
- समय-समय पर विनियामक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार।

- A framework has been developed outlining a corrective action plan that will incentivize early identification of problem account, timely restructuring of accounts which are considered to be viable and taking prompt steps by lenders for recovery or sale thereby revitalizing the distressed accounts in the Bank.

Loans Past due and Impaired:

As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers including following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- In case of agricultural advances, interest and/or instalment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter and /or
- As specified by the regulator from time to time.



परिमाणात्मक प्रकटन:

(क) कुल सकल ऋण जोखिम

राशि (₹ मिलियन में)

समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित ऋण जोखिम		गैर – निधि आधारित ऋण जोखिम	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
कुल समग्र ऋण जोखिम (ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक के प्रभावों उदाहरणार्थ संपार्श्विक और समायोजन को ध्यान में रखे बिना प्रयोज्य लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रतिसंतुलन का लेखांकन करने के बाद)	3,349,472.82	3,034,310.24	2,666,108.20	2,150,362.95

Quantitative Disclosures:

(a) Total Gross Credit Exposures:

Amount (₹ in millions)

Overall Credit exposure	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Total Gross Credit Exposures (after accounting offsets in accordance with the applicable accounting regime and without taking into account the effects of Credit Risk Mitigation techniques, e.g. collateral and netting)	3,349,472.82	3,034,310.24	2,666,108.20	2,150,362.95

(ख) ऋण जोखिमों का भौगोलिक संवितरण:

राशि (₹ मिलियन में)

ऋण जोखिम	निधि आधारित		गैर – निधि आधारित	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
देशी परिचालन	3,121,130.00	2,841,589.35	2,548,434.51	2,021,899.05
विदेशी परिचालन	228,342.82	192,720.89	117,673.69	128,463.90

(b) Geographic Distribution of Exposures:

Amount (₹ in millions)

Exposures	FUND BASED		NON-FUND BASED	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Domestic operations	3,121,130.00	2,841,589.35	2,548,434.51	2,021,899.05
Overseas operations	228,342.82	192,720.89	117,673.69	128,463.90



(ग) उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का संवितरण (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित बकाया		एन एफ बी बकाया	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1.1	खनन और उत्खनन	30,570.80	30,718.20	6,601.60	1,520.00
1.2	खाद्य प्रसंस्करण	93,182.50	68,830.80	4,287.30	4,520.00
	1.2.1 चीनी	23,253.50	19,555.10	562.30	560.00
	1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	4,186.20	2,606.70	562.70	1,400.00
	1.2.3 चाय	1,796.00	1,062.00	629.80	710.00
	1.2.4 अन्य	63,946.80	45,607.00	2,532.50	1,850.00
1.3	पेय व तंबाकू	8,590.80	7,540.00	571.30	250.00
1.4	वस्त्र	157,142.50	134,320.50	9,890.20	13,850.00
	1.4.1 सूती वस्त्र	72,451.20	60,197.60	3,813.60	3,150.00
	1.4.2 जूट वस्त्र	1,451.00	1,380.00	182.30	240.00
	1.4.3 अन्य वस्त्र	83,240.30	72,742.90	5,894.30	10,460.00
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	11,993.50	12,332.70	237.90	320.00
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	6,210.00	4,460.00	975.50	1,440.00
1.7	कागज व कागज के उत्पाद	25,940.80	20,730.10	6,089.90	4,640.00
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	33,696.50	48,195.90	23,214.90	28,250.00
1.9	रासायन और रासायन उत्पाद	57,789.90	42,298.80	6,965.80	7,759.40
	1.9.1 उर्वरक	3,293.20	2,675.30	2,252.10	3,070.00
	1.9.2 औषध व फार्मस्यूटिकल्स	25,839.70	17,408.40	1,860.40	2,030.00
	1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	5,881.10	3,719.60	253.30	349.40
	1.9.4 अन्य	22,775.90	18,495.50	2,600.00	2,310.00
1.10	रबड़, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	17,059.20	13,370.00	2,366.80	1,810.00
1.11	शीशा और शीशे का सामान	1,735.10	1,706.80	17.60	30.00
1.12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	23,347.00	18,357.30	1,060.40	610.00
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	202,598.50	187,575.30	60,524.90	39,270.00
	1.13.1 लोहा और इस्पात	131,819.10	122,509.90	46,229.30	31,230.00
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	70,779.40	65,065.40	14,295.60	8,040.00
1.14	सभी इंजीनियरिंग	80,144.50	71,680.50	157,519.20	52,623.40
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक	11,968.10	11,876.10	24,467.40	6,440.00
	1.14.2 बिजली	22,008.20	18,550.00	62,510.80	17,923.40
	1.14.3 अन्य	46,168.20	41,254.40	70,541.00	28,260.00
1.15	वाहन, वाहन के पुर्जे और यातायात के उपकरण	41,194.50	32,448.20	16,002.30	6,950.00
1.16	रत्न और आभूषण	11,696.20	11,180.00	11,063.90	10,890.00
1.17	निर्माण	57,841.50	48,672.50	64,131.60	44,130.00
1.18	आधारभूत संरचना	849,647.70	645,301.30	68,191.00	38,910.00
	1.18.1 ऊर्जा	531,704.10	438,329.90	41,390.30	32,210.00
	1.18.2 दूरसंचार	79,195.30	73,731.70	23,648.60	3,910.00
	1.18.3 सड़क	103,778.70	70,380.00	821.90	680.00
	1.18.4 हवाई अड्डे	13,768.90	18,270.00	0.00	0.00
	1.18.5 पत्तन	10,716.20	10,920.00	108.00	110.00
	1.18.6 रेलवे (भारतीय रेलवे के अलावा)	39,994.20	11,730.00	922.20	1,670.00
	1.18.7 अन्य आधारभूत संरचना	70,490.30	21,939.70	1,300.00	330.00
1.19	अन्य उद्योग	104,447.30	198,651.10	7,376.50	8,340.00
	उद्योग (लघु, मध्यम और बृहत का कुल)	1,814,828.80	1,598,370.00	447,088.60	266,112.80



(c) Industry Type Distribution of Exposures (Global)

Amount (₹ in millions)

SL NO.	INDUSTRY	FUND BASED EXPOSURE		NFB EXPOSURE	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1.1	Mining and Quarrying	30,570.80	30,718.20	6,601.60	1,520.00
1.2	Food Processing	93,182.50	68,830.80	4,287.30	4,520.00
	1.2.1 Sugar	23,253.50	19,555.10	562.30	560.00
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	4,186.20	2,606.70	562.70	1,400.00
	1.2.3 Tea	1,796.00	1,062.00	629.80	710.00
	1.2.4 Others	63,946.80	45,607.00	2,532.50	1,850.00
1.3	Beverage & Tobacco	8,590.80	7,540.00	571.30	250.00
1.4	Textiles	157,142.50	134,320.50	9,890.20	13,850.00
	2.4.1 Cotton Textiles	72,451.20	60,197.60	3,813.60	3,150.00
	2.4.2 Jute Textiles	1,451.00	1,380.00	182.30	240.00
	2.4.3 Other Textiles	83,240.30	72,742.90	5,894.30	10,460.00
1.5	Leather & Leather Products	11,993.50	12,332.70	237.90	320.00
1.6	Wood and Wood Products	6,210.00	4,460.00	975.50	1,440.00
1.7	Paper & Paper Products	25,940.80	20,730.10	6,089.90	4,640.00
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	33,696.50	48,195.90	23,214.90	28,250.00
1.9	Chemicals and Chemical Products	57,789.90	42,298.80	6,965.80	7,759.40
	1.9.1 Fertilizer	3,293.20	2,675.30	2,252.10	3,070.00
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	25,839.70	17,408.40	1,860.40	2,030.00
	1.9.3 Petro Chemicals	5,881.10	3,719.60	253.30	349.40
	1.9.4 Others	22,775.90	18,495.50	2,600.00	2,310.00
1.10	Rubber, Plastic & their Products	17,059.20	13,370.00	2,366.80	1,810.00
1.11	Glass and Glassware	1,735.10	1,706.80	17.60	30.00
1.12	Cement and Cement Products	23,347.00	18,357.30	1,060.40	610.00
1.13	Basic Metal and Metal Products	202,598.50	187,575.30	60,524.90	39,270.00
	1.13.1 Iron and Steel	131,819.10	122,509.90	46,229.30	31,230.00
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	70,779.40	65,065.40	14,295.60	8,040.00
1.14	All Engineering	80,144.50	71,680.50	157,519.20	52,623.40
	1.14.1 Electronics	11,968.10	11,876.10	24,467.40	6,440.00
	1.14.2 Electricity	22,008.20	18,550.00	62,510.80	17,923.40
	1.14.3 Others	46,168.20	41,254.40	70,541.00	28,260.00
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	41,194.50	32,448.20	16,002.30	6,950.00
1.16	Gems & Jewellery	11,696.20	11,180.00	11,063.90	10,890.00
1.17	Construction	57,841.50	48,672.50	64,131.60	44,130.00
1.18	Infrastructure	849,647.70	645,301.30	68,191.00	38,910.00
	1.18.1 Power	531,704.10	438,329.90	41,390.30	32,210.00
	1.18.2 Telecommunications	79,195.30	73,731.70	23,648.60	3,910.00
	1.18.3 Roads	103,778.70	70,380.00	821.90	680.00
	1.18.4 Airport	13,768.90	18,270.00	0.00	0.00
	1.18.5 Ports	10,716.20	10,920.00	108.00	110.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	39,994.20	11,730.00	922.20	1,670.00
	1.18.7 Other Infrastructure	70,490.30	21,939.70	1,300.00	330.00
1.19	Other Industries	104,447.30	198,651.10	7,376.50	8,340.00
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,814,828.80	1,598,370.00	447,088.60	266,112.80



उद्योगों की ऋण जोखिम जहाँ बकाया जोखिम बैंक के कुल समग्र ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नवत है:

क्रमांक	उद्योग	कुल ऋण जोखिम (₹ मिलियन में)	कुल समग्र ऋण जोखिम का %
1	ऊर्जा	573,094.40	9.53

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No	Industry	Total Exposure (₹ in millions)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Power	573,094.40	9.53

(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विभाजन (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

(राशि ₹ मिलियन में)	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्ति
0 से 1 दिन	171,350.40 (94,882.20)	2,112.50 (2,379.70)	36,009.30 (14,795.91)
2 से 7 दिन	115,131.70 (136,358.60)	25,000.00 (5,490.20)	17,443.40 (33,054.90)
8 से 14 दिन	86,225.80 (111,190.00)	50.00 (556.30)	30,735.90 (13,779.80)
15 से 28 दिन	145,753.30 (162,313.80)	3,475.43 (6,304.10)	25,642.50 (19,843.44)
29 दिन से 3 महीने तक	281,351.00 (207,013.00)	68,678.04 (24,068.20)	97,987.60 (77,123.77)
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	208,377.70 (214,633.70)	33,944.66 (13,400.20)	48,822.50 (93,852.81)
6 महीने से अधिक व 1 साल तक	471,283.00 (401,353.20)	50,817.33 (22,276.50)	109,262.90 (38,067.04)
1 साल से अधिक व 3 साल तक	826,046.00 (763,646.60)	168,685.17 (123,320.90)	62,404.70 (63,824.11)
3 साल से अधिक व 5 साल तक	359,022.70 (279,747.30)	325,671.85 (300,922.90)	28,741.40 (30,137.30)
5 साल से अधिक	635,813.50 (639,536.40)	775,026.88 (769,563.50)	35,610.10 (6,223.90)
कुल	3,300,355.10 (3,010,674.80)	1,453,461.86 (1,268,282.50)	492,660.30 (390,162.98)

(कोष्ठक में दिए गए अंक पिछले वर्ष के हैं)



(d) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets (Global)

Amount (₹ in millions)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	171,350.40 (94,882.20)	2,112.50 (2,379.70)	36,009.30 (14,795.91)
2 to 7 days	115,131.70 (136,358.60)	25,000.00 (5,490.20)	17,443.40 (33,054.90)
8 to 14 days	86,225.80 (111,190.00)	50.00 (556.30)	30,735.90 (13,779.80)
15 to 28 days	145,753.30 (162,313.80)	3,475.43 (6,304.10)	25,642.50 (19,843.44)
29 days to 3 months	281,351.00 (207,013.00)	68,678.04 (24,068.20)	97,987.60 (77,123.77)
Over 3 months & upto 6 months	208,377.70 (214,633.70)	33,944.66 (13,400.20)	48,822.50 (93,852.81)
Over 6 months & upto 1 year	471,283.00 (401,353.20)	50,817.33 (22,276.50)	109,262.90 (38,067.04)
Over 1 year & upto 3 years	826,046.00 (763,646.60)	168,685.17 (123,320.90)	62,404.70 (63,824.11)
Over 3 year & upto 5 years	359,022.70 (279,747.30)	325,671.85 (300,922.90)	28,741.40 (30,137.30)
Over 5 years	635,813.50 (639,536.40)	775,026.88 (769,563.50)	35,610.10 (6,223.90)
Total	3,300,355.10 (3,010,674.80)	1,453,461.86 (1,268,282.50)	492,660.30 (390,162.98)

(The figures in brackets relate to previous year)



(ड) अनर्जक आस्तियां:

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	मर्दे	31.03.2015	31.03.2014
क)	सकल एन पी ए	130,399.60	75,702.10
	अवमानक	70,760.20	34,363.40
	संदिग्ध 1	32,375.90	24,303.60
	संदिग्ध 2	27,263.50	16,928.60
	संदिग्ध 3	0.00	106.50
	हानि	0.00	0.00
ख)	निवल एन पी ए	87,400.90	59,654.60
ग)	एन पी ए अनुपात		
	सकल एन पी ए के प्रति सकल अग्रिम (%)	3.89	2.49
	निवल एन पी ए के प्रति निवल अग्रिम (%)	2.65	1.98
घ)	एन पी ए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	प्रारंभिक शेष	75,702.10	62,601.60
	संवर्धन	108,695.30	84,436.20
	कमी	53,997.80	71,335.70
	इति शेष	130,399.60	75,702.10
ड)	अनर्जक आस्ति के उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	15,608.40	9,329.60
	विनिमय अस्थिरता पर समायोजन	(32.50)	304.60
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	41,757.10	22,380.30
	बट्टे खाते में डालना	14,796.20	15,912.50
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00	493.60
	इति शेष	42,536.80	15,608.40
च)	अनर्जक निवेश संबंधी राशि	2,820.41	2,848.10
छ)	अनर्जक निवेश हेतु धारित प्रावधान संबंधी राशि	2,318.76	2,198.10
ज)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
	प्रारंभिक शेष	1,636.54	2,128.00
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	807.23	550.10
	बट्टे खाते में डालना	0.00	0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	125.01	1,041.60
	इति शेष	2,318.76	1,636.50



(e) Non-Performing Assets:

Amount (₹ in millions)

Sl No	Items	31.03.2015	31.03.2014
a)	Gross NPAs	130,399.60	75,702.10
	Sub-Standard	70,760.20	34,363.40
	Doubtful 1	32,375.90	24,303.60
	Doubtful 2	27,263.50	16,928.60
	Doubtful 3	0.00	106.50
	Loss	0.00	0.00
b)	Net NPAs	87,400.90	59,654.60
c)	NPA Ratios		
	Gross NPAs to Gross Advances (%)	3.89	2.49
	Net NPAs to Net Advances (%)	2.65	1.98
d)	Movement of NPAs (gross)		
	Opening balance	75,702.10	62,601.60
	Additions	108,695.30	84,436.20
	Reductions	53,997.80	71,335.70
	Closing Balance	130,399.60	75,702.10
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	Opening Balance	15,608.40	9,329.60
	Adjustment towards Exchange Fluctuation	(32.50)	304.60
	Provisions made during the Year	41,757.10	22,380.30
	Write-off	14,796.20	15,912.50
	write back of excess provisions	0.00	493.60
	Closing Balance	42,536.80	15,608.40
f)	Amount of Non-performing Investments	2,820.41	2,848.10
g)	Amount of Provisions held for Non-performing Investments	2,318.76	2,198.10
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	Opening Balance	1,636.54	2,128.00
	Provisions made during the period	807.23	550.10
	Write-off	0.00	0.00
	Write Back of excess Provisions	125.01	1,041.60
	Closing Balance	2,318.76	1,636.50



प्रकटन प्रपत्र तालिका 5: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों का प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी प्रभागों की परिकलन के लिए ऋण जोखिम का रेटिंग तथा जोखिम भारिता निर्धारण के लिए निम्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है।

देशी साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- साख विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स व अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड (पहले फिच इंडिया)
- स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड

अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियाँ:

- स्टैंडर्ड व पुअर
- मुडीज़
- फिच

एजेंसियों का इस्तेमाल किए गए ऋण जोखिम का प्रकार:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार के ऋण जोखिमों के रेटिंग के लिए अनुमोदित किया गया है।

बैंकिंग बहियों में सार्वजनिक निर्गम संबंधी रेटिंग को तुलनीय आस्ति में अंतरण करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया संबंधी विवरण:

- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रार्थित वैध रेटिंग का उपयोग करता है जिनकी समीक्षा मान्यताप्राप्त तथा बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं के रूप में जाना जानेवाली बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई) करती हैं।
- उधारकर्ता की ऋण जोखिम भारिता को पहचानने हेतु बैंक द्वारा बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक बैंक ऋण को विशिष्ट रूप से रेटिंग नहीं किया गया है, तब तक बैंक इस प्रकार के रेटिंग का इस्तेमाल करता है।
- बैंक द्वारा एक ही उधारकर्ता के किसी एक ऋण जोखिम के लिए एक ईसीएआई का और दूसरे ऋण जोखिम के लिए दूसरे ईसीएआई का प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक कि संबंधित ऋण जोखिम का रेटिंग किसी एक चुनिंदा ईसीएआई द्वारा ही किया गया है। आगे, किसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित रेटिंग का, उसी समूह के किसी अन्य संस्था के जोखिम भार के निर्धारण के लिए बैंक प्रयोग नहीं करता है।

TABLE DF 5: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH:

(i) Qualitative Disclosures

(a) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork)
- Credit Analysis & Research Limited (CARE)
- CRISIL Limited
- ICRA Limited
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.



- नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं को दीर्घावधि ऋण जोखिम के रूप में माना जाता है और तदनुसार ऐसे ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार का निर्धारण के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- ईसीएआई द्वारा निर्धारित रेटिंग का मापन / लागू करते समय बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शित होता है।
- जहां ऋण जोखिम / उधारकर्ताओं का चुनिंदा ईसीएआई से एक से अधिक रेटिंग प्राप्त हो, वहां बैंक जोखिम भारिता के परिकलन के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है :
 - o चुनी हुई ईसीएआई, जो भिन्न जोखिम भारों का मापन करती हैं, द्वारा दो रेटिंग हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - o जहाँ चुनी हुई ईसीएआई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है, जो विभिन्न जोखिम भार से जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में 2 निम्नतम रेटिंग की अनुरूपी रेटिंग को लिया जाता है और उन में से उच्चतम जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - o If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - o If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

परिमाणात्मक प्रकटन:

प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक एक्सपोजर की राशि – कुल अग्रिम (निर्धारित व अनिर्धारित)– जोखिम प्रशामक (अर्थात् संपार्श्विक) को कम करने के पश्चात् मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत:

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	100% से कम जोखिम भार	3,601,067.58	3,130,336.20	727,213.70	1,791,548.20
2	100% जोखिम भार	956,606.15	933,841.70	359,422.44	674,130.30
3	100% से ज्यादा जोखिम भार	610,406.76	544,486.80	277,485.17	253,408.20
4	कम किया गया (जोखिम प्रशामक)	426,444.09	375,654.30	130,655.51	125,497.70
	कुल	4,741,636.40	4,233,010.40	1,233,465.80	2,593,588.90

Quantitative Disclosures:

Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Amount (₹ in millions)

SI No	Particulars	FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	Below 100% Risk Weight	3,601,067.58	3,130,336.20	727,213.70	1,791,548.20
2	100% Risk Weight	956,606.15	933,841.70	359,422.44	674,130.30
3	More than 100% Risk Weight	610,406.76	544,486.80	277,485.17	253,408.20
4	Deducted (Risk Mitigants)	426,444.09	375,654.30	130,655.51	125,497.70
	TOTAL	4,741,636.40	4,233,010.40	1,233,465.80	2,593,588.90



प्रकटन प्रपत्र तालिका 6: ऋण जोखिम कम करना – मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया: प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए बैंक को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, संपार्श्विकों के स्वीकृत प्रकार, उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा निर्धारित करती है। सही रूप में लिये गये और प्रबंधन किये गये संपार्श्विक और गारंटियाँ निम्न के लिए सहायक होंगे:

- प्रत्याशित नकद प्रवाह में अपर्याप्तता या किसी अन्यथा ऋण सुविधा की चुकौती के संबंध में उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर चुकौती का दूसरा स्रोत प्रदान करते हुए जोखिम को कम करना।
- चूक होने पर चुकौती के स्रोत पर नियंत्रण पाना।
- उधारकर्ता की गिरती चुकौती क्षमता पर शीघ्र चेतावनी देना और
- जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाना और पर्याप्त रूप से अवशिष्ट जोखिमों का निवारण करना।

बैंक अपने सामने आ रहे ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। संशोधित दृष्टिकोण भारत के बैंकों को समग्र दृष्टिकोण (दोनों मानकीकृत तथा आई आर बी दृष्टिकोणों के तहत), जो ऋण जोखिम पर संपार्श्विकों के संपूर्ण ऑफसेट के प्रति ऋण जोखिम राशि को संपार्श्विकों के लिए माने गए मूल्य के द्वारा प्रभावी रूप से कम करने हेतु, अपनाने के लिए अनुमत करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, बैंक, जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्राप्त करता है, वे संपार्श्विक के जोखिम प्रशमन प्रभाव का हिसाब लेकर पूँजी आवश्यकताओं का परिकलन करते समय प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम को कम करने के लिए अनुमत है।

बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और आचरण में, सुरक्षा और संपार्श्विक मूल्य की सुरक्षा व संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन / नियमित निरीक्षण सहित संपूर्ण क्रियाविधि प्रावरित हैं।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों को प्रतिभूत करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियाँ बैंक द्वारा सूचीबद्ध की गई बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवश्यकता आदि बैंक की नीति संबंधी दिशानिर्देश में उल्लिखित की गयी है। बैंक नियमित अंतरालों में मूल्यांकन के दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

TABLE DF 6: CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosure:

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.



बैंक द्वारा लिये गये संपाश्विकों के प्रमुख प्रकार संबंधी विवरण: जोखिम को कम करने हेतु बैंक द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त प्रमुख संपाश्विक प्रकारों में वित्तीय संपाश्विक (अर्थात् नकद, बैंक जमाएं, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, एन एस सी, के वी पी, डाक विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंक द्वारा अनुमोदित लिमिटेड कंपनियों के ईक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ, कर्ज प्रतिभूतियाँ आदि), विभिन्न प्रकार की चल व अचल संपत्तियाँ / आस्तियाँ आदि शामिल हैं। तथापि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूँजी के परिकलन हेतु कुछ विशिष्ट संपाश्विकों को पात्र जमानत के रूप में मान्यता दी गई है।

गारंटीकर्ता प्रतिपक्ष और उनकी ऋण पात्रता के प्रमुख प्रकार: बैंक स्वायत्त संस्थाओं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक व यूरोपीय समिति, बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई सहित स्वायत्त कंपनियों) की गारंटियाँ प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, ऋण जोखिम को कम करने की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक वैयक्तिक या कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करता है जिसको गारंटीकर्ता के ऊपर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यह शर्त रहित तथा अविकल्पी है। गारंटीकर्ता की साख सामान्यतः उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति से संबद्ध या प्रभावित नहीं होता है। राज्य / केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी गारंटी को भी बैंक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक प्रावर्तित सुविधा की पूरी तरह से चुकौती या निपटान या जारी नहीं हो जाता है।

नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम प्रशमन (बासेल II मानक) : नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बासेल-II मानक) के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने नकद, बैंक की निजी जमाएं, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को ऋण जोखिम प्रशमन के रूप में मान्यता दी है।

प्रशमन हेतु उठाये गये उपायों के अंतर्गत जोखिम केंद्रीकरण संबंधी सूचना: ऋण जोखिम के प्रबंधन और संपाश्विक के जोखिम केंद्रीकरण सहित संपाश्विक प्रबंधन के प्रभावी मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने हेतु बैंक द्वारा एक डाटा वेयर हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immoveable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.



परिमाणात्मक प्रकटन:

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक के द्वारा प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	522,612.83	479,925.38
2	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये गारंटियाँ / ऋण व्युत्पन्नियों से (जब कभी भा.रि.बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत) प्रावरित कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र व तुलन पत्र इतर का समायोजन करने के पश्चात्, जहाँ कहीं लागू हो)	283,554.84	245,019.15

Quantitative Disclosures:

Amount (₹ in millions)

SL NO	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
1	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio	522,612.83	479,925.38
2	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) For each separately disclosed portfolio	283,554.84	245,019.15

प्रकटन प्रपत्र तालिका 7: प्रतिभूतीकरण-मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन:

नीति दिशानिर्देश प्रतिभूतीकरण के माध्यम से आस्तियों के अंतरण तथा नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन को ही प्रावरित करती है जो अनाश्रित आधार पर है।

मानकीकृत आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंकों को दिए गए दिशानिर्देशों में निम्नगत बातें शामिल हैं :-

- आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानकीकृत आस्तियों के अंतरण से संबंधित शर्तें।

बैंक के वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश एक प्रवर्तक (बैंक, एन बी एफ सी / एफ आई) से सामूहिक निधि की खरीद का कार्य करता है। प्रवर्तक

TABLE DF 7: SECURITIZATION – STANDARDIZED APPROACH:

Qualitative Disclosures:

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitisation and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:

- The provisions relating to securitization of assets.
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from



बैंक / एन बी एफ सी / एफ आई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों की खरीद 'एए' तथा उससे ऊपर मूल्यवाले से हों। बैंक आवास ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, केवल अस्थिर दर मंजूर एम एस एम ई, से संबंधित आधारभूत आस्तियों के पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो के अंश को खरीदता है।

बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को नीति रेखांकित करता है यथा, ऋण की खरीद पर प्रतिबन्ध, पूल में पात्र उधारकर्ताओं को समाविष्ट करना, यथोचित विवेक – केवाईसी अनुपालन हेतु मानक, खरीदे गये आस्तियों के पूल में उधारकर्ताओं के संबंध में संवितरण से पहले अनुपालित की जाने वाली आवश्यकताएं, मूलकर्ता का यथोचित विवेक, तनाव परीक्षण, साख निगरानी।

बैंक भारत में अन्य बैंकों / एफआई / एनबीएफसी से ऋण केवल तभी खरीद सकता है जब विक्रेता ने स्पष्ट रूप से बैंक को यह प्रकट किया हो कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता का अनुपालन करेंगे एवं नीति में निर्धारित अनुसार न्यूनतम होल्डिंग अवधि मानदंड का अनुपालन प्रकट करेंगे।

कुछ अंतरालों पर निरंतर आधार पर बैंक खरीद संव्यवहारों की निगरानी करेगा एवं जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उचित कार्यवाही करेगा। ऋण समीक्षा तंत्र व निगरानी के संबंध में साख जोखिम प्रबन्धन पर मास्टर नीति में उल्लिखित सामान्य निर्धारण प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों पर लागू है।

मूलकर्ता पर एक्सपोजर बैंक द्वारा निर्धारित विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा के अंदर होगा।

originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'AA' and above. The Bank shall purchase a portfolio or a part of portfolio of standard assets under Housing Loan; Loans Against Property and MSME sanctioned at floating rates only.

Policy sets out requirements to be met by the bank like restrictions on purchase of loans; constitution of eligible borrowers in the pool; standards for due diligence - KYC compliance, requirements to be complied with prior to disbursement in respect of borrowers in the purchased pool of assets; due diligence of the originator, Stress testing; credit monitoring.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis and disclosed the adherence to the Minimum holding period criteria as prescribed in the policy.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.



परिमाणात्मक प्रकटन:

(i) बैंकिंग बही:

राशि (₹ मिलियन में)

क्र मांक	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
(ई)	एक्सपोजर प्रकार द्वारा तोड़े गये वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्यता-प्राप्त एक्सपोजर प्रतिभूतिकृत हानियों हेतु (उदाहरण, अंतर्निहित प्रतिभूति द्वारा विस्तृत क्रेडिट कार्ड, आवासीय ऋण, ऑटो ऋण, आदि)	शून्य	शून्य
(एफ)	एक वर्ष के अन्दर प्रतिभूतिकृत होने वाले आस्तियों की राशि	शून्य	शून्य
(जी)	(एफ) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के अंदर उपजे आस्तियों की राशि	शून्य	शून्य
(एच)	एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) एवं गैर-मान्यता प्राप्त लाभ व हानियों की कुल राशि	शून्य	शून्य
(आई)	की सकल राशि :		
	• अनुरक्षित ऑन-बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर या एक्सपोजर प्रकार द्वारा तोड़े गये खरीद	शून्य	शून्य
	• एक्सपोजर प्रकार द्वारा तोड़े गये ऑफ-बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य	शून्य
(जे)	क) अनुरक्षित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की एवं सम्बद्ध पूंजी प्रभार, जिसे कि एक्सपोजर के मध्य तोड़ा गया फिर पुनः हर एक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण हेतु विभिन्न जोखिम भार बैंडों में तोड़ा गया, की सकल राशि ।	शून्य	शून्य
	ख) एक्सपोजर जिनकी संपूर्ण रूप से टायर । पूंजी, कुल पूंजी से कटौती किये गये साख संवर्धन, एवं कुल पूंजी से कटौती हुए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार द्वारा), में से कटौती की गयी है ।	शून्य	शून्य



Quantitative Disclosures:

(i) Banking Book:

Amount (₹ in millions)

Sl No	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
(d)	The total amount of exposures securitized by the Bank.	Nil	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security):	Nil	Nil
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil	Nil
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitisation.	Nil	Nil
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	Nil	Nil
(i)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type:	Nil	Nil
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	Nil	Nil
(j)	(i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil	Nil
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil	Nil



(i) ट्रेडिंग बही :

(₹ मिलियन में)

क्र. मांक	विवरण	31.03.2015	31.03.2014																								
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिये बैंक ने कुछ एक्सपोजर अनुरक्षित रखा है एवं जो कि एक्सपोजर प्रकार द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है।	19,489.70	11,075.50																								
(एल)	की सकल राशि :																										
	• एक्सपोजर प्रकार द्वारा तोड़े गये अनुरक्षित या खरीदे हुए ऑन-बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	19,489.70	11,075.50																								
	• एक्सपोजर प्रकार द्वारा तोड़े गये ऑफ-बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य	शून्य																								
(एम)	हेतु अलग से अनुरक्षित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की सकल राशि :																										
	• विशिष्ट जोखिम हेतु विस्तृत जोखिम उपायों के अधीन अनुरक्षित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	19,489.70	11,075.50																								
	• विभिन्न जोखिम भार बैंड में तोड़े गये विशिष्ट जोखिम हेतु प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर।																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>जोखिम भार बैंड</th><th colspan="2">एक्सपोजर</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>31.03.2015</th><th>31.03.2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम भार</td><td>19,489.70</td><td>11,075.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>19,489.70</td><td>11,075.50</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	जोखिम भार बैंड	एक्सपोजर				31.03.2015	31.03.2014	1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00	2	100% जोखिम भार	0.00	0.00	3	>100% जोखिम भार	19,489.70	11,075.50	4	कुल	19,489.70	11,075.50		
क्र.सं.	जोखिम भार बैंड	एक्सपोजर																									
		31.03.2015	31.03.2014																								
1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00																								
2	100% जोखिम भार	0.00	0.00																								
3	>100% जोखिम भार	19,489.70	11,075.50																								
4	कुल	19,489.70	11,075.50																								
(एन)	की सकल राशि :																										
	• विभिन्न जोखिम भार बैंड में तोड़े गये विशिष्ट जोखिम हेतु प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर।																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>जोखिम भार बैंड</th><th colspan="2">पूंजी आवश्यकता</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>31.03.2015</th><th>31.03.2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td><100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% जोखिम भार</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% जोखिम भार</td><td>2,631.10</td><td>1,495.10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>कुल</td><td>2,631.10</td><td>1,495.10</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	जोखिम भार बैंड	पूंजी आवश्यकता				31.03.2015	31.03.2014	1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00	2	100% जोखिम भार	0.00	0.00	3	>100% जोखिम भार	2,631.10	1,495.10	4	कुल	2,631.10	1,495.10		
क्र.सं.	जोखिम भार बैंड	पूंजी आवश्यकता																									
		31.03.2015	31.03.2014																								
1	<100% जोखिम भार	0.00	0.00																								
2	100% जोखिम भार	0.00	0.00																								
3	>100% जोखिम भार	2,631.10	1,495.10																								
4	कुल	2,631.10	1,495.10																								
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिनकी कटौती पूरी तरह से टायर 1 पूंजी, कुल पूंजी से कटौती किये गये साख संवर्धन, एवं कुल पूंजी से कटौती किये गये अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से हुई है।	शून्य	शून्य																								



(ii) Trading Book:

₹ In Millions

SI No	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014																								
(k)	Aggregate amount of exposures Securitized by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	19,489.70	11,075.50																								
(l)	Aggregate amount of:																										
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	19,489.70	11,075.50																								
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	NIL	NIL																								
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:																										
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	19,489.70	11,075.50																								
	• Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands.																										
	<table> <tr> <th>SI No</th><th>Risk Weight Bands</th><th colspan="2">Exposure</th></tr> <tr> <td></td><td></td><th>31.03.2015</th><th>31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td><100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>>100% Risk Weight</td><td>19,489.70</td><td>11,075.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>19,489.70</td><td>11,075.50</td></tr> </table>	SI No	Risk Weight Bands	Exposure				31.03.2015	31.03.2014	1	<100% Risk Weight	0.00	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	0.00	3	>100% Risk Weight	19,489.70	11,075.50	4	Total	19,489.70	11,075.50		
SI No	Risk Weight Bands	Exposure																									
		31.03.2015	31.03.2014																								
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00																								
2	100% Risk Weight	0.00	0.00																								
3	>100% Risk Weight	19,489.70	11,075.50																								
4	Total	19,489.70	11,075.50																								
(n)	Aggregate amount of:																										
	• The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.																										
	<table> <tr> <th>SI No</th><th>Risk Weight Bands</th><th colspan="2">Capital Requirement</th></tr> <tr> <td></td><td></td><th>31.03.2015</th><th>31.03.2014</th></tr> <tr> <td>1</td><td>< 100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100% Risk Weight</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>> 100% Risk Weight</td><td>2,631.10</td><td>1,495.10</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total</td><td>2,631.10</td><td>1,495.10</td></tr> </table>	SI No	Risk Weight Bands	Capital Requirement				31.03.2015	31.03.2014	1	< 100% Risk Weight	0.00	0.00	2	100% Risk Weight	0.00	0.00	3	> 100% Risk Weight	2,631.10	1,495.10	4	Total	2,631.10	1,495.10		
SI No	Risk Weight Bands	Capital Requirement																									
		31.03.2015	31.03.2014																								
1	< 100% Risk Weight	0.00	0.00																								
2	100% Risk Weight	0.00	0.00																								
3	> 100% Risk Weight	2,631.10	1,495.10																								
4	Total	2,631.10	1,495.10																								
	• Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	NIL	Nil																								



प्रकटन प्रपत्र तालिका 8: व्यापारिक बही खाते में बाजार जोखिम – मानकीकृत आशोधित आवधिक दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ: बाजार जोखिम प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य बैंक की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाते हुए तथा सभी प्रकार की बाजार जोखिम घटनाओं में कमी करते हुए बैंक के शेषराधारक के मूल्य में संवृद्धि दर्ज करना है।

- जहाँ एक ओर व्यापक नेतृत्व एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं हमारी कारोबारी इकाइयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे जोखिम उठाने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ तय कर सकें।
- समस्त मुद्दों अथवा पहले से तयशुदा गंभीर किस्म के मामलों को (तथ्यात्मक, आवधिकता, प्रकृति) जोखिम प्रबंधन अनुभाग भेज दिया जाता है, वहाँ इन मामलों को समुचित रूप से निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्संबंधी कार्रवाई तय की जाती है। कारोबारी इकाइयों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि :

- बाजार जोखिम गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबंधन की कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करना।
- बाजार जोखिम से संबद्ध सभी संबंधित विधायी प्रावधानों एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- बाजार जोखिम को पहचानने, मापने, उसका प्रबंधन करने, उसकी देखरेख करने, नियंत्रण तथा समीक्षा करने संबंधी नीतियों एवं कार्यविधियों में गुणवत्ता का निरंतर रूप से नियमित विकास करना।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम कारकों के लिए ऋण सीमा का ढाँचा और संबंधित सचेतक स्थापित करना।
- मजबूत रिपोर्टिंग ढाँचा स्थापित करते हुए प्रभावी संवीक्षा तंत्र तैयार करना।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र और नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाना।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन: बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र का ढाँचा इस प्रकार है:-

TABLE DF 8: MARKET RISK IN TRADING BOOK – STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH:

Qualitative Disclosures:

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under-



- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल एम सी)
- बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम आर एम सी)
- महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)– प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का.
 - o एकीकृत अंतर्मध्य कार्यालय
 - o अंतर्मध्य कार्यालय – एकीकृत राजकोष
 - o आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / अथवा इनकी मापन पद्धति की संभावनाएँ एवं प्रकृति :-

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न ऋण सीमाओं का निर्धारण किया है, जैसे एक दिवसीय सीमा, अंतरदिवसीय सीमा, समग्र अंतर सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूँजी बाजार ऋण सीमा, उत्पादवार ऋण सीमा, जारीकर्तावार ऋण सीमा इत्यादि ।
- बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमाओं की संवीक्षा करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग पद्धति सुस्थापित की गई है ।
- जोखिम प्रबंधन अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बाज़ार के लिए अंकित किये जाने वाली दरों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाता है ।
- बैंक की रणनीतियों के अनुसार कार्यनिष्पादन तथा जोखिम की जाँच करने, कारोबारी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग किया जाता है ।
- यह रिपोर्टिंग पद्धति समय सीमा, स्वचालन के समय समुचित विशुद्धता, संविभागों में जोखिम की संभावनाओं को उजागर करना सुनिश्चित करती है और इसमें तत्संबंधी लिखित विवरण भी होते हैं ।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाता है ।
- डीलिंग रूम की गतिविधियाँ केन्द्रीकृत की गई हैं तथा विभिन्न जोखिम सीमाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है ।

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Chief Risk officer)- Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - o Integrated Mid Office
 - o Mid Office – Integrated Treasury
 - o Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.



- रिपोर्टिंग प्रारूपों एवं इसकी आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय जोखिम संवीक्षा, उसके मापन एवं जोखिम को हल्का करने के लिए पर्याप्त है।

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) तथा / अथवा तत्संबंधी जोखिम कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्थापकों / प्रशामकों को प्रभावी बनाए रखने संबंधी संवीक्षा की रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों को, जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन नीति (देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, काउंटर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति सहित), निवेश नीति, विदेशी मुद्रा लेन-देन व व्यापार परिचालन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम निर्धारण, इनकी पहचान तथा उपाय व रोकथाम, जोखिम ऋण सीमाएँ एवं कारकों, जोखिम संवीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिए एक आधारभूत ढाँचा तैयार करती है।

बैंक ने विभिन्न मापदण्डों जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन इत्यादि के आधार पर देशीय जोखिम रेटिंग के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है जिससे विभिन्न देशों को ऋण सीमा का आबंटन करते समय उनकी जोखिम श्रेणी का ध्यान रखा जा सकता है।

बैंक ने अंतराष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी तय करने के लिए एक अंक तालिका मॉडल विकसित किया है। काउंटरपार्टियों द्वारा अंकतालिका मॉडल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हासिल किए गए अंकों के मद्देनजर विभिन्न ऋण सीमा तय की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति ब्याज दर जोखिम तथा तरलता जोखिम के प्रबंधन का कार्य करता है। यह नीति में विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आकस्मिक निधि योजना बनाते हुए संक्रमण काल में तरलता की स्थिति को सामान्य ही रखा जा सके। प्रत्येक समय सीमा के तहत बट्टा के स्तरों को भी शामिल किया गया है तथा इसके टूटते ही यह आने वाले तरलता-संकट का संदेश देने लगता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि	
		31.03.2015	31.03.2014
(क)	ब्याज दर जोखिम	13,087.60	13,090.56
(ख)	इक्विटी स्थिति संबंधी जोखिम	7,201.40	5,156.27
(ग)	विदेशी विनिमय जोखिम	375.90	592.47

- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management), Investment Policy, Forex dealing and trading operations Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

The ALM Policy deals with management of Interest Rate Risk and Liquidity Risk. The Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each timeframe and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

Quantitative Disclosures:

(₹ in millions)

SI No	Particulars	Amount of capital requirement	
		31.03.2015	31.03.2014
(a)	Interest Rate Risk	13,087.60	13,090.56
(b)	Equity Position Risk	7,201.40	5,156.27
(c)	Foreign Exchange Risk	375.90	592.47



प्रकटन प्रपत्र तालिका 9: परिचालनात्मक जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

रणनीतियां और प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और सुदृढ़ परिचालनात्मक कार्यविधियां हैं जिनमें कॉर्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, सक्षमातायें, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिकता आयोजना शामिल हैं। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये नितियां निर्धारित हैं।

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठनात्मक ढांचा: बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नवत् है।

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी)
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख / महा प्रबंधक – जोखिम प्रबंधन / मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ओआरएमडी), प्रधान कार्यालय
- विभागों के मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक / अंचल प्रमुख
- अंचल कार्यालयों के नामित कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन पद्धतियों का दायरा और प्रकृति: जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं / कार्यालयों में व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम हानि संभावनायें / घटनायें और बाहरी घटनायें शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़े का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त 7 हानि घटना प्रकारों और 8 कारोबार प्रकारों वाले जोखिम मैट्रिक्स को तैयार करने के लिये किया जाता है।

बचाव व्यवस्था और / या जोखिम को कम करने की नीतियां और बचाव व्यवस्था / प्रशामक के निरंतर रूप से प्रभावी होने पर निगरानी की रणनीतियां और प्रक्रियाएं: बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित निम्नांकित नितियां निर्धारित की हैं। नीति ढाँचे में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे पहचान, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में परिचालनात्मक जोखिम की निगरानी व प्रशमन आदि शामिल हैं।

TABLE DF 9: OPERATIONAL RISK:

(i) Qualitative Disclosures:

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head / General Manager – Risk Management / Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Chief General Managers / General Managers of Wings / Circle Heads
- Nominated Executives at Circles
- Risk Management Sections at Circles.

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of 7 loss event types and 8 business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.



आउटसोर्सिंग क्रियाकलापों में शामिल जोखिमों के लिए बैंक में आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित है।

परिचालनात्मक जोखिम पूंजी मूल्यांकन: परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक ने मूल संकेतम दृष्टिकोण अपनाया है।

बैंक उन्नत माप दृष्टिकोण ("ए एम ए") अपनाने को इच्छुक है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :-

मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालनात्मक जोखिम के लिए आवश्यक पूंजी ₹16,578.68 मिलियन है।

प्रकटन प्रपत्र तालिका 10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी):

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बैंक की वित्तीय स्थिति को बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित करती है। विभिन्न परिपक्वता / पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाज़ार व बेंचमार्क दरों जैसे तुलन पत्र के आंतरिक व बाह्य मदों में बैंक द्वारा दरों का धारण होने के कारण विभिन्न मानदंडों में आनेवाली विपरीत परिवर्तन ब्याज दर जोखिम तक पहुँचाते हैं। ब्याज दरों के विपरीत उतार-चढ़ावों के कारण बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम बैंक के अर्जन (अल्पावधि प्रभाव) तथा निवल मूल्य (दीर्घावधि प्रभाव) के प्रभावों का अनावरण करता है जिसका आकलन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक मंडल / जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम सहिष्णुता के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति का विकास व कार्यान्वयन, सीमाओं, व्यापार रेखाओं तथा कानूनी निकायों के पार विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करना बैंक के अस्तित्व देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कर्तव्य है। एएलसीओ बैंक के ब्याज दर दृष्टिकोण को सुस्पष्ट करती है तथा भावी व्यापार रणनीतियों के निर्णय के लिए नींव डालती है। निधीयन नीति के अनुसार अस्तित्वों के सृजन के लिए स्रोत पर विचार करके देनदारियों का मिश्रण करना

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

Bank intends to migrate to the Advanced Measurement Approach ("AMA").

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹ 16,578.68 Millions.

TABLE DF 10: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB):

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net-worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the risk tolerance established by the Board of Directors/ Risk Management Committee. The ALCO also articulates interest rate view of the bank and bases its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, its responsibility is to decide on source and mix



इसका दायित्व है। एएलसीओ निदेशक मंडल द्वारा ब्याज दर जोखिम के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं की निगरानी करती है तथा सीमाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन के संदर्भ में सुधारात्मक कदम उठाते हैं।

रणनीतियां और प्रक्रियाएँ

बैंक अपनी संपत्तियों तथा देनदारियों के मूल्य को उचित परिपक्वता के साथ मिलान करने का प्रयास करता है ताकि परिपक्व हो रहे या पुनर्मूल्यांकित विभिन्न समय श्रेणी के अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन तथा प्रबंधन के लिए अपने वैश्विक आस्तियों, देयताओं तथा बाह्य तुलन पत्र मदों पर, जो दर संवेदनशील हैं, दोनों परंपरागत अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) को अपना रहे हैं।

बैंक अपना ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन, टीजीए तथा डीजीए लागू करके प्रत्येक मुद्रा से उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्तियों / देयताओं / बाह्य तुलन पत्र मदों, जहाँ आस्तियाँ या देयताएँ बैंक के वैश्विक आस्ति व वैश्विक देयता से ५ प्रतिशत या ज्यादा हैं, से करते हैं। सभी अन्य अवशिष्ट मुद्राओं के ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन समग्र आधार पर अलग से किया जाता है। गैर-परिपक्व जमाओं के वर्गीकरण बैंक के व्यवहार अध्ययन के अनुसार किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम, पुनर्मूल्यन, आय परिवर्तन वक्र, आधार जोखिम तथा विकल्प जोखिम से, उत्पन्न होता है। आय परिप्रेक्ष्य व आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में परिपक्वता व पुनर्मूल्यन बेमेलों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को निम्न तंत्रों के द्वारा कब्जा करना बैंक का उद्देश्य है।

1. *अंतर विश्लेषण:* ब्याज दर जोखिम को मापने की बुनियादी उपकरण है दर संवेदनशील आस्तियों तथा दर संवेदनशील देयताओं और तुलन पत्र के बाह्य मदों के विभिन्न मदों को अवशिष्ट परिपक्वता या अग्र-पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, तथा निवल अंतर (अर्थात् आरएसए-आरएसएल) पर पहुँचने के बाद विभिन्न समय श्रेणी में समूहन करके ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार करते हैं। एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर से तात्पर्य बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल ब्याज आय (एनआईआई) में होनेवाले वृद्धि से है। विपरीततः एक नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर, बाजार ब्याज दरों में वृद्धि से बैंक के एनआईआई में होनेवाली गिरावट को सूचित करती है।

of liabilities for creation of assets. ALCO monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The Bank computes its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis. The non-maturing deposits are classified as per the behavioral study of the Bank.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. *Gap Analysis:* The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL). A positive or Asset Sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.



2. **जोखिम में अर्जन (ईएआर):** जोखिम में अर्जन (ईएआर), एक सकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दर में वृद्धि से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नकारात्मक अंतर के द्वारा ब्याज दरों में गिरावट से बैंक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है या नहीं का, संकेतक है। ब्याज दरों में समानांतर बदलाव के कारण अर्जन पर जोखिमों का पुनर्मूल्यन का प्रभाव भिन्न दर आघातों के लिए निर्धारित की है। अर्जन पर प्रभाव को आय वक्र और आधार जोखिम के लिए भी अनुमानित किया जाता है।
3. **ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई):** ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक के ईक्विटी के बाज़ार मूल्य या निवल मूल्य को लंबी अवधि के लिए प्रभावित करने से बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण बैंक के आस्तियों के मूल्य, देयताएं तथा तुलन पत्र के बाह्य स्थितियाँ प्रभावित होती हैं। निर्धारित दर आघात के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में अनुमानित पतन पूरे बैंक के ब्याज दर स्थिति के मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) द्वारा अनुमानित किया गया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

जोखिम पर आय-अर्जन

निम्न सारणी यथा 31.03.2015 को बैंक के निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं की समानांतर बदलाव से, विभिन्न मुद्राओं में एक साल तक हुए प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

(₹ मिलियन में)

मुद्राएं	1 वर्ष तक ब्याज दरों में परिवर्तन	
	-100 आधार बिंदुएं	+100 आधार बिंदुएं
आई एन आर	(5,430.20)	5,430.20
यू एस डालर	(489.70)	489.70
अन्य	(101.80)	101.80
कुल	(6,021.70)	6,021.70

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य

निम्न सारणी यथा 31.03.2015 को 200 आधार बिंदुओं के आनुमानिक दर के आघातों के संबंध में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 आधार बिंदुएं	+200 आधार बिंदुएं
	8.41%	(8.41%)

2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicate the impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA).

Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2015.

(₹ in millions)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	-100 bps	+100 bps
INR	(5,430.20)	5,430.20
USD	(489.70)	489.70
Others	(101.80)	101.80
Total	(6,021.70)	6,021.70

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2015.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	8.41%	(8.41%)



यथा 31.03.2015 को स्तंभ 3 – बासेल III प्रकटन

प्रकटन प्रपत्र तालिका 1: अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है: केनरा बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटन

क. समेकन पर विचार किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ (निगमित देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कर्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत समेकन हेतु शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनबैंक फैंक्टर्स लिमिटेड (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक – 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली गई



BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES AS ON 31.03.2015

TABLE DF – 1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Canara Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Factors Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canbank Computer Services Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Non Financial Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.



निकाय का नाम/ (निगमित का देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कर्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत समेकन हेतु शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केनरा बैंक सेक्यूरटीज़ लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक - 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा अनुबंधी। समूह की समेकित विनियामक पूंजी से निकाली गई
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	हां	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	नहीं	संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक - 27 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
केनफिन होम्स लि. (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केनफिन होम्स लि. में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है
प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है



Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	N.A	N.A
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard – 21 on Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Insurance Subsidiary. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	Yes	As per Accounting Standard -27 on Financial Reporting of Interest in Joint Venture	N.A	N.A
Canfin Homes Ltd. (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Canfin Homes Ltd, has been Risk weighted for capital adequacy purposes
Pragathi Krishna Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Pragathi Krishna Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes



निकाय का नाम/ (निगमित का देश)	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	क्या निकाय को समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है	समेकन की प्रक्रिया का विवरण	समेकन की प्रक्रिया में अंतर के कारणों का विवरण	यदि समेकन किसी क्षेत्र के तहत किया गया है तो उसका विवरण दें
केरल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्धों में निवेश के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक - 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केरल ग्रामीण बैंक में बैंक का निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए जोखिम भारित है

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Kerala Gramin Bank (India)	Yes	As per Accounting Standard -23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements	No	N.A	N.A	Bank's investment in Kerala Gramin Bank, has been Risk weighted for capital adequacy purposes

ख. उन समूह निकायों की सूची जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

ऐसे कोई समूह निकाय नहीं हैं जिन्हें समेकन के लिए लेखांकन और समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र दोनों में नहीं रखा है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are not considered for consolidation under both accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.



(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

ग. समेकन के लिए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमित देश (जैसे ऊपर (क) में दर्शाया गया है)	निकाय की मुख्य गतिविधि	31 मार्च 2015 तक कुल तुलन पत्र इक्विटी (₹ मिलियन में)	31 मार्च 2015 तक कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (₹ मिलियन में)
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (इंडिया)	विस्तारण / कारोबार शुरू करने के लिए इक्विटी समर्थन	2.50	326.00
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (भारत)	फैक्टरिंग के कारोबार में लगे हैं	200.00	8,886.23
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. (भारत)	म्यूचुअल फंड आस्तियों का प्रबंधन	498.54	1,292.64
केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (भारत)	स्टॉक दलाली सेवा तथा ऑनलाइन व्यापार प्रदान करने का कारोबार	400.00	1,204.99
केनबैंक फिनांशियल सर्विसेस लि. (भारत)	संविभाग प्रबंधन तथा पट्टागत वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हैं।	300.00	509.69
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	कारण वर्तमान में कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यकलाप नहीं कर रहा है।	2,291.69 (36.67 Mn USD)	5,715.31 (91.45 Mn USD)

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of Incorporation (as indicated in (a) above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity as on 31st March 2015 Amount (₹ in Millions)	Total balance sheet assets as on 31st March 2015 Amount (₹ in Millions)
Canbank Venture Capital Fund Ltd. (India)	Equity support for Expansion / Start up of Business	2.50	326.00
Canbank Factors Ltd. (India)	Engaged in the business of Factoring	200.00	8,886.23
Canara Robeco Asset Management Company Ltd. (India)	Managing assets of Mutual Fund	498.54	1,292.64
Canara Bank Securities Ltd. (India)	Business of Providing Stock Broking services and online trading	400.00	1,204.99
Canbank Financial Services Ltd. (India)	Engaged in Portfolio Management and Lease Finance but its net-worth is totally eroded and currently it is not engaged in any of the activities of a non-banking financial company	300.00	509.69
Commercial Indo Bank LLC., Moscow (Russia)	Banking	2,291.69 (36.67 Mn USD)	5,715.31 (91.45 Mn USD)



घ. समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि यानि जिन्हें काटा गया है

यथा मार्च 31, 2015 तक बैंक की अनुषंगियों में कोई पूंजी कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया है

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as on March 31, 2015.

ड.) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (उदाहरण: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित है

बीमा निकायों/ निगमित देश का नाम	निकाय की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी राशि (वैध निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (₹ मिलियन में)	कुल इक्विटी/ मतदान अधिकार के अनुपात में बैंक की धारिता का %	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का इस्तेमाल करने से विनियम पूंजी पर पड़ने वाला परिमाणात्मक प्रभाव
केनरा एच एस बी सी ओ बी सी जीवन बीमा कंपनी लि. (इंडिया)	बीमा कारोबार	₹9,500	51%	सीआरएआर पर 10 बीपीएस सकारात्मक प्रभाव

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities/ Country of Incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Amount (₹ in Millions)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd. (India)	Insurance Business	₹9,500 Mn	51%	10 bps positive impact on CRAR



च) बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं:

बैंकिंग समूह में निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

प्रकटन प्रपत्र तालिका-2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटन

पूंजी पूंजी आयोजन प्रक्रिया में, बैंक ने निम्न समीक्षा की है :

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता
- कारोबार रणनीति व जोखिम वहन क्षमता के अनुसार लक्षित और टिकाऊ पूंजी

पूंजी आवश्यकता व पूंजी इष्टतमीकरण की सावधिक रूप से पूंजी आयोजना समिति द्वारा निगरानी की जा रही है जिसमें कि उच्चतम कार्यपालक हैं। आगे, पूंजी आयोजना की निगरानी प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक व दो स्वतंत्र निदेशकों वाले बोर्ड स्तर पर की जाती है। अग्रिमों, निवेशों व सहायक / संयुक्त उद्यमों के निवेशों, आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता को तिमाही आधार पर पेश किया गया है। अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप कारोबार वृद्धि और पूंजी इष्टतमीकरण हेतु विधिवत परिदृश्य का विश्लेषण करते हुए पूंजी संरचना को पंक्ति में लाने के साथ पूंजी आवर्धन हेतु समिति उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रख रही है।

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

In Capital Planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Further, Capital Planning is monitored at the Board level comprising of Managing Director & CEO, Executive Directors and two independent Directors. Capital requirement is projected quarterly considering the expected growth in advances, investments and investments in Subsidiaries / Joint Ventures, etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization in tune with its long term goals enumerated in ICAAP and Vision documents.



आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया व भविष्यदृष्टात्मक दस्तावेज में प्रगणित किया गया है:
परिमाणात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	मद	राशि	राशि
		31.03.2015	31.03.2014
(बी)	ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता		
	• मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	270,732.68	245,974.25
	• प्रतिभूतिकरण प्रकटन	0.00	0.00
(सी)	बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता		
	• मानक अवधि दृष्टिकोण		
	– ब्याज दर जोखिम	13,551.90	13,424.02
	– विदेश विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	375.90	592.47
	– इक्विटी जोखिम	7,510.60	5,817.54
(डी)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
	• मूल सूचक दृष्टिकोण	16,803.04	15,572.82
(ई)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूँजी		
	• समूह		
	– सीईटी 1 पूँजी	255,678.73	234,219.52
	– टियर 1 पूँजी	278,483.17	243,420.89
	– टियर 2 पूँजी	87,236.43	92,679.80
	– कुल पूँजी	365,719.60	336,100.69
	• एकल (मूल बैंक)		
	– सीईटी 1 पूँजी	252,216.43	231,320.75
	– टियर 1 पूँजी	274,593.14	239,909.28
	– टियर 2 पूँजी	86,775.02	92,046.26
	– कुल पूँजी	361,368.16	331,955.54
(एफ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूँजी अनुपात		
	• समूह सीआरएआर		
	– सीईटी 1 अनुपात	7.45%	7.49%
	– टियर 1 अनुपात	8.11%	7.79%
	– टियर 2 अनुपात	2.54%	2.96%
	– सी आर ए आर	10.65%	10.75%
	• एकल (मुख्य बैंक) सी आर ए आर		
	– सीईटी 1 अनुपात	7.37%	7.41%
	– टियर 1 अनुपात	8.02%	7.68%
	– टियर 2 अनुपात	2.54%	2.95%
	– सी आर ए आर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात)	10.56%	10.63%



Quantitative disclosures

SI No	Items	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2015	31.03.2014
(b)	Capital requirements for Credit Risk		
	• Portfolios subject to Standardized Approach	270,732.68	245,974.25
	• Securitization Exposures	0.00	0.00
(c)	Capital requirements for Market Risk		
	• Standardized Duration Approach		
	- Interest Rate Risk	13,551.90	13,424.02
	- Foreign Exchange Risk (including Gold)	375.90	592.47
	- Equity Risk	7,510.60	5,817.54
(d)	Capital requirements for Operational Risk		
	• Basic Indicator Approach	16,803.04	15,572.82
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital		
	• Group		
	- CET 1 Capital	255,678.73	234,219.52
	- Tier 1 Capital	278,483.17	243,420.89
	- Tier 2 Capital	87,236.43	92,679.80
	- Total Capital	365,719.60	336,100.69
	• Stand alone (Parent Bank)		
	- CET 1 Capital	252,216.43	231,320.75
	- Tier 1 Capital	274,593.14	239,909.28
	- Tier 2 Capital	86,775.02	92,046.26
	- Total Capital	361,368.16	331,955.54
(f)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:		
	• Group CRAR		
	- CET 1 Ratio	7.45%	7.49%
	- Tier 1 Ratio	8.11%	7.79%
	- Tier 2 Ratio	2.54%	2.96%
	- CRAR	10.65%	10.75%
	• Stand alone (Parent Bank) CRAR		
	- CET 1 Ratio	7.37%	7.41%
	- Tier 1 Ratio	8.02%	7.68%
	- Tier 2 Ratio	2.54%	2.95%
	- CRAR	10.56%	10.63%



प्रकटन प्रपत्र तालिका-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबन्धन नीति (सीआरएम नीति) को स्थापित किया है जो कि सभी साख जोखिम संबंधित पहलुओं को शासित करती है। सीआरएम नीति बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन के मूल सिद्धांतों, मानकों एवं दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। सक्रिय रूप से साख जोखिमों को प्रबन्धित करने हेतु, संसाधनों को संवृद्ध करने हेतु एवं बैंक को प्रतिकूल साख स्थितियों में सुरक्षित करने हेतु यह प्रणाली, प्रक्रिया, नियंत्रण व उपायों को संस्थापित करती है। साख सीमा के अनुमोदन हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

बैंक की नीति जोखिम व रिटर्न के बीच मध्यम जोखिम लेने की क्षमता व स्वस्थ संतुलन रखती है। स्वीकार्य मानदंडों के अन्दर शेयर धारक हेतु मूल्य को संवर्धित करना और विनियामक प्राधिकरण, जमाकर्ता व अन्य शेयरधारकों की आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से देखना प्राथमिक जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य हैं। बैंक के जोखिम प्रबन्धन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनियामक व वैध आवश्यकताओं सहित अनुपालन, जोखिम व रिटर्न में संतुलन प्राप्त करना, जोखिम कार्यों के स्वायत्ता सुनिश्चित करना तथा जोखिम प्रबन्धन व कारोबार उद्देश्यों को एक पंक्ति में लाना समाहित है। बैंक की साख जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया कॉर्पोरेट मूल्यों, व्यवहार, दक्षताओं, कारोबार आसूचना उपकरण का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना सहित मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व मजबूत परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है।

बैंक के साख जोखिम प्रबन्धन का समग्र उद्देश्य निम्नवत हैं:

- गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही, साख वृद्धि सुनिश्चित करें, जो कि जोखिम के इष्टतम विसर्जन के साथ क्षेत्रवार संतुलित व विविधतापूर्ण होगा।
- जोखिम व पोर्टफोलियो पर विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करें।
- साख जोखिम में विभिन्न जोखिमों की उपयुक्त रूप से मूल्य निर्धारण करें।
- पहचान, मापन, निगरानी व नियंत्रण को शामिल करते हुए जोखिम प्रबन्धन को एकीकृत प्रणाली का भाग बनायें।

TABLE DF – 3: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

(i) Qualitative Disclosures

Bank has put in place Board approved Credit Risk Management Policy (CRM Policy), which governs all credit risk related aspects. CRM Policy outlines the principles, standards and approach for credit risk management at the Bank. It establishes systems, procedures, controls and measures to actively manage the credit risks, optimize resources and protect the bank against adverse credit situations. The delegation of power for approval of credit limits is approved by the Board of Directors.

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for shareholders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.



रणनीति व प्रक्रियाएं :

साख जोखिम प्रबन्धन के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में बैंक साख जोखिम पहचान, मापन, ग्रेडिंग व समकेन तकनीक, निगरानी व रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / शमन तकनीकों और समस्यामूलक ऋण / साख के प्रबन्धन हेतु बैंक विभिन्न पद्धतियां निर्धारित करता है। बैंक ने लक्ष्य बाजार, जोखिम स्वीकार्य मानदंड, साख मंजूरी प्राधिकरण व साख व्युत्पत्ति / अनुरक्षण प्रक्रिया पर दिशानिर्देशों को भी परिभाषित किया है।

साख जोखिम शमन हेतु विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है, जिसमें कि महत्व वाले क्षेत्र व लक्ष्य बाजार की पहचान, विनियामक दिशानिर्देशों व बैंक के जोखिम वहन क्षमता पर आधारित जोखिम सीमा तय करना, संकेन्द्रण जोखिम को न्यूनतम करना और रेटिंग पर आधारित मूल्य तय करना शामिल है।

बैंक समय-समय पर ऋण देने हेतु संभाव्य व उत्पादन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो कि खंड के निष्पादन व अर्थव्यवस्था के मांगों पर निर्भर होगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था परिदृश्य, आदि पर आधारित बैंक के औद्योगिक / क्षेत्र के मूल्यांकन के आधार पर बैंक उन क्षेत्रों में अपने जोखिम को प्रतिबन्धित करेगा जिसमें कि वृद्धि संभाव्य नहीं है।

साख से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएं व प्रणाली मजबूत साख जोखिम प्रबन्धन सिद्धांतों पर तैयार किये जायेंगे और आवधिक समीक्षा के अधीन होंगे।

साख प्रस्तावों पर समुचित सावधानी के रूप में बैंक के पास विस्तृत साख जोखिम पहचान प्रक्रियाएं हैं।

साख जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना व संगठन:

बैंक में साख जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्न है—

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसीबी)
- साख जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
- मॉडल समीक्षा तकनीकी कार्यकारी समूह (एमआरटीडब्ल्यूजी)
- महा प्रबन्धक – जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्र.का. (मुख्य जोखिम अधिकारी)

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control/ mitigation techniques and management of problem loans/ credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination/ maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, Minimizing Concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries/ sectors based on the prevailing economic scenario prospects, etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function:

Credit Risk Management Structure in the Bank is as under -

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Model Review Technical Working Group (MRTWG)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Officer)



- vi. उप महा प्रबन्धक (I व II), जोखिम प्रबन्धन विभाग
- vii. साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग
- viii. साख जोखिम प्रबन्धन प्रभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग व साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग समाहित हैं। साख जोखिम प्रबन्धन अनुभाग के तीन कार्यकारी डेस्क हैं, साख जोखिम प्रबन्धन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क व औद्योगिक अनुसन्धान डेस्क।
- ix. मॉडल विकास दल
- x. मॉडल वैधता दल (एमवीटी)
- xi. अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबन्धन व साख समीक्षा अनुभाग।

जोखिम रिपोर्टिंग और / या माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र और प्रकृति:

बैंक की उपयुक्त साख जोखिम माप व निगरानी प्रक्रिया है। जोखिम का माप, साख जोखिम रेटिंग के पूर्व-मंजूरी अभ्यास व बैंक द्वारा स्थान पर रखे गये स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से है। इन हर एक जोखिम जो कि भारित स्कोर को निर्दिष्ट करने के अलावा और उन्हें स्केल। से VII पर रेटिंग करने के तहत मानदंडों की पहचान हेतु बैंक की एक अलग से जोखिम रेटिंग नीति है। ग्रेड VIII या उच्चतम जोखिम ग्रेड III को डिफॉल्ट ग्रेड कहते हैं। पूंजी संगणना व साथ ही मूल्य निर्धारण उद्देश्यों हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण पर भारित के दिशानिर्देशों अनुसार पात्र साख जोखिम के लिये जोखिम भारितों को निर्धारित करने हेतु मान्यताप्राप्त ईसीएआई (बाह्य साख मूल्यांकन संस्थान) द्वारा दिये गये रेटिंग के प्रयोग / मैपिंग के दिशानिर्देशों पर भी जोखिम रेटिंग नीति जोर देती है।

बैंक ने साख जोखिम मापन हेतु संपूर्ण साख पोर्टफोलियो के लिये 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। बैंक आईआरबी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने हेतु प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सभी आवश्यक कोशिशों की जा रही हैं।

बैंक ने सभी एमआईएस आवश्यकताओं, जोखिम भारित आस्तियों की संगणना (आरडब्ल्यूए), एक्सपोजर व निगरानी की समीक्षा हेतु, विभिन्न साख संबंधित रिपोर्टों को उत्पन्न करने, और विभिन्न दृष्टिकोणों से साख पोर्टफोलियो के विश्लेषण करने हेतु एक रोबस्ट साख डेटा वेयरहाउस

- vi. Deputy General Manager (I&II), Risk Management Wing
- vii. Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- viii. The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- ix. Model Development Team
- x. Model Validation Team (MVT)
- xi. Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre-sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has a separate Risk Rating Policy for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of I to VII. Grade VIII or High Risk Grade III is termed as default grade. The risk rating policy also entails the guidelines on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation and also for pricing purposes.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement. The bank is endeavouring to move towards IRB approaches and made all necessary efforts in this regard.

The Bank has embarked upon implementation of a software solution to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate



स्थापित करने के लिये प्रणाली समर्थन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर साल्यूशन शुरू किया है।

प्रतिरक्षा / शमन की निरंतर प्रभाविकता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के प्रतिरक्षा और / या शमन के लिये नीति:

बैंक प्राथमिक रूप से साख अनुमोदित करते समय उधारकर्ता के वित्तीय शक्ति व कर्ज चुकौती क्षमता पर निर्भर करता है। बैंक चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की उधार पात्रता को मूल्यांकित करने हेतु एक विकल्प के रूप में अधिकतम संपार्श्विक या गारंटी पर निर्भर नहीं होता। पर्याप्त संपार्श्विक की आवश्यकता के कारण मात्र बैंक उन साख पात्र को साख सुविधा प्रदान करने में मना नहीं करता।

बैंक के साख जोखिम एक्सपोजर को प्रबन्धित करने के क्रम में बैंक ने अन्य कार्यकारी विभागों के साथ परामर्श में प्रधान कार्यालय पर जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा किये जाने वाले समीक्षा व अद्यतन साख मूल्यांकन व मंजूर नीतियों को अपना लिया है। साख मूल्यांकन व मंजूरी प्रक्रिया विस्तृत रूप से क्रेडिट व्युत्पत्ति, मूल्यांकन, निर्धारण, व मंजूरी और वितरण में विभाजित है।

कॉर्पोरेट वित्त व परियोजना वित्त ऋण आम तौर पर अचल संपत्तियों, सामान्यतः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर एक पहली ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित है। विक्रेय प्रतिभूति जैसी वित्तीय आस्ति के गिरवी की प्रतिभूति भी बैंक रखता है और जहाँ भी उपयुक्त हो कॉर्पोरेट गारंटी व व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करता है। वर्तमान आस्ति के पहले ग्रहणाधिकार द्वारा कार्यकारी पूंजी ऋण सुरक्षित रखा जाता है जिसमें कि सामान्यतः सूची और प्राप्तियां शामिल हैं।

संपार्श्विक पर बैंक के प्रभार की वैधता सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उस उद्योग के विकास व लाभार्जन और बैंक के जोखिम वहन क्षमता के परिदृश्य में विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में पोर्टफोलियो विविधता व संपूर्ण एक्सपोजर सुनिश्चित करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के एक्सपोजर की निगरानी करता है और खासकर विभिन्न उद्योगों व संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोजर की। औद्योगिक गतिविधियों का एक्सपोजर उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण पर आधारित बैंक द्वारा तय साख एक्सपोजर सीमा के अधीन है। बैंक की एकल व समूह उधारकर्ताओं के एक्सपोजर के साथ-साथ पर्याप्त एक्सपोजर भी उधारकर्ता के जोखिम रेटिंग अनुसार तय होता है तथा समय-समय

various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is fixed as per the risk rating of the



पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के अंदर एक्सपोज़र स्तर को संभालने के क्रम में सावधिक तौर पर निगरानी की जाती है।

साख व्युत्पत्ति शाखा के निवल कार्य व अंचल कार्यालय द्वारा किये गये सहयोग से आरंभिक स्तर पर किया जाता है। गहन मूल्यांकन, समुचित सावधानी व आकलन शुरू करने से पहले पहचान, आवेदन की प्रक्रिया की जाती है।

साख अनुमोदन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक है और पूर्व-मंजूरी अभ्यास के रूप में उधारकर्ता के अनिवार्य साख जोखिम रेटिंग के साथ शुरू होता है। उधारकर्ता से संबंधित साख जोखिम का माप, सूचक घटकों को मूल्यांकित करता है यथा, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, गतिविधि, वर्तमान बाजार प्रचलन, भूतपूर्व प्रचलन, प्रबन्धन सक्षमता, संबद्ध कारोबार इकाईयों के साथ अनुभव, सुविधा की प्रकृति, आदि। उधारकर्ता के आंतरिक जोखिम रेटिंग वर्ग पर आधारित विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित साख अनुमोदन शक्तियां पहले से ही स्थान पर हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार, बैंक ने प्रधान कार्यालय व अंचल कार्यालय स्तर पर साख अनुमोदन समिति का गठन किया है। प्रशासनिक इकाईयों पर सभी मंजूरी प्राधिकारियों के साख अनुमोदन शक्तियों को वापस ले लिया गया है तथा साख मंजूरी हेतु समिति के दृष्टिकोण को स्थान पर रख दिया गया है। चयनित शहरों में साख संवितरण टर्नएराउंड समय को आसान करने व विशेष ध्यान सुनिश्चित करने हेतु बैंक के पास विशेषीकृत शाखाओं यथा, केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयां (सीपीयू), खुदरा आस्ति हब (आरएएच), व एसएमई सुलभ, है।

नियंत्रण उपायों को संवर्धित करने हेतु अलग से साख प्रशासन व निगरानी विभाग गठित किया गया है ताकि विशिष्ट ऋण समीक्षा की जा सके, समस्या खातों की निगरानी, क्रेडिट ऑडिट, आदि की जा सके। यह ऋण के कार्योंत्तर मंजूरी निगरानी पर अधिक जोर सुनिश्चित करता है और ऋण समीक्षा तंत्र पर बैंक की नीतियों के तहत उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के प्रबंध को मजबूत करता है।

प्रभावी ऋण समीक्षा हेतु, बैंक के पास निम्नलिखित है :

- मंजूर नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु पूर्व-जारी लेखापरीक्षा प्रणाली, संवितरण से पहले प्रतिभूतियों की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पावती आदि

borrowers and monitored periodically in order to keep the exposure level within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like; borrowers' financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The credit sanctioning powers delegated to the various authorities based on internal risk rating categories of the borrower already put in place. In terms of the Ministry of Finance notifications, Bank has set up Credit Approval Committees at HO and circle levels. The credit sanctioning powers of all the sanctioning authorities at administrative units (i.e., besides branch powers) are withdrawn and the committee approach for credit approval has been put in place. The Bank has in place specialized branches viz. Centralized Processing Units (CPUs), Retail Asset Hubs (RAHs) and SME Sulabhs at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

To enhance the control measures, a separate Credit Administration and Monitoring Wing is in place to undertake exclusive loan review, monitoring problem accounts, credit audit, etc. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Pre-release Audit System for compliance to sanction terms and conditions, obtention of stipulated collateral securities ensuring perfection of securities before disbursement etc.



- गैर-अनुपालन की घटनाओं को पहचानने हेतु, विश्लेषित करने हेतु एवं ₹5 करोड़ की साख सीमा के साथ मंजूर सभी प्रकार की साख सुविधाओं के लिये सुधार हेतु साख लेखापरीक्षा प्रणाली
- अगले उच्चतम प्राधिकारी द्वारा हर एक मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूर ऋण की समीक्षा।
- एक्सपोजर के एक विशेष स्तर से परे उधार खाते की मध्यावधि समीक्षा।
- विभिन्न स्तरों पर विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) की निगरानी, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन व समय-पूर्व सुधार या पुनर्गठन हेतु संघीय / जेएलए खातों के मामले में सुधारात्मक कार्यवाही योजना (कैप) की संरचना
- निगरानी उपकरण यथा, क्रेडिट निगरानी फॉर्मेट (वेब आधारित), तिमाही सूचना प्रणाली, अर्द्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक ऑडिट, आदि की निगरानी।
- शाखाओं पर निगरानी कार्य के प्रभारी साख निगरानी अधिकारी।
- जो इन समस्या खातों की पूर्व-पहचान, व्यवहार्य माने जाने वाले खातों का पुनर्गठन और उधारदाताओं द्वारा वसूली या बिक्री हेतु त्वरित उपाय किये जाने, जिससे कि बैंक में बन्द खाते शुरू हो जायें, को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक ढांचा विकसित किया गया है।
- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification for all types of credit facilities sanctioned with credit limit of Rs. 5 crore.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring of Special Mention Accounts (SMA) at various levels. Formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP) in the case of consortium/JLA accounts, for early rectification or restructuring
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format (web-based), Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.
- A framework has been developed outlining a corrective action plan that will incentivize early identification of problem account, timely restructuring of accounts which are considered to be viable and taking prompt steps by lenders for recovery or sale thereby revitalizing the distressed accounts in the Bank.

पूर्व-अतिदेय व खराब ऋण:

आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों अनुसार बैंक निम्नलिखित वर्गों के ऋण व अग्रिमों को गैर-निष्पादन आस्तियाँ मानता है, जिसमें कि :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहने वाले मूल का ब्याज और / या किस्त।
- ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाते 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहेंगे। एक खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जायेगा जब अतिदेय शेष लगातार मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से अधिकता में रहे। उस मामले में जहाँ प्राथमिक परिचालन खाते में अतिदेय शेष मंजूर सीमा / आहरण शक्ति से कम है, परंतु बैलेंस शीट की तिथि पर
- Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the

Loans Past due and Impaired:

As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers including following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:



लगातार 90 दिनों हेतु कोई क्रेडिट नहीं है या उसी समय के दौरान डेबिट ब्याज को कवर करने हेतु क्रेडिट पर्याप्त नहीं है, उन खातों को 'अनियमित खाते' के रूप में लिया जायेगा।

- खरीदी या रियायती बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये बिल अतिदेय रहने पर।
- कृषि अग्रिमों के मामले में, मूल का ब्याज और / या किस्त 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) हेतु व 1 फसल मौसम (लंबी अवधि फसल के संबंध में) हेतु अतिदेय रहने पर।
- कोई भी प्राप्त राशि जो कि अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिये अतिदेय रहने पर।
- किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के अन्दर पूरी तरह से सर्विस नहीं होने पर।
- समय-समय पर विनियामकों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

ख. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
निधि आधारित एक्सपोजर	3,358,258.70	3,041,440.89
गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	2,666,121.07	2,150,362.94
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	6,024,379.77	5,191,803.83

principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- In case of agricultural advances, interest and/or instalment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter and /or
- As specified by the regulator from time to time.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Total Gross Credit Risk Exposure:

Amount (₹ in Millions)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Fund Based Exposures	3,358,258.70	3,041,440.89
Non-fund Based Exposures	2,666,121.07	2,150,362.94
Total Gross Credit Exposures	6,024,379.77	5,191,803.83



ख. एक्सपोजर का भौगोलिक विभाजन:

प्रकटन	राशि (₹ मिलियन में)			
	निधि आधारित एक्सपोजर		गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
घरेलु परिचालन	3,129,728.90	2,848,720.00	2,548,434.52	2,021,899.04
समुद्रपारीय परिचालन	228,529.80	192,720.89	117,686.55	128,463.90
कुल	3,358,258.70	3,041,440.89	2,666,121.07	2,150,362.94

(c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Millions)			
	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Domestic operations	3,129,728.90	2,848,720.00	2,548,434.52	2,021,899.04
Overseas operations	228,529.80	192,720.89	117,686.55	128,463.90
Total	3,358,258.70	3,041,440.89	2,666,121.07	2,150,362.94



(d) एक्सपोजर विभाजन उद्योग प्रकार: (वैश्विक)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर		गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1.1	खनन और उत्खनन	30,570.80	30,718.20	6,601.60	1,520.00
1.2	खाद्य संसाधन	93,182.50	68,830.80	4,287.30	4,520.00
	1.2.1 चीनी	23,253.50	19,555.10	562.30	560.00
	1.2.2 खाद्य तेल व वनस्पति	4,186.20	2,606.70	562.70	1,400.00
	1.2.3 चाय	1,796.00	1,062.00	629.80	710.00
	1.2.4 अन्य	63,946.80	45,607.00	2,532.50	1,850.00
1.3	पेय पदार्थ व तंबाकू	8,590.80	7,540.00	571.30	250.00
1.4	कपड़ा	157,142.50	134,320.50	9,890.20	13,850.00
	1.4.1 सूती कपड़ा	72,451.20	60,197.60	3,813.60	3,150.00
	1.4.2 पटसन के कपड़ा	1,451.00	1,380.0	182.30	240.00
	1.4.3 अन्य कपड़ा	83,240.30	72,742.90	5,894.30	10,460.00
1.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	11,993.50	12,332.70	237.90	320.00
1.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	6,210.00	4,460.00	975.50	1,440.00
1.7	कागज और कागज उत्पाद	25,940.80	20,730.10	6,089.90	4,640.00
1.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	33,696.50	48,195.90	23,214.90	28,250.00
1.9	रसायन और रसायन उत्पाद	57,789.90	42,298.80	6,965.80	7,759.40
	1.9.1 खाद	3,293.20	2,675.30	2,252.10	3,070.00
	1.9.2 औषधि और फार्मास्यूटिकल्स	25,839.70	17,408.40	1,860.40	2,030.00
	1.9.3 पेट्रो केमिकल	5,881.10	3,719.60	253.30	349.40
	1.9.4 अन्य	22,775.90	18,495.50	2,600.00	2,310.00
1.10	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	17,059.20	13,370.00	2,366.80	1,810.00
1.11	कांच और कांच के बने सामान	1,735.10	1,706.80	17.60	30.00
1.12	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	23,347.00	18,357.30	1,060.40	610.00
1.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	202,598.50	187,575.30	60,524.90	39,270.00
	1.13.1 लौह और इस्पात	131,819.10	122,509.90	46,229.30	31,230.00
	1.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	70,779.40	65,065.40	14,295.60	8,040.00
1.14	सभी अभियांत्रिकी	80,144.50	71,680.50	157,519.20	52,623.40
	1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	11,968.10	11,876.10	24,467.40	6,440.00
	1.14.2 विद्युत	22,008.20	18,550.00	62,510.80	17,923.40
	1.14.3 अन्य	46,168.20	41,254.40	70,541.00	28,260.00
1.15	वाहन, वाहन के भाग और वाहन उपकरण	41,194.50	32,448.20	16,002.30	6,950.00
1.16	रत्न और आभूषण	11,696.20	11,180.00	11,063.90	10,890.00
1.17	निर्माण	57,841.50	48,672.50	64,131.60	44,130.00



(d) Industry Type Distribution of Exposures (Global):

Amount (₹ in Millions)

SI No.	INDUSTRY	Fund Based Exposure		Non Fund Based exposure	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1.1	Mining and Quarrying	30,570.80	30,718.20	6,601.60	1,520.00
1.2	Food Processing	93,182.50	68,830.80	4,287.30	4,520.00
	1.2.1 Sugar	23,253.50	19,555.10	562.30	560.00
	1.2.2 Edible Oils and Vanaspati	4,186.20	2,606.70	562.70	1,400.00
	1.2.3 Tea	1,796.00	1,062.00	629.80	710.00
	1.2.4 Others	63,946.80	45,607.00	2,532.50	1,850.00
1.3	Beverage & Tobacco	8,590.80	7,540.00	571.30	250.00
1.4	Textiles	157,142.50	134,320.50	9,890.20	13,850.00
	1.4.1 Cotton Textiles	72,451.20	60,197.60	3,813.60	3,150.00
	1.4.2 Jute Textiles	1,451.00	1,380.0	182.30	240.00
	1.4.3 Other Textiles	83,240.30	72,742.90	5,894.30	10,460.00
1.5	Leather & Leather Products	11,993.50	12,332.70	237.90	320.00
1.6	Wood and Wood Products	6,210.00	4,460.00	975.50	1,440.00
1.7	Paper & Paper Products	25,940.80	20,730.10	6,089.90	4,640.00
1.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	33,696.50	48,195.90	23,214.90	28,250.00
1.9	Chemicals and Chemical Products	57,789.90	42,298.80	6,965.80	7,759.40
	1.9.1 Fertilizer	3,293.20	2,675.30	2,252.10	3,070.00
	1.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	25,839.70	17,408.40	1,860.40	2,030.00
	1.9.3 Petro Chemicals	5,881.10	3,719.60	253.30	349.40
	1.9.4 Others	22,775.90	18,495.50	2,600.00	2,310.00
1.10	Rubber, Plastic & their Products	17,059.20	13,370.00	2,366.80	1,810.00
1.11	Glass and Glassware	1,735.10	1,706.80	17.60	30.00
1.12	Cement and Cement Products	23,347.00	18,357.30	1,060.40	610.00
1.13	Basic Metal and Metal Products	202,598.50	187,575.30	60,524.90	39,270.00
	1.13.1 Iron and Steel	131,819.10	122,509.90	46,229.30	31,230.00
	1.13.2 Other Metal and Metal Products	70,779.40	65,065.40	14,295.60	8,040.00
1.14	All Engineering	80,144.50	71,680.50	157,519.20	52,623.40
	1.14.1 Electronics	11,968.10	11,876.10	24,467.40	6,440.00
	1.14.2 Electricity	22,008.20	18,550.00	62,510.80	17,923.40
	1.14.3 Others	46,168.20	41,254.40	70,541.00	28,260.00
1.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	41,194.50	32,448.20	16,002.30	6,950.00
1.16	Gems & Jewellery	11,696.20	11,180.00	11,063.90	10,890.00
1.17	Construction	57,841.50	48,672.50	64,131.60	44,130.00



1.18	आधारभूत संरचना	849,647.70	645,301.30	68,191.00	38,910.00
	1.18.1 बिजली	531,704.10	438,329.90	41,390.30	32,210.00
	1.18.2 दूरसंचार	79,195.30	73,731.70	23,648.60	3,910.00
	1.18.3 सड़क	103,778.70	70,380.00	821.90	680.00
	1.18.4 हवाई अड्डा	13,768.90	18,270.00	0.00	0.00
	1.18.5 बंदरगाह	10,716.20	10,920.00	108.00	110.00
	1.18.6 रेलवे (भारतीय रेलवे के अलावा)	39,994.20	11,730.00	922.20	1,670.00
	1.18.7 अन्य आधारभूत संरचना	70,490.30	21,939.70	1,300.00	330.00
1.19	अन्य उद्योग	104,901.20	198,651.10	7,408.90	8,340.00
	उद्योग (लघु, मध्यम और बृहत का कुल)	1,815,282.70	1,598,370.00	447,121.00	266,112.80

1.18	Infrastructure	849,647.70	645,301.30	68,191.00	38,910.00
	1.18.1 Power	531,704.10	438,329.90	41,390.30	32,210.00
	1.18.2 Telecommunications	79,195.30	73,731.70	23,648.60	3,910.00
	1.18.3 Roads	103,778.70	70,380.00	821.90	680.00
	1.18.4 Airports	13,768.90	18,270.00	0.00	0.00
	1.18.5 Ports	10,716.20	10,920.00	108.00	110.00
	1.18.6 Railways (other than Indian Railways)	39,994.20	11,730.00	922.20	1,670.00
	1.18.7 Other Infrastructure	70,490.30	21,939.70	1,300.00	330.00
1.19	Other Industries	104,901.20	198,651.10	7,408.90	8,340.00
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	1,815,282.70	1,598,370.00	447,121.00	266,112.80

उद्योगों का ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, वो निम्नवत हैं

क्रमांक	उद्योग	कुल एक्सपोजर (₹ मिलियन में)	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का %
1	बिजली	573,094.40	9.51%

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

Sl No	Industry	Total Exposure (₹ in Millions)	% of Total Gross Credit Exposure
1	Power	573,094.40	9.51%



(ड) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण

राशि (₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015
0 से 1 दिन	171,404.10 (94,988.30)	3,343.10 (3,346.60)	37,063.20 (14,795.91)
2 से 7 दिन	115,131.70 (136,358.60)	25,019.93 (5,490.20)	17,443.40 (33,054.90)
8 से 14 दिन	86,225.80 (111,190.00)	50.00 (556.30)	30,741.80 (13,779.80)
15 से 28 दिन	145,753.42 (162,313.80)	3,475.43 (6,316.20)	26,057.00 (19,843.44)
29 दिनों से 3 माह	281,390.71 (212,435.70)	68,678.63 (24,068.20)	98,018.90 (77,123.77)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	216,184.54 (214,939.00)	33,944.66 (13,400.20)	48,830.30 (93,852.81)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	472,352.16 (401,353.20)	50,903.18 (22,276.50)	109,365.80 (38,067.04)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक	826,288.00 (763,722.70)	169,812.43 (123,566.80)	63,843.20 (63,824.11)
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक	359,058.61 (279,747.30)	325,672.85 (300,923.90)	28,745.30 (30,137.30)
5 वर्षों से अधिक	635,822.33 (639,536.40)	741,583.47 (736,995.30)	38,266.70 (6,223.90)
बिना परिपक्वता के	0.00 (0.00)	36,767.61 (32,802.00)	0.00 (0.00)
कुल	3,309,611.36 (3,016,585.00)	1,459,251.29 (1,269,742.20)	498,375.60 (390,162.98)

(कोष्ठक में दिए गए अंक पिछले वर्ष के हैं)



(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets:

Amount (₹ in Millions)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015
0 to 1 day	171,404.10 (94,988.30)	3,343.10 (3,346.60)	37,063.20 (14,795.91)
2 to 7 days	115,131.70 (136,358.60)	25,019.93 (5,490.20)	17,443.40 (33,054.90)
8 to 14 days	86,225.80 (111,190.00)	50.00 (556.30)	30,741.80 (13,779.80)
15 to 28 days	145,753.42 (162,313.80)	3,475.43 (6,316.20)	26,057.00 (19,843.44)
29 days to 3 months	281,390.71 (212,435.70)	68,678.63 (24,068.20)	98,018.90 (77,123.77)
Over 3 months & upto 6 months	216,184.54 (214,939.00)	33,944.66 (13,400.20)	48,830.30 (93,852.81)
Over 6 months & upto 1 year	472,352.16 (401,353.20)	50,903.18 (22,276.50)	109,365.80 (38,067.04)
Over 1 year & upto 3 years	826,288.00 (763,722.70)	169,812.43 (123,566.80)	63,843.20 (63,824.11)
Over 3 year & upto 5 years	359,058.61 (279,747.30)	325,672.85 (300,923.90)	28,745.30 (30,137.30)
Over 5 years	635,822.33 (639,536.40)	741,583.47 (736,995.30)	38,266.70 (6,223.90)
Without Maturity	0.00 (0.00)	36,767.61 (32,802.00)	0.00 (0.00)
Total	3,309,611.36 (3,016,585.00)	1,459,251.29 (1,269,742.20)	498,375.60 (390,162.98)

(The figures in brackets relate to previous year)



(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	मदें	31.03.2015	31.03.2014
ए)	सकल अनर्जक आस्तियां	131,736.10	77,001.70
	• अव – मानक	71,441.50	34,802.40
	• संदिग्ध 1	33,031.10	24,692.40
	• संदिग्ध 2	27,263.50	16,997.20
	• संदिग्ध 3	0.00	204.90
	• हानि	0.00	304.80
बी)	निवल अनर्जक आस्तियां	88,265.70	60,302.20
सी)	अनर्जक आस्तियां अनुपात		
	• सकल अनर्जक आस्तियों से सकल अग्रिम (%)	3.92	2.53
	• निवल अनर्जक आस्तियों से निवल अग्रिम (%)	2.67	2.01
डी)	अनर्जक आस्तियों की गति (सकल)		
	• आरंभिक शेष	77,001.70	63,557.90
	• परिवर्धन	109,077.20	84,881.20
	• कटौती	54,342.80	71,437.40
	• अंतिम शेष	131,736.10	77,001.70
ई)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	16,260.30	9,823.70
	• मुद्रा के उतार-चढ़ाव व अन्य	(32.50)	304.60
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	41,857.63	22,557.00
	• बढ़े खाते डालना	15,077.03	15,931.40
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00	493.60
	• अंतिम शेष	43,008.40	16,260.30
एफ)	अनर्जक निवेशों की राशि	2,820.41	2,848.10
जी)	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	2,318.76	2,198.10
एच)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों की गति		
	• आरंभिक शेष	1,636.54	2,128.00
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	807.23	550.10
	• बढ़े खाते डालना	0.00	0.00
	• अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	125.01	1,041.60
	• अंतिम शेष	2,318.76	1,636.50



(f) Amount of Non-Performing Assets (Gross):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Items	31.03.2015	31.03.2014
a)	Gross NPAs	131,736.10	77,001.70
	• Sub-Standard	71,441.50	34,802.40
	• Doubtful 1	33,031.10	24,692.40
	• Doubtful 2	27,263.50	16,997.20
	• Doubtful 3	0.00	204.90
	• Loss	0.00	304.80
b)	Net NPAs	88,265.70	60,302.20
c)	NPA Ratios		
	• Gross NPAs to Gross Advances (%)	3.92	2.53
	• Net NPAs to Net Advances (%)	2.67	2.01
d)	Movement of NPAs (gross)		
	• Opening balance	77,001.70	63,557.90
	• Additions	109,077.20	84,881.20
	• Reductions	54,342.80	71,437.40
	• Closing Balance	131,736.10	77,001.70
e)	Movement of Provisions for NPAs		
	• Opening Balance	16,260.30	9,823.70
	• Exchange Fluctuations & Others	(32.50)	304.60
	• Provisions made during the period	41,857.63	22,557.00
	• Write-off	15,077.03	15,931.40
	• Write back of excess provisions	0.00	493.60
	• Closing Balance	43,008.40	16,260.30
f)	Amount of Non-Performing Investments	2,820.41	2,848.10
g)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	2,318.76	2,198.10
h)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments		
	• Opening Balance	1,636.54	2,128.00
	• Provisions made during the period	807.23	550.10
	• Write-off	0.00	0.00
	• Write Back of excess Provisions	125.01	1,041.60
	• Closing Balance	2,318.76	1,636.50



तालिका डी एफ-4: साख जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

(ए) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:

- बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार के अभिकलन हेतु एक्सपोजर की रेटिंग व जोखिम भारिता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पहचान की है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां :

- ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
- क्रेडिट विश्लेषण व अनुसन्धान लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फिच इंडिया)
- एस एम ई आर ए रेटिंग्स लिमिटेड

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- स्टैन्डर्ड एंड पोअर
- मूडीस
- एफ आई टी सी एच (फिच)

एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी की उपयोग की जाती है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियां सभी प्रकार की एक्सपोजर की रेटिंग के लिए मानित हैं।

पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बुक में तुलनीय आस्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का विवरण:

- बैंक केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुरोध रेटिंग का प्रयोग करते हैं जो मान्य हैं और जिनकी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा समीक्षा की गई है को बाह्य क्रेडिट मुल्यांकन संस्थान से सन्दर्भित किया गया है।
- बैंक उधारकर्ता के एक्सपोजर के लिए जोखिम भारिता हेतु बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है बैंक इस प्रकार की रेटिंग का प्रयोग करता है जबतक कि बैंक ऋण विशेष रूप से रेटेड न हो।

TABLE DF – 4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative Disclosures

(a) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic Credit Rating Agencies:

- Brickwork Ratings India Private Limited (Brickwork),
- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings and Research Private Limited (Formerly FITCH India)
- SMERA Ratings Limited

International Credit Rating Agencies:

- Standard & Poor,
- Moody's,
- FITCH

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Bank uses Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.



- बैंक एक ही उधारकर्ता के लिए एक एक्सपोजर के लिए एक रेटिंग एजेंसी और और दूसरे के लिए दूसरी बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थाओं का एक ही साथ प्रयोग नहीं कर सकती जबतक कि सम्बन्धित चयनित एक्सपोजर रेटिंग केवल एक ही बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा किया गया हो। इसके अतिरिक्त एक कॉर्पोरेट समूह के अन्दर किसी विशेष संस्था को सौंपे गए रेटिंग को उसी समूह की दूसरी संस्था के जोखिम भारिता के लिए प्रयोग नहीं कर सकते।
- चालू सीमा जैसे नकद क्रेडिट को दीर्घ अवधि एक्सपोजर माना जाता है और तदनुसार इस प्रकार के एक्सपोजर को जोखिम भारिता प्रदान करने के लिए दीर्घ अवधि रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था द्वारा दिए गए रेटिंग को जोखिम निर्धारण / लागू करते समय बैंक विनियामक दिशा निर्देश / बैंक की बोर्ड अनुमोदन प्रस्ताव से निर्देशित होते हैं।
- जहां एक्सपोजर/ उधारकर्ता को चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था से कई रेटिंग प्राप्त हो वहां बैंक ने जोखिम भारिता की गणना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:
 - o यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा दो रेटिंग दिया गया हो जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
 - o यदि चयनित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्थान द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो और जो विभिन्न जोखिम भार के लिए हो वहां न्यूनतम 02 रेटिंग का सन्दर्भ लिया जाता है और उन दो जोखिम भार में से उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAIs, the Bank is guided by regulatory guidelines/ Bank's Board approved Policy.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - o If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - o If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

(ii) परिमाणान्तरक प्रकटन:

(बी) बैंक एक्सपोजर की राशि: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम न्यूनीकरण फैक्टरिंग के बाद (यथा सम्पाश्चिक) मुख्य जोखिम बकेट में सकल अग्रिम (रेटेड व अनरेटेड):

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	100% जोखिमभार से कम	3,603,584.38	3,132,813.35	727,213.70	1,791,548.19
2	100% जोखिम भार	957,355.85	930,531.48	359,422.44	674,130.28
3	100% जोखिम भार से अधिक	612,343.16	545,052.15	277,485.17	253,408.15
4	घटाए गए	426,444.09	375,654.29	130,655.51	125,497.74
5	कुल	4,746,839.30	4,232,742.69	1,233,465.80	2,593,588.88

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	FUND BASED		NON-FUND BASED	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	Below 100% Risk Weight	3,603,584.38	3,132,813.35	727,213.70	1,791,548.19
2	100% Risk Weight	957,355.85	930,531.48	359,422.44	674,130.28
3	More than 100% Risk Weight	612,343.16	545,052.15	277,485.17	253,408.15
4	Deducted	426,444.09	375,654.29	130,655.51	125,497.74
5	TOTAL	4,746,839.30	4,232,742.69	1,233,465.80	2,593,588.88



तालिका डी एफ-5: साख जोखिम न्यूनीकरण – मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

सम्पार्श्विक मूल्यांकन व प्रबन्धन के लिए नीति व प्रक्रिया: प्रभावी सम्पार्श्विक प्रबन्धन के लिए बैंक की बोर्ड से अनुमोदित सम्पार्श्विक प्रबन्धन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, सम्पार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार और उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा पर बल देती है। ठीक से लिया गया व प्रबंधित किए गए सम्पार्श्विक और गारंटी से मदद मिलेगी:

- अपेक्षित कैश फ्लो में कमी के कारण उधारकर्ता द्वारा साख सुविधा में चूक की स्थिति में द्वितीयक श्रोत द्वारा पुनर्भुगतान उपलब्ध कराकर जोखिम को कम करना।
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान की श्रोत को नियंत्रण में लेना।
- उधारकर्ता की घटती पुनर्भुगतान क्षमता के लिए पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराना।
- जोखिम भारित आस्तियों को इष्टतम करना और अवशिष्ट जोखिम का पर्याप्त रूप से समाधान करना।

बैंक साख जोखिम जिससे वो एक्सपोज्ड हैं उसको कम करने के लिए कई तकनीक का प्रयोग करते हैं। संशोधित दृष्टिकोण भारत में बैंक को व्यापक दृष्टिकोण (मानकीकृत और आईआरबी दृष्टिकोण के तहत) अपनाने की अनुमति देता है जो एक्सपोजर के विरुद्ध सम्पार्श्विक के लिए निर्धारित मूल्य के लिए प्रभावी ढंग से जोखिम राशि को कम करने के खिलाफ सम्पार्श्विक की पूरी भरपाई की अनुमति देता है। इस दृष्टिकोण के तहत बैंक जो योग्य वित्तीय सम्पार्श्विक ग्रहण करता है उन्हें सम्पार्श्विक की जोखिम प्रभाव कम करने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी की गणना करते समय प्रतिपक्ष से जोखिम एक्सपोजर कम करने की अनुमति है।

बैंक की सम्पार्श्विक प्रबन्धन प्रक्रिया व प्रथा में जमानत मूल्य के सुरक्षा और संरक्षण, सम्पार्श्विक की गारंटी, मूल्यांकन / आवधिक निरीक्षण सहित सम्पूर्ण गतिविधि शामिल है।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण को सुरक्षित करने के लिये प्राप्त स्थायी व चालू आस्तियां, दोनों ही बैंकों द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारकों से मूल्यांकन के अधीन है। खाते की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता का

TABLE DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACHES

(i) Qualitative disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The revised approach allows banks in India to adopt the Comprehensive Approach (under both the Standardized and IRB approaches) which allows fuller offset of collateral against exposures by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Under this approach, banks, which take eligible financial collateral, are allowed to reduce their credit exposure to the counterparty when calculating their capital requirements by taking into account the risk mitigating effect of the collateral.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary



आस्ति वर्गीकरण जो कि मूल्यांकन, मूल्यांकन की आवश्यकता, के अधीन है, बैंक की नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। बैंक मूल्यांकन पर दिशानिर्देशों की आवश्यक समीक्षा करता है।

बैंक द्वारा लिये गये प्रमुख प्रकार के संपार्श्विक का विवरण: बैंक द्वारा जोखिम शमक के रूप में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला संपार्श्विक, वित्तीय संपार्श्विक (यथा, नकद, बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, डाक विभाग द्वारा / प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंक के अलावा व बैंक द्वारा मंजूर अन्य लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर, डिबेंचर, म्युचुअल फंड, कर्ज प्रतिभूति आदि), विभिन्न प्रकार के चल आस्तियों और अचल आस्तियों / संपत्तियों आदि को समाहित किये हुए है। यद्यपि, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत आवश्यक पूंजी की संगणना के उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट वित्तीय संपार्श्विकों को पात्र संपार्श्विक के रूप में मान्यता दी गयी है।

गारंटर प्रतिपक्ष और उनकी उधार पात्रता के मुख्य प्रकार: बैंक राष्ट्रिक, राष्ट्रिक इकाई (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, व यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, ईसीजीसी, व सीजीटीएमएसई सहित) की गारंटी प्राप्त / स्वीकार करता है। इसके अलावा, बैंक उपयुक्त निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी को भी, साख जोखिम के शमक हेतु अतिरिक्त आराम के रूप में, जो कि गारंटर पर प्रत्यक्ष दावे में परिवर्तित किया जा सकता है और ये बिना शर्त व अटल है, को प्राप्त करता है। गारंटर की उधार पात्रता सामान्य रूप से उधारकर्ता के वित्तीय स्थिति से लिंक नहीं है या प्रभावित नहीं होती है। बैंक राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये गारंटी को भी प्रतिभूति कम्फर्ट के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी गारंटी लगातार प्रभावित रहती हैं, जब तक कि कवर सुविधा पूर्ण रूप से चुका नहीं दी जाये या निपाटान या रिहा न कर दी जाये।

नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल II मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त साख जोखिम शमन: नयी पूंजी उपयुक्तता रूपरेखा (बासेल II मानदंड) के तहत पूंजी आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने साख जोखिम शमन के रूप में नकद, बैंक के स्वयं के जमा, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को मान्यता दी है।

लिये गये शमन के अंदर जोखिम संकेद्वरण के बारे में सूचना: बैंक ने पहले ही साख जोखिम के प्रबन्धन की सुविधा देने हेतु व संपार्श्विक के जोखिम संकेद्वरण सहित संपार्श्विक प्रबन्धन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु रोबस्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये एक डेटा वेयरहाउस को स्थान पर लाने के लिये कदम उठाये हैं।

limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Bank's policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Financial Collaterals (i.e. Cash, Bank deposits, Life Insurance policies, NSC, KVP, Government securities issued directly / by postal departments, equity shares of limited companies other than the Bank and approved by the Bank, debentures, units of mutual funds, debt securities etc.), different categories of moveable assets and immoveable assets / properties etc. However, for the purpose of computation of capital required under Standardized Approach, certain specific financial collaterals have been recognized as eligible collateral.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE). Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank has already initiated steps for putting in place a data warehouse for a robust Management Information System (MIS) to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.



(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	
		31.03.2015	31.03.2014
(बी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये साख जोखिम पोर्टफोलियो हेतु हेयरकट के आवेदन के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन-या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	522,612.83	479,925.38
(सी)	हर एक अलग से प्रकटन किये गये पोर्टफोलियो हेतु गारंटी / साख व्युत्पादों (जब भी भारिबै द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत किया गया हो) द्वारा कवर किये जाने वाला कुल एक्सपोजर (पश्चात, जहाँ लागू हो, ऑन-या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग)।	283,554.84	245,019.15

(ii) Quantitative Disclosures

SI No.	PARTICULARS	Amount (₹ in Millions)	
		31.03.2015	31.03.2014
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	522,612.83	479,925.38
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	283,554.84	245,019.15

तालिका डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण
एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण
हेतु प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन

नीति दिशानिर्देश, प्रतिभूतीकरण व नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन और बिना संसाधन आधार के माध्यम से आस्तियों के अंतरण को समाहित किये हुए दिशानिर्देशों को कवर करता है।

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर बैंक के दिशानिर्देशों में समाहित है:

TABLE DF – 6: SECURITIZATION
EXPOSURES: DISCLOSURE FOR
STANDARDIZED APPROACH

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines cover guidelines involving transfer of assets through Securitisation and direct assignment of cash flows and are on without recourse basis.

The guidelines to banks on securitisation of standard assets contain:



- आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रावधान
- नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों के अंतरण से संबंधित निर्धारण।

बैंक के वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश एक प्रवर्तक (बैंक, एन बी एफ सी / एफ आई) से सामूहिक निधि की खरीद का कार्य करता है। प्रवर्तक बैंक / एन बी एफ सी / एफ आई से नकद प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्तियों की खरीद "ए" तथा उससे ऊपर मूल्यवाले से हों। बैंक आवास ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण, केवल अस्थिर दर मंजूर एमएसएमई, से संबंधित आधारभूत आस्तियों के पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो के अंश को खरीदता है।

बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को नीति रेखांकित करता है यथा, ऋण की खरीद पर प्रतिबन्ध, पूल में पात्र उधारकर्ताओं को समाविष्ट करना, यथोचित विवेक- केवाईसी अनुपालन हेतु मानक, खरीदे गये आस्तियों के पूल में उधारकर्ताओं के संबंध में संवितरण से पहले अनुपालित की जाने वाली आवश्यकताएं, मूलकर्ता का यथोचित विवेक, तनाव परीक्षण, साख निगरानी।

बैंक भारत में अन्य बैंकों / एफआई / एनबीएफसी से ऋण केवल तभी खरीद सकता है जब विक्रेता ने स्पष्ट रूप से बैंक को यह प्रकट किया हो कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता का अनुपालन करेंगे एवं नीति में निर्धारित अनुसार न्यूनतम होल्डिंग अवधि मानदंड का अनुपालन प्रकट करेंगे।

कुछ अंतरालों पर निरंतर आधार पर बैंक खरीद संव्यवहारों की निगरानी करेगा एवं जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उचित कार्यवाही करेगा। ऋण समीक्षा तंत्र व निगरानी के संबंध में साख जोखिम प्रबन्धन पर मास्टर नीति में उल्लिखित सामान्य निर्धारण प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों पर लागू है।

मूलकर्ता पर एक्सपोजर बैंक द्वारा निर्धारित विवेक सम्मत एक्सपोजर सीमा के अंदर होगा।

- The provisions relating to securitization of assets.
- Stipulations regarding transfer of standard assets through direct assignment of cash flows.

The bank's existing policy guidelines deals with purchase of pools from an originator (Bank/NBFC/FI). Purchase of assets through Direct Assignment of cash flows from originating NBFCs/Banks/FIs shall be only from those rated 'AA' and above. The Bank shall purchase a portfolio or a part of portfolio of standard assets under Housing Loan; Loans Against Property and MSME sanctioned at floating rates only.

Policy sets out requirements to be met by the bank like restrictions on purchase of loans; constitution of eligible borrowers in the pool; standards for due diligence - KYC compliance, requirements to be complied with prior to disbursement in respect of borrowers in the purchased pool of assets; due diligence of the originator, Stress testing; credit monitoring.

Bank can purchase loans from other banks/FIs/NBFCs in India only if the seller has explicitly disclosed to the bank that it will adhere to the Minimum Retention Requirement on an ongoing basis and disclosed the adherence to the Minimum holding period criteria as prescribed in the policy.

The bank monitors the purchase transactions on an ongoing basis at certain intervals and takes appropriate action wherever required. The general prescription laid down in the Master policy on Credit Risk Management with regard to loan review mechanism and monitoring is applicable to securitization transactions.

The exposure to the originator shall be within the prudential exposure ceilings stipulated by the Bank.



(ii) मात्रात्मक प्रकटन

(i) बैंकिंग बही

राशि (₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल रकम	शून्य	शून्य
(ई)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचान की गई प्रतिभूतिकृत अलग अलग एक्सपोजर वार(जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि प्रतिभूति विवरण सहित	शून्य	शून्य
(एफ)	वर्ष के भीतर प्रभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(जी)	एफ में से प्रभूतिकरण पूर्व एक वर्ष के भीतर आस्तियों की रकम	शून्य	शून्य
(एच)	प्रभूतिकृत रकम एक्सपोजर की कुल रकम व एक्सपोजर के विक्रय द्वारा पहचान रहित लाभ या हानि / की	शून्य	शून्य
(आई)	का कुल रकम		
	• अलग-अलग एक्सपोजर के लिए रखे गए या क्रय किए गए ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• ऑफ बैलेंस शीट प्रभूतिकरण अलग-अलग प्रकार के एक्सपोजर	शून्य	शून्य
(जे)	(i) खरीदे गए या रखे गए प्रभूतिकरण की सकल राशि व अलग अलग एक्सपोजर के लिए सम्मिलित पूंजी प्रभार तथा यथा 31.03.2014 को प्रत्येक विनियाम पूंजी की अलग अलग जोखिम धारिता	शून्य	शून्य
	(ii) एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी से घटाए गए, ऋण संवर्धन, कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर	शून्य	शून्य

(ii) व्यापार बही

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो बाजार जोखिम के अधीन हैं	19,489.70	11,075.50
(एल)	का कुल रकम		
	• ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रखे गए या क्रय किए गए अलग अलग प्रकार के एक्सपोजर	19,489.70	11,075.50
	• ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण अलग-अलग प्रकार के एक्सपोजर	शून्य	शून्य
(एम)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि रखी गई या अलग से क्रय की गई		
	• बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की सकल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रखे हैं तथा जो विशेष जोखिम के लिए विस्तृत जोखिम उपाय जोखिम के अधीन हैं तथा	19,489.70	11,075.50



(ii) Quantitative Disclosures

(i) Banking Book:

₹ In Millions

SI No	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
(d)	The total amount of exposures securitized by the Bank.	Nil	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit Cards, Housing Loans, Auto Loans etc. detailed by underlying security):	Nil	Nil
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil	Nil
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitisation.	Nil	Nil
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	Nil	Nil
(i)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type:	Nil	Nil
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	Nil	Nil
(j)	(i) Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil	Nil
	(ii) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 Capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil	Nil

(ii) Trading Book:

₹ In Millions

SI No	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
(k)	Aggregate amount of exposures Securitized by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the Market Risk approach, by exposure type.	19,489.70	11,075.50
(l)	Aggregate amount of:		
	• On-balance sheet Securitisation Exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	19,489.70	11,075.50
	• Off-balance sheet Securitisation Exposures broken down by exposure type	Nil	Nil
(m)	Aggregate amount of Securitisation Exposures retained or purchased separately for:		
	• Securitisation Exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for Specific Risk; and	19,489.70	11,075.50



- प्रभूतिकृत एक्सपोजर जो अलग अलग जोखिम धारिता के प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन हैं:

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	एक्सपोजर	
		31.03.2015	31.03.2014
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	19,489.70	11,075.50
4	कुल	19,489.70	11,075.50

(एन) की सकल राशि

- प्रभूतिकृत एक्सपोजर हेतु पूंजी आवश्यकता प्रतिभूतिकृत संरचना के विभिन्न अलग अलग जोखिम धारिता बैंड के अधीन

क्रमांक	जोखिम धारिता बैंड	पूंजी की आवश्यकता	
		31.03.2015	31.03.2014
1	<100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
2	100% जोखिम धारिता	0.00	0.00
3	>100% जोखिम धारिता	2,631.10	1,495.10
4	कुल	2,631.10	1,495.10

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो पूरी तरह टियर I पूंजी, ऋण संवर्धन, व कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर

शून्य

शून्य



- Securitization Exposures subject to the securitisation framework for Specific Risk broken down into different risk weight bands.

SI No	Risk Weight Bands	Exposure	
		31.03.2015	31.03.2014
1	<100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	>100% Risk Weight	19,489.70	11,075.50
4	Total	19,489.70	11,075.50

(n) Aggregate amount of:

- The capital requirements for the Securitisation Exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.

SI No	Risk Weight Bands	Capital Requirement	
		31.03.2015	31.03.2014
1	< 100% Risk Weight	0.00	0.00
2	100% Risk Weight	0.00	0.00
3	> 100% Risk Weight	2,631.10	1,495.10
4	Total	2,631.10	1,495.10

- Securitisation Exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

NIL

NIL



सारणी डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीति व प्रक्रियाएं: बाजार जोखिम प्रबन्धन का सम्यक उद्देश्य बैंक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुधारने के द्वारा व सभी प्रकार के बाजार जोखिम हानि घटनाओं से हानि को कम करने के द्वारा शोयस्थारक मूल्य को निर्मित करना है।

- जब समग्र नेतृत्व व जोखिम प्रबन्धन रूपरेखा का नियंत्रण, जोखिम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तब कारोबार इकाई जोखिम लेने हेतु रणनीति तय करने व जोखिम को प्रबन्धित करने के लिये सशक्त होते हैं।
- पूर्व-निर्धारित तीव्रता (अहमियत, अंतराल, प्रकृति) के सभी मुद्दे व सीमा उल्लंघन जोखिम प्रबन्धन विभाग को परिवर्धित कर दिया जाता है जहाँ उन्हें संबोधित करने वाली कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। लिये गये निर्णय के कार्यावयन हेतु कारोबार इकाई उत्तरदायी होगा।

प्रक्रिया का उद्देश्य है:

- बाजार जोखिम गतिविधियों को प्रावरित करने के लिये एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबन्धन संस्कृति को स्थापित किया जाये।
- बाजार जोखिम से संबंधित सभी प्रासंगिक विधानों व विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- बाजार जोखिम की पहचान, मापन, प्रबन्धन, निगरानी, नियंत्रण व समीक्षा के संबंध में नीतियों व प्रक्रियाओं को उजागर करने में सुसंगत गुण को विकसित करें।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम हेतु सीमा संरचना व ट्रिगर को स्थापित करें।
- एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा प्रभावकारी निगरानी तंत्र को स्थापित करें।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र व नियमित मूल्यांकन को अपनायें।

प्रासंगिक जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना व संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नलिखित है –

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति

TABLE DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

(i) Qualitative disclosures

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to:

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function: Market Risk Management structure of the Bank is as under–

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board



- आस्ति दायित्व प्रबन्धन समिति (एएलसीओ)
- बाजार जोखिम प्रबन्धन समिति (एमआरएमसी)
- महा प्रबन्धक – जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम अधिकारी)
– प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबन्धन प्रभाग, जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्रका
 - o एकीकृत मिड कार्यालय
 - o मिड कार्यालय – एकीकृत कोष
 - o आस्ति दायित्व प्रबन्धन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन प्रणाली की कार्य क्षेत्र व प्रवृत्ति:

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु कई एक्सपोजर सीमाएं निर्दिष्ट की हैं यथा, ओवरनाइट सीमा, इंट्राडेय सीमा, सकल गैप सीमा, हानिरोध सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पाद-वार एक्सपोजर सीमा, जारीकर्ता-वार एक्सपोजर सीमा, आदि
- ट्रेडिंग डेस्क से ले कर बोर्ड स्तर तक के बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमा की निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- जोखिम प्रबन्धन या लेखांकन गतिविधियों हेतु बाजार में मार्किंग के लिये प्रयुक्त दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित होंगे।
- रिपोर्ट का प्रयोग कार्यनिष्पादन व जोखिम, बैंक की रणनीति के अनुरूप कारोबार गतिविधियों के प्रबन्धन में होता है।
- रिपोर्टिंग प्रणाली समयसीमा, स्वचालन के साथ उचित सटीकता, हार्डलाइट पोर्टफोलियो जोखिम संकेद्रण को सुनिश्चित करती है और लिखित कमेंटरी को समाहित करती है।
- विस्तृत जोखिम रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया का संवर्धन करती है।
- कारोबार कक्ष की गतिविधियाँ केंद्रीकृत हैं और विभिन्न जोखिम सीमा की निगरानी हेतु प्रणाली को स्थापित किया गया है।
- रिपोर्टिंग प्रारूप व आवृत्ति की आवधिक समीक्षा की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंक के जोखिम निगरानी, मापन व शमन आवश्यकता को पूरा करते हैं।

- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee (MRMC)
- General Manager – RM Wing (Chief Risk officer)- Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing, HO
 - o Integrated Mid Office
 - o Mid Office – Integrated Treasury
 - o Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit, etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.



बचाव / शमन के जारी प्रभावशीलता की निगरानी हेतु जोखिम व रणनीति व प्रक्रिया के बचाव और / या शमन के लिये नीति: विभिन्न बोर्ड मंजूर नीतियां यथा, बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति (देशज जोखिम प्रबन्धन व प्रतिपक्ष बैंक जोखिम प्रबन्धन सहित), निवेश नीति, फोरेक्स डिलिंग व ट्रेडिंग परिचालन नीति, और एएलएम नीति, को बाजार जोखिम प्रबन्धन हेतु स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, जोखिम मूल्यांकन, पहचान व माप और शमन, जोखिम सीमा व ट्रिगर, जोखिम निगरानी व रिपोर्टिंग के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।

बैंक ने विभिन्न देशों तक एक्सपोजर ले जाने हेतु सीमा आवंटित करने के लिये देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु विभिन्न मापदंडों यथा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ट्रेड बैलेंस आदि पर आधारित देशज जोखिम रेटिंग के लिये एक आंतरिक मॉडल तैयार किया है।

विदेशी बैंकों के वर्गीकरण हेतु बैंक ने स्कोरिंग मॉडल स्थापित किया है। विभिन्न एक्सपोजर सीमाओं को स्कोरिंग मैट्रिक्स अनुसार प्रतिपक्षों द्वारा सुरक्षित अंकों पर आधारित करके तय किया गया है।

एएलएम नीति ब्याज दर जोखिम व चलनिधि जोखिम के प्रबन्धन पर गौर करता है। नीति ने विभिन्न दिशानिर्देश दिये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकस्मिक वित्तपोषण प्लान को सूत्रित करने के द्वारा तनाव के समय में चलनिधि स्थिति आरामदायक है। हर एक समय ढाचें के तहत सहिष्णुता स्तर को निगमित किया गया है और इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन एक आगामी चलनिधि की कमी का संकेत देगा।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

क्रमांक	विवरण	पूँजी आवश्यकता की राशि विवरण (₹ मिलियन में)	
		31.03.2015	31.03.2014
(ए)	ब्याज दर जोखिम	13,551.90	13,424.02
(बी)	ईक्विटी स्थिति जोखिम	7,510.60	5,817.54
(सी)	विदेश विनिमय जोखिम	375.90	592.47

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy (Including Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management), Investment Policy, Forex dealing and trading operations Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

The ALM Policy deals with management of Interest Rate Risk and Liquidity Risk. The Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each timeframe and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

(ii) Quantitative Disclosures

SI No	Particulars	Amount of capital requirement (₹ in Millions)	
		31.03.2015	31.03.2014
(a)	Interest Rate Risk	13,551.90	13,424.02
(b)	Equity Position Risk	7,510.60	5,817.54
(c)	Foreign Exchange Risk	375.90	592.47



तालिका डीएफ-8: परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटन

रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, मजबूत संगठनात्मक संस्कृति व योग्य परिचालन कार्यविधियों से निहित है जिसमें कार्पोरेट मूल्य, प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मकता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग व आकस्मिक योजना, नीतियां निर्धारित हैं जिससे कि बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

प्रासंगिक जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा व संगठन: बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- प्रमुख/ महा प्रबंधक व जोखिम प्रबंधन / मुख्य जोखिम अधिकारी
- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी), प्र. का.
- मुख्य महा प्रबंधक/ विभागों के महा प्रबंधक / अंचल प्रमुख
- अंचलों के मनोनीत कार्यपालक
- अंचलों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा / या परिमाण प्रणालियों की व्याप्ति एवं प्रकार: जोखिम रिपोर्टिंग में, शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, तकनीक व बाहरी कार्यक्रमों के संबंध में घटित परिचालन जोखिम हानि संबंधी घटनाएं शामिल हैं। विभिन्न स्रोतों से संग्रह किये गये डाटा का प्रयोग जोखिम मैट्रिक्स तैयार करने के लिए किया जाता है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य सात हानि संबंधी घटना प्रकार व आठ कारोबार आधार शामिल हैं।

बचाव-व्यवस्था और / या जोखिम शमन करने के संबंध में नीतियां तथा बचाव-व्यवस्था / प्रशमन की लगातार जारी प्रभाविकता पर निगरानी रखने हेतु रणनीतियां व प्रक्रियाएं: बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन में नीतियां निर्धारित की हैं। नीति संबंधी ढांचे में अभिनिर्धारण, प्रबंधन, निगरानी व प्रशमन जैसे परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलू शामिल हैं।

क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों के निवारण के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित की हैं।

TABLE DF – 8: OPERATIONAL RISK

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Head / General Manager – Risk Management / Chief Risk Officer
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Chief General Managers / General Managers of Wings / Circle Heads
- Nominated Executives at Circles
- Risk Management Sections at Circles.

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems: The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of 7 loss event types and 8 business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.



परिचालन जोखिम पूँजी मूल्यांकन: बैंक न परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार परिकलित करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) को अपनाया है।

बैंक उन्नत मापन दृष्टिकोण ("एएमए") में परिवर्तित होने को इच्छुक है।

परिमाणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण (बेसिक इंडिकेटर अप्रोच) के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा ₹16,803.04 मिलियन है।

तालिका डी एफ-9: बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। चूंकि, विभिन्न परिपक्वता/पुनर्मूल्यन, मुद्रा, बाजार व बेंचमार्क दर की तुलना पत्र की मदों व तुलना पत्र की इतर मदों के संबंध में बैंक की दर संवेदनशील बनी रहती है और इन मानदंडों में किसी प्रकार के प्रतिकूल स्वरूप के उचार-चढ़ाव से बैंक, ब्याज दर जोखिम से ग्रस्त होता है। बैंकिंग पुस्तिका में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के उपार्जन (लघु-अवधि का प्रभाव) पर होनेवाले प्रभाव तथा निवल मालियत (दीर्घावधि का प्रभाव) के बारे में पता चलता है और इसे मासिक आधार पर आंका जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), निदेशक मंडल द्वारा/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहन स्तर के अनुसार ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करने और उसे कार्यान्वित करने, सीमा के आर-पार व कारोबारी क्षेत्रों में तथा कानूनी इकाइयों के यहां विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। एएलसीओ, बैंक का ब्याज दर दृष्टिकोण भी नियत करता है और भावी कारोबार रणनीति के लिए अपने निर्णय के संबंध में आधार तैयार करता है। निधीयन नीति के संबंध में, आस्ति निर्माण करने के संबंध में स्रोत व देयताओं का सही मिश्रण निर्धारित करना उसकी जिम्मेदारी है। एएलसीओ, बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी रखता है और ऋण सीमा में किसी प्रकार का लोप होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करता है।

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

Bank intends to migrate to the Advanced Measurement Approach ("AMA").

Quantitative Disclosure:

The capital requirement for Operational Risk under Basic Indicator Approach is ₹ 16,803.04 Millions.

TABLE DF – 9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net-worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing and implementing interest rate risk management strategy, managing interest rate risk in different currencies, across borders and across business lines and legal entities as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee. The ALCO also articulates interest rate view of the bank and bases its decisions for future business strategy. In respect of the funding policy, its responsibility is to decide on source and mix of liabilities for creation of assets. ALCO monitors the various limits established by the Board for interest rate risk and takes corrective action if there is any breach in the limit.



रणनीतियां व प्रक्रियाएं

बैंक अपनी आस्तियों व देयताओं के कीमतों को समकक्ष बनाने के साथ-साथ उपयुक्त समरूपता प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे कि परिपक्व होने वाले या पुनर्मूल्यित होनेवाले विभिन्न समय-अवधि वाले आस्ति व देयताओं में अंतर को कम किया जा सके। ब्याज दर जोखिम के मापन व प्रबंधन के लिए बैंक अपनी आस्ति व देयताओं व तुल्य रहित मदों की वैश्विक स्थिति जो कि दर संवेदी हैं, के प्रति दोनों पारंपरिक अंतर विश्लेषण (टीजीए) और अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) अपनाता है।

बैंक, दर संवेदनशील आस्तियों/देयताओं/तुल्य-पत्र इतर मदों के संबंध में टीजीए व डीजीए लागू करते हुए हर मुद्रा में प्रत्येक ब्याज दर जोखिम स्थिति का परिकलन उस मुद्रा, जहां या तो आस्तियां अथवा देयताएं बैंक की वैश्विक आस्तियों या वैश्विक देयताओं के कुल योग के मतुकाबले 5 प्रतिशत या उससे अधिक हों, में करता है। अन्य सभी अवशिष्ट मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम की स्थिति का परिकलन अलग से समग्र आधार पर किया जाता है। गैर-परिपक्वता अवधि की जमाओं का वर्गीकरण बैंक के आचरण अध्ययन के अनुसार किया जायेगा।

ब्याज दर जोखिम, पुनः-निर्धारण, आय वक्र परिवर्तन, आधारभूत जोखिम व वैकल्पिक जोखिम के कारण उत्पन्न होती है। बैंक का उद्देश्य परिपक्वता व कीमत-निर्धारण के संतुलन से उत्पन्न होनेवाली जोखिमों को आय उपार्जन के दोनों परिप्रेक्ष्य यानी आर्थिक व मूल-य परिप्रेक्ष्य से पता लगाना है जिसमें निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग हो।

- 1. अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम आंकने के लिए मूल साधन का प्रयोग, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अथवा अगले कीमतदृ निर्धारण, इनमें से जो भी पहले हो, के अनुसार, दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) व दर संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) की विभिन्न मदों तथा तुल्य-पत्र इतर मदों को भिन्न-भिन्न समय अवधियों में समूहीकरण करने के ज़रिए ब्याज दर संवेदनशील विवरण (आईआरएस) तैयार कर निवल अंतर (यानी आरएसए टू आरएसएल) का पता लगाना होगा। सकारात्मक अथवा आस्ति संवेदनशील अंतर का यह आशय है कि यदि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो परिणामस्वरूप एनआईआई में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत, नकारात्मक या देयता संवेदनशील अंतर का तात्पर्य है कि बाजार की ब्याज दरों में वृद्धि के कारण बैंक के एनआईआई घट सकता है।
- 2. आय अर्जन में जोखिम (ईएआर):** आय अर्जन में जोखिम (ईएआर) यह संकेत देता है कि क्या समारात्मक अंतर बनाये रखने के ज़रिए ब्याज दर में होनेवाली वृद्धि से बैंक लाभ उठा सकता है या फिर नकारात्मक अंतर बनाये रखने के ज़रिए ब्याज दर में रिग्रावट से लाभ उठा सकता है। ब्याज दर में समांतर परिवर्तन के फलस्वरूप आय-अर्जन पर कीमत-निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन विभिन्न दर प्रहारों के संबंध में किया जाता है। आय वक्र परिवर्तन व आधार जोखिम के संबंध में आय-अर्जन के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है।

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its global position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The Bank computes its interest rate risk position in each currency applying the TGA and DGA to the rate sensitive assets/ liabilities/ off balance sheet items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies is computed separately on an aggregate basis. The non-maturing deposits are classified as per the behavioural study of the Bank.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk and options risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

- 1. Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA – RSL). A positive or Asset Sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.
- 2. Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicate the impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.



3. **ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई):** परिवर्तनशील ब्याज दरों का दीर्घावधि प्रभाव बैंक बाजार के ईक्विटी मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं के आर्थिक मूल्य और तुलन-पत्र इंटर स्थितियां, बाजार की ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन के कारण से प्रभावित होती हैं। समूचे बैंक में ब्याज दर संवेदनशील स्थितियों के परिवर्तनों से होनेवाले निर्धारित दर प्रहार के कारण ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में अनुमानित गिरावट का प्राक्कलन अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) से किया जाता है।

(ii) परिमाणान्तरक प्रकटन:

आय अर्जन में जोखिम (ईएआर)

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2015 को सभी मुद्राओं में एक वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज दर में कल्पित 100 आधार बिंदु (बीपीएस) समांतर परिवर्तन के संबंध में बैंक की निवल ब्याज आय पर होनेवाले प्रभाव का जानकारी है:

राशि (₹ मिलियन में)

मुद्रा	1 वर्ष तक ब्याज दर में परिवर्तन	
	31.03.2015	
	-100 bps	+100 bps
आईएनआर	(5,430.20)	5,43.02
युएसडी	(489.70)	489.70
अन्य	(101.80)	101.80
कुल	(6,021.70)	6,021.70

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

निम्नलिखित तालिका में यथा 31.03.2015 को बैंकिंग बही पर कल्पित 200 आधार बिंदु (बीपीएस) के संबंध में ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव की जानकारी है :

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 आधार अंकों	+200 आधार अंकों
	8.41%	(8.41%)

3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA).

(ii) Quantitative Disclosures

EARNINGS AT RISK

The following table presents the impact on net interest income of the Bank for an assumed parallel shift of 100 bps in interest rate up to one year across currencies as at 31.03.2015.

Amount (₹ in Millions)

Currencies	Change in interest rate up to 1 Year	
	31.03.2015	
	-100 bps	+100 bps
INR	(5,430.20)	543.02
USD	(489.70)	489.70
Others	(101.80)	101.80
Total	(6,021.70)	6,021.70

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

The table reveals the impact on Economic Value of Equity for an assumed rate shock of 200 bps on the Banking Book as at 31.03.2015

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	+200 bps
	8.41%	(8.41%)



प्रकटन प्रपत्र तालिका-10: प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के संबंध में सामान्य प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटन:

बैंक में, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में नीति है जिसपर निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त है। इस नीति में, बैंक में प्रतिपक्ष ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में मानकों व दिशानिर्देश निर्धारित की गयी है। इस नीति के ज़रिए बैंक को विभिन्न घटकों व जोखिमों के संगत स्रोतों को प्रावरित करते हुए बाजार व्यापारित लिखतों में सीसीआर की पहचान करने के लिए मानकों व दिशानिर्देशों को स्थापित करना होगा। इसके ज़रिए निपटान-पूर्व जोखिम, निपटान जोखिम व गलत प्रकार की जोखिम का समाधान होता है।

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम एक बहु-आयामी किस्म की जोखिम हैं जो दोनों प्रतिपक्ष के एक्सपोजर व प्रतिपक्ष के ऋण की गुणवत्ता से प्रभावित होती है और ये दोनों बाजार-उत्प्रेरित परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं। इन जोखिमों के परस्पर क्रिया से भी यह प्रभावित होता है, उदाहरण के लिए, किसी एक्सपोजर और प्रतिपक्षकार के कीमत-लागत अंतर के बीच सहसंबंध या बैंक के प्रतिपक्षकारों के बीच एक्सपोजर की सहसंबंध। प्रभावी सीसीआर प्रबंधन ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम क्षेत्रों से जोखिम प्रबंधन तकनीकों के संयोजन की आवश्यकता है।

बैंक की सीमा सेटिंग व निगरानी प्रमुख रूप से मौजूदा नीतियों यथा, ऋण नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, बाजार जोखिम हेतु मास्टर नीति, काउंटरपक्ष बैंकों के एक्सपोजर सीमा पर नीति एवं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पर नीति द्वारा प्रावरित है।

सीमा स्थापित करने हेतु, काउंटरपक्ष साख जोखिम हेतु उनकी समीक्षा व निगरानी हेतु निम्न को बैंक विचारार्थ ले सकता है :

- बैंक परिचालन सीमा को एवं अन्य आंतरिक नियंत्रण प्रथाओं को स्थापित व प्रभावी करेगा जो कि सीसीआर प्रबंधन हेतु स्थापित जोखिम सहनशीलता, नीतियों व रणनीतियों के अनुरूप स्तरों के अंदर अपना सीसीआर एक्सपोजर अनुरक्षित रखे।
- सीसीआर सीमाओं को व्यक्तिगत काउंटरपक्षों व संबंधित काउंटरपक्षों के हर एक समूह हेतु पूर्व-निपटान जोखिम व निपटान जोखिम के लिये विशिष्ट सीमा के साथ हर एक काउंटरपक्षों हेतु

TABLE DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

Bank has a board approved policy on Counterparty Credit Risk Management. This policy sets out the standards and guidelines for Counterparty Credit Risk Management at the Bank. Through this policy the bank shall establish its standards and guidelines for identification of CCR in market traded instruments covering various components and relevant sources of risks. This addresses Pre-settlement Risk, Settlement Risk and Wrong Way Risk.

Counterparty Credit Risk is a multi-dimensional form of risk, affected by both the exposure to counterparty and the credit quality of the counterparty, both of which are sensitive to market-induced changes. It is also affected by the interaction of these risks, for example the correlation between an exposure and the credit spread of the counterparty, or the correlation of exposures among the counterparties of the Bank. Implementing an effective CCR management framework thus requires a combination of risk management techniques from the credit, market, and operational risk disciplines.

Bank's limit setting and monitoring is primarily covered across existing policies such as Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Investment Policy, Master Policy for Market Risk, Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks and Policy on Off- Balance Sheet Exposure.

Bank includes under consideration the following for setting the limits, their review and monitoring for counterparty credit risk:

- Bank shall establish and enforce operating limits and other internal control practices that maintain their CCR exposures within levels consistent with the established risk tolerance, policies and strategies for CCR management.
- CCR limits may be set on the amounts and types of transactions authorized for each counterparty, with distinct limits for pre-settlement risk and settlement



प्राधिकृत संव्यवहारों के प्रकार एवं राशि पर स्थापित किया जा सकता है। ऐसी सीमाओं को तनाव परीक्षण के परिणाम को विचारार्थ लेना चाहिये।

- उप-सीमा को विशिष्ट उत्पादों (उदाहरण, जावक, विकल्प, स्वैप या एसटीएफ), बाजार या उद्योग क्षेत्र (उदाहरण, वित्तीय संस्थान या कॉर्पोरेट), या अंतर्निहित बाजार फैक्टर (उदाहरण, विनिमय दर व ब्याज दर) हेतु भी जहाँ भी आवश्यक लगे, स्थापित किया जा सकता है।
- बैंक परंपरागत क्रेडिट एक्सपोजर हेतु किये गये अनुसार काउंटरपक्ष के उधारपात्रता पर आधारित पूर्व-निपटान जोखिम हेतु सीमा स्थापित करेंगे।
- उधारकर्ता की उधारपात्रता से अधिक व ऊपर निपटान जोखिम सीमाओं हेतु बैंक अन्य मानदंडों को भी विचारार्थ लेगा यथा, समाहित भुगतान दायित्व की काल्पनिक राशि, नियोजित प्रासंगिक निपटान प्रणाली की प्रभावोत्पादकता व विश्वसनीयता (उदाहरण, भुगतान-बनाम-भुगतान व वितरण-बनाम-भुगतान प्रणाली निपटान जोखिम को समाप्त करने में मदद करेगा), अवधि जिसके लिये एक्सपोजर अतिदेय रहेगा, और कोई भी संबंध संपार्श्विक या नेटिंग व्यवस्था।
- सीमा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी एवं उसे उचित समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष रखा जायेगा।

गलत मार्गीय जोखिम

- सामान्य गलत-मार्गीय जोखिम तब होता है जब काउंटरपक्षों के डिफॉल्ट की संभावना सकारात्मक रूप से सामान्य बाजार जोखिम गुणक से सहसंबद्ध हो। पोर्टफोलियो में सामान्य गलत-मार्गीय जोखिम की पहचान तनाव-परीक्षण के माध्यम से होगी। उस परिदृश्य में जहाँ क्रेडिट गुणवत्ता की गिरावट देखी गई है वहाँ यदि तनाव-परीक्षण काउंटरपक्ष एक्सपोजर में संवृद्धि के क्रम की पहचान करता है तो यह माना जायेगा कि पोर्टफोलियो की सामान्य गलत-मार्गीय जोखिम विशेषता है।
- गलत-मार्गीय जोखिम की पहचान में काउंटरपक्ष की पूरी जानकारी एवं काउंटरपक्ष की साख गुणवत्ता व एक्सपोजर (अंतर्निहित / संदर्भ आस्ति का मूल्य) के मध्य संभावित लिंकेज के बारे में जानने की आवश्यकता है। अधिकतर मामलों में गलत-मार्गीय जोखिम जटिल है एवं ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण से भी स्पष्ट

risk, for individual counterparties and each group of related counterparties. Such limits should take into account the results of stress-testing.

- Sub-limits may also be established for specific products (e.g. forwards, options, swaps or SFTs), market or industry sectors (e.g. financial institutions or corporates), or underlying market factors (e.g. exchange rates and interest rates) wherever deemed necessary.
- Bank shall set limits for pre-settlement risk based on the creditworthiness of the counterparty in the same way as for traditional credit exposures.
- For settlement risk limits, over and above the creditworthiness of the borrower, the bank shall also consider other parameters like notional amount of the payment obligations involved, the efficiency and reliability of the relevant settlement systems employed (e.g. the use of payment-versus-payment and delivery-versus-payment systems will help eliminate settlement risk), the period for which the exposure will remain outstanding, and any associated collateral or netting arrangements.
- The limits shall be subject to annual reviews and placed to appropriate reviewing authority.

Wrong way Risk

- General wrong-way risk arises when the probability of default of counterparties is positively correlated with general market risk factors. General wrong way risk in the portfolios is identified through stress testing. If the stress testing identifies a pattern of increase in counterparty exposure for a scenario where deterioration of credit quality is witnessed, it is deemed that the portfolio has general wrong-way risk characteristics.
- Identification of wrong way risk requires a sound knowledge of the counterparty and the potential linkage between the credit quality of counterparty and exposure (value of underlying/reference asset). Wrong way risk is in most cases subtle and not obvious from the analysis of historical data. It can be



नहीं है। काउंटरपक्ष साख प्रोफाइल व एक्सपोजर राशि के मध्य निर्भरता पर विचारार्थ करने के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। निर्भरता रैखिक हो सकती है एवं उस स्थिति में सहसंबंध पढ़ाई के माध्यम से इसे कैप्चर किया जा सकता है एवं इसकी पहचान की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से संबंध द्वितीय क्रम में या आकस्मिक हो सकता है यथा, कारण व प्रभाव प्रकार जिसे कि गुणात्मक व मात्रात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

- गलत मार्गीय जोखिम सीसीआर का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसने कि बैंकों को भारी नुकसान पहुँचाया है। अतएव बैंक अपने ओटीसी डेरिवेटिव व एसएफटी पोर्टफोलियो के दौरान विशेष व सामान्य गलत-मार्गीय जोखिम, दोनों की ही योजनाबद्ध तरीके से पहचान करने, मापने व नियंत्रित करने हेतु एक प्रक्रिया स्थापित करेगी।

identified by considering the dependence between counterparty credit profile and the exposure amount. The dependence may be linear in which case it can be captured and identified through correlation studies. Alternatively the relationship could be second order or even causal i.e. cause and effect type which would need qualitative and quantitative assessment.

- Wrong way risk is an important aspect of CCR that has caused major losses to banks. The Bank shall thereby establish a process to systematically identify, quantify, and control both specific and general wrong-way risk across its OTC derivative and SFT portfolios.

(ii) परिमाणात्मक प्रकटन

राशि (₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि		चालू एक्सपोजर	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	विदेश विनिमय ठेके	1,832,011.90	1,314,865.30	14,068.80	36,154.40
2	परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	15.60	5,788.00	0.00	0.00
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	65,625.90	62,911.10	3,412.00	4,532.80
4	कुल योग	1,897,653.40	1,383,564.40	17,480.80	40,687.20

(ii) Quantitative disclosure

Amount (₹ in Millions)

SI No	Particulars	Notional Amount		Current Exposure	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	Foreign Exchange Contracts	1,832,011.90	1,314,865.30	14,068.80	36,154.40
2	Cross Currency Interest rate Swaps	15.60	5,788.00	0.00	0.00
3	Single Currency Interest Rate Swaps	65,625.90	62,911.10	3,412.00	4,532.80
4	Total	1,897,653.40	1,383,564.40	17,480.80	40,687.20



तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन

भाग II: 31 मार्च, 2017 से पहले उपयोग किया जानेवाला नमूना (यानि बेसल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान उपयोग किया जानेवाला सामान्य प्रकटीकरण नमूना (यानि 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017)		पात्र राशि	पूर्व बेसल III व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: साधन तथा भंडार				
1	प्रत्यक्षतः जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	37,503.35		ए=ए1+ए2
2	रोक रखी गई आय	221,506.86		बी=बी1+बी2+बी3+बी4
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य भंडार)	-		
4	सीईटी 1 से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिये लागू)	-		
1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण पुरानी इकाइयां				
5	सहयोगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	187.50		सी1
6	विनियामक समायोजन के समक्ष सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी	259,197.71		
सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन				
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	-		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9	बंधक शोधन अधिकार के अलावा अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	423.70	282.46	डी
10	आस्थगित कर आस्तियां	-		
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-		
12	सामग्रियों के संभावित नुकसान में कमी	-		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकृत प्राप्ति	-		
14	उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं साख जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि	-		
15	निर्धारित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16	स्वयं के शेयर में निवेश (रिपोर्ट किये गये तुलन पत्र पर भुगतान की गई पूंजी को बंद नहीं किया गया)	-		
17	सामान्य इक्विटी में विपरीत प्रतिधारिता	174.85	116.56	ई



TABLE DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL

Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ in Millions)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Eligible Amount	Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	37,503.35		a=a1+a2
2	Retained earnings	221,506.86		b=b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
	<i>Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018</i>			
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	187.50		c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	259,197.71		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-		
8	Goodwill (net of related tax liability)	-		
9	Intangibles other than mortgage servicing rights (net of related tax liability)	423.70	282.46	d
10	Deferred tax assets	-		
11	Cash-flow hedge reserve	-		
12	Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	Securitisation gain on sale	-		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	Defined-benefit pension fund net assets	-		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	174.85	116.56	e



18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा निकायों की पूंजी में निवेश जो नियामक विमर्श के दायरे से बाहर है, निवल पात्र स्थितियां, जहां बैंक जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक पर स्वामित्व नहीं रखता (शुरुआती 10% से अधिक की राशि)	-		
19	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-		
20	बंधक शोधन अधिकार (10% की शुरुआती राशि से अधिक)	-		
21	अस्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां (10% की शुरुआती राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल)	-		
22	15% की शुरुआती राशि से अधिक	-		
23	जिसमें: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-		
24	जिसमें: बंधक शोधन अधिकार	-		
25	जिसमें: अस्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियां	-		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	2,920.44		
26a	जिसमें: गैर समेकित बीमा सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	2,907.00	1,938.00	एफ1
26b	जिसमें: गैर समेकित गैर वित्तीय सहायकों के इक्विटी पूंजी में निवेश	13.44	8.96	एफ2
26c	जिसमें: अधिकांश वित्तीय निकायों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनकी इक्विटी पूंजी में निवेश			
26d	जिसमें: गैर परिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00	एच
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	-		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटी स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
28	सामान्य इक्विटी स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	3,518.98		
29	सामान्य इक्विटी स्तर 1 पूंजी (सीईटी)	255,678.73		



18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-		
24	of which: mortgage servicing rights	-		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	2,920.44		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	2,907.00	1,938.00	f1
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	13.44	8.96	f2
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00	h
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	3,518.98		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	255,678.73		



अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी: लिखत				
30	प्रत्यक्षतः जारी अहर्कारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	15,000.00		
31	जिसमें: लागू लेखांकन मानक के अंतर्गत इक्विटी की तरह वर्गीकृत (बेमियादी गैर संचयी तरजीही शेयर)	0.00		
32	जिसमें: लागू लेखांकन स्तर के अंतर्गत देयता की तरह वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	15,000.00		
33	अतिरिक्त स्तर 1 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	11,127.20		आई 1
34	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त स्तर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत को पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है)	35.16		सी 2
35	जिसमें: हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	-		
36	विनियामक समायोजन के समक्ष अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	26,162.36		
अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त स्तर 1 लिखतों में निवेश	-		
38	अतिरिक्त स्तर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	2,384.44	1,589.63	जे
39	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
40	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (अधिविक्रय की स्थिति की पात्रता का निवल)	0.00		



Additional Tier 1 capital: instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	15,000.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	15,000.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	11,127.20		i1
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	35.16		c2
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	26,162.36		
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	2,384.44	1,589.63	j
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		



41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-		
41a	गैर समेकित बीमा सहायकों के अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में निवेश	-		
41b	अधिकांश वित्तीय निकायों जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है उनके अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी में कमी	-		
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटि स्तर 1 के लिये लागू विनियामक समायोजन	973.48		एफ3
42	अपर्याप्त अतिरिक्त स्तर 1 तथा स्तर 2 के घटाव को प्रावरित करने के कारण सामान्य इक्विटि स्तर 1 के लिये विनियामक समायोजन	-		
43	सामान्य इक्विटि स्तर 1 को कुल विनियामक समायोजन	3,357.92		
44	अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी (एटी 1)	22,804.44		
44a	पूंजी पर्याप्ता के लिये संगणित अतिरिक्त स्तर 1 पूंजी	22,804.44		
45	स्तर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44ए)	278,483.17		
स्तर 2 पूंजी: पूंजी लिखत व प्रावधान				
46	प्रत्यक्षतः जारी अहर्कारी अतिरिक्त स्तर 1 लिखत + अतिरिक्त संबंधित स्टॉक (31+32)	25,000.00		के2
47	स्तर 2 से हटाए जाने के अधीन प्रत्यक्षतः जारी पूंजी लिखत	15,277.53		के1
48	सहायकों द्वारा जारी तथा तृतीय पक्षों द्वारा रखे गये (समूह स्तर 2 में अनुमत राशि) स्तर 2 लिखत (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 तथा एटी 1 लिखत)	44.32		सी3
49	जिसमें: हटाए जाने के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत	0.00		
50	प्रावधान	48,854.32		एल=एल1+एल2+एल3+ एल4
51	विनियामक समायोजन के समक्ष स्तर 2 पूंजी	89,176.17		
स्तर 2 पूंजी :विनियामक समायोजन				
52	स्वयं के स्तर 2 लिखतों में निवेश	0.00		
53	अतिरिक्त स्तर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	966.26	644.17	एम
54	विनियामक विमर्श के दायरे के बाहर बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकायों की पूंजी में निवेश, पात्र स्थिति का निवल जहां बैंक के पास निकाय के जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं हो (10% की शुरुआती सीमा से अधिक)	0.00		
55	बैंकिंग, वित्तीय व बीमा निकाय जो कुल पात्र स्थिति में विनियामक विमर्श के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (अधिविक्रय की स्थिति की पात्रता का निवल)	0.00		



41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	973.48		f3
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	3,357.92		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	22,804.44		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	22,804.44		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	278,483.17		
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	25,000.00		k2
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15,277.53		k1
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	44.32		c3
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions	48,854.32		l= 1+ 2+ 3+ 4
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	89,176.17		
Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	966.26	644.17	m
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		



56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56a	जिसका: असमेकित सहायक कंपनियों के टीयर 2 पूंजी में निवेश	0.00		
56b	जिसका: जो बैंक के साथ समेकित नहीं किये गये हैं, उन बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टीयर 2 पूंजी में कमी	0.00		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में टीयर 2 के लिए लागू विनियामक समायोजन	973.48		एफ4
57	टीयर 2 के लिए कुल नियामक समायोजन	1,939.74		
58	पूंजी टीयर 2 पूंजी (टी 2)	87,236.43		
58a	पूंजी पर्याप्तता के लिए संगणित टीयर 2 पूंजी	87,236.43		
58b	टीयर 2 पूंजी के रूप में संगणित अधिकता में अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00		
58c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (58ए + 58बी)	87,236.43		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	365,719.60		
	पूर्व बेसल III के उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम युक्त आस्तियां			
60	कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति (60ए + 60बी + 60सी)	3,433,910.56		
60a	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित संपत्ति	3,009,005.88		
60b	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित संपत्ति	238,204.25		
60c	जिसका कि: कुल परिचालन जोखिम भारित संपत्ति	186,700.43		



56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	973.48		f4
57	Total regulatory adjustments to Tier 2	1,939.74		
58	Tier 2 capital (T2)	87,236.43		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	87,236.43		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	87,236.43		
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	365,719.60		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts subject to Pre-Basel III Treatment			
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	3,433,910.56		
60a	of which: total credit risk weighted assets	3,009,005.88		
60b	of which: total market risk weighted assets	238,204.25		
60c	of which: total operational risk weighted assets	186,700.43		



पूँजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	7.45%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	8.11%		
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में)	10.65%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता प्लस पूँजी संरक्षण और काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकताओं, जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%		
65	जिसका: पूँजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%		
66	जिसका: बैंक विशिष्ट काउंटरसिक्लिक्ल बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसका: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	(जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत के रूप में) बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1	0.00		
राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल III से अगर भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से अगर भिन्न है तो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III के न्यूनतम से भिन्न है तो)	9.00%		
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	18,139.60		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	2,061.27		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00		
टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर लागू ऊपरी सीमा				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	24,527.99		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन पर ऊपरी सीमा	37,612.57		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (ऊपरी सीमा के आवेदन से पहले) के विषयक एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में समावेशन हेतु पात्र प्रावधान	0.00		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन हेतु ऊपरी सीमा	0.00		



Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.45%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.11%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.65%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	18,139.60		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	2,061.27		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	24,527.99		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	37,612.57		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00		



समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत (सिर्फ मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2022 के बीच लागू)				
80	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	लागू नहीं		
81	ऊपरी सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	लागू नहीं		
82	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	11,127.20		
83	ऊपरी सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	4,768.80		
84	समाप्त किए जाने की व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू ऊपरी सीमा	15,277.53		
85	ऊपरी सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई राशि (शोधनों और परिपक्वता के बाद ऊपरी सीमा से अधिक)	6,547.51		

Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	11,127.20		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	4,768.80		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	15,277.53		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	6,547.51		



तालिका डीएफ – 12 : पूंजी का संघटन – समाधान की आवश्यकताएं

पहला चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	विनियामक समेकन दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र
		31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2015 तक
A	पूंजी व देयताएं		
i	चुक्ता पूंजी	4,751.97	4,751.97
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	320,165.11	315,493.77
	अल्पांश ब्याज	3,786.51	1,203.24
	कुल पूंजी	328,703.59	321,448.98
ii	जमा	4,737,249.90	4,737,488.05
	जिसमें: बैंक से जमा	292,078.70	292,078.71
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,123,566.57	1,124,943.01
	जिसमें: सावधि जमा – अन्य	3,321,604.63	3,320,466.33
iii	उधार	257,628.21	257,628.21
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें: बैंकों से	117,700.03	117,700.03
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	19,156.97	19,156.97
	जिसमें: गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	120,771.21	120,771.21
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	261,993.77	167,591.03
	कुल	5,585,575.47	5,484,156.27
B	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गये नकद व शेष	219,767.63	219,722.62
	बैंकों के साथ रखा गया शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	266,707.97	266,621.62
ii	निवेश	1,554,064.65	1,454,345.93
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,281,059.15	1,255,786.48
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,821.52	14.99
	जिसमें: शेयर	64,847.71	17,226.07
	जिसमें: डिबेंचर व बॉन्ड	87,349.14	72,786.58
	जिसमें: सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी	8,614.99	6,730.07
	जिसमें: अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	110,372.14	101,801.74
iii	ऋण व अग्रिम	3,302,938.70	3,302,938.70
	जिसमें: बैंकों को ऋण व अग्रिम	24.97	24.97
	जिसमें: ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,302,913.73	3,302,913.73
iv	नियत आस्तियां	69,699.89	69,539.82
	जिसमें: अमूर्त आस्तियां	706.16	706.16
v	अन्य आस्तियां	172,396.63	170,987.58
	जिसमें: आस्थगित कर आस्तियां	शून्य	शून्य
vi	साख समेकन	शून्य	शून्य
vii	लाभ व हानि खाता में नामे शेष	शून्य	शून्य
	कुल आस्ति	5,585,575.47	5,484,156.27



TABLE DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS

Step 1

(₹in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements As at 31st March 2015	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation As at 31st March 2015
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	4,751.97	4,751.97
	Reserves & Surplus	320,165.11	315,493.77
	Minority Interest	3,786.51	1,203.24
	Total Capital	328,703.59	321,448.98
ii	Deposits	4,737,249.90	4,737,488.05
	of which: Deposits from banks	292,078.70	292,078.71
	of which: Customer deposits	1,123,566.57	1,124,943.01
	of which: Term Deposits – Others	3,321,604.63	3,320,466.33
iii	Borrowings	257,628.21	257,628.21
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	117,700.03	117,700.03
	of which: From other institutions & agencies	19,156.97	19,156.97
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	120,771.21	120,771.21
iv	Other liabilities & provisions	261,993.77	167,591.03
	Total	5,585,575.47	5,484,156.27
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	219,767.63	219,722.62
	Balance with banks and money at call and short notice	266,707.97	266,621.62
ii	Investments:	1,554,064.65	1,454,345.93
	of which: Government securities	1,281,059.15	1,255,786.48
	of which: Other approved securities	1,821.52	14.99
	of which: Shares	64,847.71	17,226.07
	of which: Debentures & Bonds	87,349.14	72,786.58
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	8,614.99	6,730.07
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	110,372.14	101,801.74
iii	Loans and advances	3,302,938.70	3,302,938.70
	of which: Loans and advances to banks	24.97	24.97
	of which: Loans and advances to customers	3,302,913.73	3,302,913.73
iv	Fixed assets	69,699.89	69,539.82
	of which: Intangible Assets	706.16	706.16
v	Other assets	172,396.63	170,987.58
	of which: Deferred tax assets	NIL	NIL
vi	Goodwill on consolidation	NIL	NIL
vii	Debit balance in Profit & Loss account	NIL	NIL
	Total Assets	5,585,575.47	5,484,156.27



दूसरा चरण

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
(ए)	पूंजी व देयताएं	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2015 तक	
i	चुकता पूंजी	4,751.97	4,751.97	
	सीईटी 1 के लिये पात्र राशि	4,751.97	4,751.97	ए1
	जिसमें: एटी 1 के लिये पात्र राशि	0.00	0.00	
	आरक्षित निधि व अतिरिक्त निधि	320,165.11	315,493.77	
	जिसमें:			
	– वैधानिक आरक्षित निधि	80,326.10	80,326.10	बी1
	– शेयर प्रीमियम	34,001.38	32,751.38	ए2
	– पूंजी भंडार	14,786.71	14,786.71	बी2
	– राजस्व भंडार	89,812.88	86,394.05	बी3
	– विशेष भंडार	40,000.00	40,000.00	बी4
	– विदेशी मुद्रा भंडार	1,493.62	1,493.62	
	– पुनर्मूल्यांकित भंडार	54,058.51	54,058.51	एल3 (45%)
	– निवेश आरक्षित निधि खाता	5,658.00	5,658.00	एल2
	– विचारार्थ पूंजी भंडार	27.91	25.40	
	– लाभा हानि खाता शेष	0.00	0.00	
	अल्पांश ब्याज	3,786.51	1,203.24	
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए पात्र		187.50	सी1
	जिसमें: सामान्य इक्विटी टीयर 2 के लिए पात्र		35.16	सी2
	जिसमें: टीयर 2 के लिए पात्र		44.32	सी3
	कुल पूंजी	328,703.59	321,448.98	
ii	जमा	4,737,249.90	4,737,488.05	
	जिसमें: बैंकों से जमा	292,078.71	292,078.71	
	जिसमें: ग्राहक जमा	1,123,566.57	1,124,943.01	
	जिसमें: सावधि जमा – अन्य	3,321,604.62	3,320,466.33	
iii	उधार	257,628.21	257,628.21	
	जिसमें: भा.रि.बैंक से	0.00	0.00	
	जिसमें: बैंकों से	117,700.03	117,700.03	
	जिसमें: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से	19,156.97	19,156.97	
	जिसमें: गैर प्रतिभूतिकृत प्रतिदेय बॉन्ड	120,771.21	120,771.21	
	जिसमें: पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत	11,127.20	11,127.20	आई1
	जिसमें: समाप्त नहीं कीए जानेवाले पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत	15,000.00	15,000.00	आई2
	जिसमें: पात्र टीयर II बॉन्ड	15,277.53	15,277.53	के1
	जिसमें: समाप्त नहीं किए जाने वाले पात्र टीयर II बॉन्ड	25,000.00	25,000.00	के2



Step 2

(₹ in Million)

		Balance sheet as in Financial Statements	Balance sheet under regulatory scope of Consolidation	Ref No.
A	Capital & Liabilities	As at 31st March, 2015	As at 31st March, 2015	
i	Paid-up Capital	4,751.97	4,751.97	
	of which: Amount eligible for CET1	4,751.97	4,751.97	a1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
	Reserves & Surplus	320,165.11	315,493.77	
	of which:			
	- Statutory Reserve	80,326.10	80,326.10	b1
	- Share Premium	34,001.38	32,751.38	a2
	- Capital Reserve	14,786.71	14,786.71	b2
	- Revenue Reserve	89,812.88	86,394.05	b3
	- Special Reserve	40,000.00	40,000.00	b4
	- Foreign Currency Translation Reserve	1,493.62	1,493.62	
	- Revaluation Reserve	54,058.51	54,058.51	l3 (45%)
	- Investment Reserve Account	5,658.00	5,658.00	l2
	- Capital Reserve on Consolidation	27.91	25.40	
	- Balance in Profit and Loss Account	0.00	0.00	
	Minority Interest	3,786.51	1,203.24	
	of which eligible for Common Equity Tier 1		187.50	c1
	of which eligible for Additional Tier 1		35.16	c2
	of which eligible for Tier 2		44.32	c3
	Total Capital	328,703.59	321,448.98	
ii	Deposits	4,737,249.90	4,737,488.05	
	of which: Deposits from banks	292,078.71	292,078.71	
	of which: Customer deposits	1,123,566.57	1,124,943.01	
	of which: Term Deposits - Others	3,321,604.62	3,320,466.33	
iii	Borrowings	257,628.21	257,628.21	
	of which: From RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	117,700.03	117,700.03	
	of which: From other institutions & agencies	19,156.97	19,156.97	
	of which: Unsecured Redeemable Bonds	120,771.21	120,771.21	
	of which: Eligible AT 1 Instruments	11,127.20	11,127.20	i1
	of which: Eligible AT 1 Instruments not subject to phased out	15,000.00	15,000.00	i2
	of which: Eligible Tier II Bonds	15,277.53	15,277.53	k1
	of which: Eligible Tier II Bonds not subject to phased out	25,000.00	25,000.00	k2



iv	जिसमें: समाप्त नहीं किए जाने वाले पात्र टीयर II बॉड	261,993.77	167,591.03	
	अन्य देयताएं व प्रावधान	0.00	0.00	
	जिसमें: साख से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	जिसमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	18,726.99	18,726.99	एल1
	जिसमें: मानक आस्ति प्रावधान	143.00	143.00	एल4
	कुल	5,585,575.47	5,484,156.27	
बी	आस्ति			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष	219,767.63	219,722.62	
	बैंकों के साथ रखी गई राशि तथा मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय	266,707.97	266,621.62	
ii	निवेश	1,554,064.65	1,454,345.93	
	जिसमें: सरकारी प्रतिभूतियां	1,281,059.15	1,255,786.48	
	जिसमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,821.52	14.99	
	जिसमें: शेयर	64,847.71	17,226.07	
	जिसमें: सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	291.41	291.41	ई
	जिसमें डिबेंचर व बॉन्ड	87,349.14	72,786.58	
	जिसमें: एटी 1 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	3,974.07	3,974.07	जे
	जिसमें: स्तर 2 पूंजी लिखतों में पात्र विपरीत प्रतिधारिता	1,610.43	1,610.43	एम
	जिसमें: सहायक/ संयुक्त उद्यम/ सहभागी	8,614.99	6,730.07	
	जिसमें: असम्मिलित बीमा सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	4,845.00	4,845.00	जी=
	जिसमें: असम्मिलित गैर वित्तीय सहायकों की इक्विटी पूंजी में निवेश	22.40	22.40	एफ1+एफ2+ एफ3+एफ4
	जिसमें : अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	110,372.14	101,801.74	
iii	ऋण व अग्रिम	3,302,938.70	3,302,938.70	
	जिसमें : बैंकों को ऋण व अग्रिम	24.97	24.97	
	जिसमें : ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	3,302,913.73	3,302,913.73	
iv	नियत आस्तियां	69,699.89	69,539.82	
	जिसमें : अमूर्त आस्तियां	706.16	706.16	डी
v	अन्य आस्तियां	172,396.63	170,987.58	
	जिसमें : साख व अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	जिसमें : आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	
	जिसमें : अपरिशोधित पेंशन व उपदान	0.00	0.00	एच
vi	जिसमें: साख समेकन	0.00	0.00	
vii	जिसमें : लाभ व हानि खाता में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्ति	5,585,575.47	5,484,156.27	



iv	Other liabilities & provisions	261,993.77	167,591.03	
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Standard Assets Provision	18,726.99	18,726.99	l1
	of which: Country Risk Provision	143.00	143.00	l4
	Total	5,585,575.47	5,484,156.27	
B	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	219,767.63	219,722.62	
	Balance with banks and money at call and short notice	266,707.97	266,621.62	
ii	Investments	1,554,064.65	1,454,345.93	
	of which: Government securities	1,281,059.15	1,255,786.48	
	of which: Other approved securities	1,821.52	14.99	
	of which: Shares	64,847.71	17,226.07	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in CET 1 Capital instruments	291.41	291.41	e
	of which: Debentures & Bonds	87,349.14	72,786.58	
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in AT1 capital instruments	3,974.07	3,974.07	j
	of which: Eligible Reciprocal Cross Holding in Tier 2 capital instruments	1,610.43	1,610.43	m
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	8,614.99	6,730.07	
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	4,845.00	4,845.00	g= f1+f2+f3+f4
	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Non financial subsidiaries	22.40	22.40	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	110,372.14	101,801.74	
iii	Loans and advances	3,302,938.70	3,302,938.70	
	of which: Loans and advances to banks	24.97	24.97	
	of which: Loans and advances to customers	3,302,913.73	3,302,913.73	
iv	Fixed assets	69,699.89	69,539.82	
	of which: Eligible amount of Intangible assets	706.16	706.16	d
v	Other assets	172,396.63	170,987.58	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	of which: Deferred tax assets	0.00	0.00	
	of which: Unamortised Pension and Gratuity	0.00	0.00	h
vi	of which: Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	of which: Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	5,585,575.47	5,484,156.27	



चरण 3

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का सार (जोड़े गये कॉलम के साथ) – सारणी डीएफ-11
(भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)

सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: लिखत व रिज़र्व

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूंजी का घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक स्कोप के तहत बैलेंस शीट के सन्दर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत
1	अर्हकारी सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी हेतु समतुल्य) पूंजी प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष प्रत्यक्ष रूप से जारी किया गया	37,503.35	ए1+ए2
2	प्रतिधारित उपार्जन	221,506.86	बी1+बी2+बी3+बी4
3	अन्य व्यापक आय संचित किया (और अन्य रिज़र्व)	-	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध करने के विषयक प्रत्यक्ष रूप से पूंजी जारी की (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनी पर लागू)	-	
5	सहायक कंपनियों द्वारा सामान्य शेयर पूंजी जारी किया और तृतीय पक्ष द्वारा रखा गया (समूह सीईटी 1 में राशि को अनुमत किया गया)	187.50	सी 1
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	259,197.71	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8	सुनाम (संबंधित कर दायित्व का निवल)	-	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I/ Part II whichever applicable)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference number/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	37,503.35	a1+a2
2	Retained Earnings	221,506.86	b1+b2+b3+b4
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	187.50	c1
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	259,197.71	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	



तालिका डीएफ-13: नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1. लिखत: इक्विटी शेयर

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन - आईएनई 476ए01014
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग कम्पनी (उद्यमों का अर्जन व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
5	परिवर्तन-पश्चात बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
6	एकल/ सामूहिक /सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	इक्विटी शेयर
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4,751.97
9	लिखत का सममूल्य	4,751.97 (अंकित मूल्य - 10 रुपये)
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी
11	जारी होने की मूल तिथि	निम्न अनुलग्नक में दी गई विभिन्न तारीख
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	लागू नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	लागू नहीं
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं



DF – 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

1. INSTRUMENT: Equity Shares

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN - INE476A01014
3	Governing law(s) of the instrument	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Equity Shares
8	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent - reporting date)	4,751.97
9	Par value of instrument	4,751.97 (Face Value – ₹10/- per share)
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various dates as given in the annexure below
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable



29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, लेखन प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	अधिकतर अधीनस्थ दावे परिशोधन में/
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

अनुबंध:

क्रमां	वर्ष	विवरण	इक्विटी शेयरों का संचयी संख्या
1	31.03.1999	भारत सरकार द्वारा धारित	300,000,000
2	14.12.2002	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) इक्विटी शेयरों का स्थानन	410,000,000
3	15.03.2011	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	443,000,000
4	31.12.2013	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	461,258,837
5	31.03.2015	भारत सरकार को अधिमानी आबंटन	475,196,971



28	If Convertible, specify instrument type convertible into	
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Represents the most subordinated claim in liquidation
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Annexure:

Sl No	Year	Particulars	Cumulative number of Equity Shares
1	31.03.1999	Held by Government of India	300,000,000
2	14.12.2002	Initial Public Offer (IPO) Placement of Equity Shares	410,000,000
3	15.03.2011	Qualified Institutional Placement (QIP)	443,000,000
4	31.12.2013	Preferential Allotment to Government of India	461,258,837
5	31.03.2015	Preferential Allotment to Government of India	475,196,971



2. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) – स्तर I (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09207
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,682.10
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	30/03/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



2. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09207
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,682.10
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30/03/2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30/03/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



3. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)- स्तर I (सीरीज II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09215
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	4,200.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	21/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	21/08/2019
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.10
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



3. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09215
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,200.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	21/08/2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21/08/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
<i>Coupons / dividends</i>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



4. लिखत: नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)- स्तर I (सीरीज III)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09223
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त स्तर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	5,245.10
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03/08/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	03/08/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.05
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा, निवेशकों के इक्विटी शेयर में इक्विटी के दावे से उच्च होगा तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



4. INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Tier I (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09223
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,245.10
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03/08/2010
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03/08/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors Issuance/Trading in Dematerialized form.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



5. लिखत: बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टीयर I

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए08035
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	अतिरिक्त टायर 1
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	बेमियादी कर्ज लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	05/03/2015
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	05/03/2025
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.55
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	संपूर्ण विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	बासेल III पर भा.रि.बै. दिशानिर्देशों अनुसार
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों का दावा इक्विटी शेयरों व बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयरों में निवेशकों के दावों से उच्च होगा। बी) जमाकर्ताओं के गौण दावे, सामान्य उधारदाताओं व बैंक के गौण ऋण तथा सी) जारीकर्ता की गारंटी द्वारा सुरक्षित व कवर नहीं है तथा संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था जो दावा व उधारकर्ता के प्रतिकूल विधिक या आर्थिक वरीयता वर्धित करता है।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



5. INSTRUMENT: Basel III Compliant Additional Tier I

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A08035
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	05/03/2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05/03/2025
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.55
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down triggers (s)	As per RBI guidelines on Basel III
32	If write-down, full or partial	As per RBI guidelines on Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	As per RBI guidelines on Basel III
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines on Basel III
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (b) subordinated to claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legal or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



6. लिखत: ऊपरी स्तर बॉन्ड II (सीरीज I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09157
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	700.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	16/09/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/09/2021
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	16/09/2016
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



6. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09157
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	700.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16/09/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16/09/2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	16/09/2016
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



7. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए09165
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	700.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	23/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	23/03/2022
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	23/03/2017
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	10.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



7. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09165
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	700.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	23/03/2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	23/03/2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	23/03/2017
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



8. लिखत: ऊपरी स्तर II बॉन्ड (सीरीज III)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसई476ए09231
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	स्तर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर २ पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	7,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	29/09/2025
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	29/09/2020
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद वापसी का विकल्प है
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.62
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधिकार
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



8. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (Series III)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09231
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	7,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29/09/2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29/09/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	29/09/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.62
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



9. लिखत: अपर टीयर II बॉन्ड (एफ सी बॉन्ड्स)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक की लंदन शाखा के माध्यम से
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएसआईएन एक्सएस0276148847
3	लिखत के लिये लागू नियम	अंग्रेजी कानून
	विनियामक व्यवस्था	
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व सामूहिक
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी स्तर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	2,187.53
9	लिखत का सममूल्य	USD 100
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी होने की मूल तिथि	27/11/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	28/11/2021
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	हां
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	28/11/2016
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	6.3650 (यूएस- ट्रेजरी)
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	अनिवार्य
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि स्थाई अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इक्विटी से उपर या उच्च
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



9. INSTRUMENT: Upper Tier II Bonds (FC Bonds)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK through its London Branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	ISIN XS0276148847
3	Governing law(s) of the instrument	English Law
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Upper Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,187.53
9	Par value of instrument	USD 100
10	Accounting classification	Borrowing
11	Original date of issuance	27/11/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28/11/2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28/11/2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.3650 (US-Treasury)
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Senior to Equity
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



10. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला VIII)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09124
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	29/09/2005
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	29/04/2015
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	7.40
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



10. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series VIII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09124
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	29/09/2005
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	29/04/2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.40
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



11. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला IX)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09132
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	01/03/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	01/05/2015
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.15
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



11. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series IX)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09132
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	01/03/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	01/05/2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.15
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



12. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला IX ए)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09140
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	805.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	15/09/2006
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	15/09/2016
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.85
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



12. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series IX A)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09140
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	805.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	15/09/2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	15/09/2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.85
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



13. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला X)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09173
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	560.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	30/03/2007
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	30/03/2017
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.90
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



13. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series X)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09173
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	560.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	30/03/2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30/03/2017
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.90
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



14. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला XI)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09181
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,960.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	09/01/2008
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	09/01/2018
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.00
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



14. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XI)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09181
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,960.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	09/01/2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	09/01/2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



15. लिखत: निम्न स्तरीय II बॉर्डर (श्रृंखला XII)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अद्वितीय पहचानकर्ता (उदाहरणस्वरूप, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09199
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	1,365.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	16/01/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	16/01/2019
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	8.08
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



15. INSTRUMENT: Lower Tier II Bonds (Series XII)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09199
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,365.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	16/01/2009
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16/01/2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.08
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



16. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (श्रृंखला I)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09249
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	15,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	03/01/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	03/01/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	नियत
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.73
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचर्इ
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधीनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं



16. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series I)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09249
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	15,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	03/01/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03/01/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.73
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable



17. लिखत: बेसल III के अनुरूप टीयर II बॉन्ड्स (श्रृंखला II)

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं का प्रकटीकरण		
1	जारीकर्ता	केनरा बैंक
2	अनोखा पहचानकर्ता (उदाहरण सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्ति के लिये ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई476ए09256
3	लिखत के लिये लागू नियम	बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
विनियामक व्यवस्था		
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर 2
5	परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	टीयर 2
6	एकल/सामूहिक/सामूहिक व एकल पर पात्र	एकल व समूह
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 ऋण विलेख
8	विनियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (हाल की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, रुपया मिलियन में)	10,000.00
9	लिखत का सममूल्य	1,000,000.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयताएं
11	जारी होने की मूल तिथि	27/03/2014
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	27/03/2024
14	निगरानी पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा वापसी	नहीं
15	वैकल्पिक वापसी तिथि, आकस्मिक वापसी तिथियां तथा प्रतिदेय राशि	लागू नहीं
16	उत्तरोत्तर वापसी तिथियां, अगर लागू हों तो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
17	नियत या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थायी
18	कूपन दर तथा अन्य संबंधित सूचक	9.70
19	लाभांश रोकनेवाले का अस्तित्व	नहीं
20	संपूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्यता	आंशिक विवेकाधीन
21	वर्धक या अन्य प्रतिदेय प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी या संचयी	गैर संचयी



17. INSTRUMENT: BASEL III Compliant Tier II Bonds (Series II)

Disclosure for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	CANARA BANK
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE476A09256
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Tier 2
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000.00
9	Par value of instrument	1,000,000.00
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	27/03/2014
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27/03/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.70
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative



23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय, लिखत प्रकार का उल्लेख करें जिसमें परिवर्तन किया जाना है	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तित होना है उस लिखत के जारीकर्ता	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन, प्रलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिशोधन में अधिनस्थ पदानुक्रम (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखतों में निवेशकों के दावे, टीयर 1 पूंजी में समावेशन हेतु पात्र लिखत और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ से उच्च होंगे।
36	गैर-अनुपालन परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

सारणी डी एफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम व शर्तें

विनियामक पूंजी लिखतों के संपूर्ण नियम व शर्तों के सम्बन्ध में प्रकटीकरण 'नियामक प्रकटीकरण धारा' के तहत बैंक के वेबसाइट पर अलग से दी गई है। इस धारा के लिए लिंक है: <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIDisclosures.aspx>

सामान्य जानकारी के रूप में नोट करें:

जहाँ भी आवश्यक हुआ, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।



23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If Convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If Convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If Convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If Convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If Convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If Convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Not Applicable
31	If write-down, write-down triggers (s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all depositors and general creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

TABLE DF – 14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosures pertaining to full terms and conditions of regulatory Capital Instruments have been disclosed separately on the Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. The link to this section is <http://www.canarabank.com/English/Scripts/BaselIIIDisclosures.aspx>

Note as general information:

Figures of the previous year have been regrouped/rearranged/reclassified wherever necessary.



यया 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2015	31.03.2014
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	2702.63	2438.19
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAX	795.00	625.00
मूल्यहास / DEPRECIATION	427.06	228.47
निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि / LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	103.48	160.75
अनर्जक आस्तियों के लिए तथा उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान / PROVISION FOR DIMINUTION IN FAIR VALUE AND NPAs	3729.46	2128.72
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR STANDARD ASSETS	153.73	478.41
टियर I व टियर II बांडों पर ब्याज / INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	937.15	820.34
आकस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान / PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	227.40	433.46
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	-1.36	-1.10
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC.	-81.16	-70.25
निवेश मूल्यहास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION/ (APPRECIATION)	-657.85	692.42
उप कुल / SUB TOTAL	5632.91	5496.22
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN INVESTMENTS	-17833.48	-6518.92
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (INCREASE) / DECREASE IN ADVANCES	-32722.55	-60897.19
उधारों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN BORROWINGS	-2360.21	4522.72
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN DEPOSITS	53117.28	64866.83
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (INCREASE) / DECREASE IN OTHER ASSETS	-2872.48	-250.89
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / INCREASE / (DECREASE) IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	482.99	1078.23
	-2188.45	2800.79
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / LESS: ADVANCE TAX PAID	1600.00	1200.00
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद (क) / CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	4547.09	9535.20
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	81.16	70.25
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश / INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC	-130.07	-29.68
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निधियों का निवल आगमन / बहिर्गमन / NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	-825.99	-541.20
निवेश गतिविधियों से सृजित नकद (ख) / CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-874.90	-500.63
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
नए सिरे से पूँजी का निर्गम / FRESH ISSUE OF CAPITAL	13.94	18.26
शेयरों के निर्गम से प्राप्त प्रीमियम / PREMIUM RECEIVED ON ISSUE OF SHARE	556.06	481.74
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी / DIVIDEND AND DDT PAID	-293.80	-1024.77
टियर I व टियर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	-937.15	-820.34



अधीनस्थ ऋण सहित नए बांडों के निर्गम / FRESH ISSUE OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	801.14	2424.55
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकद (ग) / CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	140.19	1079.44
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि / (कमी) / NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	3812.38	10114.01
अथ नकद व नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	44828.71	34714.70
इति नकद व नकद समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	48641.09	44828.71
नोट / Notes: नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice		
नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2015	31.03.2014
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	21971.95	22153.78
अल्प सूचना व माँग पर व बैंकों के साथ शेष / BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	26669.14	22674.93
कुल / TOTAL	48641.09	44828.71

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यकारी अधिकारी – अतिरिक्त प्रभार)

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

राकेश जैन
साझेदार

श्यामल कुमार नायक
साझेदार

आशिश अग्रवाल
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

बेंगलूरु
25 मई, 2015

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL
HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM
BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

RAKESH JAIN
Partner

SYAMAL KUMAR NAYAK
Partner

ASHISH AGARWAL
Partner

VINAY KUMAR
AGRAWAL
Partner

K SIVA SUBRAMANYA
PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

Bengaluru
MAY 25, 2015



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2014-2015

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल केनरा बैंक

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

1. हमने केनरा बैंक (इसके पश्चात इसे बैंक" संदर्भित किया जाएगा) की समेकित वित्तीय विवरणी की लेखा-जांच की है, जिसमें इसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थानों व संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों (सबको साथ में समूह" संदर्भित किया जाएगा) की वित्तीय विवरणी शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणी में यथा मार्च 2015 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता, उस तिथि पर वर्षांत के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचनाएं (इसके बाद इसे समेकित वित्तीय विवरणी" संदर्भित किया जाएगा) शामिल हैं। उपरोक्त उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणी में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है :

- हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित केनरा बैंक की वित्तीय विवरणी।
- अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा सात (7) अनुषंगियों, तीन(3) सहबद्ध संस्थानों तथा एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणी।

समेकित वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व :

2. बैंक का प्रबंधन तंत्र भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों, जो भी लागू हो, सहित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिससे समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन, व समेकित नकद प्रवाह की सही व सत्य झलक प्रस्तुत की जा सके। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-रेखा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं, समूह में शामिल निकायों के संबंधित प्रबंधन की इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने व निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, उचित लेखांकन नीति का चयन व लागू किया जाना, विवेकपूर्ण फैसले व अनुमान, व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रूपांकन, कार्यावयन व रखरखाव शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता व सटीकता सुनिश्चित करते हैं तथा वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors
Canara Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Canara Bank (hereinafter referred to as "the Bank"), in which are incorporated the financial statements of its subsidiaries, associates, and jointly controlled entity (together referred to as "the Group"). The consolidated financial statements comprise of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2015, the Consolidated Profit & Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date annexed thereto, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements"). In the Consolidated Financial Statements referred to hereinabove are incorporated:

- Audited financial statements of Canara Bank audited by us.
- Audited financial statements of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Jointly Controlled Entity audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Bank's management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), as applicable, and the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The respective management of the entities included in the Group are responsible for maintaining adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the



जो सत्य व निष्पक्ष झलक प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी या दोष जनित अशुद्धियां रहित हैं, जो उपरोक्त वर्णित के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया गया है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

3. बैंक के लेखा की लेखा-जांच के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा दायित्व है। लेखा परीक्षा आयोजित करते समय हमने लागू लेखांकन मानकों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों को ध्यान में रखा है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाया जाना होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वस्तुपरक अपकथन जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक, बैंक की समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की रूप-रेखा तैयार करने हेतु विचार करते हैं न कि बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रभावोत्पादकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षा में, प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता व बैंक के प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणी के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हम मानते हैं कि हमने लेखा परीक्षा पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए निम्नवत प्रस्तुत अन्य मामले' अनुच्छेद में संदर्भित उनके रिपोर्ट के संबंध में जो साक्ष्य एकत्रित किया है वह पर्याप्त और समुचित है तथा समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा-परीक्षा विचार के लिए आधार प्रदान करता है।

5. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के प्रबंधन तंत्र द्वारा तैयार समेकित वित्तीय विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-21- समेकित वित्तीय विवरणी",

accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the management of the Bank, as aforesaid.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit of the accounts of the Bank. While conducting the audit we have taken into account the applicable accounting standards and the standards of auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal financial control relevant to the Bank's preparation and presentation of the consolidated financial statements that gives a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness on the Bank's internal financial controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the management of the Bank in accordance with the requirement of the accounting



लेखांकन मानक (एएस)-23 समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन” तथा लेखांकन मानक (एएस) 27-संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग” की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

अन्य मामले

6. हमने सात (7) अनुषंगियों (जिनकी वित्तीय विवरणी वर्षांत के लिए यथा 31 मार्च 2015 को ₹11562.21 करोड़ की कुल आस्ति, ₹395.52 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹41.29 करोड़ का निवल नकद प्रवाह दर्शाती है), तीन (3) सहबद्ध संस्थाओं (जिनकी वित्तीय विवरणी वर्षांत के लिए यथा 31 मार्च 2015 को ₹35993.47 करोड़ की कुल आस्ति, ₹3373.82 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹1035.03 करोड़ का निवल नकद प्रवाह दर्शाती है) तथा एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय (जिसकी वित्तीय विवरणी वर्षांत के लिए यथा 31 मार्च 2015 को ₹571.53 करोड़ की कुल आस्ति, ₹45.55 करोड़ का कुल राजस्व तथा ₹20.50 करोड़ का निवल नकद प्रवाह दर्शाती है) की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है। हमें बैंक के प्रबंधन तंत्र द्वारा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई इन वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक उपरोक्त कथित अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थानों व संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारे विचार की बात है तो यह अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर पूर्णरूपेण निर्भर हैं।

ध्यान देने योग्य बातें

7. अनुसूची 19: हम निम्नलिखित के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणी के लेखा पर टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:
 - i. नोट 16, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांकित 27 जून 2014 द्वारा अनुमति के अनुसार राजस्व आरक्षित निधि से एकबारगी उपाय के तौर पर प्रत्यक्षतः पिछली अवधि एफआईटीएल के लेखा पर विविध देयताएं (ब्याज पूंजीकरण) जमा करते समय विवरण प्रदान करता है।
 - ii. नोट 17 (ए), (बी) जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 9 फरवरी 2011 द्वारा अनुमति के अनुसार पेंशन व उपदान देयताओं के परिशोधन के संबंध में वर्ष के दौरान पहचान व समायोजन का विवरण प्रदान करता है।
 - iii. नोट 20, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांकित 15 मई 2015 द्वारा अनुमति के अनुसार कतिपय अनर्जक वाले अग्रियों के लिए ₹801.07 करोड़ के भिन्नकालिक प्रावधान का विवरण प्रदान करता है।

Standard (AS) 21-“Consolidated Financial Statements”, Accounting Standard (AS) 23-“Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard (AS) 27 –“Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

6. We did not audit the financial statements of Seven (7) subsidiaries (whose financial statements reflect total assets of Rs.11562.21 Crore as at 31st March 2015, total revenues of Rs.395.52 Crore and net cash flows of Rs.41.29 Crore for the year then ended), Three (3) Associates (whose financial statements reflect total assets of Rs.35993.47 Crore as at 31st March 2015, total revenues of Rs.3373.82 Crore and net cash flows of Rs.1035.03 Crore for the year then ended) and One (1) Jointly Controlled Entity (whose financial statements reflect total assets of Rs.571.53 Crore as at 31st March 2015, total revenues of Rs.45.55 Crore and net cash flows of Rs.20.50 Crore for the year then ended). These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Bank’s management, and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, associates and jointly controlled entity, is based solely on the report of the other auditors.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to Schedule 19: Notes on Accounts of the Consolidated Financial Statements, regarding:
 - i) Note 16, which provide details of crediting Sundry Liability (Interest Capitalization) on account of past period FITL directly from the Revenue Reserve as a one time measure, as permitted by Reserve Bank of India vide their letter dated June 27, 2014.
 - ii) Note 17 (a),(b), which provide details of identification and adjustment during the year regarding amortization of pension and gratuity liability as permitted by Reserve Bank of India vide their circular dated February 9, 2011.
 - iii) Note 20, which provide details of staggering of provision of Rs.801.07 crore for certain non-performing advances as permitted by Reserve Bank of India vide their letter dated May 15, 2015.



iv. नोट 18, जो ₹ 7.54 करोड़ के कर्मचारी लाभ के लघु प्रावधान का विवरण प्रदान करता है।

v. नोट 19, जो ₹28.15 करोड़ के द्विपक्षीय समझौता के लघु प्रावधान का विवरण प्रदान करता है।

इस मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

विचार

8. हमारे विचार में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित समेकित तुलन पत्र, सभी आवश्यक विवरणों सहित संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसे सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च 2015 को समूह के सही और निष्पक्ष कार्य व्यवहारों को भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार दर्शाया जा सके;

ii. लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसमें प्रावर्तित वर्ष के लिए समूह के लाभ का सही संतुलन भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार दर्शाता है; तथा

iii. समेकित नकद प्रवाह विवरणी द्वारा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण किया गया है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. i. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा को बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र क्रमशः 'क' व 'ख' में तैयार किया गया है।

ii. हमारे विचार में, समूह के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरणी प्रचलित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

iv) Note 18, which provide details of short provision of Employee Benefits of Rs. 7.54 crore.

v) Note 19, which provide details of short provision of Bipartite Settlement of Rs. 28.15 crore.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) the Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit of the Group, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. i) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

ii) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement of the Group comply with the applicable Accounting Standards.

कृते पी चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 004957एन (राकेश जैन) साझेदार सदस्यता संख्या : 087925	कृते ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 306109ई (पियाली बासु) साझेदार सदस्यता संख्या : 054704	कृते एस सी वासुदेव एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 000235एन (आशीष अग्रवाल) साझेदार सदस्यता संख्या : 093790
कृते विनय कुमार एण्ड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 000719सी (विनय कुमार अग्रवाल) साझेदार सदस्यता संख्या : 013795	कृते राम राज एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 002839एस (के सिव सुब्रमण्य प्रसाद) साझेदार सदस्यता संख्या : 024456	कृते वी के निरंजन एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 002468एस (निरंजन वी के) साझेदार सदस्यता संख्या : 021432

For P. Chopra & Co. Chartered Accountants FRN : 004957N (Rakesh Jain) Partner Membership No. 087925 For Vinay Kumar & Co. Chartered Accountants FRN : 000719C (Vinay Kumar Agrawal) Partner Membership No.013795	For A.R. Das & Associates Chartered Accountants FRN : 306109E (Piyali Basu) Partner Membership No.054704 For Ram Raj & Co. Chartered Accountants FRN : 002839S (K Siva Subramanya Prasad) Partner Membership No.024456	For S. C. Vasudeva & Co. Chartered Accountants FRN : 000235N (Ashish Agarwal) Partner Membership No.093790 For V K Niranjana & Co. Chartered Accountants FRN : 002468S (Niranjana V K) Partner Membership No.021432
---	---	--

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 मई 2015

Place: Bengaluru
Date: 25th May, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	475 19 70	461 25 88
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	32016 51 10	29715 00 30
अल्पसंख्यक हित / MINORITY INTEREST	2A	378 65 11	313 55 42
जमा / DEPOSITS	3	473724 98 98	420603 67 99
उधार / BORROWINGS	4	25762 82 06	27309 72 44
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	26199 37 74	22686 36 90
जोड़ / TOTAL		558557 54 69	501089 58 93
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	21976 76 34	22161 02 91
बैंकों में शेष और माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	26670 79 73	22710 55 07
निवेश / INVESTMENTS	8	155406 46 45	135445 35 48
अग्रिम / ADVANCES	9	330293 86 96	301326 01 63
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	6969 98 89	6661 97 62
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	17239 66 32	12784 66 22
जोड़ / TOTAL		558557 54 69	501089 58 93
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	275666 83 26	223360 25 36
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		21903 47 31	16268 91 63
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यकारी अधिकारी – अतिरिक्त प्रभार)

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमारेन
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

राकेश जैन
साझेदार

पियाली बसु
साझेदार

आशिष अग्रवाल
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

बेंगलूरु
25 मई, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	43813 37 23	39570 16 50
अन्य आय / OTHER INCOME	14	4733 44 70	4143 67 68
जोड़ / TOTAL		48546 81 93	43713 84 18
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	34133 12 36	30605 53 39
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	7266 02 70	6116 25 13
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		4289 64 91	4402 53 34
जोड़ / TOTAL		45688 79 97	41124 31 86
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन की हिस्सेदारी / SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	73 03 38	82 74 06
अल्पसंख्यक हित हटाने से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		2931 05 34	2672 26 38
घटाएँ: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि) / LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		66 38 56	42 09 47
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		2864 66 78	2630 16 91
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVE		682 97 00	652 20 00
पूंजी आरक्षित निधियाँ / CAPITAL RESERVE		122 40 00	87 50 00
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		360 80 00	
विशेष आरक्षित निधियाँ / SPECIAL RESERVE		500 00 00	
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND			299 81 95
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		540 96 68	207 56 52
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		110 76 12	88 04 10
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियों में अग्रेषित शेष / BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		546 76 98	1295 04 34
जोड़ / TOTAL		2864 66 78	2630 16 91
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (SHARE BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		62.10	58.77

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

RAKESH JAIN
Partner

PIYALI BASU
Partner

ASHISH AGARWAL
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

Bengaluru
MAY 25, 2015



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued,Subscribed and Paid up:		
i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 33,21,96,971 ईक्विटी शेयर । पिछले वर्ष ₹10/- के 31,82,58,837 ईक्विटी शेयर		
i) 33,21,96,971 Equity Shares of ₹10/- each. Previous year 31,82,58,837 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	332 19 70	318 25 88
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर ₹10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर		
ii) 14,30,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others	143 00 00	143 00 00
	475 19 70	461 25 88
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ / Statutory Reserves	8032 61 00	7349 64 00
II. पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves	1478 67 07	1356 27 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधियाँ / Capital Reserves on Consolidation	2 79 18	2 79 18
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	3400 13 81	2844 07 63
V. विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधियाँ / Foreign Currency Translation Reserve	149 36 18	215 70 73
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ / Revaluation Reserve	5405 85 08	5498 25 33
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	565 80 00	205 00 00
VIII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधियाँ / Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	3500 00 00
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधियाँ / Revenue and Other Reserves	8981 28 78	8743 26 36
जोड़ / TOTAL	32016 51 10	29715 00 30
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल - अनुषंगी संबंध आनेवाले दिन का अल्पसंख्यक हित / Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. उत्तरवर्ती वृद्धि/(कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	268 49 99	203 40 30
जोड़ / TOTAL	378 65 11	313 55 42



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	1054 08 35	888 74 24
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	18670 32 42	16846 78 66
जोड़ / Total	19724 40 77	17735 52 90
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	93686 33 32	85535 60 57
जोड़ / Total	93686 33 32	85535 60 57
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	28153 78 66	19060 88 04
ii. अन्यो से / FROM OTHERS	332160 46 23	298271 66 48
जोड़ / Total	360314 24 89	317332 54 52
जोड़ (I, II और III) / Total (I, II & III)	473724 98 98	420603 67 99
ख. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	444561 07 62	398725 18 88
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	29163 91 36	21878 49 11
जोड़ / Total	473724 98 98	420603 67 99
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	131 25 31	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	1915 69 68	5128 71 54
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	10514 60 00	9778 10 00
जोड़ / Total	12561 54 99	14906 81 54
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	11638 74 96	10905 02 60
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1562 52 11	1497 88 30
जोड़ / Total	13201 27 07	12402 90 90
जोड़ / Total	25762 82 06	27309 72 44



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1020 71 10	1174 18 05
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	306 21 01	218 47 77
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	1712 23 34	1471 72 10
IV. आस्थगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	1396 15 42	1738 27 41
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	21764 06 87	18083 71 57
जोड़ / TOTAL	26199 37 74	22686 36 90
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	1855 44 03	1147 76 12
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	20121 32 31	21013 26 79
जोड़ / TOTAL	20121 32 31	21013 26 79
जोड़ / TOTAL	21976 76 34	22161 02 91
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	31 11 96	77 46 13
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	6 87 23	127 33 13
जोड़ / TOTAL	37 99 19	204 79 26
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	-	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
जोड़ / TOTAL	-	-
जोड़ / TOTAL	37 99 19	204 79 26
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	4534 43 94	5408 10 71
ख. जमा खातों में / b. IN DEPOSIT ACCOUNTS	21577 82 48	15092 66 26
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	520 54 12	2004 98 84
जोड़ / TOTAL	26632 80 54	22505 75 81
जोड़ / TOTAL	26670 79 73	22710 55 07



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल I. INVESTMENTS IN INDIA: GROSS:	154510 85 58	135302 90 23
घटायें: मूल्यह्रास व एन पी आई के लिए प्रावधान / LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	118 44 73	819 21 31
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	154392 40 85	134483 68 92
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / i. GOVERNMENT SECURITIES	128056 55 19	109638 60 57
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / ii. OTHER APPROVED SECURITIES	182 15 22	167 46 14
iii. शेयर / iii. SHARES	6484 77 13	5572 99 98
iv. डिबेंचर और बाण्ड / iv. DEBENTURES AND BONDS	8734 91 39	9839 93 41
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश / v. INVESTMENTS IN ASSOCIATES	861 49 92	682 46 13
vi. अन्य (एम एफ, वी सी एफ, सी डी, सी पी आदि) / vi. OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	10072 52 00	8582 22 69
जोड़ / Total	154392 40 85	134483 68 92
II. भारत के बाहर निवेश- सकल / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	1014 05 60	1003 72 38
घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION		42 05 82
भारत के बाहर निवल निवेश / NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	1014 05 60	961 66 56
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	49 36 25	73 81 29
ii. अन्य (बांड आदि) / OTHERS (BONDS ETC.)	964 69 35	887 85 27
जोड़ / Total	1014 05 60	961 66 56
जोड़ / Total	155406 46 45	135445 35 48



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	11504 77 13	10870 88 98
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	130344 75 18	116629 26 65
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	188444 34 65	173825 86 00
जोड़ / Total	330293 86 96	301326 01 63
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के प्रति अग्रिम सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	263940 68 30	242144 77 53
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	9364 08 69	9933 90 69
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	56989 09 97	49247 33 41
जोड़ / Total	330293 86 96	301326 01 63
C. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	106928 90 32	96652 16 40
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	31624 64 14	31777 93 93
iii. बैंक / iii. BANKS	2 49 69	37 75 12
iv. अन्य / iv. OTHERS	169026 37 65	153619 44 85
जोड़ / Total	307582 41 80	282087 30 30
II. भारत से बाहर / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / i. Due from Banks	-	-
ii. अन्य से देय / ii. Due from Others	-	-
क. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल/ a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	3435 05 61	1507 34 83
ख. मीयादी / समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	9354 61 82	8444 87 26
ग. अन्य / c. OTHERS	9921 77 73	9286 49 24
जोड़ / Total	22711 45 16	19238 71 33
जोड़ / Total	330293 86 96	301326 01 63



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)	यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS			
I. परिसर / I. PREMISES			
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	6597 55 59	2925 70 87	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	58 29 78	104 68 51	
	6655 85 37	3030 39 38	
वर्ष के दौरान किए पुनर्मूल्यांकन / REVALUATION MADE DURING THE YEAR		3569 47 57	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	5 77 94	2 31 36	
	6650 07 43	6597 55 59	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	698 64 14	598 21 85	5999 33 74
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित / INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	2519 09 66	2121 56 50	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	790 83 14	452 15 97	
	3309 92 80	2573 72 47	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	95 49 20	54 62 81	
	3214 43 60	2519 09 66	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	2201 52 32	1861 79 26	657 30 40
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर / AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	96 28 92	103 46 66	
वर्ष के दौरान संवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	95 94	1 06 16	
	97 24 86	104 52 82	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	96 38	8 23 90	
	96 28 48	96 28 92	
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	88 19 27	87 58 03	
	8 09 21	8 70 89	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा / LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	3 50 30	4 31 26	4 39 63
IV. प्रगतिस्त पूंजी / CAPITAL WORK IN PROGRESS			
		1 05 41	93 85
जोड़ / TOTAL		6969 98 89	6661 97 62



यथा 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (₹ '000)		यथा 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCRUED		4503 22 91		4206 65 13
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निव-ल)/ II. TAX PAID IN ADVANCE/TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		6093 89 45		4065 57 68
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS		11 96 63		12 01 90
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ/ IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		32 13		33 09
V. अन्य / V. OTHERS		6630 25 20		4500 08 42
जोड़ / TOTAL		17239 66 32		12784 66 22
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		9055 00 99		8273 69 79
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं / II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		--		25 36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं / III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		207080 71 69		158715 01 00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क. भारत में / a. IN INDIA	39353 13 56		35822 92 02	
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	98 31 86		44 98 42	
		39451 45 42		35867 90 44
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं / V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		18579 64 70		19813 70 43
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिकता के लिए उत्तरदायी है / VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		--	
ख. अन्य / b. OTHERS	1500 00 46		664 57 70	
		1500 00 46		664 57 70
जोड़ / TOTAL		275666 83 26		223360 25 36



यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)		यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट I. INTEREST/ DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS		32066 49 38		28433 68 25
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		10970 19 56		10293 32 63
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		764 78 18		733 57 53
IV. अन्य / IV. OTHERS		11 90 11		109 58 09
जोड़ / TOTAL		43813 37 23		39570 16 50
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		996 96 33		982 76 61
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	1179 44 18		689 92 48	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	12 36 00	1167 08 18	17 81 76	672 10 72
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	--		--	
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	103 48 53	(103 48 53)	160 74 51	(160 74 51)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	17 78 10		3 99 02	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	2 52 35	15 25 75	1 66 48	2 32 54
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	781 86 95		670 16 21	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	-	781 86 95	-	670 16 21
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		79 37 74		68 97 92
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1796 38 28		1908 08 19
जोड़ / TOTAL		4733 44 70		4143 67 68
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS		32024 70 01		28645 05 21
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS		1145 86 27		700 30 16
III. अन्य / OTHERS		962 56 08		1260 18 02
जोड़ / TOTAL		34133 12 36		30605 53 39



यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

	यथा 31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2015 (₹ '000)		यथा 31.03.2014 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2014 (₹ '000)	
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES		4313 30 14		3706 52 54
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING		666 16 68		554 00 95
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY		51 93 28		42 12 65
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		44 27 52		66 34 40
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण के बाद का निवल) V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)		428 90 55		229 89 06
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES		1 59 99		1 54 15
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)		51 65 03		47 32 24
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES		30 82 90		27 42 28
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.		53 82 73		47 42 82
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE		202 69 03		184 41 84
XI. बीमा / XI. INSURANCE		328 92 94		201 14 76
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE		1091 91 91		1008 07 44
जोड़ / TOTAL		7266 02 70		6116 25 13
अनुसूची 17 - सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश / (हानि) / SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES				
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD		37 47 26		32 06 40
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD		--		--
III. ऋण विश्लेषण व अनुसंधान लिमिटेड/ CREDIT ANALYSIS AND RESEARCH LTD		--		--
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
क. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK	21 37 81		36 64 49	
ख. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	14 18 31	35 56 12	14 03 17	50 67 66
जोड़ / TOTAL		73 03 38		82 74 06



अनुसूची- 18

यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. क. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

बैंक (प्रधान), इनके अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक अपेक्षाओं/ दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएँ उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधनों को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया गया।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (7 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी निम्नलिखितों के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (प्रधान) के लेखा परीक्षित लेखा

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण असमान लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों/देयताओं / आय और व्यय जैसी राशियों को जोड़कर अंतः समूह शेष लेन देनों, वसूली रहित लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

SCHEDULE – 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

1. (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

2 Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Seven (7) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.



(ग) सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घवधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक-23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों की लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरण) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समानुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में प्रधान के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी गई।

3. विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा परिवर्तन:

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को प्रारंभिक तौर पर काल्पनिक दरों पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है। इस प्रकार के मदों के पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

3. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign



व्यापारी संघ द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडआई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.3 लेनदेनों की विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं:

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

4. निवेश

4.1 निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित' जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है।

निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) संयुक्त उद्यम में निवेश और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

3.3 The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

4 Investments

4.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2. In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.



ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है :

ख) परिपक्वता के लिए धारित (एच टी एम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेयों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूंजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाजार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूंजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को वेंचर पूंजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूंजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost.

b) AVAILABLE FOR SALE (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer section 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at Re. 1 per VCF.



(ग) व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पत्ती संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यहास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है :

क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापारके लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है।

ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है :-

क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एन बी वी) से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दिया जाता है।

ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता

c) HELD FOR TRADING (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

4.4. Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5. Non-Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6. Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment.



है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ तथा ‘व्यापार के लिए धारित’ श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

‘परिपक्वता के लिए धारित’ श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को आरक्षित पूँजी (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया गया।

4.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों (एलएएफ के अलावा) की पुनः खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

एलएएफ के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है और परिपक्वता पर उसको वापस किया जाता है।

5. व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियों रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला-बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है।

Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of ‘Held to Maturity’ category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

The securities purchased / sold with an agreement to repurchase on the agreed terms under Repo / Reverse Repo (other than LAF) are recognized as borrowing / lending.

The securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment account and reversed on maturity.

5. Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.



ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएँ निम्नानुसार हैं :

- (i) व्युत्पन्नी संविदाएँ बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक आधारभूत आस्तियाँ / देयताएँ बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं ।
- (ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया ।

6. अग्रिम:

- 6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।
- 6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है ।
- 6.3 घरेलू अग्रिमों हेतु अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।
- 6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियम / उस देश के नियमों, जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं ।
- 6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं ।
- 6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का समायोजन को प्रथमतः प्रभार व ब्याज, तत्पश्चात समझौता निपटान / कालातीत ऋणों के मूल धन के प्रति किया जात है । वसूलियों को प्रथमतः मूल धन के साथ समायोजित किया जाता है ।
- 6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

7. अचल परिसंपत्तियाँ:

- 7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं । भूमि और भवनों का पूँजीकरण हस्तांतरण पत्र / आबंटन पत्र / पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और / या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर होता है ।

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

- (i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
- (ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

6. Advances

- 6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 6.4 Provisions for Performing / Non-Performing Advances with foreign branches are made as per local regulations / regulations of host country according to the norms prescribed by RBI whichever is more stringent.
- 6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.
- 6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.
- 6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

7. Fixed Assets

- 7.1 The premises of the Bank (Parent) include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.



7.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया जाएगा।

8. मूल्यहास:

8.1 मूल बैंक:

क) कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया जाता है।

ख) पट्टाधृत संपत्ति पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टा अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

ग) अचल परिसंपत्ति में संवर्धन पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

8.2 अनुषंगियां:

(क) दो अनुषंगियाँ जैसे केनरा एचएसबीसी ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड तथा केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, को छोड़कर आस्तियों के आर्थिक उपयोग्य जीवन को ध्यान में रखकर सीधी लाइन पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है, घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित दरों या उससे अधिक दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीद / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यहास सीधी लाइन आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोग्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यहासित किया गया है।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी

7.2 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit & Loss Account.

8. Depreciation

8.1 Parent:

(a) Fixed Assets of the Parent excluding computers are depreciated under Written Down Value method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of RBI, depreciation on Computers including ATMs is charged at 33.33% on Straight-Line Method.

(b) Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.

(c) Depreciation on additions to fixed assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided for in the year of sale / disposal.

8.2 Subsidiaries:

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as per Written Down Value (WDV) method except in case of two subsidiaries viz. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd and Canbank Computer Services Ltd, where depreciation is provided as per Straight line Method (SLM) considering the economic useful life of the assets. The rates of depreciation used are as prescribed under the Companies Act, 2013, or higher.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease



किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है।

9. आस्तियों की हानि:

9.1 प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

10. राजस्व मान्यता:

निम्नलिखित को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।

ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया गया है।

ग) लाभांश की गणना तब किया जाएगा जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

घ) मुकदमा दायर किए गए खातों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

11 जीवन बीमा कंपनी:

क) प्रीमियम:

वसूली की उचित निश्चितता है तो, पॉलिसीधारकों से देय रहने पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दिया गया है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दिया गया है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दिया गया है। प्रीमियम को सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दिया गया है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

ख) संबद्ध कारोबार से आय:

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से

rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed Assets of the foreign entities is charged as per local laws.

9. Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

10. Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.
- Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

11. Life Insurance Company:

(a) Premium:

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as



पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दिया गया है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान का लेखांकन पुनः बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित):

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर की जाती है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर की जाती है।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसे पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

जीवन प्रस्तावक की मृत्यु पर शेष भविष्य प्रीमियम के छूट की विशेषताओं वाले बीमा उत्पादों के मामले में छूट-प्राप्त संपूर्ण भविष्य प्रीमियम, जीवन प्रस्तावक के मृत्यु की घटना पर प्रदत्त लाभ के तहत दायित्व के रूप में प्राधिकृत हुए हैं। जब अनुवर्ती मोडल प्रीमियम देय होता है तब कथित प्रीमियम को उपरोक्त दायित्व को कम करने के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है एवं प्रीमियम आय इसके लिए प्राधिकृत है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में की जाती है।

per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium:

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits paid (including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.



ड) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होना होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। प्रथम वर्ष में भुगतान की गई कमीशन की वसूली किसी वापसी के कारण की गई हो, यदि कोई हो तो, भविष्य में उसकी लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

च) जीवित पॉलिसियों की देयताएं:

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की अस्तित्वा, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम, समय-समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बिमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

12 कर्मचारी हित:

I. **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

II. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल बैंक) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल बैंक) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है।

(e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) Liability for life policies:

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

12 Employee Benefits

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

(b) Defined Benefit Plans:

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.



ग) ऋण परिशोधन: बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प देने से होनेवाली देयता / व्यय को तथा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के पश्चात उपदान में होनेवाली संवर्धन को समान आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होनेवाली वर्ष से पाँच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

(ग) विशेषाधिकार छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दिया जाता है।

13 कराधान के लिए प्रावधान:

क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है।

ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है।

ग) विभेदक कर आस्तियों को मान्यता तब तक नहीं दी जाती है जब तक यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध हो जायेगी जिसके प्रति ऐसी विभेदक कर आस्तियों को मान्यता दी जायेगी।

14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया गया, जब :-

- पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो।
- यह संभव है कि उस दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन दायित्व निपटान के लिये आवश्यक हो।
- जब दायित्व राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

(iii) **Amortization:** The additional liability / expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the Bank (Parent) and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 has been amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

13 Provision for Taxation

- Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date
- Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be recognized.

14 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when :

- It has a present obligation as a result of past event.
- It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.



(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया :-

- (i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- (ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा
- (iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है। जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

(ग) आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

15. निवल लाभ:

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है:

- क) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदें

16. प्रति शेयर अर्जन:

बैंक (प्रधान), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

(b) No provision is recognized for:

- (i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).
- (ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- (iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

15 Net Profit:

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Depreciation on Investments.
- (b) Provision for Taxation.
- (c) Provision on Loan Losses
- (d) Provision on Standard Assets.
- (e) Provision for Non-Performing Investments.
- (f) Other usual & necessary items.

16 Earnings per share:

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.



अनुसूची – 19 / SCHEDULE – 19

यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

- समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम, अर्थात् 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग अवधि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	निगमित देश	यथा 31.03.2015 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2014 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100.00%	100.00%
2	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	100.00%	100.00%
3	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.	भारत	100.00%	100.00%
4	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70.00%	70.00%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	69.14%	69.14%
6	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	51.00%	51.00%
7	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि	भारत	51.00%	51.00%

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2015.

1.1 Subsidiaries:

The following subsidiaries have been consolidated based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2015	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2014
1.	Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	Canbank Financial Services Ltd	India	100.00%	100.00%
3.	Canara Bank Securities Ltd	India	100.00%	100.00%
4.	Canbank Factors Ltd	India	70.00%	70.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%	69.14%
6.	Canara Robeco Asset Management Company Ltd	India	51.00%	51.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd	India	51.00%	51.00%



1.2. सहयोगी संस्थाएं :

समेकन के उद्देश्य से निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर उनमें किये गये निवेश पर विचार किया गया।

क्रमांक	सहयोग संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	यथा 31.03.2015 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2014 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	भारत	43.45%	42.35%
2	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Audited Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2015	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2014
1.	Canfin Homes Ltd.	India	43.45%	42.35%
2.	Pragathi Krishna Gramin Bank	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank	India	35.00%	35.00%

- कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक का 30% धारण है, इसका वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध होने के कारण समेकन कार्य के लिए विचार नहीं किया गया है। सहयोगी संस्थान का पहले से निम्न स्तर का परिचालन होने के कारण तथा यथा 31.03.2014 को उपलब्ध अंतिम अपर्याप्त वित्तीय विवरण पर विचार करते हुए, समेकित वित्तीय विवरण में, इसके निवेशों को शामिल नहीं करने से, कोई प्रभाव नहीं होगा।

- Commonwealth Trust (India) Ltd., an Associate, in which Parent has 30% holding, could not be considered for consolidation as its financial statements are available only upto 31st March 2014. Considering the unsubstantial financials the Associate as per the last available financial statements as at 31.03.2014, there is no material impact of non-inclusion of its investments in the Consolidated Financial Statements.

1.3 संयुक्त उद्यम:

- रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक- 27 “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:-

1.3 Joint Venture:

- In respect of Commercial Indo Bank LLC, the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2015. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.
- As required by Accounting Standard (AS) - 27 - “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent’s share in the said Joint Venture is as under:-



क. तुलन पत्र:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	91.67	87.87
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(44.23)	13.75
जमा	25.82	8.59
उधार	147.62	133.13
अन्य देयताएं व प्रावधान	7.74	0.78
कुल	228.62	244.12
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.29	0.18
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	58.12	47.95
निवेश	150.72	180.43
अग्रिम	18.70	14.72
अचल आस्तियाँ	0.10	0.19
अन्य आस्तियाँ	0.69	0.65
कुल	228.62	244.12
आकस्मिक देयताएं	1.29	शून्य

ख. लाभ और हानि खाता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
आय		
अर्जित ब्याज	17.69	16.58
अन्य आय	0.53	0.86
कुल	18.22	17.44
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.27	2.22
परिचालन व्यय	4.05	4.59
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	9.46	0.78
कुल	15.78	7.59
लाभ	2.44	9.85

A. Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Capital & Liabilities		
Capital	91.67	87.87
Reserve & Surplus	(44.23)	13.75
Deposits	25.82	8.59
Borrowings	147.62	133.13
Other Liabilities and Provisions	7.74	0.78
TOTAL	228.62	244.12
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.29	0.18
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	58.12	47.95
Investments	150.72	180.43
Advances	18.70	14.72
Fixed Assets	0.10	0.19
Other Assets	0.69	0.65
TOTAL	228.62	244.12
Contingent Liabilities	1.29	Nil

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Income		
Interest Earned	17.69	16.58
Other Income	0.53	0.86
TOTAL	18.22	17.44
Expenditure		
Interest Expended	2.27	2.22
Operating Expenses	4.05	4.59
Provision and Contingencies	9.46	0.78
TOTAL	15.78	7.59
PROFIT	2.44	9.85



1.4 वर्ष के दौरान प्रधान द्वारा निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त पूँजी लगायी गयी:- (₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	राशि
केनफ़िन होम्स लिमिटेड	130.07

2. अनुषंगियाँ व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व प्रवृत्ति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रही हैं जो संबंधित कारोबारी आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं। प्रबंधन की राय है, चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरण में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त आरक्षित पूँजी (साख) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2015	31.03.2014
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल आरक्षित पूँजी	2.79	2.79

4. अंतरशाखा लेनदेन और शेषों का पुष्टिकरण:

31.03.2015 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से मूल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। तथापि, मूल बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान, निकासी और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. स्थिर आस्तियाँ:

i) परिसर में प्रधान बैंक के ₹211.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.35 करोड़) मूल लागत युक्त कुछ संपत्तियाँ भी शामिल है जिसके संबंध में हस्तांतरण प्रलेख निष्पादन के लिए लंबित है।

6. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेस लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को दो वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी,

1.4. During the year, the Parent has infused additional capital in the following Associate. (₹ in Crore)

Name of the Associate	Amount
Can fin Homes Ltd.	130.07

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2015	31.03.2014
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Parent for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions up to 31.03.2015 has been done. However, Parent is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

In some of the Subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Fixed Assets:

i) Premises include certain properties having original cost of ₹211.35 Crore (Previous year ₹211.35 Crore) in respect of which conveyance deeds is pending execution.

6. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of two years i.e up to January 31, 2017 to dispose off the



2017 तक बढ़ा दिया है। उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का क्रियाकलाप नहीं करने के शर्तों के अधीन विस्तारण अवधि बढ़ाया गया है। तथापि, 31.01.2017 तक अनुमत की गई विस्तारण को ध्यान में रखकर केनफिना के वित्त का समेकन क्रियाशील इकाई के रूप में किया गया है।

7. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने दिनांक 27.03.2015 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों की सहमति द्वारा पारित की गई विशेष संकल्प के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को ₹10/- अंकित मूल्य के 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर ₹398.95/- के प्रीमियम सहित ₹408.95/- की निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानित आधार पर निर्गमित किया।

8 संबंध पार्टी का प्रकटन:

8.1 संबंध पार्टियों के नाम और मूल संस्था – केनरा बैंक के साथ उनका संबंध

8.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

- श्री वी एस कृष्ण कुमार, कार्यपालक निदेशक
- श्री प्रद्युमन सिंह रावत, कार्यपालक निदेशक
- श्री हरिदीश कुमार बी, कार्यपालक निदेशक (11.03.2015 से)
- श्री राजीव किशोर दुबे, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.09.2014 तक)
- श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.10.2014 तक)

8.1.2 प्रधान

- केनरा बैंक

8.1.3 अनुषंगियाँ-

- केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
- केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. However, considering the extension permitted upto 31.01.2017, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. During the year Parent Bank had issued and allotted 1,39,38,134 Equity shares of face value of ₹ 10 each for cash at an issue price of Rs 408.95 including premium of ₹398.95 to the Government of India (GOI) on preferential basis on 31.03.2015 with the consent of the Shareholders of the Bank by way of Special Resolution passed in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 27.03.2015.

8. Related Party Disclosures:

8.1 Names of Related parties and their relationship with the Parent – Canara Bank

8.1.1 Key Management Personnel –

- Shri. V S Krishnakumar, Executive Director
- Shri. Pradyuman Singh Rawat, Executive Director
- Shri. Harideesh Kumar B, Executive Director (from 11.03.2015)
- Shri. R K Dubey, Chairman & Managing Director (till 30.09.2014)
- Shri. Ashok Kumar Gupta, Executive Director (till 31.10.2014)

8.1.2 Parent

- Canara Bank

8.1.3 Subsidiaries

- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Financial Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corporation Ltd)
- Canbank Factors Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.



8.1.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को

8.1.5 सहयोगी संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

8.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

- i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक: ₹ 0.88 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹0.72 करोड़)
- ii) श्री प्रद्युमन सिंह रावत (कार्यपालक निदेशक) को कर्मचारी आवास ऋण ₹0.05 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹0.07 करोड़)

लेखांकन मानक 18 की पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8.1.4 Joint Venture

- i) Commercial Bank of India LLC., Moscow

8.1.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Krishna Gramin Bank (erstwhile Pragati Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (erstwhile South Malabar Gramin Bank)

8.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

- i) Remuneration to Key Management Personnel: ₹0.88 Crore (Previous Year: ₹0.72 Crore)
- ii) Staff Housing loan to Shri P S Rawat (Executive Director) ₹0.05 Crore (Previous Year ₹0.07 Crore)

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.



(₹ करोड़ में)

8.1.7 अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:

विवरण	अनुषंगियाँ	सहयोगी संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी	कुल
उधार – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (49.40)	---	---	30.00 (49.40)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	30.00 (49.40)			30.00 (49.40)
जमाएँ यथा वर्षांत को बकाया	136.98 (125.91)	2063.36 (1443.18)	---	---	2200.34 (1569.09)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	136.98 (212.85)	2063.36 (1453.18)			2200.34 (1666.03)
जमाओं का नियोजन – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	140.94 (130.32)	---	---	140.94 (130.32)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	140.94 (130.32)			140.94 (130.32)
अग्रिम – यथा वर्षांत को बकाया	620.23 (454.53)	2220.58 (2679.16)	---	---	2840.81 (3133.69)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	620.23 (454.53)	2220.58 (3135.40)			2840.81 (3589.93)
निवेश – यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)			शून्य (शून्य)
चालू खाता में शेष – यथा वर्षांत को बकाया	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)	---	---	120.50 (524.46)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)			120.50 (524.46)
अन्य प्राप्त – यथा वर्षांत को बकाया	2.03 (2.72)	शून्य (शून्य)	---	---	2.03 (2.72)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	2.03 (2.72)	शून्य (शून्य)			2.03 (2.72)



8.1.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	30.00 (49.40)	---	---	30.00 (49.40)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	30.00 (49.40)			30.00 (49.40)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	136.98 (125.91)	2063.36 (1443.18)	---	---	2200.34 (1569.09)
Maximum outstanding during the year	136.98 (212.85)	2063.36 (1453.18)			2200.34 (1666.03)
Placement of Deposits –					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	140.94 (130.32)	---	---	140.94 (130.32)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	140.94 (130.32)			140.94 (130.32)
Advances-					
Outstanding as at the year end	620.23 (454.53)	2220.58 (2679.16)	---	---	2840.81 (3133.69)
Maximum outstanding during the year	620.23 (454.53)	2220.58 (3135.40)			2840.81 (3589.93)
Investment-					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)	---	---	120.50 (524.46)
Maximum outstanding during the year	14.45 (11.82)	106.05 (512.87)			120.50 (524.46)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	2.03 (2.72)	NIL (NIL)	---	---	2.03 (2.72)
Maximum outstanding during the year	2.03 (2.72)	NIL (NIL)			2.03 (2.72)



अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र-निर्गमित - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र - प्रतिभागिता किए गए - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	744.43 (शून्य)	---	---	744.43 (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	744.43 (शून्य)	---	---	744.43 (शून्य)
कमीशन प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (0.02)	---	---	शून्य (0.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (0.02)	---	---	शून्य (0.02)
प्रदत्त ब्याज -	10.86 (13.11)	104.22 (95.48)	---	---	115.08 (108.59)
प्राप्त लाभांश	40.66 (26.48)	236.65 (283.59)	---	---	277.31 (310.07)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की चुकौती	7.50 (6.00)	शून्य (शून्य)	---	---	7.50 (6.00)
मीयादी जमाओं / जमा प्रमाणपत्रों की स्वीकृति	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (शून्य)
प्रदत्त प्रीमियम	शून्य (10.00)	4.63 (शून्य)	---	---	4.63 (10.00)
सेवा उपलब्ध कराना	62.39 (98.74)	शून्य (शून्य)	---	---	62.39 (98.74)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	34.86 (25.18)	0.93 (0.67)	---	---	35.79 (25.85)
निधीयन लागत तथा ब्याज सहित पी एस यू निपटान	33.87 (49.97)	0.01 (0.02)	---	---	33.88 (49.99)
देयताओं के भुगतान	शून्य (72.05)	शून्य (शून्य)	---	---	शून्य (72.05)
बी एस ई को निर्गमित अधिकारों के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	1.38 (शून्य)	---	---	1.38 (शून्य)

प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को दिए गए वेतन इसमें नहीं दर्शाया गया है।
कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं
(प्रबंधन द्वारा संकलित व प्रमाणीकृत और लेखापरीक्षकों द्वारा अवलंबित के अनुसार)



Inter Bank Participation Certificate – Issued					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Inter Bank Participation Certificate – Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	744.43 (NIL)	---	---	744.43 (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	744.43 (NIL)			744.43 (NIL)
Commission Receivable-					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)			NIL (NIL)
Other payable					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (0.02)	---	---	NIL (0.02)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (0.02)			NIL (0.02)
Interest paid	10.86 (13.11)	104.22 (95.48)	---	---	115.08 (108.59)
Interest received	40.66 (26.48)	236.65 (283.59)	---	---	277.31 (310.07)
Dividend received	7.50 (6.00)	NIL (NIL)	---	---	7.50 (6.00)
Repayment of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (NIL)	NIL (NIL)	---	---	NIL (NIL)
Acceptance of Fixed Deposits/Certificate of deposits	NIL (10.00)	4.63 (NIL)	---	---	4.63 (10.00)
Premium Paid	62.39 (98.74)	NIL (NIL)	---	---	62.39 (98.74)
Rendering of Service	34.86 (25.18)	0.93 (0.67)	---	---	35.79 (25.85)
Receiving for Services	33.87 (49.97)	0.01 (0.02)	---	---	33.88 (49.99)
Repayment of PSU Settlement dues including funding cost and Interest	NIL (72.05)	NIL (NIL)	---	---	NIL (72.05)
Guarantee in respect of rights issued to BSE	NIL (NIL)	1.38 (NIL)	---	---	1.38 (NIL)

Salary to deputed staff is not shown as the same is reimbursed

Figures in brackets relate to previous year.

(As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.)



9. प्रति शेयर अर्जन :

9.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2014-2015	2013-2014
मूल और तनुकृत ई पी एस (₹)	62.10	58.77

9.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन:

	विवरण	2014-2015	2013-2014
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹) (करोड़ में)	2864.66	2630.17
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	46.13	44.75
ग	यथा 31 मार्च, 2015 को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	47.52	46.13
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (₹)	62.10	58.77
ङ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-

9. Earnings Per Share:

9.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2014-2015	2013-2014
Basic and Diluted EPS (₹)	62.10	58.77

9.2 Computation of EPS:

	Particulars	2014-2015	2013-2014
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	2864.66	2630.17
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	46.13	44.75
C	No. of Shares outstanding as on 31st March 2015 (Crore)	47.52	46.13
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	62.10	58.77
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

10. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं:

यथा 31.03.2015 को निवल आस्थगित कर देयता ₹ 1396.15 करोड़ थी (यथा 31.03.2014 को ₹ 1738.27 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
उपचित ब्याज परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	933.77	854.69
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	315.18	283.62	0.02	शून्य
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	55.19	60.06	0.13	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर डी टी एल	शून्य	शून्य	1211.28	1189.65
एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	391.00	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	16.53	शून्य	28.85	37.61
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	777.90	343.68	2174.05	2081.95



10. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net Deferred Tax Liability computed as on 31.03.2015 amounted to ₹ 1396.15 Crore (₹ 1738.27 Crore as on 31.03.2014). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	933.77	854.69
Leave Encashment / Gratuity	315.18	283.62	0.02	NIL
Depreciation on Fixed Assets	55.19	60.06	0.13	NIL
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	NIL	NIL	1211.28	1189.65
Provision for FITL	391.00	NIL	Nil	Nil
Others	16.53	NIL	28.85	37.61
Deferred Tax Asset / Liability	777.90	343.68	2174.05	2081.95

11. वर्ष के दौरान बनाई गई प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
निवेश व एन पी आई में मूल्यहास के लिए प्रावधान	(657.75)	692.42
एन पी ए के प्रति प्रावधान	3780.92	2152.72
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	155.32	478.64
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	825.26	652.49
उचित मूल्य के हास के लिए प्रावधान	(41.42)	(6.32)
संदिग्ध वसूली वाली परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	(12.00)	8.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	7.30	7.00
अन्य आकस्मिकताएँ तथा प्रावधान –निवल	232.02	417.58
कुल	4289.65	4402.53

11. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(657.75)	692.42
Provision towards NPA	3780.92	2152.72
Provision towards Standard Asset	155.32	478.64
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	825.26	652.49
Provision for Diminution in Fair Value	(41.42)	(6.32)
Provision for assets doubtful of recovery	(12.00)	8.00
Provision for Country Risk Exposure	7.30	7.00
Other Provision and Contingencies –Net	232.02	417.58
TOTAL	4289.65	4402.53



12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क-कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2015	31.03.2014
I	खण्ड राजस्व		
क	राजकोषीय परिचालन	12201.37	11079.17
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	12582.47	10788.38
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	22818.09	20806.56
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	944.89	1039.73
	कुल	48546.82	43713.84
II	खण्ड परिणाम		
क	राजकोषीय परिचालन	1569.12	1463.00
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1221.35	1722.43
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	3548.66	2946.74
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित	0.00	0.00
	कुल	6339.13	6132.17
III	गैर आबंटित आय / (व्यय)	808.54	859.88
IV	परिचालन लाभ	7147.67	6992.05
V	प्रावधान और आकस्मिकताएं	3464.39	3750.04
VI	आय कर	825.26	652.49
VII	असाधारण मद	0.00	0.00
VIII	वर्ष के लिए निवल लाभ	2858.02	2589.52
IX	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	73.03	82.74
X	घटाएं: अल्पसंख्यक हित (निवल हानि)	66.39	42.09
XI	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ	2864.66	2630.17
	अन्य सूचना		
XII	खण्ड आस्तियाँ		
क	राजकोषीय परिचालन	192632.54	167100.83
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	117466.87	99619.98
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	217195.46	209370.03
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियाँ	25856.83	19500.50
	कुल	553151.70	495591.34
XIII	खण्ड देयताएं		
क	राजकोषीय परिचालन	50848.56	51466.11
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	251281.63	183552.33
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	183254.51	199789.78
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित देयताएं	40681.14	36105.11
च	पूँजी और आरक्षित निधियाँ*	27085.86	24678.01
	कुल	553151.70	495591.34

(*पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)

12. Consolidated Segment Reporting

Part A-Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	Year ended	
		31.03.2015	31.03.2014
I	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	12201.37	11079.17
b	Retail Banking Operations	12582.47	10788.38
c	Wholesale Banking Operations	22818.09	20806.56
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	944.89	1039.73
	Total	48546.82	43713.84
II	Segment Results		
a	Treasury Operations	1569.12	1463.00
b	Retail Banking Operations	1221.35	1722.43
c	Wholesale Banking Operations	3548.66	2946.74
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	0.00	0.00
	Total	6339.13	6132.17
III	Unallocated Income/ (Expenses)	808.54	859.88
IV	Operating Profit	7147.67	6992.05
V	Provisions and Contingencies	3464.39	3750.04
VI	Income Tax	825.26	652.49
VII	Extraordinary Items	0.00	0.00
VIII	Net Profit for the Year	2858.02	2589.52
IX	Add:-Share of Earnings in Associates	73.03	82.74
X	Less:-Minority Interest (Net Loss)	66.39	42.09
XI	Consolidated Profit for the Year attributable to the Group	2864.66	2630.17
	Other Information		
XII	Segment Assets		
a	Treasury Operations	192632.54	167100.83
b	Retail Banking Operations	117466.87	99619.98
c	Wholesale Banking Operations	217195.46	209370.03
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	25856.83	19500.50
	Total	553151.70	495591.34
XIII	Segment Liabilities		
a	Treasury Operations	50848.56	51466.11
b	Retail Banking Operations	251281.63	183552.33
c	Wholesale Banking Operations	183254.51	199789.78
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	40681.14	36105.11
f	Capital and Reserves*	27085.86	24678.01
	Total	553151.70	495591.34

(* Excluding Revaluation Reserve)



भाग ख-भौगोलिक खण्ड

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2015	31.03.2014
क	घरेलू परिचालन		
	राजस्व	47330.27	42648.64
	आस्तियां	505063.47	458011.95
ख	अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		
	राजस्व	1216.55	1065.20
	आस्तियां	48088.23	37579.39
ग	कुल		
	राजस्व	48546.85	43713.84
	आस्तियां	553151.70	495591.34

13. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹32016.51 करोड़ है जिनमें से ₹31384.04 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के ₹632.47 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹29715.00 करोड़ जिसमें से ₹29158.85 करोड़ मूल संस्था का तथा शेष ₹556.15 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे)

14. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरण का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

15. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि:

प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई लेखांकन मानक (एएस) 28 के अनुसार यथा 31.03.2015 को वास्तविक आधार पर मान्यता की आवश्यकतायुक्त स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

Part B – Geographical Segment:

	Particulars	Year ended	
		31.03.2015	31.03.2014
a	Domestic Operations		
	Revenue	47330.27	42648.64
	Assets	505063.47	458011.95
b	International Operations		
	Revenue	1216.55	1065.20
	Assets	48088.23	37579.39
c	Total		
	Revenue	48546.85	43713.84
	Assets	553151.70	495591.34

13. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹32016.51 Crore of which ₹31384.04 Crore relate to the Parent and the balance ₹632.47 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹29715.00 Crore of which ₹29158.85 Crore relate to the Parent and the balance ₹556.15 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

14. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

15. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

In the opinion of the Management, there is no indication of impairment of any of its Fixed Asset as at 31.03.2015 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.



16. पुनर्संरचित अग्रिमों के संबंध में निधि ब्याज मीयादी ऋण को आय के रूप में मान्यता दिया गया तथा तदनुसार 31.03.2013 तक लेखा में अभिलेखित किया गया। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी संसूचना डीबीओडी सं.: बीपी.12415/21.04.132/2013-14 दिनांक 03 जनवरी, 2014 द्वारा लाभ-हानि खाते को प्रभारित करते हुए उक्त आय को वापस करने के लिए बैंक को निदेश दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकबारगी उपाय के रूप में यथा 31.03.2013 को एफ आई टी एल के लिए दिसंबर 2013 से सितंबर 2014 तक के चार तिमाहियों के दौरान समायोजित करने हेतु आवश्यक प्रावधान बनाने के लिए अनुमति प्रदान किया। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹528.63 करोड़ के कुल प्रावधान से ₹264.32 करोड़ लाभ-हानि खाते से नामे किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की संसूचना सं.: डीबीओडी.सं. बीपी.20791/21.04.132/2013-14 दिनांक 27 जून, 2014 के अनुसार ₹264.31 करोड़ की शेष राशि को राजस्व आरक्षित निधि से अंतरित किया गया।
17. (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाता में ₹1853.57 करोड़ की गैर परिशोधित देयता के प्रति आनुपातिक आधार पर ₹370.72 करोड़ नामे किया गया (वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं दिया था, उनके लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करने के लिए 31 मार्च 2011 को शुरू होनेवाली 5 साल के लिए परिशोधित)।
- (ख) उपदान सीमा में संवर्धन के लिए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाता में ₹679.52 करोड़ की गैर परिशोधित देयता के प्रति आनुपातिक आधार पर ₹135.91 करोड़ प्रभारित किया गया (31 मार्च 2011 को शुरू होनेवाली 5 साल के लिए परिशोधित)।
18. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक के लिए, कर्मचारी लाभ के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹17.54 करोड़ का प्रावधान बनाया जाना था, लेकिन वर्ष के दौरान ₹10 करोड़ का ही वास्तविक प्रावधान बनाया गया।
19. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक के लिए, द्विपक्षीय समझौता के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान ₹25 करोड़ का ही प्रावधान बनाया गया, लेकिन वास्तविक देयता राशि ₹53.15 करोड़ है।
20. पत्रांक डीबीएस. सीओ. एसएसएम. (केनरा बैंक) / 13747/13.39.001/2014-15 दिनांक 05.05.2015 के अनुसार तथा डीबीएस. सीओ. एसएसएम. (केनरा बैंक) / 14323/13.39.001/2014-15 दिनांक 15.05.2015 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमत किया है कि बैंक का एक अग्रिम जो मानक आस्ति के रूप में श्रेणीगत किया गया हो, उसके लिए ₹127.26
16. The Funded Interest Term Loan in respect of restructured Advances was recognized as Income and dealt accordingly in the accounts till 31.03.2013. However, Reserve Bank of India vide their communication DBOD no:BP.12415/21.04.132/2013-14 dated January 03 2014 directed the bank to reverse the income by charging to the Profit & Loss account. Reserve Bank of India as a one time measure has permitted the Bank to create the provision required for FITL as on 31/03/2013 to be spread over four quarter starting from December 2013 to September 2014. Out of the total provision for ₹528.63 crore ₹264.32 crore has been charged to Profit & Loss Account during 2013-14. Balance amount of ₹264.31 crore has been transferred from revenue reserve during the year 2014-15 as per RBI communication no: DBOD.No.BP.20791/21.04.132/2013-14 dated: June 27 2014
17. (a) In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide their circular no: DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the bank has debited Profit & Loss Account during the year a sum of ₹ 370.72 crore being the remaining proportionate amount of the total liability of ₹ 1853.57 crore (to be amortised over a period of 5 years beginning from 31st March 2011 on account of reopening of Pension options during 2010-11 for existing employees who had not opted for pension earlier).
- (b) The Bank has debited Profit & Loss account a sum of ₹135.91 crore being the remaining proportionate amount of the total liability of ₹679.52 crore, to be amortised over a period of five years beginning from 31st March 2011 on account of enhancement of gratuity limit.
18. For Pragati Krishna Gramin Bank, according to the actuarial valuation of Employee Benefits, provision to be made for the year 2014-15 is ₹17.54 crore, whereas actual provision made during the year is ₹10 crore.
19. For Pragati Krishna Gramin Bank, Provision made during the year 2014-15 for Bipartite Settlement is ₹25 crore, whereas the actual liability amounts to ₹53.15 crore.
20. In terms of the letter no DBS.CO.SSM.(Canara Bank) / 13747/13.39.001 / 201415 dated 05.05.2015 and DBS.CO.SSM (Canara Bank)/14323/13.39.001/2014-15 dated 15.05.2015, Reserve Bank of India (RBI) has permitted that one of the advances though categorized as Standard Assets by the bank, yet a provision to the extent of ₹ 127.26 crore be made



करोड़ का भिन्नकालिक प्रावधान बनाया जा सकता है ताकि उक्त राशि का एक तिहाई (₹42.42 करोड़) दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रदान किया जा सके तथा शेष ₹84.84 करोड़ 30 जून, 2015 को व 30 सितंबर, 2015 को समाप्त होनेवाली तिमाहियों में किस्तों में प्रदान किया जा सके। ₹716.23 करोड़ के प्रावधान से 30 जून 2015 से शुरू होनेवाली तीन तिमाहियों के दौरान कुछेक अनर्जक अग्रिमों के समायोजन किए जाने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त पत्र के माध्यम से अनुमति प्रदान किया है।

and staggered, so that one third of the said amount (₹ 42.42 crore) is provided in the year ended 31st March 2015 and balance amount of ₹84.84 crore is provided in two installments in quarter ending 30th June 2015 and 30th September 2015. RBI has also permitted vide the aforesaid letter to spread the provision amounting to ₹ 716.23 crore in respect of certain non performing advances in three quarters commencing 30th June 2015.

21. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

21. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक
प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अतिरिक्त प्रभार)

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

उमा शंकर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

जी वी मणिमरान
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
004957N

राकेश जैन
साझेदार
सदस्य संख्या: 087925

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
306109E

पियाली बसु
साझेदार
सदस्य संख्या: 054704

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
000235N

आशिश अग्रवाल
साझेदार
सदस्य संख्या: 093790

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
000719C

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार
सदस्य संख्या: 013795

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
002839s

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार
सदस्य संख्या: 024456

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार
कंपनी रजिस्ट्रेशन नं
002468s

निरंजन वी के
साझेदार
सदस्य संख्या: 021432

बैंगलूरु
25 मई, 2015

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004957N

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 306109E

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000235N

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000719C

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.002839s

For
V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.002468s

RAKESH JAIN
Partner
Membership No.087925

Piyali Basu
Partner
Membership No.054704

ASHISH AGARWAL
Partner
Membership No.093790

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner
Membership No.013795

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner
Membership No.024456

NIRANJAN V K
Partner
Membership No. 021432

Bengaluru
MAY 25, 2015



यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31.03.2015	31.03.2014
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	2,864.66	2,630.17
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	825.26	652.49
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provision for Depreciation on Investments	(728.16)	692.42
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Advances	3,780.92	2,152.72
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	155.32	478.64
आकस्मिकताएं व अन्य के लिए प्रावधान / Provisions for Contingencies and Others	256.30	428.10
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	428.91	229.89
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	103.49	160.75
टियर I व टियर II बांडों पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	937.15	820.34
निवेशों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit)/ loss on sale of Investments	(1,167.08)	(672.11)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit)/ loss on sale of Fixed Assets	(15.26)	(2.33)
उप कुल / Sub total	7,441.51	7,571.08
के लिए समायोजन / Adjustments for:		
जमाओं में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits	53,121.31	64,919.04
उधारों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings	(745.77)	9,379.19
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(18,718.48)	(7,370.78)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(28,967.85)	(58,890.26)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	(2,843.53)	136.13
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other liabilities and provisions	(1,397.07)	(352.45)
अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	65.10	81.40
कशान के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह /		
Cash Flow from Operating Activity before taxation	7,955.22	15,473.34
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid	1,611.47	1,229.02
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद (क) / Cash generated from Operating Activities (A)	6,343.75	14,244.33
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी		
(Increase) / Decrease in Investments in Subsidiaries / Associates / JVs	(179.04)	(29.68)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(814.06)	(540.53)
अन्य आरक्षित निधियों में (वृद्धि) / कमी / Increase/ (Decrease) in Other Reserve	(44.43)	74.22
निवेशक गतिविधियों से सृजित नकद (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	(1,037.53)	(495.99)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूंजी / Share Capital	13.94	18.26
शेयर प्रीमियम / Share Premium	556.06	481.74
अधीनस्थ बांडों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Subordinated Bonds	(801.14)	(2,424.55)
टियर I व टियर II बांडों पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(937.15)	(820.34)
तत्पश्चात् प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	(295.61)	(1,026.59)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकद (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	(1,463.90)	(3,771.48)
विनिमय उतार चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव की आरक्षित निधि / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	(66.34)	115.51



विनिमय उतार चढ़ाव से सर्जित नकद / Net Cash Flows on Account Of Exchange Fluctuation (D)	(66.34)	115.51
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग+घ) में निवल वृद्धि / (कमी) / Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	3,775.98	10,092.37
अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	44,871.58	34,779.21
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	48,647.56	44,871.58

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है तथा आवश्यकतानुसार आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। / The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever necessary.
- नकद व नकद समतुल्य में मौजूदा नकद, भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों में शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

नकद व नकद समतुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2015	31.03.2014
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष / Cash & Balance with RBI	21,976.76	22,161.03
बैंकों में शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	26,670.80	22,710.55
कुल / Total	48,647.56	44,871.58

एम स्वामिनाथन
मंडल प्रबंधक

वी सुकुमार
मंडल प्रबंधक

एन सिवशंकरन
उप महा प्रबंधक

एन सेल्वराजन
महा प्रबंधक

हरिदीश कुमार बी
कार्यपालक निदेशक

प्रद्युमन सिंह रावत
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यकारी अधिकारी - अतिरिक्त प्रभार)

उमा शंकर
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

सुनील हुक्मचंद कोचेटा
निदेशक

मोचरला साईराम भास्कर
निदेशक

रजिन्दर कुमार गोयल
निदेशक

संजय जैन
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
पी चोपड़ा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
ए आर दास एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते
एस सी वासुदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते
विनय कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
राम राज एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते
वी के निरंजन एण्ड कं
सनदी लेखाकार

राकेश जैन
साझेदार

पियाली बसु
साझेदार

आशिश अग्रवाल
साझेदार

विनय कुमार अग्रवाल
साझेदार

के शिव सुब्रमण्य प्रसाद
साझेदार

निरंजन वी के
साझेदार

बेंगलूरु
25 मई, 2015

M SWAMINATHAN
DIVISIONAL MANAGER

V SUKUMAR
DIVISIONAL MANAGER

N SIVASANKARAN
DEPUTY GENERAL MANAGER

N SELVARAJAN
GENERAL MANAGER

HARIDEESH KUMAR B
EXECUTIVE DIRECTOR

P S RAWAT
EXECUTIVE DIRECTOR
(ADDITIONAL CHARGE OF MD & CEO)

UMA SHANKAR
DIRECTOR

G V MANIMARAN
DIRECTOR

SUNIL HUKUMCHAND
KOCHETA
DIRECTOR

MOCHERLA SAIRAM BHASKAR
DIRECTOR

RAJINDER KUMAR GOEL
DIRECTOR

SANJAY JAIN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For
P CHOPRA & Co.
Chartered Accountants

For
A R DAS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

For
S C VASUDEVA & Co.
Chartered Accountants

For
VINAY KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For
RAM RAJ & Co.
Chartered Accountants

For
For V K NIRANJAN & Co.
Chartered Accountants

RAKESH JAIN
Partner

PIYALI BASU
Partner

ASHISH AGARWAL
Partner

VINAY KUMAR AGRAWAL
Partner

K SIVA SUBRAMANYA PRASAD
Partner

NIRANJAN V K
Partner

Bengaluru
MAY 25, 2015



प्रिय शेयरधारक

हमारे बैंक के सम्माननीय शेयरधारक के रूप में आपसे बात करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आप जैसे लोगों के ही समर्थन और सहायता से ही हमारा (आपका) बैंक मजबूत बुनियाद पर दिनोदिन तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आपको विदित ही है कि शेयर के क्रय-विक्रय या उसे गिरवी रखने के लिए शेयरों का डी-मैट रूप में होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, डी-मैट शेयरों का क्रय-विक्रय करने के लिए निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के यहां डी-मैट खाता होना भी ज़रूरी है। निक्षेपागार सहभागी के रूप में हमें आपको निक्षेपागार सेवाएं भी उपलब्ध कराने में प्रसन्नता है।

डी-मैट रूप में शेयरों को रखने से कई फायदे हैं। उनमें से कुछ फायदे हैं :-

- शेयर डी-मैट रूप में रखे जाते हैं। (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में)
- शेयर प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
- भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित जोखिम जैसे खराब डिलीवरी, ट्रांजिट में अवरोध / नष्ट होने / खराब होने की संभावना आदि से छुटकारा।
- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण अर्थात् शेयरों / प्रतिभूतियों का त्वरित अंतरण / वितरण
- प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टॉप चूटी नहीं
- शेयर अंतरण में कोई कागज़ी काम नहीं
- कम लेन-देन लागत
- नामांकन सुविधा उपलब्ध
- विभिन्न कंपनियों के रिकॉर्ड की तारीख याद रखने की आवश्यकता नहीं
- ई सी एस प्रक्रिया के माध्यम से स्वचालित रूप से लाभांश आपके खाते में जमा हो जाएगा।

इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रेडिंग के निम्न कुछ फायदे हैं :-

- निशुल्क ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता
- इंटरनेट / टोल फ्री दूरभाष के माध्यम से अपनी इच्छानुसार शेयरों क्रय-विक्रय
- आई पी ओ के लिए ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- म्यूचुअल फंड के लिए ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन
- कम दलाली

हमारे रिकार्ड में यह पाया गया है कि आपके पास बैंक के शेयर अभी भी भौतिक रूप में हैं। अतः हमें एक बार फिर आपको डी-मैट खाता / ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए हमारी सेवाएं उपलब्ध कराने का अवसर प्राप्त हुआ है।

निक्षेपागार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नामोद्विष्ट शाखाओं की सूची आपकी जानकारी के लिए संलग्न है। अपना मूल्यवान डी-मैट खाता खोलने के लिए आप इनमें से किसी भी शाखा में पदार्पण कर सकते हैं।

उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निवेश पर प्रतिफल मिलना। घोषित लाभांश को समय से आपके खाते में जमा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेस (ईसीएस) का उपयोग करने का हम अनुरोध करते हैं जिससे आपके लाभांश को बिना किसी मुश्किल के सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने में मदद मिलेगी। यदि आपने उक्त सेवा का विकल्प नहीं दिया है तो आप ईसीएस अध्यादेश दे सकते हैं जिसे निक्षेपागार सहभागी डी-मैट खाता खोलने के साथ उपलब्ध कराते हैं।

हमेशा उत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हुए धन्यवाद

आपका,

प्रद्युमन सिंह रावत

कार्यपालक निदेशक

(अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

Dear Shareholder,

It gives us immense pleasure to reach you as our esteemed Shareholder of our Bank. It is with the support and help of people like you, (y)our bank has been growing steadily day by day with strong basics.

You are kindly aware that holding of shares only in DEMAT form is a must for trading or pledging the same. Further, it is necessary to have a DEMAT Account with any of the Depository Participant (DP) for trading the shares in the DEMAT form. We, as one of the Depository Participants, are glad to extend the Depository Services also.

There are many advantages of holding shares in DEMAT mode Account. Some of the advantages are:

- Shares are held in DEMAT form (ie., electronically)
- No need to safe keep of share certificates
- Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, possibility of interception in transit / loss / mutilation, etc.,
- Immediate transfer of securities ie., instant transfers / deliveries of shares / securities
- No stamp duty on transfer of securities
- No paper work on share transfer
- Reduced transaction cost
- Nomination facility is available
- No need to remember the records dates of various companies
- Dividend will be automatically credited to your Bank account through ECS process

Further, the following are some of the advantages of Online Trading :

- Free Online Trading Account
- Buy and Sell shares at your will through Internet / Toll free telephone
- Online subscription to Initial Public Offer (IPO)
- Online subscription to Mutual Funds (MF)
- Low brokerage

It is observed from our records that you are still holding the bank's shares in physical form. Hence, we once again take this opportunity to extend to you our services for opening the Demat Account / Online Trading Account.

A list of Designated Branches for Depository Services is attached for your information. You may approach any of these branches for the purpose of opening of your valuable Demat Account / Online Trading Account.

Equally important aspect is that receiving the returns on your investment. For ensuring the timely credit of the dividends declared, it is a novel idea to have the Electronic Clearing Service (ECS) which indeed helps you to get the dividend amount credited to your bank account directly without any hassles. In case you have not opted for the said service, you may avail the services of ECS Mandate, which is extended simultaneously by the Depository Participant while opening the Demat Account.

Thanking you and assuring you of our best services always...

Yours sincerely,

Pradyuman Singh Rawat

Executive Director

(Additional Charge - MD & CEO)



निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची

क्रम संख्या	निक्षेपागार सेवा केन्द्र का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	आगरा - एम जी रोड	71, नेहरू नगर, एम जी रोड, आगरा- 282002	0562-2527427/2527428
2	आश्रम रोड, अहमदाबाद	नारायणा चेंबर्स, नेहरू पुल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009	079-26577487/26575497
3	बेंगलूर केन्द्रीय डी पी	बेंगलूर स्टॉक एक्स्चेंज बिल्डिंग, सं.51, I क्रॉस, जे सी रोड, बेंगलूर - 560027	080-22116400/22105148 / 22116082
4	बेंगलूर- विजयनगर	48, मागडी कोर्ड रोड, विजयनगर, बेंगलूर - 560040	080-23204991/23351891
5	भोपाल- अरेरा कॉलोनी	ई-5/8-9, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के सामने, भोपाल - 462016	0755-2464003
6	कालीकट - वेस्ट हिल	वेस्ट हिल रोड, सुदर्शन बिल्डिंग, कालीकट - 673005	0495-2367750
7	चंडीगढ़ 17-सी	सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ - 160017	0172-2702065/2702116
8	चेन्नई - डी पी	सं. 150, हबीबुल्ला रोड, चेन्नई - 600017	044- 28345454
9	चेन्नई - तेनामपेट	563/1, भूतल, वेंकटरमणा सेंटर, अण्णा शालै, तेनामपेट, चेन्नई - 600018	0 44-24313662/24312001
10	चेन्नई अण्णानगर पूर्व	ए-12/13, II एवेन्यू, अण्णा नगर पूर्व, चेन्नई - 600102	044-26261627
11	कोयंबतूर - आर एस पुरम	100, दीवान बहादुर रोड, आर एस पुरम, कोयंबतूर - 641002	0422-2552237/2558411
12	पार्क रोड - ईरोड	सी.डी. बिल्डिंग, 47ए, पार्क रोड, ईरोड - 638003	0424-2210445
13	दिल्ली डी पी	एन-1, बी एम सी हाउस, तृतीय तल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली- 110001	011- 23752036/23357281
14	दिल्ली - हौज़ खास	ए-27, हौज़ खास, नई दिल्ली - 110016	011-26964090/26568680
15	दिल्ली - आर के पुरम	12, आराधना एन्क्लेव, सेक्टर 13, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	011-24122203/24122204
16	एरणाकुलम - ब्रॉड वे	प्रथम तल, शेनॉई चेंबर्स, शन्मुखम रोड, कोच्चि- 682031	0484-2351255/2355641
17	बिग बाज़ार - पालक्काड	अज़ीज़ बिल्डिंग, बी ओ सी रोड, बिग बाज़ार, पालक्काड - 678014	0491-2502152
18	गुडगाँव	एस जी 27-28, गलेरिया, डी एल एफ फेस - IV, गुडगाँव - 122002	0124-2572932/257933
19	गुवाहाटी - दिसपुर	प्रथम तल, एच/274, वार्ड 34, दिसपुर, गुवाहाटी - 781005	0361-2265504/2262147
20	गोवा - मडगाँव	कमता हाउस, लूयिस मिरांडा रोड, मडगाँव - 403601	0832-2715607/2737977
21	हुबली - ट्रैफिक आइलैंड	प्रथम तल, देवी कॉम्प्लेक्स, क्लब रोड, ट्रैफिक आइलैंड, हुबली - 580029	0836-2351198
22	हैदराबाद - नारायणगुडा	3-5-168-1234, शांति टॉकीज के सामने, नारायणगुडा, हैदराबाद - 500029	040- 23438649/23438650
23	जयपुर - अरविंदमार्ग	अनुकंपा मैन्शन, एम आई रोड, अजमेरी गेट के पास, जयपुर - 302001	0141- 2362374, 2368154



LIST OF DP SERVICE CENTRES

Sl. No.	Name of DP Service Center	Address	Tel No.
1	Agra - M G Road	71, Nehru Nagar, M. G. Road, Agra - 282002	0562-2527427/2527428
2	Ashram Road, Ahmedabad	Narayana Chambers, Near Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009	079-26577487/26575497
3	Bangalore - Central DP	Bangalore Stock Exchange Building, No. 51, I Cross, J. C. Road, Bangalore - 560027	080-22116400/22105148 / 22116082
4	Bangalore - Vijayanagar	48, Magadi Chord Road, Vijayanagar, Bangalore - 560040	080-23204991/23351891
5	Bhopal - Arera Colony	E-5/8-9, Area Colony, Opp. Habibganj Police Station, Bhopal - 462016	0755-2464003
6	Calicut - West Hill	West Hill Road, SUDARSAN BLDG, Kozhikode - 673005	0495-2367750
7	Chandigarh 17 - C	Sector 17 C, Chandigarh - 160017	0172-2702065/2702116
8	Chennai - DP	No. 150, Habibullah Road, Chennai - 600017	044- 28345454
9	Chennai - Teynampet	563/1, Ground Floor, Venkatramana Center, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600018	0 44-24313662/24312001
10	Chennai Annanagar East	A-12/13, II Avenue, Anna Nagar East, Chennai - 600102	044-26261627
11	Coimbatore - R S Puram	100, Dewan Bahaddur Road, R. S. Puram, Coimbatore - 641002	0422-2552237/2558411
12	Park Road - Erode	C. D. Building, 47A, Park Road, Erode - 638003	0424-2210445
13	Delhi DP	N-1, BMC House, 3rd Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001	011- 23752036/23357281
14	Delhi - Hauz Khas	A-27, Hauz Khas, New Delhi - 110016	011-26964090/26568680
15	Delhi - R K Puram	12, Aradhana Enclave, Sector 13, R. K. Puram, New Delhi - 110066	011-24122203/24122204
16	Ernakulam - Broadway	1st Floor, Shenoy Chambers, Shanmugam Road, Kochi - 682031	0484-2351255/2355641
17	Big Bazaar, - Palakkad	Azeez Building, BOC Road, Big Bazaar, Pallakkad - 678014	0491-2502152
18	Gurgaon	SG 27-28, Galleria, DLF Phase - IV, Gurgaon - 122002	0124-2572932/257933
19	Guwahati - Dispur	1st Floor, H/274, Ward 34, Dispur, Guwahati - 781005	0361-2265504/2262147
20	Goa - Marga	Kamatha House, Luis Miranda Road, Margaon - 403601	0832-2715607/2737977
21	Hubli - Traffic Island	1st Floor, Devi Complex, Club Road, Traffic Island, Hubli - 580029	0836-2351198
22	Hyderabad - Narayanaguda	3-5-168-1234, Opp. Shanthi Talkies, Narayanaguda, Hyderabad - 500029	040- 23438649/23438650
23	Jaipur - Arvindmarg	Anukampa Mansion, M. I. Road, Near Ajmeri Gate, Jaipur - 302001	0141- 2362374, 2368154



निक्षेपागार सेवा केंद्रों की सूची

क्रम संख्या	निक्षेपागार सेवा केन्द्र का नाम	पता	दूरभाष संख्या
24	जालंधर - बी एम सी चौक	बी एम सी चौक, जालंधर - 144001	0181-2223154/2225920
25	कोलकाता डी पी	सं. 9, लाला लाजपतराय सरणी, कोलकाता - 700020	033-23322586
26	मदुरै - ग्रैंड सेंट्रल	118/बी, वेस्ट पेरुमाल मिस्त्री स्ट्रीट, मदुरै - 625001	0452-2343191
27	मंगलूर- हम्पनकट्टा	गोकुल मार्केट, पुराने बस स्टैंड के पास, हम्पनकट्टा, मंगलूर - 575001	0824-2441216
28	उडुप्पी - मारुति वीथिका	मारुति वीथिका, उडुप्पी - 576101	0820-2521429/2520833
29	नोएडा मुख्य	सी-3, सेक्टर 1, नोएडा - 201301	0120-2529164
30	मुंबई डी पी	स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज शाखा, नंबर 115, अटलांटा भवन, 11 वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	022-22023168
31	मुंबई - घाटकोपर (प)	आर.डी. शाह बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई - 400086	022-25158852
32	मुंबई - एस एस बी	सिमेंट चॉल सं. 1, जयप्रकाश रोड, अन्धेरी पश्चिम, मुंबई - 400058	022-26289946/26239585
33	मुंबई - विले पार्ले	38, ब्रिजभुवन, नेहरू रोड, मुंबई - 400057	022-26175655/26143615
34	हासन मुख्य	एन.आर. सर्किल, एच.एन. पुरा रोड, हासन - 573201	8172-268191/268238
35	मैसूर - नज़रबाद	सं. 26/ए, गेस्ट हाउस रोड, नज़रबाद, मैसूर - 570010	0821-2528242
36	नागपुर - इटवारी	यमुना सदन, तांगा स्टैंड, सराफा बाज़ार, इटवारी, नागपुर - 440002	0712-2764744/2773991
37	पटना - बुद्धमार्ग	बुद्ध मार्ग, पटना-गया रोड, पटना - 800001	0612-2222813
38	पुणे - कैप	पोस्ट बॉक्स सं. 21, जी पी ओ कैप, 11, एम जी रोड, रेड क्रॉस बिल्डिंग, पुणे - 411001	020-26131833/26053222
39	राँची - डोरंडा	डोरंडा, राँची - 834002	0651-2480415/2481221
40	सेलम अलगापुरम	प्रथम तल, शारदा विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्पाउंड, फेयरलैंड्स, सेलम - 636016	0427-2448605/2446916
41	नेल्ली सौधा - शिमोगा	नेल्ली सौधा, कुवेम्पु रोड, शिमोगा - 577210	08182-223673
42	कोट्टयम - के के रोड मुख्य	के.के. रोड, कोट्टयम - 686001	0481-2563645/2301011
43	तिरुवनंतपुरम - कैट	एम जी रोड, स्पेंसर जंक्शन, तिरुवनंतपुरम - 695001	0471-2331536/2331605
44	तिरुच्ची - तिल्लै नगर	आनंद टावर्स, 11, शास्त्री रोड, तिल्लै नगर, तिरुच्ची - 620018	0431-2741990
45	विशाखपट्टणम - दाबा गार्डन	30-15-160, वार्ड सं. 17, पेन स्कूल के पास, दाबा गार्डन्स मेन रोड, सूर्यबाग, विशाखपट्टणम - 530020	0891-2547927/2547928
46	सी बी एस एल, मुंबई (फ्रेंचाइज़ी कार्यालय)	सातवाँ तल, मेकर चेंबर्स III, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021	022-22802400 / 43603800 टॉल फ्री सं.: 1800220369 / 18001031369



LIST OF DP SERVICE CENTRES

Sl. No.	Name of DP Service Center	Address	Tel No.
24	Jalandhar - BMC Chowk	B. M. C. Chowk, Jalandhar - 144001	0181-2223154/2225920
25	Kolkata DP	No. 9, Lala Lajpatrai Sarani, Kolkata - 700020	033- 23322586
26	Madurai - Grand Central	118/B, West Perumal Maistry Street, Madurai - 625001	0452-2343191
27	Mangalore - H'katta	Gokul Market, Near Old Bus Stand, Hampankatta, Mangalore 575001-	0824-2441216
28	Udupi - Maruthi Veethika	Maruthi Veethika, Udupi - 576101	0820-2521429/2520833
29	Noida Main	C-3, Sector 1, Noida - 201301	0120-2529164
30	Mumbai DP	Stock & Commodity Exchange Branch, No. 115 Atlanta Building, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021	022-22023168
31	Mumbai - Ghatkopar (w)	R. D. Shah Building, Opp. Railway Station, Ghatkopar West, Mumbai - 400086	022-25158852
32	Mumbai - SSB	Cement Chawl No. 1, Jayaprakash Road, Andheri West, Mumbai - 400058	022-26289946/26239585
33	Mumbai - Vile Parle	38, Brijbhuvan, Nehru Road, Mumbai - 400057	022-26175655/26143615
34	Hassan Main	N. R. Circle, H. N. Pura Road, Hassan - 573201	8172-268191/268238
35	Mysore - Nazarabad	No. 26/A, Guest House Road, Nazarabad, Mysore - 570010	0821-2528242
36	Nagpur - Itwari	Yamuna Sadan, Tangastand, Sarafa Bazar, Itwari, Nagpur - 440002	0712-2764744/2773991
37	Patna - Budhmarg	Budh Marg, Patna-Gaya Road, Patna - 800001	0612-2222813
38	Pune - Camp	P. B. No. 21, GPO Camp, 11, M. G. Road, Red Cross Bulding, Pune - 411001	020-26131833/26053222
39	Ranchi - Daronda	Doranda, Ranchi 834002	0651-2480415/2481221
40	Salem Alagapuram	1st Floor, Sarada Vidyalaya Girls Hr. Sec. School Compound, Fairlands, Salem - 636016	0427-2448605/2446916
41	Nelli Soudha Shimoga	Nelli Soudha, Kuvempu Road, Shimoga, Shimoga - 577210	08182-223673
42	Kottayam - KK Road Main	K. K. Road, Kottayam - 686001	0481-2563645/2301011
43	Trivandrum - Cant	M. G. Road, Spencer Junction, Thiruvananthapuram - 695001	0471-2331536/2331605
44	Trichy - Thillai Nagar	Anand Towers, 11, Sastry Road, Thillai Nagar, Trichy - 620018	0431-2741990
45	Visakapatnam - Daba Gardens	30-15-160, Ward No.17, Beside Pen School, Dabagardens Main Road, Suryabagh, Visakhapatnam - 530020	0891-2547927/2547928
46	CBSL, Mumbai (Franchisee office)	Seventh Floor, Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai - 400 021	022-22802400 / 43603800 Toll free Nos: 1800220369 / 18001031369



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

उपस्थिति पर्ची
13वीं वार्षिक आम बैठक - 14-07-2015
(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हॉल के प्रवेश द्वारा पर दे दें)

दिनांक:	स्थान: बेंगलूर	समय:
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डीपीआईडी सं	
	ग्राहक आईडी सं	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम		
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		

-----><----- इधर से काटें -----><-----



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

प्रवेश पास
13वीं वार्षिक आम बैठक - 14-07-2015
(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डीपीआईडी सं	
	ग्राहक आईडी सं	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम		
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



(A Government of India undertaking)
Head Office: 112 J C Road, Bengaluru- 560 002

ATTENDANCE SLIP
13th ANNUAL GENERAL MEETING - 14.07.2015
(to be surrendered at the time of entry)

Date:		Place: Bengaluru		Time :	
Name of the Shareholder					
Number of shares					
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.			
		Client ID No.			
		(if dematerialised)			
Name of the Proxy/ Authorised Representative present					
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative					

-----<----- इधर से काटें -----<-----



(A Government of India undertaking)
Head Office: 112 J C Road, Bengaluru- 560 002

ENTRY PASS
13th ANNUAL GENERAL MEETING - 14.07.2015
(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder			
Number of shares			
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.	
		Client ID No.	
		(if dematerialised)	
Name of the Proxy/ Authorised Representative present			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative			

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**



(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 14-07-2015

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य को सभागृह - 1, निमहंस कन्वेंशन सेंटर, होसूर मेन रोड, होम्बेगौडा नगर, बेंगलूर- 560 029 में दिनांक 14 जुलाई, 2015 को अपराह्न 3.30 बजे होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2015 माह के दिन को हस्ताक्षरित


रजिस्टर्ड फोलियो सं. /

ग्राहक आई डी :

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता:

.....



.....
प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - एक नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् गुरुवार 9 जुलाई, 2015 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिवीय प्रभाग, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर में जमा किया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण का दिनांक उल्लिखित करना होगा।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

13th Annual General Meeting – 14.07.2015

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident ofin the district of..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district ofin the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Tuesday, the 14th.July, 2015 at 3.30 P.M. at Auditorium – 1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bengaluru – 560 029, and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2015

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares


Signature of Proxy

Name & Address:.....

.....

.....

Signature of the first named / sole shareholder




INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, 4th Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Thursday, the 09th July, 2015.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.



भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "निर्यात बंधु" रजत पदक प्राप्त करते हुए हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री वी. एस. कृष्ण कुमार

Our Executive Director Sri V S Krishna Kumar receiving the "Niryat Bandhu" Silver Trophy from Hon'ble President of India Sri Pranab Mukherjee at Vigyan Bhavan, New Delhi.



हमारे कार्यपालक निदेशक श्री पी एस रावत (प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार) वर्ष 2014-15 के वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए। उनके दाहिने हमारे कार्यपालक निदेशक श्री हरिदीश कुमार बी. हैं।

Our Executive Director, Sri P S Rawat (with Additional Charge of MD & CEO) announcing the Financial Results for the year 2014-15. Seen to his right is our Executive Director Sri Harideesh Kumar B.

बैंक की सीएसआर पहल के तहत विकलांग खिलाड़ियों को विशेष कील चेयर दान करते हुए



Donating special wheel chairs to physically handicapped sports persons as part of the Bank's CSR initiatives.

बैंक की सीएसआर पहल के तहत "शिशु विहार" को दान दिया गया



Donation made to "Shishu Vihar" as part of the Bank's CSR initiatives.

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने बैंक को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की



Indira Gandhi Rajbhasha Shield being awarded by the Honorable President of India, Sri Pranab Mukherjee to the Bank.

भारतीय रिजर्व बैंक के माननीय गवर्नर श्री रघुराम राजन ने बैंक को राजभाषा गवर्नर शील्ड प्रदान की



Rajbhasha Governors Shield being awarded by the esteemed RBI Governor, Sri Raghuram Rajan to the Bank.



केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु

Canara Bank Head Office, Bengaluru

केनरा बैंक  **Canara Bank**
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
Together We Can

प्रधान कार्यालय: संख्या 112, जे सी रोड, बेंगलुरु - 560 002 Head Office: No. 112, J C Road, Bengaluru - 560 002

टोल फ्री नं. / Toll Free No. 1800 425 0018

वन वृक्ष की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा / Save Trees. Save Water. Save Environment.

www.canarabank.com